राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

शुक्रवार,

24 मार्च, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11 : 00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी।

नाकारा घोषित सामान की नीलामी

1. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (सम्पदा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वस्तु/मशीनरी/अन्य सामान को नाकारा घोषित कर नीलाम करने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों/निगमों/सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में करोड़ों रुपये का सामान बेकार (कण्डम) पड़ा है अथवा काम में नहीं आ रहा है और न ही भविष्य में काम आने की उम्मीद है? यदि हां, तो ऐसे सामान की अनुमानित राशि बताते हुए, विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे सामान को सरकार किस प्रकार डिस्पोज ऑफ करके रेवेन्यू बढ़ाने का विचार रखती है? गत तीन वर्षों में कितनी राशि का ऐसा सामान बेचा गया? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या एक का उत्तर मैं दे रहा हूँ :—

(1) वस्तु/मशीनरी/अन्य सामान को नाकारा घोषित कर नीलाम करने सम्बन्धी नियम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में सम्मिलित हैं। इससे सम्बन्धित प्रावधान इन नियमों के भाग-II के नियम 16 से 26 में निहित हैं। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। बेकार पड़े नाकार सामान की सूचना 140 विभागों एवं 40 निगमों/नगरपालिकाओं/नगर विकास न्यासों/ बोर्डों से प्राप्त हो गयी है जिसके अनुसार ऐसे सामान की अनुमानित राशि लगभग 27.12 करोड़ रुपये है। 212 विभागों एवं 20 निगमों/बोर्डों एवं ऐसी नगरपालिकाओं/नगर विकास न्यासों, जिनकी संख्या इन 20 में सम्मिलित नहीं है, से सूचना आनी बाकी है, जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है। प्राप्त सूचना का विभागवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(3) सरकार नाकारा सामान को नियमानुसार विक्रय कराकर राजस्व बढ़ाने का विचार रखती है। राजकीय विभागों में से 140 विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार गत 3 वर्षों में 37.15 करोड़ रुपये का सामान बेचा गया। इसी प्रकार 40 निगमों/बोर्डों/नगर विकास न्यासों/नगरपालिकाओं द्वारा इन तीन वर्षों में लगभग 33.10 करोड़ रुपये का नाकारा सामान बेचा गया। शेष विभागों/निगमों आदि से सूचना प्राप्त की जा रही है, जिसमें समय लगने की संभावना है। प्राप्त सूचना का विभागवार विवरण सदन के पटल पर उत्तर क्रम संख्या-2 के विवरण के साथ रख दिया गया है।

(नियमों की प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है यह सूचना अधूरी है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए पूरी सूचना आने तक।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसमें पोस्टपोन जैसी तो कोई बात है नहीं। सारी बात आ गयी है। आपने जो सूचना चाही है इसमें अधिकांश तो आ ही गयी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, 212 विभागों और बीस, तीस, निगमों और बोर्डों की सूची अभी तक नहीं आयी है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इसमें क्या फर्क पड़ेगा 27 की जगह 30 हो जाएगी। आपके पास सप्लीमेंट्री हो, आपके ध्यान में हो तो वह पूछ लें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : बाद में सूचना आयेगी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भेज देंगे आपको।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार यह मानती है कि 37 करोड़ रुपये का माल पहले नाकारा घोषित किया गया और 33 करोड़ रुपये का और किया गया है। कुछ विभागों की सूचना पर्टिकूलरली नहीं आयी है तो उसमें कोई विशेष आप सप्लीमेंट्री पूछना चाहे तो आप पूछ लें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन विभागों के सम्बन्ध में सप्लीमेंट्री करनी थी और जहां गड़बड़ घोटाला है उनकी सूचना छिपा कर रख रही है सरकार।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आपके ध्यान में हो तो बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कौन-कौन से विभाग हैं जिनके बारे में आप सप्लीमेंट्री करना चाहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह आयी नहीं सूचना।

उपाध्यक्ष : मेरे हिसाब से तो काफी लम्बा चौड़ा उत्तर आ गया है।

श्रीमान् गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, भाग संख्या-2 के जवाब पर ध्यान दीजिये। 212 विभागों एवं 20 निगमों/बोर्डों एवं नगरपालिकाओं/नगर न्यासों जिनकी संख्या 20 है, मतलब 40 तो बोर्ड/निगम/न्यास और 212

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

विभाग की सूचना नहीं आयी। एक-डेढ़ महीने तक सदन चलेगा, एक महीने का टाइम दे दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि आपने नाकारा चीजों की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इसलिए अब नाकारा के बारे में विभाग सजग हुआ है। सामान्यतः अलग-अलग विभागों को अपना-अपना नाकारा सामान डिस्पोज आफ करने का अधिकार है। जिसका कोई सैण्ट्रली रिकार्ड नहीं रहता, समय-समय पर उसकी जांच होती रहती है। इस प्रश्न के आने के बाद यह जांच शुरू हुई। अब चूंकि सारे विभागों की संख्या बहुत ज्यादा है, समय का स्पेण्ड भी ध्यान में रखिये, समय को ध्यान में रखिये, इसलिए मैंने जवाब में यह कहा है कि बाकी सारी सूचनाएं जो आयेंगी आपको पहुंचा दी जाएगी। यह मैंने इसमें मान लिया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं उप मुख्य मंत्रीजी मानते हैं कि सोते हुए विभाग जागे हैं और नाकारा पड़े हुए सामान की अब सार-सम्भाल कर रहे हैं, सूचियां बना रहे हैं और उसको विक्रय भी करेंगे तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ऐसे विभाग जिन्होंने अभी तक सूचना नहीं भेजी है, सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार क्यों नहीं उनसे सूचना मंगवा कर हमें उपलब्ध कराये। आप इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पोस्टपोन करने जैसी तो कोई बात नहीं है। आपको सारी सूचनाएं अवेलेबल करवा देंगे उसके बाद कोई बात हो तो आप माननीय मंत्रीजी से बात कर लें। इसमें कौन-सी बड़ी बात है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सदन में बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कोई ऐसा आपको लगे कि इसमें एम्बीगुएटी है और उसमें आपका उत्तर नहीं आया है तो आप उसमें बात कर सकते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : 50 प्रतिशत भी नहीं आया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सदन में बात करेंगे। हम आपके सामने बात करना चाहते हैं।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपये की मशीनरी बेकार पड़ी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारी की सारी सूचनाएं और आ जाएंगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पोस्टपोन करने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री विष्णुजी मोदी। (व्यवधान) अब हो गया। बिराजें आप। माननीय सदस्य, सारी सूचनाएं आ गयी हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूँ। मेरा यह पहला प्रश्न है, विधान सभा का पहला दिन और आपका भी आज पहला दिवस है, आप मेहरबानी करिये, आप यह क्यों बौणी खराब कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बौणी क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह इस नेचर का सवाल भी पहला है। अच्छा हुआ आपने नाकारा व्यक्तियों का नहीं पूछा। यह और पूछ लेते। नाकारा व्यक्तियों की बात हो जाए तो कैसी रहे।

श्री जगदीप धनखड़ : आपकी सरकार में (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उप मुख्य मंत्रीजी का भी पहला है। वह अब तक अध्यक्ष थे। उप मुख्य मंत्रीजी का आज पहला ही जवाब है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : उप मुख्य मंत्रीजी का आज पहला ही जवाब है। उप मुख्य मंत्रीजी का आज पहला ही सवाल है सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। बहुत हो गया इसमें और सारी बातें सरकार की निगाह में आ गयी हैं। आपका मन्तव्य तो यही है कि इस सरकार का सामान जो नाकारा है वह फिजूल में नहीं जाए और उसका पैसा आये। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा उसका तात्पर्य हो नहीं सकता और वह सरकार करने जा रही है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्षजी, पोस्टपोनमेंट के पीछे एक भावना है, जैसा भाभड़ा साहब ने भी कहा कि इस क्वश्चन के आने के बाद सारे विभाग सजग हो गये और अगर यह मैटर असेम्बली में पैंडिंग रहेगा तो और अंकुश रहेगा। एक महीने का समय देने में कोई बड़ी बात नहीं है और इससे लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री हरिशंकर भाभडा : मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, एक मिनट, इस मामले में जिन विभागों ने सूचनएं नहीं भेजी हैं उनको चेतावनी जारी कर दी गयी हैं और जो उसके लिये रेस्पान्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्यवाही का आदेश भी मैंने दे दिया है।

श्री जगदीप धनखड़ : Why are you sweeping them under the carpet?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सप्लीमेंट्री हमारा अधिकार है। हम सप्लीमेंट्री पूछ नहीं सकते क्योंकि सूचना अधूरी है और आप इसको पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्षजी, थे म्हारी बौणी खराब नहीं करो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, यह नहीं होगा। इसको पास्टपोन करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सदस्य, किसी प्रकार की कोई बात रह जाएगी तो आप आगे और किसी न किसी माध्यम से इसको पूछ सकते हैं। अब आज का आज सारा क्यों करना चाहते हैं। नैक्स्ट, श्री विष्णुजी मोदी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इसमें दिक्कत क्या है? मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जवाब अधूरा है तो पोस्टपोन कर दीजिये। तो इसमें क्या इज्जत का सवाल बना लिया है। आप खुद मान जाइये। जिस रोज जवाब आये उस रोज आप जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी (व्यवधान) मेरा भी पहला ही मौका है और अहम् मुद्दा है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम उत्तर के लिए 12 प्रश्न लगें और दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न भी आ सकें। उसके लिये आवश्यक है कि थोड़ा जल्दी-जल्दी लें, तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना अहम् मुद्दा था कि पूरी जानकारी आने के पश्चात् भी हाफ एन आवर डिस्कशन का मामला बनता था। आज आपका पहला मौका है। आज आपने बिल्ली मार ली.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अभी जो क्वेश्चन पूछा है और जवाब आया है, अगर आ यह समझते हैं कि इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करनी है और जानकारी करनी है तो हाफ एन आवर डिस्कशन आप कर लीजिये हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा हमें फायदा ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यही मैं कह रहा था कि हाफ एन आवर डिस्कशन में ले सकते हैं और अन्य माध्यम से आप इसको ले सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी।

विभिन्न न्यायालयों में सरकार के विरुद्ध लम्बित मामले

2. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध कितने मामले कब से लम्बित हैं ?

(2) गत दो वर्षों में उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी ?

(3) सरकार के विरुद्ध लम्बित मामले शीघ्र निपट सकें, इसके लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

राज्य मंत्री विधि (श्रीमती शशि दत्ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बहुत विस्तृत जानकारी चाही गयी है जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से सम्बन्धित है। सम्पूर्ण जानकारी इसकी अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूँगी कि यह स्थगित किया जाए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पोस्टपोन करना चाहती हैं मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी एक नम्बर सवाल का जो हश्र हुआ वह आपके सामने है और दूसरे प्रश्न का यह हश्र हो रहा है। मैं बहुत गम्भीरता से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन की गरिमा गिराई जा रही है और वह भी एक केलकुलेटेड वे में। मेरे द्वारा पिछले बजट सत्र में पूछे गये सवालों का आज तक जवाब नहीं आया है और अगर आप इस तरह से सरकार को काम करने देना चाहते हैं, तो जो सरकार इस विधान सभा से ताकत प्राप्त करती है, जो अधिकार प्राप्त करती है वही उस विधान सभा की गरिमा को गिराना चाहती है। पिछले बजट सत्र के सवालों का आज तक जवाब नहीं मिला है और पहले और दूसरे सवाल का हश्र यह हुआ मुझे एतराज नहीं कि आप इसको पोस्टपोन करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने पोस्टपोनमेंट मांगा है इसलिए पोस्टपोन किया जाता है।

श्री विष्णु मोदी : पोस्टपोन तो कर रहे हैं लेकिन जो पिछले सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला उसके ऊपर आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : उनका भी जवाब समय पर मंगवा दिया जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : 15 दिन का प्रावधान है। एक साल से ऊपर निकल गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। यह एक लम्बी सूचना है कि कितनी फीस दी है और सुप्रीम कोर्ट तक का मांगा है, उसमें समय तो लग ही जाता है।

श्री विष्णु मोदी : आप हमारे गार्जियन हैं और हाउस के भी गार्जियन हैं। इस तरह से सरकार साल-साल भर तक जवाब नहीं देगी, एक नम्बर का और दूसरे नम्बर का यह हश्र हुआ तो इस विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुँचेगी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : इसकी व्यवस्था दीजिये समय सीमा बांध दीजिये। पिछली विधान सभा के सवालों का उत्तर नहीं आना बहुत ही गम्भीर मामला है। इसलिए आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको गम्भीरता से लें। जो प्रश्न सूचना में नहीं आता है.....

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि पूरी सूचना नहीं आयी है और इसको पोस्टपोन किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस सदन की परम्परा रही है कि जब भी मंत्री के पास पूरी सूचना नहीं आये या अपने प्रश्न को पोस्टपोन करना चाहते हैं तो आसन को पहले सूचना उनको देनी चाहिए। आज जो प्रश्न पूछा गया उसके बाद में आप खड़े होकर यह कहते हैं तो यह सदन की परम्परा को ठेस पहुँचाने वाली बात है और इसके लिये मंत्री महोदय को ताड़ना दें।

श्रीमती शशि दत्ता : मैंने सूचना दे दी है, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है वह समस्या अधिकतर सदस्यों के साथ है। महीनों तक जवाब नहीं देते हैं, तो मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि सदन के अन्दर आप इनको चेतावनी के साथ इस प्रकार का निर्देश दें कि जो भी दोषी मंत्री या अधिकारी हैं और जिनकी वजह से समय पर प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सका है उनके विरुद्ध कितने समय में और कितनी गम्भीर कार्यवाही होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें तो दो मिनट में अपनी बात कह दूँ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात पर कहना चाहिए कि दोषी कौन हैं और उनको क्या दण्ड दिया जाएगा कब तक आप जवाब दिलवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : वह भी हो जाएगा सब हो जाएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय + + + आप बताइये कितने समय में जवाब दिया जाएगा? स्पष्ट घोषणा की जाए कि कितने समय में जवाब दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार से जवाब मंगायें।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब कुछ फरमा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेद करना चाहता हूँ कि गुढ़ा से आने वाले सदस्य श्री शिवनाथसिंह जी ने जो प्रश्न आपके सामने उठाया है कि मंत्री महोदय का नाम पुकारे जाने के बाद खड़े होकर कह दिया कि पूरा जवाब नहीं आया और इसको पोस्टपोन कराना चाहते हैं, आपके पास यदि पहले सूचना है या रिक्वेस्ट है कि इसको पोस्टपोन किया जाए तब तो आपको इस प्रश्न को काल ही नहीं करना चाहिए था और आपको स्वयं के अधिकार से सुओ मोटो पोस्टपोन कर देना चाहिए लेकिन जब आपने पुकार लिया और मंत्री महोदया यह कहती हैं कि मेरे पास उत्तर नहीं है तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि आप सरकार को ताड़ना दें कि ऐसी कोई सूचना है पोस्टपोन की तो वह पहले देनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहले सूचना दे दी थी।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर आसन को काल नहीं करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : जैसे ही प्रश्न आया उसी समय दे दिया है। माननीय सदस्यगण, एक निवेदन करना चाहता हूँ.......

श्री रामनारायण चौधरी : तो आपसे पहले रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी आपके चैम्बर में कि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर सरकार नहीं देगी इसलिए पोस्टपोन किया जाए। अगर यह सूचना आपके पास है तो कह दीजिये अगर नहीं है तो आप ताड़ना दीजिये सरकार को। यह कोई मतलब नहीं होता है कि आप खड़े होकर कह दें कि हमारे पास उत्तर नहीं आया। जिस सवाल का जवाब एक महीने पहले मांगा गया है और सरकार उत्तर नहीं दे सके इस पर बड़ी + + + सरकार और क्या हो सकती है। आपको व्यवस्था देनी चाहिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। इस तरह सब बोलना शुरू कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि यह हाउस चलाने का कोई तरीका है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूँ। इस प्रश्न को स्थगित करने के सम्बन्ध पहले सूचना दे दी गयी थी!

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : नाम नहीं पुकारना चाहिए था।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनलिस्ट हो गया इसलिए नाम पुकारा गया है।

श्री जगदीप धनखड़ : सूचना कब दी? कितने बजे सूचना दी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एडवोकेट हैं, आप यह क्या पूछ रहे हैं, क्रास एक्जामिनेशन कर रहे हैं मेरा?

श्री जगदीप धनखड़ : वह तो यहां नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मत समझो कि आप ही एडवोकेट हैं और हम जवाब नहीं दे सकते। यदि आप क्रास एक्जामिनेशन करें तो जवाब भी देने को तैयार हूँ। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदया ने इसको उत्तर के लिये भेज दिया था और भेजने के बाद में कोई भी माननीय सदस्य यह अनुमान लगा सकता है कि इस प्रकार की जानकारी देना 15 दिन में सम्भव नहीं है और उच्चतम न्यायालय की जानकारी और उनके अधीनस्थ कोर्ट्स की जानकारी लेना सम्भव नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इसकी जानकारी आ जाए और जानकारी आने के बाद में यह परिणाम निकलेगा कि लम्बित केसेज कितनी संख्या में हैं और उनका डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाए क्वश्चन अच्छा है इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया इसलिए आपसे टाइम मांगा है। पहले इसकी सूचना दे दी या क्वश्चन काल-अपान कर लिया इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

आपने एक प्रश्न उठाया था वह इम्पार्टेंट है कि पिछले सत्र में दिये हुए प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। इस सदन को यह जानकारी होगी कि यह व्यवस्था भी हमारे ही शासनकाल में हुई थी। मैं भी 40 वर्षों तक सदस्य रहा हूँ और कई बार असेम्बली एडजोर्न होने के साथ ही सारे मामले लैप्स हो जाते थे। यह हमारे सामने जो उप मुख्य मंत्री बैठे हैं यह जब अध्यक्ष थे तो इन्होंने यह व्यवस्था दी। कोई माननीय सदस्यों के प्रश्न रह गये हैं तो मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उनका उत्तर मिल जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : अकाउण्टेबिलिटी फिक्स करेंगे या नहीं?

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना-सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तो व्यवस्था हो जाएगी लेकिन जो लिस्टेड क्वेश्चन हैं उनके हमेशा से जवाब आते आये हैं और लिस्टेड क्वश्चन के जवाब एक साल में नहीं आये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्वालिटेटिवली बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरह के जवाब आते लेकिन जवाब ही साल भर तक नहीं दें, यह बहुत ही गम्भीर बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने व्यवस्था क्या दी? आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि राज्य सभा में माननीय खाद्य मंत्री श्री अजीतसिंह जी सही प्रकार से उत्तर नहीं दें सके थे तो राज्य सभा के सभापति जी ने उनको ताड़ना दी। सरकार ने उसका नोटिस लिया। आपके आदेशों की सरकार अवहेलना कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बहुत हो गया इस पर। ....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको ताड़ना दी, इसको रिपीट की जरुरत क्या थी ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह राज्य सभा का एक उदाहरण है, आपकी विधान सभा के लिये यह अनुकरणीय है। राज्य सभा में आसन की ओर से व्यवस्था है और वह व्यवस्था यहाँ लागू है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। उत्तर देंगे, व्यवस्था भी देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको अगर कुछ नहीं कह सकते, अफसोस है हमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अलग बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह अलग मामला कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर किसी ने ताड़ना दी तो उसको हाउस में कहने की क्या जरूरत है ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधारी : प्रश्न तो समझने और व्यवस्था का है। पार्लियामेंट में व्यवस्था है वह हमें स्वीकार्य है। आसन आपकी तरफ देखता।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय नेता महोदय अपने विचार दे रहे हैं इस बारे में व्यवस्था तो आसन की ओर से होना आवश्यक है।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : हर सवाल के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को क्यों खड़ा होना पड़ता है ? अपने मंत्रियों को इतना सक्षम नहीं मानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत सक्षम हैं। मैं तो सारे सदस्यों को सक्षम मानता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे मंत्री तो सक्षम हैं। आप जब मंत्री थीं तो आपके जवाब मैं देता था।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, प्रश्न संख्या 3.

सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

3. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बांदी कुई से बडियाल रोड 0-1 किलोमीटर सड़क निर्माण में बांदीकुई नगर व बांदीकुई जागीर की अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक अवार्ड घोषित किया जाकर मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी हां, मार्च 1980 में प्रारम्भ की गयी भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी अतः मुआवजे की कार्यवाही करना संभव नहीं था। अब अवाप्त भूमि का मुआवजा आपसी सहमति की प्रक्रिया से वैद्य टाइटल धारियों को दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत ही भारी गम्भीर आपत्ति है कि यह जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है, बहुत ही अस्पष्ट है, वेग है और एम्बीगुअस है।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

ऐसा लगता है कि मेरे प्रश्न का यह उत्तर है ही नहीं। इस माननीय सदन की गरिमा यह है कि जो भी माननीय सदस्य सवाल पूछे उसका उत्तर स्पेसिफिकली, केटेगेरीकली, पाइंटेडली दिया जाए और जो प्रश्न है जवाब उसके मुताबिक हो। मेरा प्रश्न था, क्या यह सही है कि बांदीकुई से बडियाल रोड 0-1 किलोमीटर सड़क निर्माण में बांदीकुई नगर व बांदीकुई जागीर की अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? प्रश्न यह है कि यदि हां, तो क्यों? आपने कहा, जी हां और क्यों का जवाब गोल कर गये। टालमटोल कर गयी सरकार। इसके बाद मेरी दूसरी क्वेरी यह थी जो स्पेसिफिक और केटेगरीकल थी कि यदि हां तो क्यों और कब तक अवार्ड घोषित किया जाकर मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा? कब तक के बारे में भी आप साइलेंट हैं। मेरा यह कहना है कि ऐसा जवाब, जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में माना जाए और (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको पोस्टपोन किया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह सवाल करना चाहूँगा, वह बतायें कि क्या भूमि की अवाप्ति की जा चुकी है, मेरा दूसरा प्रश्न यह है और मेरे स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब आपको इस सदन में देना पड़ेगा। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि क्या भूमि अवाप्ति की जा चुकी है। अवाप्ति में पूर्ण प्रक्रिया से सरकार क्या अभिप्राय मानती है? तीसरा प्रश्न, अवाप्ति की प्रक्रिया क्या होगी? आपने कहा, आपसी सहमति से मुआवजा दिया जाएगा। आपसी सहमति प्रक्रिया कौनसी नामिनकल्चर है जो माननीय मंत्री महोदय ने पहली बार उजागर की है। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट की धारा 4,6 और 9 के अन्तर्गत लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर नोटिस निकालता है, बाकायदा उसमें आबजेक्शन फाइल होता है फिर उसमें अवार्ड होता है। यह आपसी प्रक्रिया क्या है, यह बताया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो ठीक रहेगा। पांइटेड क्वश्चन पूछें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, केटेगरीकल है, पाइंटेड है, आप जरा देखिये तो सही। इसके अलावा मेरा यह भी सवाल है कि वैद्य टाइटल धारियों को मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही टाइमबार्ड की जाए। कब तक की जाएगी, कितने दिनों में हो जाएगा?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसका उत्तर मैंने स्पेसेफिकली, पाइंटेडली दिया है। मार्च, 1980 से प्रारम्भ की गयी भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है अतः मुआवजा की कार्यवाही करना संभव नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि यह बातें बताऊं जिसके कारण बहुत बड़ा एक्सपोजिशन हो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बताइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आप खुलकर बतायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1971 से इस सड़क को बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई और 1983 में, 12 वर्ष में यह सड़क पूर्ण हुई। अब मैं नहीं कहना चाहता कि उस समय कौन था, कौन नहीं था। एक बार 1982 में धारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मैंने पूरी फाइल देखी है। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि 1982 में धारा 4 की कार्यवाही दुबारा की गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह सड़क कृषि बोर्ड की थी। कृषि बोर्ड ने पी. डब्ल्यू. डी. के पास 11 लाख की मनी डिपोजिट की थी। उस डिपोजिट मनी में मुआवजे का कोई प्रावधान कृषि मण्डी ने नहीं किया था! 9 किलोमीटर की सड़क थी। इस 9 किलोमीटर की सड़क को 11 लाख रुपये में 1971 से लेकर 1983 के बीच में पूर्ण किया लेकिन जब 4 और 6 की कार्यवाही करना संभव हुआ तब यह मामला आकर खड़ा हो गया 82, 83, 84, 85, 88 में क्योंकि प्रावधान किया गया था उस प्रावधान में मुआवजे के अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं थी इसलिए प्रोसिडिंग्स को तभी बन्द कर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1990 में पहली बार जब वर्तमान सरकार आयी, दो बन्धु हमारे पास आये, हमने कहा आपसी सहमति से कर लो वरना 4 और 6 की कार्यवाही बड़ी आदन खादन होगी, कृषि उपज मण्डी ने कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं किया है। वह दोनों सज्जन आपसी सहमति से आ गये और उस सहमति के आधार पर उनको मुआवजा मुहैया करा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि यदि और भी कोई व्यक्ति आयेगा तो 6 महीने में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराज जाइए आप! बार-बार बीच में मत खड़े होइये आप। माननीय शैलेन्द्र जी ने कोई बात पूछी है, उनको क्लियर करना होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष यद्यपि कृषि उपज मण्डी ने कोई प्रावधान नहीं किया है और यह मामला समाप्त हो गया है फिर भी पी.डब्ल्यू.डी. के पास कोई भी आयेगा उसका मुआवजा आपसी सहमति से निश्चित रूप से 6 महीने में करा दूँगा। उसके बाद यदि आपसी सहमति नहीं हुई तो 4 और 6 की प्रोसिडिंग्स करने के बाद उसका मुआवजा जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी का मतलब ?

श्री उपाध्यक्ष : 6 महीने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 1971 से लेकर 1995 आ गया है।

श्री उपाध्यक्ष : बड़ा स्पेसिफिकली कह दिया गया है 6 महीने में निपटा दिया जाएगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि टाइटलधारियों को किस रेट से मुआवजा दिया जाएगा ? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

चाहता हूँ कि मुआवजा किस रेट से दिया जाएगा? वर्तमान रेट से या 1971 की रेट से?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुआवजे की राशि का आधार वर्ष 1971 का होगा या वर्तमान का होगा? मंत्री महोदय बतायें। यह अहम् प्रश्न है, इससे लाखों करोड़ों रुपये का घाटा होगा। जिनकी जमीन ली जा चुकी है उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा इसलिए मुआवजे का बतायें कि वर्तमान दर से दिया जाएगा या 1971 की दर से दिया जाएगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो नियमों में होगा उसका पूर्ण पालन करके मुआवजा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आप भी जानते हैं जो इस प्रकार सोल्यूशन हो रहा है..... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, मैं भी जानता हूँ कि इसी तरह प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदस्य को रोका जाता है, बैठाया जाता है, कोई भी सही ढंग से उत्तर नहीं दिया जाता। यह मैं जानता हूँ भली-भांति।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह।

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में श्रमिकों की नियुक्ति प्रक्रिया

4. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा), श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) एवं श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :** क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में श्रमिकों को नियुक्त करने एवं हटाने के क्या नियम/उपनियम तथा प्रक्रिया है? नियम/उपनियमों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर द्वारा 1 मार्च, 1990 से 30 अप्रेल, 1994 तक श्रमिकों को अनुबन्ध पर नियुक्ति प्रदान की गयी? यदि हां, तो किस-किस को कब कब? नाम, पिता का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त में से किस-किस को, कब-कब हटाया गया? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री विजयसिंह राठौड़ पुत्र श्री भंवर सिंह को श्रमिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त श्रमिक की भविष्य निधि योजना या अन्य किसी योजना में भी राशि वेतन से काटी गयी? यदि हां, तो किस-किस माह, कितनी-कितनी राशि, किस किस योजना में? उक्त योजनाओं की खाता संख्या सहित प्रत्येक माह काटी गयी एवं नियोक्ता द्वारा दी गयी अंशदान राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त श्रमिक को नौकरी से हटा दिया गया? यदि हां, तो कब एवं किन नियमों को तहत तथा किस अधिकारी से आदेश से? आदेश एवं नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्री रघुवीर सिंह)

(6) क्या सरकार उक्त श्रमिक की अवैधानिक सेवामुक्ति को वैध मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त श्रमिक को पुनः सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार उक्त श्रमिक को सेवा से हटाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त श्रमिक को अवैधानिक तरीके से हटाये जाने के विरोध में आवेदन/शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो प्राप्त आवेदन/शिकायतों की प्रतियाँ एवं उस पर की गयी कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, दुग्ध विकास (श्री अर्जुन सिंह देवड़ा) : (1) उदयपुर दुग्ध उत्पादक संघ में श्रमिकों की नियुक्ति एवं हटाने सम्बन्धी निमय/उपनियम बने हुए हैं। इनकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(6) जी नहीं। इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(8) श्री विजय सिंह ने उक्त प्रकरण में सहायक समझौता अधिकारी, श्रम विभाग, उदयपुर को अपनी शिकायत पेश की है। उसकी प्रति विभाग को भी प्राप्त हुई है। जो परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत है। यह प्रकरण समझौता अधिकारी के पास लम्बित है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 के उत्तर से बिलकुल संतुष्ट हैं? आपको यह विश्वास है कि उत्तर बिलकुल सत्य दिया है?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर दुग्ध उत्पादक संघ में जो श्रमिक लगाये जाते हैं वे कांट्रेक्ट बेसिस पर लगाये जाते हैं और वह कांट्रेक्ट कांट्रेक्टर और संघ के बीच में होता है न कि श्रमिक और संघ के बीच। यह जो श्रमिक विजयसिंह के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है यह कांट्रेक्टर के श्रमिक थे, न कि संघ के और इन्होंने जो भी काम किया उनके अधीन किया। उदयपुर दुग्ध उत्पादक संघ के अन्दर इन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया और यह कांट्रेक्ट भी सिर्फ एक साल का होता है इसलिए हर साल नया कांट्रेक्टर आता है, उनके अधीन उन्होंने काम किया है। इसलिए न तो पिछले चार सालों में किसी को नियुक्ति दी गयी है और न ही किसी को हटाया गया है।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब तो सब नहीं-नहीं में

(श्री दयाराम परमार)

दे दिया। क्या यह कर्मचारी नहीं था? यह आपको प्रमाणित कर चुके हैं लेकिन उसका जी.पी.एफ. भी कटा है तो वह किस आधार पर कटा? अगर वह मजदूर था डेली वेजेज या दैनिक मजदूरी पर साल भर के लिये रखा तो जी.पी.एफ. किस आधार पर कटा? उसके कटने का यह प्रमाण-पत्र मेरे पास है। उसके 1990 से लेकर 1994 तक कार्य करने के भी मेरे पास प्रमाण पत्र हैं, जो विभाग द्वारा वहां दिया हुआ है। तो वह किस आधार पर है?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा कि जी.पी.एफ. और सी.पी.एफ. कैसे काटा, इसके लिये जो कांट्रेक्टर है वह ही जमा कराता है। क्योंकि वह संघ का तो कर्मचारी है ही नहीं इसलिए संघ किसी प्रकार का सी.पी.एफ. और जी.पी.एफ. जमा नहीं करवाता है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : 560 रुपये उसकी तरफ से है, 560 रुपये (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि यदि इनके पास में कोई भी अपाइंटमेंट लैटर या ऐसी कोई चीज है तो वह हाउस की टेबल पर रख दी जाए। निश्चित तौर पर यदि कोई गलत है तो उसके लिये भी कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन कोई है ही नहीं तो उसका क्या करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह देख लो। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें कोई ऐसी......

श्री उपाध्यक्ष : यह अहम् मुद्दा नहीं है। यह हो गया है और बाद में बैठकर तय कर लें (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : बात नहीं तो यह सम्बन्धित अधिकारी ओरीजनल डाकूमेण्ट्स लेने के लिये उसके घर क्यों गये और उसकी नियुक्ति के ओरीजिनल डाकूमेण्ट्स क्यों लाये? यह मैं पूछना चाह रहा हूँ।

उप मुख्यमंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : देखिये, इसमें स्थिति यह है कि यह संवैधानिक व्यवस्था है कि आजकल कुछ ठेकेदार श्रमिक सप्लाई करते हैं। उनका अपाइंटमेंट नहीं होता, सरकार की व्यवस्था ठेकेदारों से कांट्रेक्ट पर होती और वह कांट्रेक्ट करने के बाद जो पी. एफ. है वह सारा ठेकेदार ही काटता है और ठेकेदार ही राज में जमा कराता है। अलग से श्रमिक का सरकार से कोई डायरेक्ट कन्सर्न नहीं है। ठेकेदार के माध्यम से होता है। उसकी नियुक्ति भी ठेकेदार ही करता है, हटाता भी ठेकेदार ही है और पैसे भी ठेकेदार की तरफ से सरकार में जमा होते हैं। एक ही आदमी को या अलग-अलग वह कितने श्रमिकों को रखता है यह सरकार से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जो नियमित नियुक्ति होनी चाहिए सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं हुई है और जब इस प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई तो उसका टर्मिनेशन का भी सवाल नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गोलमाल है। मेरा यह निवेदन है कि ऐसी बात है तो यह नियुक्ति का प्रमाण-पत्र 4 साल का एक्सपेरीमेंट (व्यवधान)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : जी.पी.एफ. के लिये कह रहे हैं। वह भी ठेकेदार काटता है? यह तो कोई परम्परा है नहीं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : ठेकेदार को लाइसेंस देने शुरू कर दिये क्या सरकार ने (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह प्रबन्धक (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें बिल्कुल साफ-साफ उत्तर आ गया है कि उनका पी.एफ. काटा जाता है, ठेकेदार के द्वारा काटा जाता है और उसका केस लेबर कोर्ट में समझौता अधिकारी के पास लम्बित है। श्री रामपाल जी उपाध्याय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : जनरल प्रोविडेंट फण्ड सरकार के खाते में जमा नहीं होता है? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सर्टिफिकेट है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं चाहते हैं कि उपाध्यायजी का प्रश्न आये तो बात दूसरी है, मैं तो चाहता हूँ कि उपाध्यायजी का प्रश्न आये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : प्रश्न का जवाब नहीं आया। यह तो सब गोलमाल है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अभी हाईकोर्ट ने फैसला किया कि कांट्रेक्टर के जो लेबर हैं वे सरकार के लेबर माने जाएंगे? क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने ताजा फैसला किया है कि ठेकेदार के जो लेबर हैं वे डिपार्टमेंट के माने जाएंगे और सारा आज तक की तनख्वाह वगैरह सब दिलाया?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय मंत्रीजी यह आश्वस्त करें हमें कि अगर इसमें सत्यता है तो क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्य मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सरकार को भी ठेके पर देने की कोई व्यवस्था सोची जा रही है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला कब हुआ आपको पता है? 1990 में हुआ है जिस फैसले का आप रेफरेंस दे रहे हो। वह 90-92 का केस है, 90-92 में नहीं हुआ।

श्री हरजीराम बुरड़क : 90-92 का है यह तो मैं मान रहा हूँ लेकिन प्रिंसिपल तो वह ही होगा न (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस श्रमिक का केस 90-92 का है। फैसला होने के पहले ही डिस्पोज आफ हो चुका था। अब जो फैसला हुआ है उसका (व्यवधान) देखिये, इस फैसले का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : पढ़कर सुना रहा हूं। उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के लैटर पैड पर यह कहा है कि (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने यह जो कहा है, उच्च न्यायालय के निर्णय को आपने देख लिया? क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का आपने अध्ययन कर लिया?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देख कर बता रहे हैं न। अब उच्च न्यायालय में वकालात तो आप करते हैं (व्यवधान) यह सब अखबार में नहीं पढ़ा (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मैं पढ़कर सुना रहा हूँ (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उच्च न्यायालय के निर्णय को षिना पढ़े ही (व्यवधान) राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के बाद कीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने अखबार में पढ़ा है और आप दें उच्च न्यायालय की विशेष जानकारी (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी का यह था कि उच्च न्यायालय के निर्णय को बिना पढ़े (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं। धनखड़ साहब, बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य ने इतना महत्त्वपूर्ण सवाल पूछा और आपने फैसला ही नहीं पढ़ा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सिंह साहब बता रहे हैं, फरमाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और बिना पढ़े ही आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें, यह हो गया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने कोई (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं यह पूछना चाहती हूँ कि इस निर्णय के बाद में जो इस प्रकार सरकारी ठेके दे करके उनके यहां कर्मचारी काम करते हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई नीति बनायी है?

श्री उपाध्यक्ष : यह नीतिगत बात है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ठेके की सरकार है। ठेके के अलावा इस सरकार में कोई भी काम नहीं है। ये प्रश्न भी ठेके पर दिये जाएं जिसका उत्तर भी मिल जाए। सारी चीजें ठेके की हैं। प्रश्न का जवाब भी ठेके पर दे दिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह रोजगार का प्रश्न है........(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : श्री विजय सिंह राठौड़ पिता श्री भंवर सिंह जी ने उदयपुर दुग्ध उत्पादक संघ में श्रमिक अनुबन्ध के माध्यम से 2 मार्च, 1990 से 5 अप्रैल, 1994 तक डी.पी.पी. का कार्य किया। उप प्रबन्धक, उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड। यह प्रमाण-पत्र किस बात का है?

श्री उपाध्यक्ष : यह उससे रिलेटेड नहीं है। और यदि कोई है तो आप जाकर के बात कर लें, माननीय मंत्रीजी से क्लियर करा लें। पर

(श्री उपाध्यक्ष)

एक ही प्रश्न के लिये एक घंटा, सारे हाउस को रोककर रखना, यह तो कोई समझ की बात नहीं। माननीय रामपालजी उपाध्याय (व्यवधान) बहुत हो गया। दूसरों के प्रश्न भी आने दीजिये। (व्यवधान) ऐसा लगता है कि आप माननीय रामपालजी उपाध्याय का प्रश्न नहीं आने देना चाहते हैं।

माननीय श्री रामपालजी उपाध्याय।

जिला भीलवाड़ा की वन भूमि में अवैध खनन

5. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में शिकारगाह वन भूमि (फुलासती की धार) में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के क्या कदम उठाये गये हैं?

(2) क्या इस प्रकार अवैध खनन द्वारा निकाले गये माल को जब्त किया जाकर नीलाम कराने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या नीलामी की गयी व उससे कितनी आमदनी हुई?

(3) क्या भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार कोई सख्त कदम उठाने का विचार रखती है?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं।

(2) अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में अवैध खनन द्वारा निकाले गये खनिज को जब्त किया जाकर नीलाम करने का प्रावधान है परन्तु प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के अनुसार अवैध खनन नहीं होने से खनिजों का जब्त करने तथा नीलाम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत खनन को रोकने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाये जाकर नियंत्रित किया जा रहा है। बिजौलिया, करौली, धौलपुर, बूंदी कोटा, नागौर एवं सावा (चूरू) में एवं कोटपूतली (जयपुर) क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष में अभियान चलाये गये जिनमें आवश्यकतानुसार राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग का सहयोग लिया गया।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक पेचीदा प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ.........

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : क्यों कर रहे हैं पेचीदा?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं अर्ज कर रहा हूँ, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं निवदेन कर रहा हूँ कि यह एक ऐसा भूमि विवाद है जिसमें 7-3-1994 को राजस्व विभाग ने भैंरुलाल जोशी को इस भूमि का आबंटन किया और 16-6-1994 को वापस गवर्नमेंट ने इसका आबंटन फॉरेस्ट विभाग के नाम दर्ज कर दिया। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे मेरा यह है कि अवैध खनन का तात्पर्य क्या है? नम्बर एक, नम्बर दो, जो भूमि वन विभाग में है यदि उसमें किसी तरह का खनन कार्य होता है, तो वह अवैध खनन है या नहीं? नम्बर तीन, जो भूमि राजस्व में दे दी गयी और 3 माह के अन्तराल से वापस सरकार ने उसे फॉरेस्ट में दे दी उसमें भारत सरकार का जो वन संरक्षण अधिनियम है उसका ध्यान रखा गया या नहीं?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जिस जमीन का वर्णन किया जा रहा है यह वन विभाग की जमीन है और इस वन विभाग की जमीन में लगातार निगरानी रखकर, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि 17-10-1994 को जांच की गयी, 8-11-1994 को जांच की गयी, 9-2-1995, 16-2-95 व 18-3-95 को जांच की गयी और कल मैंने विशेष तौर से पता लगवाया कि यह जो वन विभाग की जमीन है उसमें किसी तरह का कोई अवैध खनन हो रहा है या नहीं और कल की सूचना यह है कि वहां किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है। वन विभाग की जमीन खनिज क्षेत्र में नहीं दी जाती है। इसलिए वन विभाग की किसी भी जमीन पर किसी तरह का खनन कार्य होता है तो वह अवैध खनन की परिभाषा में आता है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा गम्भीर मामला है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप स्वयं, जैसा आपका गम्भीर व्यक्तित्व है उसके अनुसार (व्यवधान) आप स्वयं इसकी जांच करें। मेरी जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूँ, जून में वापस आपके अधिकारियों ने जो वहां पर अवैध खनन कार्य का सर्वे किया उस सर्वे में 1500 बीघा जमीन में से 1410 बीघा जमीन तो फॉरेस्ट में रख दी और जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं वह 90 बीघा के लगभग जमीन को वापस निकाल कर उस पर निश्चित तौर से अवैध खनन किया जा रहा है। आपकी बात आंशिक रूप से उस दृष्टि से सही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके इसकी गम्भीरता से जांच कर लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : प्रश्नकर्ता को भी साथ में ले जाएं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के तीसरे हिस्से में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत खनन रोकने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हाउस में अवैध खनन के सम्बन्ध में पिछली बार डिबेट हुई थी उस वक्त सब माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि वहां पर अवैध खनन हो रहा है और मेरा यह मानना है कि जितनी खनिज से सरकार को आमदनी हो रही है उससे कहीं अधिक अवैध खनन के रूप में हमें राजस्व की हानि हो रही है। यह सघन अभियान चलाने की बात कह रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सघन अभियान से आपका क्या तात्पर्य है इसका क्या रिजल्ट आया और यह भी बताने की कृपा करें कि इससे कितना अनधिकृत खनन रुका है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन की शिकायतें सारे राजस्थान से आ रही थीं। वन विभाग से भी आ रही थीं, सिवायचक जमीन जहां पर है, खनिज पट्टे नहीं दिये गये हैं वहां से भी आ रही थीं और जिन शिकायतों के सम्बन्ध में पिछली बार जो चर्चा हुई थी उसके अनुसार हमने सघन अभियान में जिलाधीश को नोडल आफिसर बनाकर उसमें वन विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया, राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी उसमें सहयोग लिया और खनिज विभाग के अधिकारियों का भी उसमें सहयोग लिया। इन तीनों विभागों के

(श्री कैलाश मेघवाल)

अधिकारियों को लेकर कलक्टर के निर्देशन में और समन्वय में सारे राजस्थान में इस तरह का अभियान चलाया गया था। इसका परिणाम अच्छा आया है और जो अवैध खनन में सिवाय चंक की जमीन थी उसको मुक्त करवा कर उसके वैध पट्टे देने की कार्यवाही की जा रही है कई जगह इस तरह का खनिज जप्त हुआ है जिससे खनिज रायल्टी का जो नुकसान होता था उसका दण्ड देकर उसकी भी आमद हुई है। उसके आंकड़े चाहिए तो मैं सारे आंकड़े आपको दे सकता हूँ।

श्री विष्णु मोदी : आंकड़ों से मेरा तात्पर्य नहीं है लेकिन क्या आप मानते हैं कि आपके सघन अभियान से अनधिकृत (अन-आथोराइज्ड) खनन रुका है और यदि रुका है तो कितना पर्सेन्ट रुका है? मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सघन अभियान सिर्फ कागजी कार्यवाही है और कोई तात्पर्य नहीं है। आज भी राजस्थान के अन्दर इतना अवैध खनन हो रहा है उसमें राजस्व की हानि ही नहीं हो रही है, सैल्स टैक्स की भी हानि हो रही है, इनकम टैक्स की भी हानि हो रही है और उसमें दूसरे करों की भी हानि हो रही है। इस सम्बन्ध में पिछली बार सदन में आपने आश्वासन दिया था कि आप एक नया कानून बनायेंगे। लेकिन वह एक साल भी निकल गया कोई कानून नहीं बना और न ही इस सम्बन्ध में आपके कोई सीरियस एफर्ट्स हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको सीरियसली लें और इस अवैध खनन को रोकें। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मामला रखा है, मैं समझता हूँ कि यह मामला बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस वन भूमि का आप जिक्र कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन होकर, कार्यवाही होकर व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने से ही यह बिला नाम राजस्व में मान करके उस व्यक्ति को दे दी गयी और उस व्यक्ति को देने के बाद उस भूमि का विक्रय हो गया और विक्रय होने के बाद आज भी उसमें नाजायज खनन हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, जिन सूचनाओं के आधार पर आप यहां विधान सभा में हमें बता रहे हैं वह सूचनाएं किस प्रकार की हैं, मैं समझता हूँ कि मौके पर आप स्वयं और हम चल कर बता सकते हैं कि कितना नाजायज खनन हो रहा है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब-जब भी नाजायज खनन की आपने कार्यवाही की, आप इस बात को देख लें, मैंने इस मामले को अनेक बार विधान सभा में उठाया है और जब-जब भी यह मामला उठा है उस समय साधारण, गरीब और छोटे-छोटे कर्मचारियों के नाम पर कुछ कार्यवाही होती है और बड़े-बड़े लोग आज भी बेधड़क वहां पर नाजायज खनन कर रहे हैं। जैसा आपने अभी बताया कि सरकार ने तीन एजेंसी लगा रखी हैं पर आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि पुलिस एजेन्सी भी साथ में लगा रखी है। वह केवल कागजों में खानापूर्ति करती है। ऊपरमाल क्षेत्र में नाजायज खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है। जहां पर पर्यावरण् की समस्या है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। वहां की जनता जागरूक है जो हाईकोर्ट तक इन सारे मामलों को ले गयी और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान सरकार इस प्रकार का + + + उत्तर देकर नाजायज खनन को प्रोत्साहित कर रही है, लोक हतोत्साहित नहीं हो रहे है मैं गृह मंत्रीजी और खनिज मंत्रीजी से यह अपेक्षा और आशा रखता था कि वह वास्तव में इस मामले को गम्भीरता से लेंगे। मैं इसकी गम्भीरता की तरफ अब तक आपका ध्यान किन कारणों से और क्यों नहीं गया है यह मैं नहीं जानता पर मैं यह कहना चाहूँगा कि नाजायज खनन बड़ी तादाद में बड़े लोगों द्वारा हो रहा है जिसकी राजस्थान सरकार रोक-थाम करने में असफल रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि (व्यवधान) एक सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : बहुत गम्भीर बात है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप इस कानून में अमेंडमेंट कीजिये। (व्यवधान) नाजायज खनन के रोके जाने से करोड़ों रुपयों की इनकम राजस्थान के खजाने में हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : 5-5, 6-6 सप्लीमेंट्री, माननीय सदस्य, हो चुकी है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप दूसरों के प्रश्न भी आने दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूँ कि अवैध खनन करने वालों को तो आप पकड़ लेते हैं लेकिन जो लोग अवैध खनन करने में सहयोग देते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही करने की बात आपने सोची है? मैं एक मसला आपके सामने लाना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब डिमांड आये खनिज विभाग की उस समय सारी बात रखना। इलेबोरेटली, आप सारी बात इलूसिडेटली कर सकेंगे इस समय ? (व्यवधान)

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन बन्द नहीं होने का कारण (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अटरू तहसील के खेड़लीगंज नामक गांव में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन किया है मदनलाल भील ने। श्री मदन दिलावर मंत्री बने हैं जनवरी में। समाज कल्याण राज्य मंत्री, राजस्थान श्री मदन दिलावर साहब की चिट्ठी है कि अब तुम्हें खान को काटने से कोई नहीं रोक सकता। यह उनका पत्र है। (व्यवधान) इस चिट्ठी को पढ़कर बताता हूँ।

मदन दिलावर, राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, जयपुर राजस्थान। क्रमांक : 500/राजस्थान/मसस/94, दिनांक 27.1.94

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आदरणीय मदन लाल जी भील,

आप सब ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आपका पत्र मुझे मिल गया। अब आपको पत्थर तोड़ने से कोई मना नहीं करेगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। मतलब यह है कि आप खनन का काम कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय का इस्तीफा लिया जाए।

राज्यमंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी अपना एक्सप्लेनेशन (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्रीजी का इस्तीफा लिया जाए। मंत्रीजी का यह अपराध गम्भीर है, वे इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार शहर) : इस्तीफा देने की मांग करते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी जवाब दे रहे हैं (व्यवधान) दिलावर जी को जवाब देने का मौका है (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस्तीफा दिलवाइये। जो अपमानजनक (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया : अवैध खनन के लिए मंत्री महोदय से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इस्तीफा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले बात तो सुन लीजिये। उनका एक्सप्लेनेशन तो सुनेंगे न आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पहले इस्तीफा दें, तब अपना स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सिर्फ दो लाइन की बात है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यदि यह बात सच है तो इस्तीफा दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्रीजी को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह का पत्र लिखें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले बात तो सुनेंगे न।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, घोर आपत्ति है हमें, पहले इस्तीफा लिया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, आप इस्तीफा दें, फिर बाद में जवाब दें इनका (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे सदन की सारी मर्यादा भंग होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तथ्य क्या है, वह तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिलावर जी खुद ही बता देंगे लेकिन जो पढ़कर सुनाया है, एक भील पत्थर तोड़ता है, अवैध खनन के बारे में नहीं कहा, पत्थर तोड़ने की बात कर रहे हैं, कमाल है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या फरमाया आपने ?

श्री अमराराम (धोद) : अवैध खनन में पत्थर नहीं आते क्या ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तोड़-मरोड़ कर गये (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आपको कार्यवाही करनी चाहिए थी। (व्यवधान) इनका पत्र देखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ट्विस्ट करके और (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : वन मैन शो, वन मैन शो (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आप ठहर जाओ। आप बोल लेना, मैं तो आपको डिस्टर्ब करता नहीं हूँ। (व्यवधान) एक पत्र भील को लिखा है, बिल्कुल सम्मानजनक भाषा में लिखा है, माननीय फलाना (व्यवधान) अब आपको इतना......

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र भील को नहीं है, यह पत्र पूरे गांव को दिया गया है (व्यवधान) यह अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों को लिखा है और मंत्रीजी (व्यवधान) बहुत गम्भीर मामला है।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी ने पूरे गांव को पत्र लिखा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बहुत ही गम्भीर मामला है, इसको इतनी जल्दी आनन-फानन में नहीं लेना चाहिए। बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता कोई बात रख रहे हैं, पहले बात तो सुनिये पूरी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां तो मैं इतना कह रहा हूँ, गम्भीर है तब तो मैं खड़ा ही हुआ हूँ। अब गम्भीर मामला, एक भील को आदरणीय भील लिख दिया, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी (व्यवधान) दूसरा, इसमें लिखा है कि तुम्हें पत्थर तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपत्ति क्या है ? कौनसी आपत्ति है ? पत्थर तोड़ने से कोई रोक नहीं सकता मतलब आप भील का यह अधिकार भी लेना चाहते हैं कि तुम पत्थर भी मत तोड़ो (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : सड़क पर पत्थर तोड़ने से कभी किसी को मना नहीं किया गया, यह निश्चित रूप से अवैध खनन का मसला था और उसी के लिये लिखा गया है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय विष्णु मोदी ने....

श्री उपाध्यक्ष : बस हो गया, बिराजिये आप। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खनिज का मामला है, मकराना हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मण्डी है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार की तरफ से रोका और (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बहुत हो गया अब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो लोग अवैध खनन करते हैं, उन्हें रोका जाता है और जो लीज होल्डर हैं, जो बाकायदा कानूनन रायल्टी अदा करते हैं, उसको सरकार नहीं रोकती। अगर इस भील को रोका गया था, तब जाकर के उसने मदन दिलावर साहब की हैल्प ली और इसकी मदद के लिये इन्होंने लिख दिया कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। काटे जा बेटा, काटे जा बेटा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। अब बहुत हो गया। बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर इसके पास लीज होती, अगर वह लीज होल्डर होता तो इनकी मदद की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गंभीर मामले पर मुख्य मंत्रीजी को चाहिए था कि वे इसकी जांच करायें (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल :आप संवेदनशील सरकार का दावा करते हैं, आप संवेदनशील सरकार चलाने की बात करते हैं और आपको इसी एक पत्र पर इस्तीफा ले लेना चाहिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसकी जांच करायें। अगर अवैध खनन के प्रति आप गम्भीर हैं तो इसकी जांच करवाइये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मदन दिलावर जी, आप जवाब दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, खनिज का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 6

श्री रामनारायण मीणा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री कालूलाल जी गुर्जर (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को कौन रोक सकता है, कोई अधिकार नहीं, कोई तरीका नहीं (व्यवधान) खनिज में क्या खाया जाता है। माथा। पत्थर नहीं फोड़े जाते हैं तो क्या फोड़ा जाता है! में क्या फोड़ा जाता है माथा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरा जवाब सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : उपाध्यक्ष महोदय, खनिज का मामला है और मैं मकराना का रहने वाला हू (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय वह मदन लाल जी भील कोई पत्थर तोड़ने का काम करते हैं ? मदन लाल जी भील एक छोटी सी झोपड़ी के लिये पत्थर लाना चाहते थे, वह पत्थर पड़ा हुआ था उसके टुकड़े करके लाना चाहते थे। बड़ा पत्थर था। किन्हीं लोगों ने उनको रोका। वे लोग मेरे पास आये, मैंने उनको पत्र लिखा और वहां के जिन लोगों ने रोका, उनसे भी बात की। मैंने कहा, आप क्यों रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा साहब, ऐसे ही कोई लोग कह रहे थे कि मेरा पत्थर है, मेरा पत्थर है इसलिए रोका था हमने तो मैंने लिखा है उनसे बात करके कि इस पत्थर को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : यह तो अपराध स्वीकार कर लिया इन्होंने। उपाध्यक्ष महोदय, जितना मंत्रीजी ने कहा है, मुख्य मंत्रीजी ने जो किला बुना था उसको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने खुद ने कहा है, मेरे से गलती हो गयी, मैंने तो अपराध करवाया है, कोई माइनिंग लीज नहीं है। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 7

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री खेत सिंह राठौड़! प्रश्न संख्या 8 (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मामले की जांच होनी चाहिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। हो गया बहुत।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की जांच करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को तो सुनें आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नाजायज खनन हो रहा है जिसका (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी राठौड़ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नाजायज खनन हो रहा है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच कराई जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खेत सिंह जी राठौड़! (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बड़े पत्थर के तोड़ने की बात नहीं है। अवैध खनन की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया अब। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पत्थर के नीचे क्या रखा हुआ है, यह तो बतायें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़ ही खेत को खायेगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से आप किसी पर शक नहीं कर सकते। खुद मंत्रीजी का आचरण ही (व्यवधान) जांच कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट और है। आपका प्रश्न आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच कराई जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको डाकुओं की जरुरत है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय से उत्तर दिलवाइये कि उन्होंने ऐसा पत्र क्यों लिखा। बड़े पत्थर के नीचे खनन के लिये क्या है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इसकी न्यायिक जांच कराई जाए।

एक माननीय सदस्य : जांच करवाई जाए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय इस्तीफा दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका मंत्री अवैध खनन करा रहा है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी, भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किसी तरह का लीज होल्डर है ना इसका काम करता है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बड़े पत्थर के नीचे क्या है, यह बताओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और यह भी नियमों में है कि उसके कोई रायल्टी नहीं लगती। हालांकि न उसने खान से पत्थर निकाला है, केवल पत्थर बाहर पड़े हुए थे, उसके टुकड़े करके ला रहा था (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आवाज ही नहीं सुनाई दी, क्या बोला है। स्पीक इन दी माइक। माइक को लेकर बोलिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेत सिंह जी, कुछ फरमा रहे हैं आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इस पत्र के बारे में अदालत से निर्णय हुआ था कि उसको तोड़ा जाए या मंत्री महोदय ने उसका निर्णय किया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पहले शोकाभिव्यक्ति हो जाने दीजिये। प्रश्नकाल समाप्त हुआ (व्यवधान)

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देंखे।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों में विद्युत व्यवस्था

6. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली पहुँचाने के लिए राशि खर्च की गई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, नैनवां द्वारा परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.), बूंदी को लिखे पत्र क्रमांक—319, दिनांक 13-5-1993 की प्रतिलिपि समाज कल्याण अधिकारी, बूंदी को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पत्र में वर्णित इन्द्रा विकास कॉलोनी, नैनवां में शत-प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है ? यदि हां तो उक्त कॉलोनी में विद्युत् सम्बन्ध दिलाने के लिए विद्युत् मंडल द्वारा मांगी गई राशि विभाग द्वारा कब जमा करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जात की बस्तियों में बिजली पहुँचाने के लिये वर्तमान में सीधा कोई आबंटन नहीं किया जाता है। हरिजन बस्तियों में विद्युतिकरण का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा ही इसके लिये राशि आदि व्यय की जाती है।

(2) यह सही है कि सहायक अभियन्ता (ग्रावी) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, नैनवां (बूंदी) द्वारा परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.) बूंदी को लिखे पत्र क्रमांक 319 दिनांक 13-5-93 की प्रति समाज कल्याण विभाग, बूंदी को प्राप्त हुई है जिसकी प्रति संलग्न है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बूंदी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2279 दिनांक 7-7-93 द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका के बजट मद से रोड लाइट का खर्चा वहन करने को कहा गया है।

(3) इन्द्रा विकास कॉलोनी, नैनवां में शत-प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है उक्त कॉलोनी में विद्युत संबंध दिलाने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा मांगी गई राशि नगर पालिका नैनवां द्वारा जमा करानी थी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के प्रयोजनार्थ परिवर्तन के नियम

7. श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद की सीमा में जनवरी 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक कुल कितने प्रकरणों में जिलाधीश भीलवाड़ा अथवा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उपजिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा कृषि भूमि को अकृषि कार्य जैसे आवासों, उद्योगों तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने के आदेश किये गये हैं। यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों के नाम, पते, मुकदमा नम्बर, तारीख व अधिकारी के नाम तथा भूमि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित की गई भूमि को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने का नियमों में कोई प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज, पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद भीलवाड़ा की सीमा में जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 95 तक जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा 12 मामलों में तथा उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भीलवाड़ा द्वारा 183 मामलों में कृषि भूमि को अकृषि कार्य प्रयोजनार्थ परिवर्तन किया गया है। निर्णित मामलों की सूची मय मुकदमा नम्बर, तारीख निर्णय, अधिकारी का नाम व पद तथा भूमि का विवरण संलग्न है।

(2) औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन की गयी भूमि को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भू-राजस्व (सैटलमेन्ट) विभाग के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था

1. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (नीतिनिर्धारण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार सैटलमेन्ट विभाग को समाप्त कर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने की नीति निर्धारित करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में विगत विधान सभा में इस विभाग को समाप्त करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अमल में लाने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भू-प्रबन्ध विभाग की वर्तमान कार्य प्रणाली के सरलीकरण एवं स्वरूप को परिवर्तित रूप दिये जाने संबंधी नीति निर्धारित किये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

(2) जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मार्च 1990 में विधान सभा में यह कहा था कि भू-प्रबन्ध विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी। उक्त घोषणा की पालना में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

राज्य के परमवीर एवं महावीर चक्र प्राप्त सैनिकों को सुविधाएं

2. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान में परमवीर एवं महावीर चक्र मरणोपरान्त एवं जीवित कितने सैनिकों को दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सैनिकों की सुविधा के लिए क्या जिला प्रशासन ने कोई निर्देश जारी कर रखें हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों की सैनिक रैली में मुख्य मंत्री जी ने सुविधायें देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उन घोषणाओं के अनुरूप अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 2 परमवीर चक्र मरणोपरान्त। 9 महावीर चक्र दिये गये हैं, जिनमें से 2 को मरणोपरान्त एवं 7 को जीवनकाल में दिये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को निम्न प्रकार सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान है : —

पूर्व का प्रावधान	1 जनवरी, 1994 से प्रावधान
1	2
1. परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को 15000/- नकद तथा 25 बीघा सिंचित अथवा 50 बीघा असिंचित भूमि देने का प्रावधान था।	परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को 22500/- नकद तथा 25 बीघा सिंचित अथवा 50 बीघा असिंचित भूमि देने का प्रावधान है।
2. महावीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को 7500/- नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि अथवा 50 बीघा असिंचित भूमि देने का प्रावधान था।	महावीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को 15000/- नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि अथवा 50 बीघा असिंचित भूमि देने का प्रावधान है।

(3) पूर्व सैनिकों की रैलों में मुख्य मंत्री जी द्वारा उक्त श्रेणी के सैनिकों बाबत किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान

3. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा अतारांकित प्रश्न सं. 644(29 मु.म./कार्मिक /अता.) दिनांक 17-3-1992 के द्वारा राज्य सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वेतनमानों को लागू करने के लिए वचनबद्ध है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) ऐसे कौन-कौनसे पुस्तकालय हैं जिन्हें राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई, 1990 में निर्धारित नार्म्स के अनुसार श्रेणी III के मानकर उनके पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतनमान रुपये 3000-4500 कर दिया है ? ऐसे पुस्तकालयों की सूची पुस्तकालयानुसार वेतनमान लागू करने की तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) राज्य में वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों के कितने पद हैं तथा उन्हें किस-किस तिथि से रुपये 3000-4500 का वेतनमान दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार भी केन्द्र सरकार में वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित वेतनमान समता के आधार पर राज्य के वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां 1.9.1988 से।

(2) केवल हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के पुस्तकालयाध्यक्ष को निर्धारित नार्म्स के अनुसार श्रेणी III का पुस्तकालय मानकर 3000-4500 का वेतनमान स्वीकार किया गया है।

(3) राज्य में वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों के जिन्हें 3000-4500 का वेतनमान स्वीकार किया गया हैं निम्न तीन पद हैं—

1. शासन सचिवालय	एक पद
2. राजस्थान उच्च न्यायालय	दो पद

(4) राज्य में वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के नाम से कोई पद विद्यमान नहीं है अतः इस पद के लिए केन्द्र सरकार के अधीन निर्धारित वेतनमान राज्य में किसी को दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा दूरभाष व यात्राओं पर व्यय

4. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) 1 जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक मंत्रिमण्डल के किस-किस मंत्री द्वारा टेलीफोन पर कितना-कितना व्यय किया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस-किस मंत्री ने कितना-कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है। (तालिका "क")

(2) विवरण संलग्न है। (तालिका "ख")

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

राजकीय वाहनों पर व्यय

5. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1993-94 व 1994-95 में सरकारी वाहनों पर कुल कितनी राशि किस-किस मद में कितनी-कितनी व्यय हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार इस व्यय में कटौती करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक ?

(3) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व्यय का ब्यौरा संलग्न है (परिशिष्ट "क")।

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

(2) जी हां। राजकीय वाहनों के उपयोग पर नियन्त्रण द्वारा।

(3) जी हां। राजकीय वाहनों के उपयोग पर नियन्त्रण के संबंध में जारी परिपत्र, वाहनों के प्रति लीटर औसत तय किये जाने एवं वर्ष 94-95 में वाहनों के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाने संबंधी परिपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आबकारी नीति

6. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में नई आबकारी नीति प्रारम्भ की गयी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस नई नीति के प्रभावी होने के पश्चात् शराब बन्द कार्यक्रम को बल मिलेगा?

(3) इस नई नीति से सरकार को कुल कितनी आमदनी होगी?

(4) क्या सरकार आन्ध्रप्रदेश की तरह पूर्ण नशाबन्दी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो फिर नये शराब उत्पादन के कारखाने क्यों बनाये जा रहे हैं?

(5) क्या विगत दो वर्षों में शराब उत्पादन के नये कारखानों को लाइसेंस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने व कहां-कहां?

(6) क्या भीलवाड़ा जिले में बिगोद के पास कोई नया शराब उत्पादन का कारखाना लगाया जा रहा है? यदि हां, तो कितनी क्षमता व राशि का? इसमें किसानों की कितनी बीघा जमीन अवाप्त की गयी है? क्या स्थानीय जनता के भयंकर विरोध पर सरकार पुनर्विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 हेतु निर्धारित आबकारी एवं मद्यनिषेध नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :—

(i) जनहित एवं जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवैध मदिरा के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध को अधिक कारगर बनाने, मदिरा की खपत को कम करने और मादक पदार्थों की बुराइयों के प्रति सामान्य जन को शिक्षित करने हेतु निम्नांकित कदम उठाये जायेंगे :

(क) आबकारी कानूनों का उल्लघंन एवं अवैध मदिरा के उत्पादन तथा विक्रय आदि संबंधी अपराधों के लिए वर्तमान के मुकाबले सख्त सजा एवं अधिक शास्ती का प्रावधान।

(ख) लोगों में जागरूकता लाकर मादक पदार्थों के त्याग को उत्प्रेरित करने के लिए प्रचार-प्रसार हेतु आबकारी विभाग में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना।

(ग) वर्तमान में उत्पादित 35 यू.पी. और 45 यू.पी. मदिरा के स्थान पर इनसे हल्की तेजी की 50% तेजी की मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय।

(घ) मदिरा की आपूर्ति पाऊचों में अधिक किया जाना। साथ ही 200 एम.एल. के पाऊच के अतिरिक्त 100 एम.एल. पाऊच में भी मदिरा का विक्रय किया जाना।

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(2) बन्दोबस्त के संबंध में जो अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

(क) मदिरा समूहों की संख्या 70 से बढ़ाकर 131 की गई है।

(ख) मदिरा की दुकानों की अवस्थिति के संबंध में शिकायतों के निराकरण हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन। इस समिति में क्षेत्रीय विधायक भी सदस्य होंगे। पुलिस अधीक्षक एवं जिला आबकारी अधिकारी इसके अन्य सदस्य होंगे।

(ग) नकद प्रतिभूति राशि 12.5% से बढ़ाकर एकल विशेषाधिकार राशि के 17% के बराबर करना हैसियत प्रमाण-पत्र की राशि 12.5% से बढ़ाकर 15% निर्धारित की गई है। बैंक गारन्टी के प्रावधान को समाप्त किया गया है।

(घ) परम्परागत नायाब राजस्थानी मदिराओं के उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम को लाइसेंस दिया जा सकेगा।

(च) ठेकेदारों के पंजीयन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1995-96 के लिए राज्य का बजट चालू सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में आबकारी से होने वाली आय की सूचना सदन में प्रस्तुत की जायेगी।

(4) जी नहीं। सरकार का यह मत है कि राज्य में मद्यनिषेध तभी प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है जब पूरे देश में मद्यनिषेध की नीति लागू की जाये।

(5) विगत दो वर्षों में शराब उत्पादन के नये लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं। हां नान-मोलासिस आधारित प्रासव उत्पादन के लिए एक नया अनुज्ञापत्र मैसर्स केडिया केसल डिलोन इन्डस्ट्रीज को तहसील तिजारा जिला अलवर के लिए दिये जाने का मामला राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन आबकारी आयुक्त के यहां विचाराधीन है।

(6) मैसर्स चम्बल ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि. के पक्ष में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा 5,000 कि.ली. की क्षमता का "बीयर एण्ड पोटेबल एल्कोहल" (नोन मोलासेज) "का प्लान्ट भीलवाड़ा में स्थापित करने के लिये आशय-पत्र स्वीकृत किया गया था। उक्त परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम केरपुरा, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा की 100 बीघा चरागाह किस्म की भूमि चयन/आरक्षित की गई थी। उक्त भूमि पर प्रस्तावित प्लान्ट स्थापित करने के प्रति स्थानीय विरोध एवं प्रदूषण की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के उद्योग विभाग द्वारा उक्त स्थल उपयुक्त नहीं माना गया है तथा रीको के सुझावों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश उद्योग विभाग द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को दे दिये गये हैं।

विद्याधर नगर में अनधिकृत रूप से संचालित देशी मदिरा की दुकान

7. श्री मुल्कराज (रायसिंहनगर) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री मुल्कराज)

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर शापिंग सेन्टर सैक्टर नं. 8 में देशी मदिरा की दुकान का ठेका अस्थाई थड़ी में था? यदि हां, तो उक्त ठेका वर्तमान में पक्की दुकान में किसकी अनुमति से स्थानान्तरित किया गया है?

(2) यदि ठेकेदार को पक्की दुकान में ठेका चलाने की अनुमति दी गई है तो ठेकेदार द्वारा पूर्व में स्थापित थड़ी को क्यों नहीं हटाया गया है? क्या एक ही स्थान पर इस प्रकार से अनधिकृत रूप से एक पक्की व एक थड़ी में ठेका चलाया जाना नियमानुसार है? यदि नहीं, तो उक्त थड़ी को कब तक हटा दिया जावेगा?

(3) क्या सरकार सार्वजनिक बाजार व आवासीय कॉलोनी को देखते हुए मदिरा विरोधी नागरिकों की भावना को देखते हुए ठेके को निर्जन स्थान या बस्ती से दूर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इसे जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर से स्थल मानचित्र अनुमोदित कराकर दिनांक 7.4.94 को पक्की दुकान में स्थानान्तरित किया गया।

(2) पूर्व स्थापित थड़ी की शराब दुकान का स्थल मानचित्र पक्की दुकान स्वीकृत करने के साथ ही निरस्त कर दिया गया था। अतः विभाग की जानकारी के अनुसार एक ही जगह दो दुकानें नहीं चल रही हैं। इस थड़ी को, जिसमें अब शराब की दुकान स्वीकृत नहीं है, हटाना-नहीं हटाना आबकारी विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है क्योंकि अब ये आबकारी संबंधी किसी कार्य में नहीं ली जा रही है।

(3) जी नहीं। सैक्टर नं. 8 में स्थित शराब की दुकान को हटाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि दुकान आबकारी नियमों के अनुसार स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक बाजार व आवासीय कॉलोनी में इस हेतु उपयुक्त स्थान पर दुकान स्वीकृत करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जिला बूंदी में अनुसूचित जाति/जनजाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर पदोन्नति

8. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या वर्ष 1980 से अब तक की अवधि में जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को तथा उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने-कितने हैं? पदोन्नति के आदेश सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति बाबत मापदण्ड तय किए हुए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सेवारत हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(4) क्या बूंदी जिले में कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने?

(5) क्या सरकार पदोन्नति की आवश्यक अर्हतायें रखने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर पदोन्नति देकर नियुक्तियों के शेष रहे बैकलॉग को पूरा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1980 से अब तक 6 चश्रे.क. को जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा कलि. के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें से अनुसूचित जाति के 2 चश्रे.कर्म. को पदोन्नति दी गई। पदोन्नति के आदेश सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख"।

(2) जी हां। राजस्थन अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1957 के नियम 7(3) में चश्रे.क. को कलि. पद पर पदोन्नति हेतु मापदण्ड निर्धारित हैं। उक्त नियम के उद्धरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। संलग्न परिशिष्ट "ग"।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट "घ")

(4) जिला कलक्टर, बूंदी कार्यालय में वर्तमान में 4 कलि. संवर्ग है।

(5) चश्रे. कर्म. से कलि. पद पर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता है। कलि. पद पर राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1957 में किये गये प्रावधान के अनुसार 85% पद सीधी भर्ती से तथा 15 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत चश्रे. कर्मचारियों में से उनकी पारस्परिक वरिष्ठता तथा कलि. के पद हेतु विहित शैक्षिक अर्हता रखने वाले चश्रे.कर्म. में से भरने का प्रावधान किया गया है। कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जाती है। अतः उक्त स्थिति में पदोन्नति की आवश्यक अर्हताऐं रखने वाले अनु. जाति/जनजाति के चश्रे. कर्मचारियों को कलि. के रिक्त पदों पर पदोन्नति देकर नियुक्तियों में अवशेष रहे बैकलॉग को पूरा नहीं किया जा सकता है। अर्थात् कलि. संवर्ग में नियुक्ति में चल रहे आरक्षण अवशेष को लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अनु. जाति/जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाकर पूर्ण किया जा सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कलि. संवर्ग हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। निकट भविष्य में जब भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों की सूची जारी की जावेगी, जिला कलक्टर, बूंदी कार्यालय में चल रहा आरक्षण अवशेष स्वतः ही पूर्ण हो जावेगा।

(सूचियां/प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्न संख्या-9

(स्थगित)

केन्द्र द्वारा गठित टेक्नोलोजी मिशन द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही

10. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) केन्द्र द्वारा गठित टेक्नोलोजी मिशन द्वारा राज्य में पेयजल, टीकाकरण साक्षरता, आयल-सीड्स, डेयरी के संबंध में क्या सिफारिशें राज्य सरकार को की गई हैं? सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिशन की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा इन विषयों पर क्या अमली कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मिशन द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? इनमें से कितने प्रतिशत प्राप्त कर लिये और बाकी लक्ष्यों को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) टैक्नोलोजी मिशन द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई सम्बन्धित विभागों द्वारा लक्ष्य अवश्य रखे गये थे। कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य संलग्न हैं।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) कार्यक्रमानुसार निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि संलग्न हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

विधानसभा क्षेत्र नैनवां में "तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

11. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992-93 में विधायक, विधान सभा क्षेत्र नैनवां के प्रस्ताव के अनुसार "तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य अभी तक भी अपूर्ण हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करवा दिए जावेंगे?

(2) क्या निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही नष्ट होने प्रारम्भ हो गए हैं? यदि हां, तो नष्ट हुए हिस्से के पुनर्निर्माण बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93 में "तीस जिला तीस काम" योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनवां में तीन कार्य 7.00 लाख रु. की कुल लागत के स्वीकृत हुए थे जिसमें से दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा एक कार्य प्रगति पर है। जिसके मई 95 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) जी नहीं। तीन स्वीकृत कार्यों में से दो कार्य ठीक हैं। एक कार्य खटकड से गुलखेडी रास्ते पर झरनियां नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व 1994 की अतिवृष्टि से भेज नदी में बाढ़ आ जाने के कारण इस नदी के सहारे बनाई गई रिटेनिंग वाल का कुछ हिस्सा बाढ़ के पानी की टक्कर से नष्ट हो गया। जिसे उपलब्ध राशि से ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम कोटडी-लोरवाड़ा (श्रीमाधोपुर) मार्ग का डामरीकरण

12. श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री गुलाब सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के ग्राम कोटडी (सिमारला) से लोरवाडा (वाया गढ़ भोपजी) पक्का सड़क मार्ग स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या पक्का सड़क मार्ग निर्माण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त सड़क मार्ग का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर राजस्थान परिवहन निगम की बसें भी संचालित होती हैं इसके बावजूद भी स्थानीय ग्रामीण जनता के सुविधार्थ गत 20 वर्षों से लाल मिट्टी डालकर के अधकचरी सड़क ही बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त मिसिंग लिंक का डामरीकरण नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त मार्ग पर राजस्थान परिवहन निगम की बसें चलती हैं। इस मार्ग की कुल मिसिंग लम्बाई 8 किमी. है जिसमें 6 किमी. ग्रेवल सड़क बनी हुई है शेष 2 किमी. के लिये सुनिश्चित रोजगार योजना में ग्रेवल स्तर तक की स्वीकृति है एवं सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। चूंकि उक्त सड़क पिछले वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क ही बनाई गई थी। जिसका रख-रखाव आवश्कतानुसार समय-समय पर क्वारी रविस डाल कर करवाया जाता है।

राज्य की नयी खनिज नीति

13. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नयी खनिज नीति घोषित होने के बाद क्या परिवर्तन आये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस नयी खनिज नीति के प्रभावी होने से वैज्ञानिक खनन, अधिक दोहन एवं आर्थिक उन्नयन में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की सम्भावना है?

(3) क्या इस नयी नीति के प्रभावी होने के बाद प्रदेश की विभिन्न बन्द पड़ी माइका खदानों में खनन कार्य प्रारम्भ हो सकेगा? बन्द पड़ी हुई माइका माइन्स का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस नीति के अन्तर्गत खनिज आधारित उद्योगों में वृद्धि होगी और क्या सरकार भी अपने नये खनिज उद्योग लगाने का विचार रखती है?

(5) इस नयी नीति के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में उपलब्ध विभिन्न खनिज कार्यों को क्या नया वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या इस नयी खनन नीति से खनन माफिया एवं अन्य अवैध खनन कार्य करने वालों के विरुद्ध सरकार कारगर कार्यवाही करके सफलता प्राप्त करेगी?

उत्तर

(1) नयी खनिज नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप खनिज लाइमस्टोन, मार्बल,

(खनिज मंत्री)

ग्रेनाइट व सैण्डस्टोन इत्यादि खनिजों की खोज में विशेष प्रगति हुई है। नयी खनिज नीति की घोषणा के बाद सीमेन्ट संयंत्रों की स्थापना हेतु पूर्वेक्षण/खनन पट्टे स्वीकार किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य के नागौर, सिरोही, चित्तौडगढ़, पाली व जैसलमेर जिलों में नये सीमेन्ट संयंत्र शीघ्र ही स्थापित होंगे। खनिज मार्बल व ग्रेनाइट के खनन पट्टों की आबंटन की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। प्रक्रिया सरल बनाई गई है, जिससे ग्रेनाइट के खनन पट्टों के आबंटन में काफी प्रगति हुई है। ये खनन पट्टे खानों के मशीनीकरण और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं, जिससे खानों के मशीनीकरण में प्रोसेसिंग-यूनिट्स की स्थापना में लगातार वृद्धि हो रही है। खनिज मार्बल के खनन पट्टे भी मशीनीकरण एवं प्रोसेसिंग-यूनिट्स की स्थापना के आधार पर स्वीकृत किये जावेंगे। वायर सॉ का उपयोग खनन में बढ़ा है और नयी डायमण्ड सॉ भी लगी हैं।

(2) नयी खनिज नीति के प्रभावी होने से खनिजों के वैज्ञानिक दोहन में प्रगति हुई है तथा इस तरह के दोहन के कारण न केवल खानों में सुरक्षा बढ़ी है बल्कि खनिज की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। नयी खनिज नीति के प्रभावी होने से संगमरमर व ग्रेनाइट के खननपट्टों हेतु वर्तमान में निर्धारित क्षेत्रों का आकार व्यवस्थित किया गया है-अन्य खनिजों के लिए न्यूनतम आकार की समीक्षा की जाकर आवश्यकतानुसार पुनर्निधारण होगा जिससे गहराई तक लाभकारी खनन हेतु खनिज उपलब्ध है उस गहराई तक खनन कार्य हेतु आवश्यक बैंचें बनाई जा सकेंगी। आबंटन में यह देख जावेगा कि खान का विकास, खानों के यंत्रीकरण एवं प्रोसेसिंग ईकाइयों की स्थापना, निर्यात हेतु वांछित पूंजी निवेश की वित्तिय क्षमता वाले आवेदकों को प्राथमिकता मिले जिससे खनिजों का वैज्ञानिक खनन व अधिक दोहन किया जा सके। आधारभूति सुविधाएं जैसे सड़कें आदि बनाये जाने से खनिजों का अधिक दोहन परिवहन होने से आर्थिक उन्नति रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार राज्य की आर्थिक उन्नति में भी इस नीति का विशेष योगदान रहेगा।

(3) माइका माइन्स बन्द होने का प्रमुख कारण प्रदेश में उपलब्ध माइका बिहार व आन्ध्र प्रदेश की तुलना में निम्न श्रेणी का होना है तथा सिन्थेटिक माइका का प्रयोग होने से इन खानों में खनन कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त माइका माइन्स काफी गहरी हो चुकी हैं तथा इन खानों से माइका उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। बन्द खानों का विवरण संलग्न है।

(4) जैसा कि प्रश्न के भाग-1 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि नयी खनिज नीति से खनिज आधारित उद्योगों में वृद्धि होगी। शासन का स्वयं का कोई खनिज उद्योग स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) नयी खनिज नीति के अंतर्गत अन्य जिलों के साथ-साथ भीलवाड़ा जिले के विभिन्न खनिजों के दोहन में भी मशीनीकरण के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से खनन किया जायेगा जिसमें खनिज ग्रेनाइट प्रमुख है।

(खनिज मंत्री)

(6) नयी खनिज नीति के लागू होने के बाद अनाधिकृत खनन पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जा रहा है। अनाधिकृत खनन को नियंत्रित करने हेतु बिजौलिया, करौली, धौलपुर, बूंदी, कोटा, कोटपूतली (जयपुर), सावा (चूरू) एवं नागौर आदि क्षेत्रों में खान विभाग द्वारा अथवा राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान चलाये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के थानों में दर्ज प्रकरण

14. खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ तहसील के थानों में वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 व 1994-95 में 28-2-1995 तक कितने मुकदमें दर्ज हुए? कितनों पर एफ.आर. लगाई गई? मुकदमों का अलग विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें :

(i) मुकदमों की संख्या बढ़ने का कारण?

(ii) मुकदमों की संख्या में कमी हुई तो, किस कारण से? क्या एफ.आई.आर. नहीं लिखी गई या मामला रफा-दफा कर दिया गया?

(2) क्या सरकार उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) का अलग से कार्यालय शेरगढ़ या बालेसर में इसी सत्र में खोलने पर विचार करेगी?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील के थानों देचू, शेरगढ़ एवं बालेसर में वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में 28-2-1995 तक दर्ज अपराधों की सूचीमय निस्तारण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(i) मुकदमों की संख्या में केवल मामूली वृद्धि हुई है जो कि स्वाभाविक है। चूंकि कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई अतः कोई विशेष कारण उल्लेखित करना संभव नहीं है।

(ii) मुकदमों की संख्या में कमी नहीं हुई है।

(2) उप अधीक्षक पुलिस (ग्रामीण) का अलग से शेरगढ़ या बालेसर में कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला, जयपुर की बकाया का भुगतान

15. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 1 अप्रेल, 1992 से 31 जुलाई, 1994 तक सीमा गृह रक्षा दल कम्पनी व अन्य पुलिस बटालियनों को अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला (ट्रस्ट) कांवटियों का खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर में ठहराया गया था? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी के आदेश से, कौन-कौनसी बटालियनों को तथा किस-किस अवधि के दौरान? आदेश की प्रति, बटालियन द्वारा उपभोग की गई आवासीय सुविधा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेर सिंह)

(2) क्या उक्त धर्मशाला द्वारा विभाग से राशि प्राप्त करने हेतु बिल प्राप्त हुए? यदि हां, तो उक्त बिलों का भुगतान अभी तक भी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? प्राप्त बिलों एवं भुगतान रसीद की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) ने उक्त बिल प्राप्त होने के पश्चात् किराये के मूल्यांकन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजे? यदि हां, तो क्यों? उक्त धर्मशाला में पुलिस बटालियनों को ठहराने से पूर्व इसका किराया निर्धारण क्यों नहीं किया गया तथा इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार के ठहराव से पूर्व ही किराया निर्धारण करने की कार्यवाही कर ली जाना उपयुक्त समझती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त धर्मशाला को अविलम्ब बकाया भुगतान करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, एक अप्रेल 1992 से 31 जुलाई 1994 तक सीमा गृह रक्षा दल बीकानेर की "सी" कम्पनी के जवानों को अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला कावंटिया का खुर्रा रामगंज बाजार में स्थानीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार थानाधिकारी रामगंज द्वारा धर्मशाला के प्रबन्धकों की सहमति से ठहराया गया था। धर्मशाला प्रबन्धकों द्वारा दो हाल, 13 कमरे, रसोई घर, लेट्रिन, बाथरूम उपलब्ध करवाये गये थे।

(2) जी हां,। 2 बिल क्रमशः 45,000/- तथा रु. 37,500/- के प्राप्त हुए हैं। फोटो प्रति संलग्न है। बिलों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। अधिशाषी अभियन्ता प्रथम पी.डबल्यू.डी. जयपुर को दिनांक 5.7.94 को मूल्यांकन करने हेतु लिखा गया था। अभी तक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मूल्यांकन हो जाने के पश्चात् ही किराये का भुगतान किया जा सकेगा।

(3) जी हां। वित्त विभाग की सलाह के अनुसार भवन के किराये निर्धारण हेतु पुलिस विभाग द्वारा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रथम) को लिखा गया था। साम्प्रदायिक दंगों के कारण अचानक बिगड़ी कानून एवं व्यवस्था को संभालने के लिये ड्यूटी पर आये हुए सुरक्षा बल के जवानों को ठहराने हेतु समीप ही किसी उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जानी थी एवं इन संवेदनशील परिस्थितियों में किराये का पूर्व में निर्धारण करवाया जाना सम्भव नहीं था। इसके लिये कोई दोषी नहीं है। इस प्रकार की संवेदनशील परिस्थितियों का स्थान एवं समय का पूर्व आंकलन करना संभव नहीं होता है। कानून एवं सुरक्षा संदर्भी उपरोक्त संवेदनशील परिस्थितियों में किराये के पूर्व निर्धारण की किसी भी प्रकिया का पूर्व निर्धारण संभव नहीं है।

(गृह मंत्री)

(4) भुगतान की प्रक्रिया जारी हैं।

(बिलों की प्रति के लिए कृपया
परिशिष्ट–9 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 16
(स्थगित)

ग्राम पंचायत भूडला (बस्सी) के ग्रामों की चरागाह भूमि

17. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत भूडला, तहसील-बस्सी (जयपुर) के ग्राम रजवास, भूडला, पृथ्वीपुरा, बावड़ी का बास, रोजवाड़ी, लालावाला एवं रामसर की ग्रामवार चरागाह गैर मुमकिन एवं सिवाय चक भूमि कितनी-कितनी है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों की चरागाह गैर मुमकिन व सिवाय चक भूमि पर किन-किन लोगों ने कितनी-कितनी भूमि पर कितने-कितने वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है? ग्रामवार व्यक्तियों के नाम, बीघा एवं अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने उक्त लोगों पर कब-कब, कितनी कितनी शास्ति आरोपित की?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमणियों की फसल को कभी भी नीलाम नहीं किया गया है और न ही उन्हें कभी सजा दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार चरागाह भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमणों को देखते हुए नीलामी एवं कठोर सजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक लापरवाही के क्या कारण रहे तथा भविष्य में क्या कठोर कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत भूडला तहसील बस्सी के ग्राम रजवास, भूडला, पृथ्वीपुरा, बावड़ी का बास, रोजवाडी, लालावाला एवं रामसर की चारागाह, गैमु. एवं सिवायचक भूमि का ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) ग्रामवार एवं व्यक्तिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) प्रश्न के भाग-2 के साथ की सूची में अंकित कर दिया गया है।

(4) जी हां। यह सही है कि ना तो फसल नीलाम की गई ना ही किसी को सजा ही दी गई है। जहां तक अतिक्रमियों को सिविल कारावास की सजा दिये जाने का प्रावधान है। यह न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर है। आरोपित की गई शास्ती का विवरण भाग-3 के उत्तर के साथ दिया गया है।

(5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में उपधारा 6 जोड़कर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। भविष्य में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण
विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्योपुर हाउस, जयपुर के समीप स्थित भूमि का पंजीयन प्रकरण

18. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि श्योपुर हाउस, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग मकान नम्बर 1514, से 1516 के सामने स्थित सरकारी भूमि है, की फर्जी रजिस्ट्री की जांच हेतु रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर (भू-माफिया अभियान के तहत) को उक्त स्थान के निवासियों से शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने इस रजिस्ट्री की जांच की है ? यदि हां तो, क्या यह रजिस्ट्री अवैध है ? यदि हां तो, इसके क्या आधार रहे ?

(3) फर्जी रजिस्ट्री में कौन-कौन कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी हैं ? क्या यह भी सही है कि इसी विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी भी इसी रजिस्ट्री में लिप्त हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद एवं नाम सहित सूची सदन की मेज रखें।

(4) दोषी लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्योपुर हाउस के सामने एक भूमि का विक्रय दिनांक 2.5.92 को राव समर सिंह वगैराह ने एक विक्रय पत्र बहक श्री विष्णु सिंह चन्द्रावत के हक में निष्पादित कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे दस्तावेज संख्या 83 पर दिनांक 16.5.92 को पंजीबद्ध किया गया। भूमि का क्षेत्रफल 105.31 वर्ग गज है। जहां तक भूखण्ड का मकान नं. 1514, 1515 एवं 1516 के सामने स्थित होने का मामला है, इसका वर्णन पंजीबद्ध दस्तावेज में नहीं है। एक शिकायत राजस्व मण्डल, अजमेर को प्राप्त हुई, जिसकी प्रति जिला कलक्टर, जयपुर को जांच हेतु भिजवाई गई थी। जिला कलक्टर, जयपुर ने प्राप्त शिकायत की प्रति नगर निगम, जयपुर को जांच हेतु भिजवाई गई। आयुक्त हवामहल जोन (पश्चिम) नगर, निगम जयपुर ने जवाब भिजवाते हुए बताया कि उक्त विवादित स्थल सरकारी भूमि है एवं इसके बारे में वाद न्यायालय में विचाराधीन है। नगर निगम, जयपुर के अनुसार मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण रजिस्ट्री की वैधता के सम्बन्ध में जांच करना उचित नहीं है।

(3) विक्रेतागण ने रजिस्ट्री में विक्रय की गई भूमि को स्वयं की होना अंकित कर विक्रय किया है। उक्त रजिस्ट्री के सम्बन्ध में किसी पंजीयन अधिकारी एवं कर्मचारी का प्रथमदृष्टया दोष प्रकट नहीं होता है।

(4) रजिस्ट्री के सम्बन्ध में प्रथमदृष्टया किसी पंजीयन अधिकारी/कर्मचारी को कोई दोष प्रकट नहीं होता है। अतः किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

ग्राम सीसोला (बून्दी) के पटवार क्वार्टर का निर्माण

19. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सीसोला (जिला बून्दी) पटवार क्वार्टर निर्माण में हुई अनियमितताओं/फर्जी मस्टरोल तैयार करने के बारे में जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पटवार क्वार्टर निर्माण के समय एम.आर. संख्या 848593, कच्ची एम.आर. 2, कच्ची एम.आर. 1, फर्जी मस्टरोल पेश किये हैं ? यदि हां, तो फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाये जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या दोषी कर्मचारी इस समय राज्य सेवा में है ? यदि हां, तो विभागीय जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जांच रिपोर्ट की फोटो प्रतियां संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर, बूंदी ने दि. 04.5.94 को तहसीलदार को एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु लिखा गया था, किन्तु एस.एच.ओ. थाना नैनवा द्वारा एफ.आई.आर. मूल मस्ट्रोल के बिना दर्ज नहीं की। तहसीलदार, नैनवा को जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा दि. 18.3.95 को मूल मस्ट्रोल नं. 848593 भिजवा दिये हैं। एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही जैरवार है।

(3) जी हां, दोषी कर्मचारी श्री प्रेमशंकर चतुर्वेदी वर्तमान में आई.एल.आर. वृत घट का बराना तहसील केशोरायपाटन में कार्यरत है, दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही जैरवार है। उप जिला कलक्टर, नैनवा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रारंभ की जा चुकी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के छात्रावास

20. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने बालक/बालिका छात्रावास हैं ?

(2) इन छात्रावासों में (प्रत्येक में) कितने-कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से यहां दूर-दराज से अधिक छात्र शिक्षा हेतु आते हैं तथा उन्हें इन छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार इन छात्रावासों में छात्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार बड़े छात्रावास भवन कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ में बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ विधानसभा क्षेत्र में 6 बालक एवं 2 बालिका छात्रावास विभाग द्वारा संचालित हैं।

(2) इन छात्रावासों में निम्न प्रकार प्रवेश दिया जाता है :

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
1.	राज. अनु. जन जाति छात्रावास कुशलगढ़	60	60
2.	राज. अनु. जनजाति (कन्या) कुशलगढ़	25	24
3.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, ताम्बेसरा	25	25
4.	राज. अनु. जनजाति, छात्रावास, छोटीसरन	25	25
5.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, बड़ी सरन	25	16
6.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, छोटा डूंगर	25	24
7.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, सज्जनगढ़ (कन्या)	25	25
8.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, सज्जनगढ	70	70

(3) निम्न छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं अतः उनके सम्मुख अंकित संख्या में छात्र प्रवेश से वंचित रहें :—

क्र.सं. छात्रावास का नाम	प्रवेशित छात्र संख्या	प्रवेश से वंचित छात्र संख्या
1 · 2	3	4
1. राज. छात्रावास, कुशलगढ	60	36
2. राज. छात्रावास, ताम्बेसरा	25	15
3. राज. छात्रावास, छोटी सरन	25	2
4. राज. छात्रावास, सज्जनगढ़	70	23

स्वीकृत छात्र संख्या बढ़ाये जाने पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

(4) संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्र संख्या बढ़ाई जाने के पश्चात् कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ राजकीय छात्रावासों के लिये बड़े भवन बनाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

छात्रावासों के अंशकालिक रसोइये एवं चौकीदार

21. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में अंशकालिक रसोइयों एवं चौकीदारों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है?

(2) क्या यह सही है कि इन रसोइयों से छात्रावास के कम से कम 25 छात्रों का प्रति रसोइया के हिसाब से सुबह एवं सांय दो वक्त का भोजन बनवाया जाता है एवं चौकीदार से 24 घण्टे ड्यूटी ली जाती है।

(3) क्या यह भी सही है कि इन्हें 8 से 24 घण्टे कार्य लेने के बाद भी मात्र 350/- रुपया मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की राशि 22/- रुपया प्रति दिन से आधी है एवं पूरे माह के सभी दिन कार्य करवाया जाता है?

(श्री महावीर भगोरा)

(4) क्या यह भी सही है कि जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों के रसोइयों को 22/- रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो एक ही समान कार्य के लिए सरकारी विभागों में इस तरह का भेदभाव क्यों?

(5) क्या राज्य सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति के आधार पर छात्रावासों में अंशकालिक रसोइयों व चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समकक्ष नियमित वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नियमानुसार भोजनशाला की व्यवस्था के लिए रसोईये आदि की व्यवस्था गठित भोजनशाला समिति द्वारा की जाती है। जिसके लिए समिति को निम्न प्रकार छात्र संख्या के आधार पर रसोईया के लिए विभाग द्वारा तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया जाता हैं :

छात्र संख्या	रसोईये की संख्या
25 से कम	एक
26 से 50	दो
51 से 75	तीन
76 से आगे	चार

(2) जी हाँ। जी नहीं।

(3) छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन रसोईया एवं चौकीदार को पूर्व में रुपये 350/- के अनुसार अंशकालीन भत्ता स्वीकृत था जिसे बढ़ाकर 1 फरवरी 1995 से 600/- रुपये प्रति माह कर दिया गया हैं।

(4) जन जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों के लिये अनुबन्ध पर उपलब्ध रसोईया का 550/- रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाता हैं। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में कार्यरत रसोईये को एक फरवरी, 1995 से 600/- रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(5) इस संबंध में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। उसके निर्णय के पश्चात् निर्णय लया जान संभव हो सकेगा।

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश की पात्रता

22. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्ड़ार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही हैं कि निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान, जयपुर ने अक्टूबर/नवम्बर, 1994 से प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स हेतु विज्ञप्ति क्रमांक प्रशि/ज. न/विज्ञप्ति/94/839 दिनांक 7-9-94 जारी की थी? यदि हाँ, तो उक्त प्रशिक्षण कोर्स में कितने आशार्थियों को कब प्रवेश दिया गया? पात्रता की शर्तों तथा मैरिट, नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विज्ञप्ति के अनुसार कितने पुरुष एवं कितनी महिलाओं को प्रवेश दिया गया? प्रशिक्षण केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिनारायण बैरवा)

(3) विज्ञप्ति के अनुसार निश्चित महीने से प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) जनरल नर्सिग प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 17-9-94 को जारी की गई थी न कि 7-9-94 को अभ्यार्थियों के चयन हेतु चयन समिति का गठन कर दिया गया है और चयन समिति द्वारा मेरिट के आधार पर चयन किया जाना है। चूंकि चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अतः किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों की चयन सूची इस माह के अन्त में जारी कर दी जावेगी। प्रशिक्षणार्थियों की पात्रता शर्ते विज्ञप्ति दिनांक 17-9-94 में वर्णित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विज्ञप्ति के अनुसार अभी प्रवेश नहीं दिया गया है। प्रशिक्षण केन्द्रवार का विवरण विज्ञप्ति दिनांक 17-9-94 में अंकित है।

(3) विज्ञप्ति दिनांक 17-9-94 के अन्तर्गत प्रशिक्षण अक्टूबर-नवम्बर माह, 94 से आरम्भ किया जाना था। निम्न कारणों से निश्चित माह से प्रशिक्षण आयोजन नहीं किया जा सका :

1. कम्प्यूटराईज डेटा एन्ट्री आवेदन पत्रों से मिलान करने पर त्रुटियां पाया जाना।

2. आवेदन पत्रों की आरक्षण के आधार पर छंटनी करना।

3. आवेदन-पत्रों का आरक्षण के आधार पर मेरिट सूची बनाना।

4. अभ्यार्थियों ने जो प्रमाण-पत्र लगाये है उनकी जांच करना कि वे मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं।

अब समस्त आवदेन पत्रों की छटनी आरक्षण के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये मेरिट सूची इस माह के अन्त तक जारी कर दी जायेगी व तदुपरान्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जावेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विभिन्न चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में सी.टी. स्केन, एक्सरे एवं इको यंत्रों का रख-रखाव

23. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा राजस्थान के विभिनन मेडिकल कालेजों एवं जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन, एक्सरे, इको आदि विभिन्न मशीनों के रख-रखाव का क्या प्रबन्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि इन उपकरणों के अक्सर खराब होने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं और रोगियों को अस्पताल से बाहर परीक्षण कराने हेतु बाध्य किया जाता है ?

(3) क्या सरकार इन मशीनों के रख रखाव के लिए कोई नई कारगर व्ययवस्था करने का विचार रखती है ताकि अस्पताल की ये मशीनें नियमित रूप से कार्य करती रहें और उनके संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो ? क्या सरकार इसके लिए किसी फर्म को ठेका देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(4) क्या सरकार इन मशीनों/उपकरणों के खराब अथवा चोरी को रोकने आदि का बीमा, कराने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध मशीनों के खराब हो जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित फर्म से मशीनें ठीक कराई जाती है।

(2) जी नहीं उपकरणों के यदा-कदा खराब होने पर ही रोगियों को अस्पताल के बाहर परीक्षण कराने हेतु कहा जाता है।

(3) वर्ष 94-95 में एक्सरे मशीनों की सप्लाई हेतु जिन फर्मों को आदेश दिया गया है उन्हीं फर्मों से उनके रख-रखाव हेतु वार्षिक अनुबन्ध (एनुअल मेन्टीनेन्स कान्ट्रेक्ट) किया गया है। इसके अलावा भविष्य में भी खरीद के साथ ही रख-रखाव हेतु वार्षिक अनुबन्ध भी किया जावेगा।

एस.एम.एस. हास्पीटल, जयपुर में केन्द्र सरकार के उपक्रम ई.टी.डी.सी. नामक संस्था का सर्विस स्टेशन इस हेतु खोला गया है। इस हेतु किसी फर्म को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(4) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है। अतः इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शेरगढ़ (जोधपुर) के ग्रामों की चिकित्सा व्यवस्था

24. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) शेरगढ़ तहसील (जिला जोधपुर) के किस-किस ग्राम में किस-किस श्रेणी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ?

(2) उपरोक्त चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, मंत्रालयिक वर्ग, वार्ड ब्वॉय, स्वीपर इत्यादि कार्यरत हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं व कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(4) इस वित्तीय वर्ष में शेरगढ़ तहसील में मलेरिया, प्लेग, निमोनिया से कितने लोगों की मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में उपलब्ध चिकित्सा संस्थानों की सूची संलग्न है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) रिक्त पदों का विवरण प्रश्न के भाग-2 की सूची में अंकित है तथा परिवार नियोजन कैम्पों के कार्य हेतु अस्थाई रूप से 4 व कैन्सर पीडित होने से एक कर्मचारी अतिरिक्त पदस्थापित किया हुआ है। चिकित्सकों के पद पदोन्नति, नियमित नियुक्ति व तदर्थ नियुक्ति

46

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

से भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। पैरामैडिकल स्टाफ/टेक्नीशियन के रिक्त पद योग्यताधारी व प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध होने के कारण नहीं भरे जा रहे हैं।

(4) इस वित्तीय वर्ष में शेरगढ़ तहसील में प्लेग तथा निमोनिया से किसी की मृत्यु नहीं हुई। मलेरिया से 16 लोगों की मृत्यु हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर नगर निगम क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्र

25. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में राजकीय अस्पताल व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कितने तथा कहां-कहां पर स्थित हैं ? पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर नगरवासियों की चिकित्सा सुविधा के लिए गैर-सरकारी चिकित्सालय कितने हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं ? पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर नगर निगम में निजी अस्पतालों की संख्या कितनी है तथा ये किस-किस स्थान पर स्थित हैं ? स्थान व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें। निजी अस्पताल खोलने की अनुमति हेतु कितने मामले वर्ष 1994-95, 1995-96 में सरकार के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निजी अस्पतालों व सोसाइटियों को भी अनुदान देती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा में व किन-किन अस्पतालों व सोसाइटियों को ? पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गैर सरकारी चिकित्सालयों की राज्य सरकार से मान्यता देने हेतु कोई अधिनियम राज्य में लागू नहीं है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी अस्पताल जो मेडिकल प्रेक्टीसनर सोसायटी से रजिस्टर्ड हैं की संख्या 350 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

चूंकि निजी अस्पताल खोलने की अनुमति राज्य सरकार से लेने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः वर्ष 1994-95, 1995-96 में मामले सरकार के विचाराधीन होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी हां, जिन निजी अस्पतालों व सोसाइटियों को अनुदान दिया जा रहा है :

	संस्था का नाम	अनुदान राशि (लाखों में)
1.	जयपुर कैलगिरी आई होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मालवीय नगर जयपुर।	4.79

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

1	2	3
2.	सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, सांगानेरीगेट, जयपुर।	2.00
3.	जयपुर रूरल हैल्थ एण्ड डवलपमेन्ट ट्रस्ट, बी-7, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	2.00
4.	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सवाईमान सिंह हास्पिटल, जयपुर।	96,800/-
5.	सचिव, प्राज्ञ मृगी रोग निवारण समिति, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	2.00
6.	सचिव, विजय पोली क्लिनिक कोकिल कुंज पाल बीचला, अजमेर।	0.20
7.	संस्थापक सचिव, नारायण सेवा संस्थान सेवाधाम 483, सैक्टर 4-5, लिंक रोड़, उदयपुर।	वर्ष 1994-95 में सम्मिलित की गयी
8.	हॉस्पिटल प्रशासक, मदार यूनियन सेनाटोरियम एण्ड हॉस्पिटल, मदार, अजमेर।	2.304
9.	सचिव, श्री कल्याण अरोग्य सदन बजाज ग्राम, सीकर।	12.00

भारत सरकार की 6 शैय्या नसबंदी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अनुदान देने का प्रावधान है। वर्तमान में 3 संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जयपुर जिले में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है :

1. जयपुर रूरल डवलपमेन्ट ट्रस्ट, चम्पापुरा।
2. न्यू बोम्बे हास्पिटल, अचरोल।
3. दिशा संस्थान, सांगानेर।

इच्छुक निजी चिकित्सालयों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने का भविष्य में प्रस्ताव है ताकि नसबंदी सेवाऐं निजी चिकित्सालयों/निजी संस्थाओं में भी उपलब्ध कराई जा सकें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का रख-रखाव

26. श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर), **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य सरकर ने राज्य के कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को स्वयं सेवी संस्थाओं के सुपुर्द किया है? केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिये किया गया उपरोक्त प्रयोग सफल रहा है? यदि हां, तो किस दृष्टि से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार वर्ष 1995-96 में कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को स्वयंसेवी संस्थाओं के सुपुर्द करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्तमान में किसी भी स्तर के चिकित्सा संस्थान को स्वयंसेवी संस्थाओं के सुपुर्द नहीं किया गया है। पूर्व निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के पत्रांक योजना/विकास/83/2283 दिनांक 28-7-83 द्वारा डिस्पेंसरी रामपुरिया पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ एवं एडपोस्ट देवगढ़ को "प्रयास" नामक स्वयंसेवी संस्था को तीन वर्ष तक अनुबन्ध के आधार पर संचालित करने के लिए सुपुर्द किया गया था, जिन्हें उक्त अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) जी, नहीं। उपरोक्त प्रयोग सफल नहीं रहा है।

(3) इस तरह का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विद्याधर नगर जयपुर में चिकित्सालय

27. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है ?

(2) उक्त जनसंख्या के लिए क्या विद्याधर नगर, जयपुर में राजकीय विद्यालय के पास चिकित्सा हेतु भू-खण्ड का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर चिकित्सालय कब प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

(3) वर्तमान में चिकित्सालय सुविधा नजदीक उपलब्ध नहीं होने से नागरिकों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भवन निर्माण होने तक अस्थायी रूप से किराये के आवास में चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 30 हजार की जनसंख्या पर एवं मरुस्थलीय तथा जनजातिय क्षेत्रों में 20 हजार की जन संख्या पर एक स्थापित किया जाने का मापदण्ड है।

(2) शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

विद्याधर नगर में सैक्टर नं. 8 में राजकीय विद्यालय के पास एक भूखण्ड 150 × 200 वर्गगज चिकित्सालय हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण ने आरक्षित कर रखा है, किन्तु चिकित्सालय हेतु कोई वित्तीय प्रावधान न होने के कारण कोई डिस्पेन्सरी इस भूखण्ड पर स्थापित करने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) विद्याधर नगर में अन्य भूखण्ड सैक्टर नं. 5 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर चिकित्सालय प्रारम्भ करना सम्भव होगा। वर्तमान में इस क्षेत्र के निवासी निकट ही के झोटवाड़ा डिस्पेन्सरी एवं शास्त्रीनगर स्थित जिला चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं अतः अस्थाई रूप से किराये के भवन में चिकित्सालय चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अन्तरवासीय रोगियों पर व्यय

28. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं उससे सम्बद्ध सामान्य चिकित्सालयों में अन्तरवासीय रोगी पर भोजन, दवाई, दूध, चाय, फल आदि का व्यय करती है ? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का व्यय क्या निर्धारित है और क्या यह व्यय पर्याप्त है ?

उत्तर

जी हां। मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में अन्तर्वासी रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन भोजन, दवाई, दूध, फल इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। दवाई के नार्म्स 2400 रु. प्रति शैय्या प्रति वर्ष निर्धारित है, जो कि पर्याप्त है। डाइट के नार्म्स 5रु. प्रति अन्तर्वासी रोगी प्रति दिन अर्थात् 1825 रु. प्रति अन्तर्वासी रोगी प्रति वर्ष निर्धारित है, जो कि पर्याप्त नहीं है। आवश्यक वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इसमें वृद्धि किया जाना सम्भव होगा।

पंचायत मुख्यालय डेलीतलाई पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

29. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अमरपुरा, शिवनगर, डेलीतलाई, रामडा मेकेरी, दंतोर आदि के लिये चिकित्सा सुविधाओं का नितान्त अभाव है? यदि हां, तो सरकार इन पंचायत क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का नितान्त अभाव है? यदि हां, तो सरकार इन पंचायत क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिये चिकित्सा सुविधा बाबत क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, बीकानेर द्वारा पंचायत मुख्यालय डेलीतलाई पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उपयुक्त भवन एवं स्टाफ के लिये आवश्यक आवास गृहों का निर्माण करा रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु उपरोक्त निर्मित भवन एवं आवास गृहों का उपयोग करना जनहित में उपयुक्त समझती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत अमरपुरा, ग्राम दंतोर और डेलीतलाई में उप केन्द्र स्थापित हैं। शिवनगर, रामड़ा, मेकेरी में वर्तमान में प्रथक से उपकेन्द्र नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के लिये वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य कर्मी योजना आदि उपलब्ध कराई जा सकती है।

(2) जी हां, डेली तलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है और वर्तमान में इस भवन में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित कर दिया गया है। रिक्त पडे आवासों को उप केन्द्र के स्टाफ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। भविष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के बारे में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

विभिन्न मेडिकल कालेजों में चिकित्सकों के स्वीकृत पद

30. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न स्तर के कुल कितने पद चिकित्सकों के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

स्वीकृत हैं? प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की सूची पदवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन मेडिकल कॉलेजों में बहुत से पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में रिक्त पद कब से हैं तथा किन कारणों से रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के 206 पद, रीडर के 287 पद लैक्चरार के 609 पद तथा सीनियर डिमान्स्ट्रेटर के 220 पद स्वीकृत हैं। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की पदवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, मेडिकल कॉलेजों में कुछ पद रिक्त चल रहे हैं। पदों के रिक्त रहने की अवधि व कारणों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। वरिष्ठ पदों को पदोन्नति द्वारा तथा कनिष्ठ पदों की नियमित नियुक्ति द्वारा भरने की योजना है। विगत एक वर्ष के दौरान चिकित्सा महाविद्यालयों के अन्तर्गत वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लैक्चरर व सीनियर डिमान्स्ट्रेटर का विवरण भी सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कालानला-कल्याणपुरा (नैनवां) की जलोत्थान सिंचाई योजना

31. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नैनवां तहसील के ग्राम कालानला एवं कल्याणपुरा के मध्य में होकर मेज नदी बहती है तथा उक्त नदी पर जलोत्थान योजना बनाई जाने के लिए बूंदी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठकों में कालानला/कल्याणपुरा के नाम पर विचार विमर्श किये जाने के पश्चात् उक्त ग्रामों के लिए जलोत्थान सिंचाई योजना बनाई जाने के लिए कार्यवाही रजिस्टर में अंकित की गयी है? यदि हां, तो नकल कार्यवाही रजिस्टर सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जलोत्थान सिंचाई योजना कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बून्दी की शासकीय निकाय बैठक दिनांक 25.6.93 में यह निर्णय लिया गया था कि कालानला में जलोत्थान सिंचाई योजना निर्माण करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग यह पता लगावें कि योजना उपयोगी है अथवा नहीं। नकल कार्यवाही विवरण परिशिष्ट सं. 1 पर प्रस्तुत है।

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

(2) दिनांक 25.9.93 को शासकीय निकाय की बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त योजना को अव्यवहारिक बताये जाने के कारण मामला समाप्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त योजना के सृजन की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। नकल कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत हैं। जल स्रोत योजना स्थल से 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः अधिक व्यय होने की सम्भावना है, यदि लाभांवित कृषक योजना की लागत का 20% हिस्सा राशि वहन करने को तैयार हो तो वर्ष 95-96 के दौरान कृषि विकास परियोजनान्तर्गत योजना की स्वीकृत पर विशिष्ट योजना संगठन द्वारा विचार किया जा सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय

32. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की कौन-कौनसी योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं ?

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन कौनसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ?

(4) ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए जो योजनाएं उपरोक्त वर्षों में चलायी गयी हैं उनसे कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सका है ?

उत्तर

(1) विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर वर्ष 1993-94 में 338.64 करोड़ रुपये एवं वर्ष 1994-95 में माह फरवरी, 95 तक 401.28 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(2) विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा, आश्वासित रोजगार योजना, तीस जिला तीस काम योजना, निर्बन्ध राशि योजना एवं अपना गांव अपना काम योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना द्वितीयधारा, एवं सुनिश्चित रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(4) ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए व्यक्ति लाभ की योजनाओं के तहत गत दो वर्षों में निम्न प्रकार से लाभान्वित किया गया है :

क्र.सं. कार्यक्रम	इकाई	लाभान्वित	
		1993-94	1994-95 (माह फरवरी, 95 तक)
1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	परिवारों की संख्या	116567	94498
2.ट्राईसम योजना	प्रशिक्षित युवक	10813	6905 प्रशिक्षणाधीन 5535

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

1	2	3	4
3. इंदिरा आवास योजना	निर्मित आवास	19958	22258
4. जीवन-धारा योजना	निर्मित कूप	4885	2535
5. मैसिव कार्यक्रम	लघु एवं सीमान्त कृषक	13733	7895
6. बंधक श्रमिक	पुनर्वासिक	149 (उपलब्धतानुसार) पुनर्वासित किये जाते हैं।	56

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) की ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि

33. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर की ग्राम पंचायतों को वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत ने कितनी-कितनी राशि का उपयोग किस-किस मद एवं कार्य में कहां-कहां किया? ग्राम पंचायतवार मय योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायतों का आडिट कराया गया? यदि हां, तो किस-किस का? किस-किस व्यक्ति/संस्था द्वारा तथा क्या किसी पंचायत में ऑडिट आक्षेप पाये गये? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में क्या-क्या? क्या ऑडिट आक्षेपों का निस्तारण कर दिया गया? यदि हां, तो कब-कब? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इसमें ग्रुप-सचिव द्वारा या अन्य किसी द्वारा गबन/घोटाले के मामले भी प्रकाश में आये थे? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? पंचायतवार मय कार्यवाही के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अभी भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर की पंचायत समिति सराड़ा की ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई राशि एवं उपयोग में ली गई राशि का योजनावार एवं कार्यवार विवरण परिशिष्ट "एक" पर संलग्न कर प्रस्तुत है। अन्य योजनाओं की राशि ग्राम पंचायतों को आबंटित नहीं की जाती है।

(2) वर्ष 1992-93 का समस्त ग्राम पंचायतों का आडिट कराया जा चुका है एवं वर्ष 93-94 का निम्न 8(आठ) पंचायतों के अलावा अन्य ग्राम पंचायतों का आडिट हो चुका है :—

1. सराड़ा, 2. लिम्बोदा, 3. केजड़, 4. सेपारी, 5. श्यामपुरा 6. रठोड़ा, 7. इंटाली, 8. धनकावाड़ा। वर्ष 94-95 का आडिट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद होगा। जिन पंचायतों का अंकेक्षण हो चुका है उनमें गबन घोटाले से सम्बन्धित आक्षेप नहीं हैं। केवल सामान्य प्रकृति के आक्षेप हैं। सामान्य प्रकृति के आक्षेपों के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

(3) जिन पंचायतों के आडिट हो चुके हैं उनमें किसी प्रकार के गबन घोटाले का मामला प्रकाश में नहीं आया है। जिन पंचायतों के अंकेक्षण अभी नहीं हुए हैं उनके बारे में स्थिति अंकेक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

(4) गबन घोटाले के मामले सामने आने पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम गाडरिया (बून्दी) मार्ग पर ग्रेवल रोड पर व्यय

34. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इन्द्रगढ़ कोलाहेडा सड़क से ग्राम गाडरिया (जिला बून्दी) तक 1 किलोमीटर ग्रेवल रोड कच्ची सड़क निर्माण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी द्वारा दिनांक 18-3-1989 को राशि 66462/- की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मौके पर कार्य, खर्च की गई राशि, एम.बी. में अंकित विवरण से कम है? मौके पर मौजूद कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण मय नाप के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस बाबत विभाग द्वारा समुचित जांच करवाई गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक जांच करवा ली जायेगी?

(4) बाकी बचे उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करवाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, कोलाहेड़ा से ग्राम गाडरिया (जिला बूंदी) तक एक कि.मी. लम्बाई की कच्ची/ग्रेवल रोड के निर्माण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा स्वीकृति क्रमांक 6314-18 दिनांक 18.3.89 को जारी की गई थी। उक्त सड़क पर मिट्टी के कार्य पर रु. 34,683/- एवं ग्रेवल कार्य पर रु. 30,014/- कुल रु. 64697/- राशि व्यय की गई।

(2) जी नहीं। मौके पर कार्य पर खर्च की गई राशि मापपुस्तिका में अंकित मापों के अनुरूप ही है। वर्तमान में इस सड़क पर एक कि.मी. लम्बाई की स्वीकृति अनुसार ग्रेवल तथा मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा इस कार्य की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

(4) स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है।

टोडाभीम (सवाईमाधोपुर) में मुन्सिफ न्यायालय

35. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार टोडाभीम (सवाई माधोपुर) में मुन्सिफ कोर्ट खोले विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(2) इसके भवन के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(3) क्या राजस्व विभाग द्वार कोई भूमि भवन के लिए दी गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य विधि आयोग पर व्यय

36. (1) **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़), एवं **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विधि आयोग के गठन से अब तक इस आयोग पर हुए व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें। राज्य विधि आयोग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) राजस्थान विधि आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य विधि आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि राज्य के ऐसे कानूनों को जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, समाप्त कर दिया जाना चाहिए ? यदि हां, तो ऐसे कानून कौन-कौन से हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य विधि आयोग की सिफारिश के सम्बन्ध में राज्य सरकार के क्या विचार हैं और इस सिफारिश की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य विधि आयोग, राजस्थान जयपुर पर हुए व्यय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1992-93	12,67,500 रुपये
1993-94	16,84,630 रुपये
1994-95	20,03,010 रुपये

(18.3.95 तक)

वर्तमान में आयोग में 26 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

(1) आयोग को सौंपे जाने वाले कृत्य निम्नप्रकार से हैं :

उन विधियों को परिलक्षित करने की दृष्टि से—

(क) जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या जो किसी अन्य विधि के कथ्य को केवल दोहराती सी प्रतीत होती है।

(ख) जिनके उपलब्ध संघीय विधान मण्डल की विधियों में भी उपलब्ध है, या

(ग) जिनके प्रवर्तन से सामान्य नागरिक को कठिनाई होती है, राजस्व विधियों से भिन्न समस्त राजस्थान विधियों का पुनर्विलोकन करना और यह सुझाव देना कि क्या उनमें से किसी को भी निरस्त किया जा सकता है या उनमें कोई काटछांट की जा सकती है या उन्हें सरलीकृत या युक्तिसंगत बनाने या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढालने की दृष्टि से उनमें कोई संशोधन किया जा सकता है।

(2) उन विषयों का सुझाव देना जिन पर नयी विधियां बनायी जा सकती है, और.....

(विधि राज्य मंत्री)

(3) यह सिफारिश करना कि क्या अधीनस्थ विधान में भी किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन की आवश्यकता है।

(2) जी हां। राज्य विधि आयोग ने अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने हेतु अपने द्वितीय प्रतिवेदन में, राज्य सरकार से सिफारिश की है।

(3) राज्य विधि आयोग के उक्त प्रतिवेदन की प्रतियां पूर्व विधान सभा प्रश्न संख्या 2/विधि मंत्री/विधि/तारांकित द्वारा श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (193) के संदर्भ में राजस्थान विधान सभा की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(4) राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है व इन प्रतिवेदनों को परीक्षण जारी है।

मुन्सिफ न्यायालयों की स्थापना के मानदण्ड

37. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाड़नूं) : क्या विधि राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नया मुन्सिफ न्यायालय खोलने के लिए वर्क लोड का असेसमेंट किया जाता है? यदि हां, तो इसके लिए न्यूनतम वर्क लोड क्या होना चाहिए?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में जितने भी मुन्सिफ न्यायालय हैं उनमें न्यूनतम वर्क लोड से कम कार्यभार है?

उत्तर

(1) जी हां। नया मुंसिफ कोर्ट खोलने हेतु उस क्षेत्र के 1800 से 2000 वाद लम्बित होने चाहिए।

(2) जी नहीं।

टोडाभीम (सवाई माधोपुर) के पशुचिकित्सालय का क्रमोन्नयन

38. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा विगत 2 वित्तीय वर्षों में पशुओं की चिकित्सा हेतु दवाई एवं उपकरणों पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या सरकार टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विगत 2 वर्षों में पशुओं की चिकित्सा दवाई एवं उपकरणों पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	औषधी	उपकरण
1992-93	103.91 लाख रु.	80.63 लाख रु.
1993-94	110.08 लाख रु.	37.73 लाख रु.

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों को अभी क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं है।

(3) राज्य में इस वर्ष नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र, बेगूं के पशु चिकित्सालय

39. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या उन सभी पर पशु चिकित्सक उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो, किस-किस चिकित्सालय में विगत कितनी अवधि से चिकित्सकों के पद रिक्त हैं तथा सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का इरादा रखती है ?

(2) क्या सरकार ग्राम ठुकराई, जावदा, मण्डेसरा एवं रावड़दा में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) पिछले पांच वर्षों में बेगूं विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय खोले गये ? स्थान एवं खोलने की तिथि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बीराब और बड़ोदिया में पशु चिकित्सकों के पद कब तक सृजित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में 7 पशु चिकित्सालय हैं जिनमें पशु चिकित्सालय पारसोली में 11/92 से पशु चिकित्सालय, रावतभाटा में 6/94 से एवं पशु चिकित्सालय, चेची में 2/91 से पशु चिकित्सक के पद रिक्त थे। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर इन रिक्त पदों पर दिनांक 15-3-95 को पशु चिकित्सकों की नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(2) इस वर्ष राज्य में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है अतः ठुकराई, जावदा, मण्डेसरा एवं रावड़दा में पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

(3) गत पांच वर्षों में बेगू विधान सभा क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है।

(4) बडोदिया में पशु चिकित्सालय कार्यशील है, जहां पर पशु चिकित्सक का पद सृजित है। बोराब में पशु औषधालय स्वीकृत है जिसमें चिकित्सक का पद नहीं होता है।

सोजत व मारवाड़ जंक्शन (पाली) के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

40. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत तथा मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में कितने पशु चिकित्सालय तथा उप केन्द्र कार्यरत हैं ?

(2) इनमें कहाँ-कहाँ, कब-कब से कितने-कितने पद रिक्त पड़े हैं ? इन्हें भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पाली जिले की सोजत तथा मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में 10 पशु चिकित्सालय, 3 पशु औषधालय, 3 उपकेन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

(पशुपालन राज्य मंत्री)

सोजत			मारवाड़ जंक्शन		
पशु चिकि.	औषधालय	उपकेन्द्र	पशु चिकि.	औषधालय	उपकेन्द्र
1. सोजत	1. धाकड़ी	1. गिलायास	1. मारवाड़ जंकशन	1. देवली आडिवा	1. धाकली
2. कंटालिया	2. सरदारसमन्द		2. दूदोड़		2. जाडन
3. चंडावल			3. राणावास		
4. सियाट			4. जोजावर		
5. नयागांव					
6. बगड़ी					

(2) पाली जिले में सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में कार्यशील पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सालय, चंडावल में 5/94 से, पशु चिकित्सालय नयागांव में 3/94 से एवं पशु चिकित्सालय, सियाट में 8/94 से पशु चिकित्सकों के पद रिक्त थे। चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर इन रिक्त पदों पर दिनांक 15-3-95 को पशु चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। पशु औषधालय सरदारसमन्द में पशुधन सहायक का पद रिक्त है। अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा उत्पादों में मूल्य वृद्धि

41. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने अपने उत्पादों के मूल्य में गत तीन वर्षों में कितनी वृद्धि कब-कब की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारणों का विवरण भी सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है।

(2) फैडरेशन दूध उत्पादों के दर निर्धारण करते समय निम्न बातों पर विचार करती है :

1. उत्पादकों से खरीदे गये दूध के भाव।

2. बाजार में प्रचलित सहकारी संस्थाओं के उत्पादों के भाव।

3. बाजार में निजी कम्पनियों के दूध उत्पादनों के भाव।

4. फैडरेशन के उत्पादों एवं दूसरी संस्थाओं के उत्पादों में प्रतिस्पर्धा तथा फैडरेशन के पास उपब्ध उत्पादों की कुल मात्रा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उप कारागृह केन्द्र कुशलगढ़

42. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री फतेहसिंह)

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ स्थित उप कारागृह गांव के बीचों-बीच स्थित है जिससे गांव का विकास अवरुद्ध हो रहा है? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के हल के बारे में क्या विचार रखती है?

(2) कुशलगढ़ उप कारागृह में कितने बन्दी रखे जाने की स्वीकृति है तथा वर्तमान में कितने बन्दी रखे जा रहे हैं?

उत्तर

(1) यह सही है कि उप कारागृह कुशलगढ़, वर्तमान में आबादी में आ गया है। गांव के विकास के अवरूद्ध होने की जानकारी विभाग को नहीं है। दशमें वित्त आयोग को जो नये उप कारागृह भवन के निर्माण के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं उनमें कुशलगढ़ उप कारागृह के लिये नये भवन के निर्माण के लिए रु. 110 लाख की व्यय लागत के प्रस्ताव भी शुमार किये गये हैं। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हो जावेगी, आवश्यक कार्यवाही तदनुसार प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(2) उप कारागृह, कुशलगढ़ की बंदी क्षमता 30 है। वर्तमान में औसतन 45 से 55 बन्दी रखे जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। पहले शोकाभिव्यक्ति होगी।.....(व्यवधान)

प्रश्न काल में कोई इस प्रकार की बात नहीं है और शोकाभिव्यक्ति हो रही है। आप पहले शोकाभिव्यक्ति होने दीजिये........(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिये, अस्वीकार कर देना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय किस रूल के तहत स्पष्टीकरण दे रहे थे। क्या आपसे अनुमति ली? अगर अनुमति ली तो क्या आपने प्रोसिजरली उनको परमिशन दी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस इतना ही है? अनुमति ली है और उन्होंने अनुमति दी है।.......(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था और चाहता हूँ।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : आपने बोलने की अनुमति ली है क्या?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ली है। मेहरबानी करके, मैं बड़ी गम्भीरता से आपसे यह अर्ज कर रहा हूँ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूछा ही नहीं और वह खड़े हो गये। पहले इनको रूल पढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग दिलाओ। हर बार यह खड़े हो जाते हैं और पूरे सदन को एनासिन की जरूरत पड़ती है।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम यह पुराने माननीय सदस्य हैं।...(व्यवधान) जो भी रूल्स हैं वह पढ़ाने के लिये थोड़ा अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था करा दो वरना सारे हाउस को एनासिन की जरूरत पड़ती है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत शालीनता से आपसे पाइंट ऑफ आर्डर की रिक्वेस्ट की आपने इजाजत दी तब आप बोल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, कोई इजाजत नही दी। यह स्वयं तो बगैर इजाजत खड़े हो जाते हैं और दूसरों से...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : कोई इजाजत नहीं ली।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपसे इजाजत नहीं मांगी थी? ...(व्यवधान)

श्री शलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आसन ने व्यवस्था दी है उसके बाद ही बोलने के अधिकार मिले हैं उनको। भाटी साहब ने विधिवत् रूप से पाइंट ऑफ आर्डर पर आसन से मांग की है उस पर आपने अनुमति दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने मुझे पूछा कि एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ और क्योंकि उनके सम्बन्ध में बात आयी थी, वहां खड़े होकर उन्होंने पूछा और मैंने उनको कहा कि आप बोलें। इसलिए बात यहीं समाप्त होती है। शोकाभिव्यक्ति।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी :उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से अर्ज कर रहा हूँ, मेहरबानी करके मुख्य मंत्री जी को आप कहें जो भी सदस्य हैं, मुख्य मंत्री जी को भविष्य में किसी सदस्य को टोकना हो तो आपके माध्यम से टोकें और आप इनको टोकें। मेहरबानी करके इनको आप ताड़ना दीजिये। नहीं, मैं सीरीयसली कह रहा हूँ। यह कोई मजाक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कल जोशी जी की बात कर रहे थे, कल कन्डोलेंस के टाइम पर जोशीजी की बात कर रहे थे, पालीवाल साहब की कर रहे थे कि बहुत अच्छे नार्म्स सैट हुए हैं। यह कोई नार्म्स हैं? और मैं चाहता हूँ मैं भी भविष्य में, पूर्व में भी I have always talked through the Chair. और आप प्रोटेक्ट करिये मैम्बर्स को, यह कोई मजाक नहीं है, + + + नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, शोकाभिव्यक्ति होने दीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि माननीय सदस्य बहुत गम्भीरता से बोल रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप किसकी आज्ञा से बोल रहे हैं?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपकी आज्ञा से बोल रहा हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो स्पीकर रह चुके हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने आपकी आज्ञा ले ली है। ...(व्यवधान) आप नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं।

शोकाभिव्यक्ति

श्री हुकम सिंह, पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा के निधन पर

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री हुकम सिंह जी जो राजस्थान विधान सभा के 1967 से 72 और

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

72 से 77 तक सदस्य रहे हैं उनका देहावसान हो गया है।

श्री हुकम सिंह जी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानते होंगे कि वह बाड़मेर जिले की शिव तहसील में कोटड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। ग्रामीण क्षेत्र में रहकर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त की और उसके आधार पर उस क्षेत्र के वो सबसे ज्यादा एक प्रकार से राजस्थान का पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, विकास के लिये हमेशा वे चिन्तित रहे। विधान सभा में कई बार उस क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये। माननीय खेतसिंह जी के शायद क्लास फैलो थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मेरे से एक साल जूनियर थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जूनियर थे।..(व्यवधान)

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके साथ मैंने भी कई बार राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा का प्रवास किया था उनको सीमा क्षेत्र की जितनी जानकारी थी उस जानकारी के आधार पर तत्कालीन राज्य सरकार ने भी कई निर्णय लिये थे और निर्णय लेने के साथ ही सीमा पर चौकसी किस प्रकार से रखी जाए उस सम्बन्ध में व्यवस्था की थी।

आदमी बहुत ही मिलनसार थे, वकालत भी उन्होंने की थी। ऐसी स्थिति में उनका देहावसान हुआ, उस क्षेत्र में एक बड़ी जबरदस्त रिक्तता आयी है। राजस्थान में भी इस प्रकार के एक सीमा से परिचित व्यक्ति की रिक्तता उत्पन्न हुई है।

मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता हूँ और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वर्गीय हुकम सिंह जी के बारे में जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, हुकम सिंह जी बहुत ही मिलनसार और बहुत खुशमिजाज व्यक्ति थे। दो बार वह विधान सभा के सदस्य रहे। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अभी बतलाया है कि वह सीमा के उस क्षेत्र से थे जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। शिव तहसील शिव कांस्टीट्यूएंसी से वह दो बार आये और वहां पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, इसके बारे में समय-समय पर यहां विधान सभा में बोले, प्रश्न भी उठाये। उन्होंने 10 वर्ष के अन्दर जितना भी उनसे सम्भव हो सका उस क्षेत्र के उत्थान के लिये, उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये पूर्ण प्रयत्न किया।

श्री हुकम सिंह जी बी. ए., एल.एल. बी थे। उन्होंने वकालत भी की। आम तौर पर वह कोटड़ा में ही रहते थे। अभी पिछले महीने में ही उनका स्वर्गवास हो गया।

मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके

(श्री खेतसिंह राठौड़)

शोक संतप्त परिवार को यह दुःख झेलने की शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को चिर-शान्ति प्रदान हो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी और श्री खेतसिंह जी साहब ने स्वर्गीय हुकम सिंह के बारे में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।

गत 10 तारीख को बाड़मेर जिले के कोटड़ा गांव के रहने वाले श्री हुकम सिंह जी हमारे बीच में से हमेशा के लिये चले गये। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। उनका जीवन बहुत ही सादा जीवन था। वह एडवोकेट थे लेकिन हमेशा सिर पर पगड़ी और धोती पहनते थे बहुत ही सादा कुर्ता पहनते थे उन्होंने शिव तहसील के विकास के लिये हमेशा बहुत कार्य किया, हमेशा चिन्तित रहते थे

श्री हुकम सिंह जी हमेशा एक दूसरे से प्रेम रखते थे। आपस में किसी प्रकार से बाड़मेर जिले में और आसपास में कोई झगड़े हो जाते थे तो उनको अदालत में नहीं जाने की सलाह देकर वहीं आपस में प्रेम से निपटारा कराते थे।

मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को इस प्रकार का दुःख सहन करने की, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति दें। मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन के माननीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता और अन्य दलों के माननीय विधायकों ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं भी उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए भारी दिल से इसमें शामिल होता हूँ। श्री हुकमसिंह जी एक अच्छे विधायक रहे जैसा कि आप सभी ने बताया है। कोटड़ा, शिव तहसील में बाड़मेर जिले में हैं वहां के वे बिराजने वाले थे। वहां वह जन्मे। सन् 1924 में उनका वहां जन्म हुआ। लॉ तक की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात् सन् 1970 से 72 तक और 72 से 77 तक पांचवीं विधान सभा के आप सदस्य रहे।

कांग्रेस पार्टी के साथ आपका गहन सम्बन्ध था। काफी काम आपने कांग्रेस पार्टी में किया। विधान सभा के दिनों में विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। सन् 1959 से 65 तक, 82 से 85 तक पंचायत समिति शिव के प्रधान भी रहे। कृषि कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि थी।

श्री हुकम सिंह जी 11 मार्च, 1995 को दिवंगत हुए।

मैं दिवंगत नेता को अपनी ओर से इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को उनका विछोह सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट तक खड़े होकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्ति की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है श्री शांति कुमार जी धारीवाल और अन्य.....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : शांति कुमारी नहीं, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं कहा कुमारी कभी। अब आप कांग्रेस के सदस्य एक दूसरे में कुमार कुमारी करना चाहें तो बात अलग है। मैंने कुमार ही कहा है। श्री शांति कुमार जी धारीवाल ; 'जी' को आपने 'ई' सुन लिया हो तो बात अलग है।

(1) श्री शांति कुमार जी धारीवाल एवं 57 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील मांगरोल जिला बारां के तहसीलदार के कथित भ्रष्टाचार में लिप्त होने तथा काश्तकारों को टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत गलत नोटिसेज जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री विष्णु मोदी सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के भीलवाड़ा, बारां, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी आदि जिलों में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय ले लिया जाएगा।

माननीय सात सदस्यों की ओर से धारा 295 के तहत नोटिसेज प्राप्त हुए हैं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अटरु क्षेत्र के अनेक गांवों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एक पोल के कृषि कनेक्शनों में की गयी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के कस्बे एवं ग्रामीण अंचलों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री शिविकशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से देवस्थान विभाग के पूजा स्थलों में भोग तथा सेवा पूजा के लिये समुचित व्यवस्था करने एवं पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर के मुख्य चिकित्सालय में सी. टी. स्केन मशीन स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में करवाये जा रहे निर्माण कार्यों के अधूरे रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत माह राज्य में ओलावृष्टि से किसानों की फसल के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(7) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के बी. एड. शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री रामनारायण जी मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : जीरो आवर का क्या होगा? इतना महत्त्वपूर्ण घण्टा है, जीरो आवर।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा काल अटेंशन मोशन था ओलावृष्टि के सम्बन्ध में।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शून्यकाल में एक आवश्यक सूचना देने के लिये आपसे स्वीकृति मांगी है और बड़ा गम्भीर विषय है, परसों से लोग भूखे हैं इसलिए उसके बारे में मेरे को अभी बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : शून्यकाल में बोलने की जो मैंने आपसे अनुमति मांगी है उसका क्या हुआ?

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : पाइंट ऑफ ऑर्डर जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से सम्बन्धित है रूल 157 उसके अन्तर्गत मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। प्रश्नकाल के पश्चात् और आज के हाउस के बिजनेस के टेक अप करने से पहले ही यह बिन्दु उठाया जा सकता है। मैंने और एक अन्य माननीय सदस्य ने आज 10 बजकर 30 मिनट पर आपको एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन दिया है राजस्थान सरकार के विरुद्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, उस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रश्न को मैं इस वक्त उठाना चाहूंगा क्योंकि इस सदन की अवमानना हुई है और इस सदन की गरिमा और अथोरिटी में कमी आयी है इसलिए मैं आज्ञा चाहता हूँ कि आप उस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को मूव करने की आज्ञा देवें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसकी जानकारी करायी जा रही है और सरकार से भी इसकी पूरी जानकारी मांग ली जाएगी। उसके पश्चात् जो भी होगा देख लेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्रावधान नहीं है सरकार से जानकारी प्राप्त करने का सरकार से जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सरकार से इस बात की जानकारी तो लेनी पड़ेगी कि........

श्री लक्ष्मण सिंह : सरकार से जानकारी किस नियम के अन्तर्गत लेंगे आप? कौनसे नियम के अन्तर्गत सरकार से जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : पहले हम जांच कर रहे हैं इसके बाद उनसे जानकारी लेंगे और अगर उसमें कुछ तथ्य होगा तो जरूर उसमें कार्यवाही होगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : नियम 159 के अनुसार सरकार दो........

श्री उपाध्यक्ष : हमारे यहां इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद सरकार से जरूरत होगी तो हम उसे पूछ लेंगे, तथ्यात्मक जानकारी ले लेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : नियम 159 के अनुसार सिर्फ दो कंडीशन आवश्यक हैं। मैंने दोनों कंडीशंस फुलफिल की हैं। दो कंडीशंस हैं रूल 159 में। पहली है, The question shall be restricted to a specific matter अभी स्पेसिफिक मैटर है रीसेन्ट आकरेंस का और दूसरा The matter requires the intervention of the House.

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर बात है, सदन की अवमानना हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जयपुर के दंगों के पश्चात् 15 मार्च, 1991 को यहां पर एक घोषणा की थी और उसके अनुरूप टिबरेवाल आयोग का गठन 21 अप्रेल को किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें एक मिनट।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा गया और टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट को न ही पब्लिक में विक्रय किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। मैं खड़ा होकर के बात कह रहा हूँ.......(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : एक पत्र विशेष राजस्थान पत्रिका को ही देकर के न केवल सरका ने इस सदन की अवमानना की है बल्कि पूरे समाचार जगत का अपमान किया है, सभी दूसरे समाचार पत्रों का अपमान किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम यह जानना चाहेंगे कि सदन के आहूत होने के पश्चात् में जबकि यह सदन का अधिकार था........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह : सदन के आहूत होने के पश्चात् इस रिपोर्ट को टेबल क्यों नहीं किया गया? रिपोर्ट टेबल होने से पहले ही मुख्य मंत्री जी ने और सरकार ने इस रिपोर्ट को एक पत्र विशेष को क्यों लीक किया? इसलिए यह सदन की अवमानना है, यह सदन की अथोरिटी है कि सदन के अंदर उस रिपोर्ट को टेबल किया जाता, उस पर डिस्कशन किया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप 10.40 पर मेरे पास आये, आपने मुझे जानकारी दी या कोई पत्र दिया और इसमें अखबार की कटिंग भी है मेरे पास से........

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइंट ऑफ ऑर्डर है, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। पाइंट ऑफ ऑर्डर पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप सरकार की तरफ से कह रहे हैं, सरकार का रिप्लाई है यह, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का रिप्लाई है यह।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने पाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है और यह प्योरली लीगल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक अध्यक्ष महोदय की कंसेंट नहीं होगी तब तक आपको इस पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और उपाध्यक्ष महोदय कंसेंट देने से पहले जो भी जानकारी करना चाहें जांच करना चाहें, समझना चाहें, इतना समय इनको मिलना चाहिये। आज आपने पेश किया है। अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको कंसेंट दी नहीं है और वह उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में यदि इसको प्रस्तुत करने की कंसेंट देंगे तो निश्चित रूप से आपको बोलने का मौका मिलेगा। आज बिना कंसेंट के बोलना यह नियमों के प्रावधानों के विपरीत है (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता हूँ........

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इसकी कंसेंट लेना चाहें तो रूल 161 में प्रावधान है कि आप 10 सदस्यों से इसकी कंसेंट ले सकते हैं। अगर इस मोशन के पक्ष में 10 सदस्य उठते हैं तो इसके पक्ष में डिस्कशन हो सकता है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह व्यवस्था देना चाहते हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको सुन करके मैं यह कहना चाह रहा हूँ (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये तो सही। आप मेरे पास आयें। मैंने जानकारी करने के लिये, इसका विश्लेषण करने के लिये विभाग में भेजा। उसके बाद में सरकार से कोई जरूरत होगी तो जानकारी मांग लेंगे। माननीय सदस्य, यदि इस प्रकार की बात उठाते हैं तो अध्यक्ष जब तक विशेषाधिकार प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार न कर ले तब तक उस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है This is fact. आप पुराने माननीय सदस्य हैं, पूरी जानकारी तो हमको करने दीजिये। 10 मिनट ही नहीं हुए और आप उसमें सारी जानकारी चाह रहे हैं। हमारे यहां जांच हो जाएगी, उसके बाद कोई जरूरत पड़ेगी तो उसकी पूरी सरकार से व्यवस्था मांग लेंगे। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पाइण्ट ऑफ मार्डर पर निवेदन है कि (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप पूरी जानकारी क्या करेंगे ? आप जानकारी क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हमारे यहां तो हम अध्ययन करेंगे कि नहीं ? बिना अध्ययन के कुछ बुलवाना चाहते हैं आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय ने जिस शैली से बात की है वह शायद भूल गये कि वह इस कुर्सी पर नहीं, वहां बैठते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप स्वयं इस बात को भूलना नहीं चाहते हैं और बदला निकालना चाहते हैं मेरे से, वह भी निकाल लीजिये, कोई चिन्ता नहीं है। मैंने आपको वहाँ से बैठकर जो व्यवस्थाएँ दी हैं वह आपके हजम नहीं हुई और

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आप उसका बदला निकालना चाहें तो Im am prepared for that. I am prepared for that.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये कहा। उनको तो कहा ही नहीं है। वे नियमों को तुरन्त भूल गये जिन्होंने वहाँ से व्याख्या की। अब इग्नोरेंस में आ गये......

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपको भी नहीं कहा।

श्री जगदीप धनखड़ : खैर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत अहम् मुद्दा है। माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया उसे यदि, उपाध्यक्ष महोदय, आप नियमों को देखेंगे, माननीय सदस्य ने एक डाकूमेंट आपके समक्ष रखा है और उस डाकूमेंट के अध्ययन के लिये उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यानि आप रूलिंग को चैलेन्ज कर रहे हैं क्या?

श्री जगदीप धनखड़ : रूलिंग कहां हुई है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गयी।

श्री जगदीप धनखड़ : भाभड़ा जी ने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गयी। आप चैलेन्ज कर रहे हैं क्या उसको?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं डिस्कशन हुआ है रुलिंग कहां हुई है? रुलिंग नहीं हुई है अभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रुलिंग हो गयी आप चैलेन्ज कर रहे हैं क्या?

श्री जगदीप धनखड़ : मैं अनुरोध करुँगा, मुख्य मंत्री महोदय और उप मुख्य मंत्री महोदय, रुलिंग नहीं दी।

श्री लक्ष्मण सिंह : अपनी रुलिंग को रि कंसीडर कर सकते हैं। रि-कंसीडर कर सकते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब इस समाचार पत्र में.....

श्री उपाध्यक्ष : 8 मई, 1965 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विधान सभा में यह रुलिंग दी है, कि अध्यक्ष : जब तक विशेषाधिकार प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार न कर लें तब तक उसकी सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर-पश्चिम) : पहले आपने सिर्फ़ प्रावधान पढ़े थे; रुलिंग नहीं दी थी। रुलिंग अभी दी है आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने पढ़कर सुनाया है आपको। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके आप मेरी बात को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पढ़ करके बकायदा आपको स्पेसिफिकली सुनाया है और कुछ माननीय सदस्यों ने नहीं सुना है तो उसका तो कोई मतलब नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को तो सुनलें और सुनकर आप मेरी बात का निर्णय कर दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब मैंने राजस्थान के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में खबर पढ़ी तो मैंने राजस्थान के गृह विभाग को टेलीफोन किया। गृह आयुक्त......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मतलब हुआ इसका ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये मैंने सरकार के स्पेशल सैक्रेटरी से निवेदन किया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : लगातार एक अखबार में खबरें आ रही हैं, वन साइडेड वर्शन आ रहा है। राज्य की जनता के साथ तो खिलवाड़ किया गया। माननीय सदस्य ने डाकूमेंट दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस डाकूमेंट के अध्ययन की कहां आवश्यकता पड़ गयी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब लगातार यह बात सामने आ रही है, एक महत्वपूर्ण कमीशन के बारे में लिखा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर माननीय सदस्य ने जो डाकूमेंट आपके सामने रख दिया और आपके हिसाब से 10.40 पर रख दिया, कितना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोमेंटस इश्यू है वह, मैं समझता हूँ, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, इसको नजरन्दाज कर ही नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप, हो गया। बहुत हो गया, कृपया बिराजिये आप। पूरा भाषण छप जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा निवेदन है कि इस बारे में आपकी रुलिंग क्या है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दी है। इस सदन में अध्यक्षजी ने सन् 1965 में।

श्री जगदीप धनखड़ : यह तो पुरानी व्यवस्था है, आपकी क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी है और उन्होंने यह रुलिंग कायम की है कि जब तक अध्यक्ष उसको देख नहीं ले तब तक उस पर निर्णय नहीं ले सकेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : आप इस मामले में व्यवस्था दीजिये। वह तो पुरानी व्यवस्था है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप कब तक इसके ऊपर चर्चा करने की आज्ञा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं उसके बाद में सरकार से कोई जानकारी जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे और उसके बाद जो भी व्यवस्था होगी वह दूँगा।

श्री जगदीप धनखड़ : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिये सरकार से जानकारी की क्या आवश्यकता है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक नयी परम्परा कायम कर रहे हैं कि.....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इसको लम्बा करना चाहें तो बात दूसरी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पर निर्णय आपको लेना है और सरकार से जानकारी की बात कर रहे हैं (व्यवधान) आपको अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर और अनुभव के आधार पर निर्णय लेना है और आप सरकार की तरफ देख रहे हैं। सरकार का इसमें क्या लेना देना है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार से जानकारी लेंगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आगे चलें। माननीय सदस्य (व्यवधान) श्रीमान् हरिसिंहजी। अब हरिसिंहजी को बोलने दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइंट ऑफ आर्डर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेज 798, शकधर से कोट कर रहा हूँ—

"The point of order when raised has the affect of suspending the proceedings of the House, which are presented before the House, it can be raised only in relation to the business before the House at the moment; the term 'business before the House' means business included in the list of business etc. However, the Speaker may permit it to be raised during the interval. It means the termination of one items of business and the commencements of another."

दो तीन पंक्तियों के बाद में—

"Thus a point of order may be raised during the interval."

जो कि सदस्यों ने उठाया No one but the Speaker can intervene about any matter of a point of order. No member can intervene. No member can even suggest to the Speaker that the point of order is a right or wrong.

एक माननीय सदस्य : कहां है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप पढ़िये ना। मैं कह रहा हूँ आप मंगवाओ ना शकधर की बुक 798 से पढ़कर बता रहा हूँ। पढ़कर बताया है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : कहां से पढ़ रहे है आप ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा रखने के लिये अगर मैं भी किसी पाइण्ट ऑफ आर्डर में इंटरवीन करूँ तो आप मुझे भी अलाउ न करें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये मै धनखड़जी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय अब नहीं समझ रहे हैं कि अब वह उप मुख्य मंत्री हैं और मेहरबानी करके इस सदन की गरिमा रखें। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पाइण्ट ऑफ आर्डर जब

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

उठाया जाता है तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उस पर चाहे जितने मैम्बर्स के विचार सुन लें। मेरी समझ में नहीं आया कि भाटीजी कौन से कायदे, किस कानून की बात कर रहे हैं। यह एस्टेब्लिशड परम्परा है कि जब भी अध्यक्ष चाहे, कोई भी पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज करता है तो उस पर अन्य कोई सदस्य भी बात करना चाहे तो अध्यक्ष महोदय सबको सुन करके अपनी व्यवस्था दे सकते हैं या डायरेक्ट दे सकते हैं (व्यवधान) अब मेरी बात सुन लें। प्लीज, मेरी बात सुन लीजिये......

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर उप मुख्य मंत्री महोदय चाहते हैं कि पाइण्ट ऑफ आर्डर के बारे में

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप मेरा नाम ले रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जैसा आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि आपकी इजाजत से जितने भी सदस्य उसमें पार्टिसिपेंट करना चाहें उनको इजाजत देने का अधिकार उपाध्यक्ष को है। यह कोई परम्परा नहीं है कि पाइण्ट ऑफ आर्डर पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की इजाजत से.....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, श्रीमानजी अब कहां से बोल रहे हो, तो उपाध्यक्षजी आपकी इजाजत से यह 7-8 पेज पूरे ही पढ़ दिये जाएं...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कोई इसमें इंटरविन नहीं कर सकते, यह गलत है। यह व्यवस्था कहीं नहीं है। व्यवस्था तो यह है कि अध्यक्ष चाहें या उपाध्यक्ष चाहें तो कितने ही मैम्बर्स से उस पाइण्ट ऑफ आर्डर पर उनके विचार लेकर फिर अपनी व्यवस्था दें। यह संसदीय परम्परा है। यह कौनसा कानून आप बता रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ लेकिन यह न सोचें कि दूसरे सदस्यों को यहाँ की प्रोसिडिंग्स के बारे में कोई पता न हो और अगर आपने अनुमति दी है तो पाइण्ट आपॅफ आर्डर पर आज पूरा ही डिस्कशन हो जाए। (व्यवधान)

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : माननीय भाटीजी, कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं? पाइण्ट ऑफ आर्डर पर यह खुद कहते हैं कि कोई दूसरा आदमी पार्टीसिपेट नहीं कर सकता तो यह स्वयं किस नियम के तहत बोल रहे हैं? पाइण्ट ऑफ आर्डर के अन्दर नया पाइण्ट ऑफ आर्डर आ नहीं सकता तो स्वयं किस नियम के तहत बोल रहे हैं? यह बतायें, माननीय भाटीजी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय मैं भाटी साहब के विचार से सहमत हूँ कि दूसरे किसी भी माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिए और सदन में आज से यह नियम लागू कर दिया जाए कि जो माननीय सदस्य पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाये, आसन उससे जानकारी कर ले और वे ही उस पर बोलें। इसका स्ट्रिक्टली पालन अगर आप करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनख़ड़ (किशनगढ़) : आप किस आधार पर बोल रहे हैं, आप आपत्ति लिख कर दे सकते हैं। सदन के नेता बोलेंगे, लेकिन हमारी तरफ से (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : यह विचार है।

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत (मुख्य मंत्री) : आप एक काम करिये भाटी साहब की बात को आप स्वीकार करते हैं तो मैं भी करता हूँ बोलों।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब स्वीकार है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनख़ड़ : सदन के नेताजी ने जो बात कही।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, नम्बर एक। लेकिन मैं आज यह पाइण्ट ऑफ आर्डर (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मान लें और आप समझौता कर लें, ऐसा करते रहें, वैसा करते रहें, जो प्रावधान है और उसके संदर्भ में जो आपके पूर्व के अध्यक्ष साहिबान ने जो अपने फैसले दिये हैं, व्यवस्थाएं दी हैं, वे लागू होंगी। कोई एक मैम्बर दूसरे मैम्बर से बातचीत करके, हाँ, ठीक है, आज से अपने ऐसा कर लेते हैं, यह कोई बात थोड़े ही होती है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : ऐसा थोड़े ही होता है। बिल्कुल सही बात है।

श्री किशन मोटवानी : ऐसा नहीं होगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी भी बात सुन लीजिये (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो रेज किया है भाटी साहब ने, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। रूल 294(4) का जो आपने हवाला दिया है, आपके माध्यम से मैं भाटी साहब को यह बताना चाहता हूँ, No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit hear members before giving his decision.

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ये बीच में दखल कैसे दे रहे हैं? किस कानून के तहत, किस रूल के तहत बोल रहे हैं यहाँ परी आपने (व्यवधान) वी.पी. सिंह जी बार बार खड़े हो जाते हैं, उनको बैठा दीजिऐ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय हरिसिंहजी/पाइण्ट ऑफ आर्डर हो गया है, काफी डिस्कशन हो गया है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : सीधा हिसाब है कि आपने डिस्कशन की बात की है। मैम्बर बोलता है, उसके ऊपर डिस्कशन करके डिसाइड करने में प्राब्लम क्या हो गयी? और उसके साथ में एक और चीज भाटी साहब भूल जाते हैं कि पाइण्ट ऑफ आर्डर पर पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज नहीं होता है। यह भी आप भूल गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : It is there in Rule 294.

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी आप फरमायें। हाँ, हो गया। भाटी साहब, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है, मैं इसलिए यह (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि जब एक बार बात शुरू हो जाती है, उस बिजनेस के सम्बन्ध में पाइण्ट ऑफ आर्डर आया करता है और पिछली बातों पर पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पाइण्ट ऑफ आर्डर सुना देता हूँ। 294 (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनाइये, आपने (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : I have called upon to read 295. अब इसके सम्बन्ध में कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर आता है, तो उसको आप अलाउ करिये अन्यथा कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर अलाउ नहीं किया जाएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295, हरिसिंहजी, आप फरमाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कभी नहीं दी आपको अनुमति।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने दी थी, बिलकुल दी थी। तभी मैंने शकधर से पढ़ा। आप पढ़ लीजिये प्रोसिडिंग्स (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा राइट है, यह मेरा अधिकार है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, आप अपनी मर्ज़ी से बोले जा रहे हो। भाभड़ा साहब से मैंने जरूर कहा था कि आप बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब हुआ कि आपने परमिशन नहीं दी। आपने बिलकुल दी है, प्रोसिडिंग्स देख लीजिये। यह मेरा प्रीविलेज है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं-नहीं, मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजना नहीं चाहें और आप कुछ भी कहना चाहें तो मेरे हाथ की बात तो है नहीं।

श्री नरेन्द सिंह भाटी : This is my right Hon'ble Deputy Speaker Sir. I want to cooperate with you.

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पाइण्ट ऑफ

(श्री देवीसिंह भाटी)

आर्डर के ऊपर पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज नहीं किया जा सकता। हर बार यह कोई न कोई ऐसा इश्यू लेकर खड़े हो जाते हैं और अभी जैसे आपने फरमाया, माननीय श्रीमती कमला जी बोल रही थीं उस समय कहा और कोई भी आपके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ एक भी समर्थन देने के लिए और अब हालत तो यह है कि अब पीठ पूरी खाली है और फिर भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे सदन का समय जाया नहीं करें कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने सीरियस होकर के हाउस में स्पष्ट कहा है कि ऐसा कीमती समय बगैर मुद्दों की बातों के ऊपर नहीं दिया जाए और जो इश्यूज हैं वे उठाये जाएं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भाटी साहब, बिराजिये आप। सब लोग अपने-अपने हिसाब से बोल रहे हैं। आप बिराजिये। माननीय हरिसिंह ही।

श्री रामस्वरूप : बगैर अनुमति बोलने के लिये आप इधर तो रोकते हैं, उधर रोकते नहीं, क्या कारण है ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं विधिवत् आपके पास (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है। जो बिजनेस सामने है उसी के हिसाब से बात की जाएगा और यहां पर उस समय कोई बिजनेस इस प्रकार का नहीं था इसलिए मैं आपकी इस बात को मानने में असमर्थ हूँ। आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये, कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है। बार-बार क्या पाइण्ट ऑफ आर्डर है। आखिर हाउस नहीं चलाना चाहते हो तो करना क्या चाहते हैं आप ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय यह बिजनेस से रिलेटेड पाइंट ऑफ आर्डर है। जैसा आपने फरमाया (व्यवधान) मेरा अलग से पाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही आपको सुना चुका हूँ। मैं 1965 की रूलिंग सुना चुका हूँ कि जब तक अध्ययन नहीं कर लिया जाएगा तब तक कोई बात नहीं कही जाएगी। जब एक रूलिंग हमने दे दी है उसके बाद बार-बार आप एक ही बात कहे जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माफ कीजियेगा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस हाउस को चेयर चलाये, इस हाउस को मैम्बर्स नहीं चलायें, इस हाउस को उप मुख्य मंत्रीजी नहीं चलायें, मैं यह चाहता हूँ इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : न तो उप मुख्य मंत्रीजी चला रहे हैं और न और कोई चला रहा है, मुझे तो लगता है, भाटी साहब, आप ही चला रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मुझे तो बड़ी खुशी होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : 295 श्री हरिसिंहजी। वी.पी. सिंह जी, आप बिराजिये, बहुत हो गया (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पहले उनको बैठा दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर ख़ान : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : अब बहुत हो गया, बिराजिये आप सब। (व्यवधान) कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं है, बिराजिये आप।

श्री जुबेर ख़ान (रामगढ़) : आप आसन पर होते हैं, पिछली बार जब आदरणीय भाभड़ाजी अध्यक्ष महोदय थे, तब भी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की थी, आज इस हाउस की गरिमा किस तरह से गिराई जा रही है पिछली बार जब आज की तरह उप मुख्य मंत्रीजी यहाँ बैठे थे हम लोगों ने यह पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाया था कि आसन जब पैरों पर होता है, ऑफिसर्स गैलरी से उठकर जाते रहते हैं और यहाँ तक दुःख की बात है कि आसन कल शोकाभिव्यक्ति पढ़ रहे थे तो उपाध्यक्ष महोदय वहां से घूमकर खड़े होकर यहाँ आकर बात करके जा रहे थे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप यह व्यवस्था दीजिये कि आसन जब कभी पैरों पर हो, ना कोई माननीय सदस्य, ना कोई अधिकारी, ना कोई भी टहल कर जाएगा। मेरा निवेदन है कि आसन से बड़ा कोई नहीं है। आज यह नहीं है कि आप अध्यक्षता कर रहे हैं तो आसन कमजोर हो गया। आसन आसन है इस पर चाहे कोई भी व्यक्ति बैठे। यह व्यवस्था दीजिये कि आसन जब भी पैरों पर होगा तब ना कोई अधिकारी और ना कोई माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर जाऐगा और न अन्दर आयेगा। यह आप व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन तो बहुत सीरियस है, आप कमजोर मत करिये। (व्यवधान) हरिसिंह जी। हरिसिंहजी बोलने दीजिऐ उनको। बिराजिये अब, बहुत हो गया। बिराजिये आप।

श्री जुबेर ख़ान : इस पर व्यवस्था दीजिये आप1

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्षजी, एक बहुत अहम् मुद्दा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295, श्री हरिसिंह जी

श्री भवंर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक माननीय सदस्य, जिनके नीचे स्प्रिगें लगी हुई हैं, बार-बार उठकर के बेतुकी बातें करके सदन का समय खराब कर रहे हैं, कृपया इनसे कहें कि ये शान्त रहें। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय का भी आदेश नहीं माना इन लोगों ने।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत अहम् मुद्दा है, कल जब शोकाभिव्यक्ति हो रही थी, उप मुख्य मंत्रीजी पीछे वाली सीट से आये, यहाँ प्रतिपक्ष के नेता से बात की और बात करके वापस गये। दोनों ही परिस्थितियों के अन्दर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए था। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विधिवत् आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे शून्यकाल शुरू होते ही बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में आग

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

लगने से 200 आदमी परसों शाम से खुले आसमान के नीचे भूखे पड़े हैं, उनकी तुरन्त नेचर की समस्या है। आपने इसकी मुझे स्वीकृति क्यों नहीं दी? मैंने आपको लिखकर अभी विधिवत् भेजा था। नहीं, मुझे पहले बोलने की स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी? यह तुरन्त कार्यवाही का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी बोल जाएं उसके बाद में देख लेना। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मुद्दा है वह इनके पहले उठाया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : 295 तो होने दीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार आपने मुझे कॉल कर लिया....

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो होने दीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उसके बाद आप टाइम दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों समय जाया कर रहे हैं सदन का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान) बाद में चिट्ठी आती रहेगी कि मेरे को भी मौका दो, मेरे को भी मौका दो तो देंगे, इसमें क्या हो गया?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जैसा आप चाहें व्यवस्था दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : पर एक बार 295 तो पूरे लेने दीज़िऐ आप।

श्रीमती कमला : यह तो कायदा है, पहले उनको मौका मिलेगा फिर इनको मिलेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : 295 बाद में आयेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा कायदा है यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस कौन चला रहा है? ये चला रहे हैं क्या?

श्री जगदीप धनखड़ : हाउस भाभड़ाजी चला रहे हैं (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह तो कायदा बना हुआ है। जीरो आवर में बोलने के लिऐ जो अपना नाम देते हैं पहले उनको मौका मिलता है उसके बाद में 295 आता है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप फरमाऐं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

कुम्हेर के कस्बे एवं ग्रामीण अंचलों में पेयजल समस्या

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलंबनीय लोक महत्व का विषय सदन की जानकारी हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में कुम्हेर कस्बे एवं ग्रामीण अंचलों में पेयजल का भारी संकट पैदा हो गया। कुओं का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण तथा पोखरों का पानी सूख जाने के फलस्वरूप आदमियों एवं पशुओं दोनों को ही पेयजल अप्राप्य हो रहा है। भरतपुर फीड़र, जिसके पानी से पोखरें भर जाती हैं और कुओं का जल स्तर सुधर जाता है, में पानी नहीं आया है। पेयजल की व्यवस्था में सुधार हेतु जो योजनाऐं आवश्यक हैं उनकी स्वीकृति भी अभी तक अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई है जिससे उन पर कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब हो रहा है। एक नहीं अनेक ग्राम ऐसे हैं, जिनमें गत वर्ष टैंकरों से पानी पहुँचाया गया था तथा मवेशियों

(श्री हरिसिंह)

हेतु प्याऊ लगाई गयी थी। इस वर्ष गत वर्ष से भी अधिक समस्या गहरा जावेगी और समय रहते व्यवस्था नहीं की गयी तो क्षेत्र में अशांति फैलेगी तथा जन-धन की हानि की भी संभावना है।

नंगला, भाट, धानोता, गढ़ीजालिम सिंह, नंगला रावजी, कक्कल पुरा, मूड़ोता, ततामड़, अड्डा, टहरकी, धोर, मूरौली, कुरवारा, लांकी, बरताई, जया, रीठोटी, तालखरा, गुनसारा, अजान, समन, खान, इन्दु, सैंथरी, रामनगर, पिछुमर, पीढ़ी, किसनपुरा, सुनारी, उबार, सौगर, पढ़ौला, रूंध भटावली, रूंध हेलक, रूंध सकीतरा, बोरई, हेलक, आदि ऐरो अनेक गाँव हैं जहाँ पेयजल का नितान्त अभाव है। राज्य सरकार को इन गांवों में पेयजल की व्यवस्था हेतु शीघ्र ही योजनाएं स्वीकार करने पर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु या तो यमुना जल पर अथवा चम्बल के जल पर आधारित योजना स्वीकार कर उस पर कार्यवाही सरकार को करना नितान्त ही आवश्यक है। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य।

श्रीमती इंदिरा मायाराम (सांगानेर) : मैंने आप से कहा था, पहले आप मुझे बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जरूर बुलायेंगे।

श्रीमती इंदिरा मायाराम :नहीं जो समस्याएं होती हैं, जीरो आवर में उनको पहले बोलने दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : यह कौनसी प्रक्रिया है ?

श्रीमती इंदिरा मायाराम :प्रक्रिया अभी आपको कमलाजी ने बतायी थी। पहले हमारी समस्या को लिया जाए। आप स्वस्थ परम्परा को तोड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप के बाद...

श्रीमती इंदिरा मायाराम :नहीं, इसके पहले कहा, हरिसिंहजी के बाद आप बोल लेना, अब अपनी बात को बदल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप बोलने के बाद दुबारा अपनी बात से पलट रहे हैं, यह नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : शिवकिशोरजी के बाद बोल लेना।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोला, हरिसिंहजी के बाद आप बोलेंगी (व्यवधान) अब मैं बोलूँगी क्योंकि आपे मुझे पहले कहा क्यों (व्यवधान) आपने कहा, हरिसिंहजी के बाद बोलेंगी आप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको टाइम दिया जाए। महिला हैं, कम से कम इनका तो विशेष ख्याल रखो आप। इन्होंने जब समय मांगा है तो.....

श्रीमती इंदिरा मायाराम : नहीं, आपने स्वयं ने कहा है कि इसके बाद आप बोलेंगी और इसलिए मुझे बोलने की स्वीकृति दी जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है।

श्रीमती इंदिरा मायाराम :देखिये, पहले आपने कहा कि नहीं अभी नहीं आप हरिसिंह जी के बाद बोलेंगी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा फर्क पड़ने वाला है।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : आपने कहा है इसलिए मुझे बोलने की स्वीकृति दी जाए (व्यवधान) आप मुझे स्वीकृति प्रदान करें, पहले मुझे सुनें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरिसिंहजी ने 295 के जरिये पेयजल की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि आपके इलाके में पानी का संकट अवश्य है। मैं आपसे यह निवेदनल करूँगा कि या तो अभी या विधान सभा के बीच में आप एक बार मेरे साथ परामर्श करें कि इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अभी एक बोर किया है उससे पानी निकला नहीं इसलिए आप मुझसे मिल लीजिये। अभी अगर आप मिलने चाहें तो मिल लीजिऐ। (व्यवधान) यह उनके और मेरे बीच की बात है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने लीपापोती कर जवाब दिया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आप समय जाया नहीं करें, काफी लोगों को बोलना है अभी (व्यवधान)

श्री जगदीप धनख़ड़ : दो नम्बर से तीन नम्बर कर दिया आपको तो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कुछ नहीं करते हो, आपने कुछ नहीं किया आज तक। सब ही को लड़के ही लड़के दिये हैं और कोई काम नहीं किया आपने।

श्री जगदीप धनख़ड़ : आप तो उप मुख्यमंत्री बन जाइये तब जाकर कुछ कर पाओगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप बिराजो, हो गया बहुत। माननीय शिवकिशोर जी।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : अब इनके बाद आप बोल लेना।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मुझे आपने पहले यह आश्वासन दिया था यहाँ पर हरिसिंहजी के बाद मैं बोलूँगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इसको यों ही बिना काम प्रेस्टीज इश्यू बना रही हैं।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : नहीं हरिसिंह जी के बाद, आपके कहे अनुसार......

श्री रामस्वरूप : इनके पहले बोलने से क्या फर्क पड़ता है? यह बोल लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? महिला हैं, महिला को पहले दे दो आप।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : नहीं महिला और पुरुष का सवाल नहीं है, आपने कहा था कि हरिसिंजी के बाद आप बोलेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप बोल लीजिये। (व्यवधान) शिवकिशोर जी, बिराजिये आप। आप बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती इंदिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करुँगी कि आप अगर यहाँ बैठ कर स्वस्थ परम्परा डालेंगे तो हम लोग भी कुछ सीखेंगे। आपने स्वयं हरिसिंहजी के बाद मुझे बोलने के लिए कहा।

श्री उपाध्यक्ष : अब कह दिया न आपको भाषण क्यों कर रही हो, आप अपनी बात पर आइये।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : मैं बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ। इसलिए उसके बाद आप मुझे बोलने की स्वीकृति देते तो ज्यादा अच्छा रहता।

मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र की सांगानेर तहसील की ठिकरिया पंचायत में परसों दिन में 3 बजे मीणाओं की ढाणी में आग लग गयी और वहाँ पर सारे घर जल कर खाक हो गये। वहाँ पर 150-200 आदमियों के साथ 3 बच्चे भी इसमें जल गये। दो भैंसे, एक बकरी भी जल गयीं। इतना नुकसान हो गया उसके बाद भी वहाँ पर अभी तक कोई सहायता नहीं दी गयी है। जब आग लगी थी उस वक्त वहाँ के आस-पास के दो लड़के मोटर साइकिल पर भाग कर बगरू गये। बगरू में बिजली विभाग के जो इन्जीनियर थे वे शराब पीकर बैठे हुए थे और उनसे कहा गया कि हमारे यहाँ बिजली दे दो तो हम पानी से आग बुझा दें। उन्होंने बजाय पानी देने के उनके साथ बदतमीजी की, अपशब्द कहे और उन्हें वहाँ से मार कर भगा दिया। फिर वह लड़के भांकरोटा गये। भाँकरोटा में क्योंकि वहाँ के गांव का कोई आदमी था उसने बिजली चला दी। 5 मिनट बाद, वह तो गांव चला गया क्योंकि आग लग गयी थी, वह बिजली बंद कर दी गयी और इस तरह से वह सारे मकान खाक हो गये। यह है कि आपका प्रशासन जिसको आप स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन बताते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की। परसों शाम को वहाँ तहसीलदार और एस.डी.ओ. साहब आये बताये। मैं जब कल गयी तब तक उन्हें कोई राहत नहीं दी गयी। भूखे तड़फ रहे थे पानी और खाने के लिये। कल शाम को मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत प्रबन्ध किया। आज सुबह भी मैं कोशिश कर रही थी कि उनका कुछ इंतजाम किया जाए। क्या इसी तरह से, इन लोगों की इनके साथ में जिनकी यह हालत हो रही है, आपकी सरकार मदद करेगी तो यह कैसे होगा। इसलिए मैंने आपसे यह कहा था कि यह तुरन्त सहायता का विषय है। कल रात को बारिश आने वाली थी और खुले आसमान के नीचे आज 200 आदमी इतनी बुरी हालत में पड़े हैं, इसलिए मैं आपसे यह चाहती थी कि जिला प्रशासन तुरन्त उनकी सहायता करे और इस तरह का व्यवहार जिन सरकारी कर्मचारियों ने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, विशेष रूप से बगरू के बिजली विभाग के इंजीनियर के खिलाफ, जिन्होंने दिन दहाड़े 4 बजे शराब पीकर गांव के उन आदमियों के साथ बदतमीजी की।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय शिव-किशोरजी सनाढ्य।

श्रीमती इंदिरा मायाराम : इसका मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

सूचना

अलवर के सारे खुर्द गाँव में शराब कारखाने के विरोध में प्रदर्शन

श्री रामनारायण (नैनवां) : आन ए पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : हाँ, फरमाइये।

श्री रामनारायण : आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी का नारा लगाकर शासन में आयी है। 10,000 से ज्यादा राजस्थान प्रदेश के कौने-कौने से नर और नारी, सभी पार्टी के, विश्व हिन्दू परिषद के, आर.एस.एस. के कांग्रेस के, बी.जे.पी. के आज जयपुर में जुलूस निकाल रहे हैं और वह जुलूस यहां आ रहे हैं। मैं आशा करूँगा कि इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी आयें और सदन को आश्वस्त करें और जिस सारे खुर्द गांव में शराब का कारखाना डलवाया जा रहा है बी.जे.पी. के द्वारा, उक्त सारे खुर्द गांव से शराब का कारखाना उठाया जाए और इसके बारे में पहले चर्चा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये, हो गया अब।

श्री रामनारायण : सारे आज वहाँ मौजूद हैं और उनके साथ ज्यादती की जा रही है (व्यवधान) पुलिस के द्वारा उनके साथ ज्यादती की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हां सुन ली बात, आप बिराजो। बात सरकार तक पहुँच गयी, बिराजो आप। श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

श्री रामनारायण : उनको ठीक ढंग से नहीं लाया जा रहा है और मैं आशा करूँगा सबसे पहले.....

श्री शैलेन्द्र जोशी : शराब बंद की जाए। सरकार की जो आय है शराब की इसको रोका जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सरकार शराबंदी कर रही है और कारखाना बंद कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में पहले घोषण करायी जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन ली न बात, बिराजिये आप। रामनारायणजी, आप अपने टर्न पर नहीं थे, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण : मैं बैठ रहा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप 10,000 आदमियों का मामला है, आप इनसे कह रहे हो, बैठ जाइये (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : वह कारखाना बी.जे.पी. नहीं डलवा रही है, हमारे इंडिपेंडेंट मैम्बर रोहिताश्व कुमारजी डलवा रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिव किशोर सनाढ्य है।

श्री रामनारायण : और खेद की बात यह है कि जिस दिन राजस्थान में शोक मनाया जा रहा था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप हाउस चलाना चाहते हैं या नहीं चाहते ?

श्री रामनारायण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन राजस्थान में शोक मनाया जा रहा था उस दिन हमारे रोतिहाश्व कुमार जी वहाँ (व्यवधान) कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : गरीब जनता का अरबों रुपया खर्च किया जाता है, इस पर बहुत पैसा बिगाड़ रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण : इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। इससे गंभीर मामला नहीं हो सकता शासन में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिव किशोर सनाढ्य। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान के......

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) इससे ज्यादा कोई लोक महत्व का मामला नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी ऐसे लोक महत्व के मामले में निश्चित रूप से सदन में विचार होना चाहिए, विचार जानना चाहिए। इससे ज्यादा लोक महत्त्व का और कोई मामला नहीं हो सकता (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने अलवर में आंदोलनकारियों को कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ। बताइये, सत्य बात क्या है ?

श्री रामनारायण : ये जो पोस्टर्स हैं विभिन्न पार्टियों के, महोदय, मैं उनको सदन की टेबल पर रख रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : 295

श्री जगदीप धनखड़ : आपने तो पत्र लिख रखा है। आपने तो पत्र लिखा है कि उसको बंद कराया जाए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं पढ़ रहा हूँ 295

श्री जगदीप धनखड़ : और उप मुख्य मंत्री की उपस्थिति में......

श्री रामस्वरूप : उप मुख्य मंत्री जी, आप एक तरफ शराब का विरोध करते हो, एक तरफ आप बोल रहे हो (व्यवधान) अलवर में शराब का कारखाना खुला है। आप उसको बन्द करवाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अलवर में सबसे ज्यादा शराब उत्पादित हो रही है। यह कारखाना बनने से पहले भी इतनी फैक्ट्रियाँ आ गयीं, अंदाजा नहीं है।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) एक पेम्पलेट के बिहाफ पर सदन के एक सीनियर सदस्य जिनको इतनी भी जानकारी नहीं कि यह शराब का कारखाना किस चीज का है....

श्री जगदीप धनखड़ : यह किस चीज का है ?

श्री रोहिताश्व : आप क्या बोल रहे हो (व्यवधान)

श्री रामनारायण : रोहिताश्व जी, यह देखिये फोटो.....

श्री रामस्वरूप : दस हजार आदमी बाहर बैठे हैं। आप कह रहे हो कि पेम्पलेट के आधार पर.....

श्री जगदीप धनखड़ : जानकारी करके कह रहा हूँ। उप मुख्य मंत्री ने इस आंदोलन को अलवर में समर्थन दिया है (व्यवधान) आपकी सदस्या ने यह चिट्ठी लिखी है कि इस कारखाने को बंद किया जाए। आप किस की बात कर रहे हैं (व्यवधान) आप पेम्पलेट की बात मत कीजिये पेम्पलेट के आधार पर आप करते होंगे, हम नहीं करते।

श्री रामनारायण : हमारे राज्य मंत्री की मौत हो चुकी है। तब कोई कन्सर्न नहीं किया जा सकता था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी बिराजिये (व्यवधान) आप मर्जी आये सो, करिये। आप मर्जी आये सो बोल लेते हैं। (व्यवधान) रामस्वरूप जी बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : शराब मंत्री जी शराब का कारखाना बन्द करवाइये। बैठिये, नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री रोहिताश्व : यह कारखाना क्या है, इसकी किसने परमिशन दी, यह तो पूछो।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में उत्तेजना का मुख्य कारण यह है कि इस राज्य के उप मुख्य मंत्री ने शराब के कारखाने को बंद करने का जो आन्दोलन चल रहा है, जबरदस्त अभियान चल रहा है, उसका उन्होंने समर्थन किया है और दूसरी ओर उसी जिले के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूरे अलवर जिले को शराब में डुबोना चाहते हैं। यह है उत्तेजना का कारण। (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा मायाराम : पांच मिनट के अंदर बगरु में बिजली क्यों बंद की, क्या बिजली मंत्रीजी इसका जवाब देंगे, इसकी कुछ जानकारी करेंगे? इसका मुझे आश्वासन दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी फरमा रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : देखिये आप किसी प्रश्न को गंभीरता से लें तो कोई चर्चा होगी और आप इसी तरह से....

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम क्या मजाक कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कोई सार्थक चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लाइट ली ले रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैंने शराब के कारखाना बंद करने के आन्दोलन को समर्थन नहीं दिया। मेरा शराब बन्दी के खिलाफ आन्दोलन करने का समर्थन है कि आप शराब बन्दी कराने के लिये करिये, जो शराब पीने वाले हैं उनको शराब छुड़ाइये। उस आन्दोलन में मैं आपके साथ हूँ और मैं समझता हूँ चन्दन मल जी बैद भी मेरे साथ हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शराब के कारखाने खोले जाओं और इसका समर्थन किये जाओ (व्यवधान) आपकी यह दोहरी नीति कैसी है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपमें से कौनसा माननीय सदस्य मेरे साथ नहीं है कि शराब पीने वालों को शराब पीने से रोकने के लिये आन्दोलन किया जाए? मैं समझता हूँ आप सब मेरे साथ हैं और इसलिए मैं आपके साथ हूँ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह तो दोहरी नीति है, दोहरी नीति।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बिराजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : शराब के स्थान का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यदि आपमें से कोई भी गंभीरता से लेता हो तो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप खूब बोल चुके हो, आपका खूब नाम भी आयेगा। माननीय शिवकिशोर जी (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस सवाल पर चर्चा हो सकती है। कोई दोहरी नीति नहीं है। लेकिन इसको उससे मत जोड़िये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक गलत पैरवी यह है कि जहां शराब का कारखाना लग जाता है वहीं पर शराब बिकती है। (व्यवधान) यह तो भारत सरकार की नीति है कि यह उद्योग लगे और इसमें यह तो नहीं कि अलवर के अंदर लगेगा और अलवर में ही बिकेगी। वह बिकेगी तो महाराष्ट्र में भी बिकेगी, खाली अलवर में थोड़े ही बिकेगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस सवाल पर चर्चा हो सकती है, आर्ग्युमेंटरी नहीं। इसलिए आप इस सम्बन्ध में गंभीरता से चर्चा कराना चाहें तो किसी भी तरीके से हम इस में चर्चा करने के लिये तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : आज से चार दिन पहले दस बारह पन्द्रह गायों को घेरकर एक नाले के अंदर बंद कर दिया और उनके मुंह बंद कर दिये, पैर बांध दिये और उसके बाद में जिंदा गायों की गर्दन काटी गयी, उनकी खाल उधेड़ी गयी। आपका प्रशासन सुस्त बैठा है। उधर शराब के कारखाने लग रहे हैं, इधर गायें काटी जा रही हैं। आपने क्या डिसीजन लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने बैदजी को सम्बोधित करते हुए कहा राजस्थान में शराबबंदी के लिये वातावरण बने, उसमे आप अग्रणी होने को तैयार हैं या सहयोग देने को ? ऐसा भाषण दे रहे थे अभी उप मुख्य मंत्रीजी, जैसे महात्मा गांधी की तरह उद्धरण पेश कर रहे थे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देखिये, अपने काम में मैं सहयोग दे सकता हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे तो यह बताइये You are a very important Minister in the Cabinet of this State. और वहां पर एक बहुत बड़ा कारखाना लगने जा रहा है, शराब नालियों में बहेगी उस सम्बन्ध में आपका प्रिंसिपल स्टेण्ड है क्या? और आप जैसा अगर व्यक्ति प्रिंसिपल स्टैण्ड लेता है तो निश्चित तौर पर इस तरह का शराब का कारखाना जो आज वहां पर आन्दोलन चल रहा है वह आन्दोलन और अभियान बलवती होगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि यदि आप इस प्रश्न को गंभीरता से ले रहे हैं जो कृपया इस सम्बन्ध में चर्चा का रास्ता निकाले, हम चर्चा करने के लिये तैयार हैं और इस सदन में इस सम्बन्ध में जो भी चर्चा होगी, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, सरकार किसी बात के लिये एडामेंट नहीं है लेकिन इसकी चर्चा विधिवत करवायें ताकि प्रोज एण्ड कोन्स सारे आपके सामने आ जाएं। आखिर आप भी तो सरकार चला चुके हैं और आपको मैं याद दिलाऊं कि जनता पार्टी ने शराबबंदी की थी और 1980 के अंदर स्वयं चन्दनमलजी बैद ने वापस खोली।

श्री रोहिताश्व : 1977 से 1980 में भैरोंसिंह जी की सरकार ने शराबबन्दी की और माननीय चन्दनमल जी (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सरकार ने की थी। आप वित्त मंत्री थे, आपके दस्तखतों से वह...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

Sir, I am on a point of order. Hon'ble Deputy Speaker sir, I am on a point of order under Rule 294.

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : आप इस पर चर्चा करा लें तो अच्छा होगा। यह विषय अच्छा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : 295 तो हो जाने दीजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्रीजी, इन्होंने एक पाइंट ऑफ आर्डर रेज किया है। जहां तक चर्चा का प्रश्न है चर्चा तो गवर्नमेंट, उप मुख्य मंत्रीजी सदन के अन्दर आश्वासन दे चुके हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए इसमें कोई दोराय नहीं है। इन्होंने एक पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज किया है। इस सदन में किसी माननीय सदस्य को पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज करने का अधिकार है, वह पाइण्ट ऑफ आर्डर है या नहीं, यह आसन के निर्णय करने की बात है, इनको पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज करने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर। पांच मिनट पहले या इसके लगभग माननीय उप मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे, उन्होंने इस सदन के एक माननीय सदस्य वी.पी. सिंह जी को डांटा। हम सब लोगों ने उनके इस आचरण को देखा है और बुरी तरह डांटा। मैं तीन मिनट के लिये तो अचम्भित हो गया कि जो आदमी स्वयं इस कुर्सी पर बैठकर, माननीय उपाध्यक्ष जी It is a very serious matter that in our presence a Member is called by another Member in the House. That is not permissible. If, your honour, would kindly see to these rules. कैसे हो सकता है। माननीय गुर्जर ने देखा, मैंने देखा है, अन्य सदस्यों ने भी देखा और इस प्रकार की डांट मारी कि रहने दीजिये।

This is a condemnable situation. I want, yur honour, your ruling on this.

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री का इस प्रकार का आचरण कि वह अपने दल के एक सदस्य को विधान सभा के सदन में इस प्रकार डांटे and he is a very distinguished person, he is a very knowledgeable person. किसी भी सदस्य को इस प्रकार के आचरण से आतंकित नहीं कर सकते। मेरा, मान्यवर, आपसे निवेदन है कि It is a very serious matter. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एसेन्स है कि हम यहां पर कोई भी बात करें। इन्होंने क्या किया है? उस सदस्य के कांस्टीट्यूशनल अधिकारों पर कुठाराघात किया है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन को रोका है। मुझे तो लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कहीं इस प्रकार का अधिकार नहीं जता दें तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये या तो जो कुछ मैंने आपके समक्ष कहा है उसके बारे में आप सदन की राय ले लें। मैंने देखा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : It is not a non-serious matter. It is a very serious matter. I need your ruling. And it is such a serious matter and your honour may find out tron the Hon.Dy. Chief Minister.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने स्वयं ने सुना है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे, बीच में सिंह साहब खड़े हुए उन्होंने कहा आप बैठिये, मैं अपनी बात कह दूँ।

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसी नहीं कहा। डांटा उनको, बुरी तरह डांटा (व्यवधान) Your honour, when one addresses he addresses the Chair. पीछे देखकर कोई एड्रेस नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : शिवकिशोर जी सनाढ्य, 295 पढ़ें। अब आप बैठें। माननीय शिवकिशोर जी सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय मंदिरों में...

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक मिनट मुझे भी बोलने दीजिये। देखिये, जो लोग आपसे अनुमति चाहते हैं वे तो बोल नहीं पाते और जो लोग अनुमति नहीं लेते वे बोल लेते हैं। मुझे इस बात का बहुत खेद है और बिना अनुमति के बोलते चले जा रहे हैं। माननीय, इस पर कोई व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप 295 पढ़ने दीजिये। फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने, दस हजार आदमी आज यहां उपस्थित हैं, इस बारे में चर्चा के लिये कहा है तो हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार क्या हस विषय में आज ही चर्चा करवायेगी ? दस हजार आदमी प्रवेश के कौने-कौने से भाभड़ा जी का फोटो साथ लिये हुए घूम रहे हैं, हमारे राजस्थान के माननीय उप मुख्य मंत्री का फोटो साथ लेकर घूम रहे हैं, आप देख लीजिये जाकर, फोटो लेकर घूम रहे हैं, समर्थन दिया है उसको, आज यह मुकरने की बात जरूर कर रहे हैं। इस बारे में सरकार पहल करे और वह सरकार पहल करे जो स्वदेशी के नाम पर, बुराइयों को हटाने के नाम पर, धर्म के नाम पर जीतकर आयी है।

(13.00)

हम सबसे पहले आसन से इस बारे में पुरजोर शब्दों में निवेदन करेंगे, इसके बारे मे अपना स्पष्टीकरण दिलायेंगे कि कब इसके बारे में चर्चा करेंगे और सरकार कब इसके बारे में टाइम मुकर्रर करेगी ? मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन इस पर चर्चा जब सभी पार्टी के सारे सदस्य मौजूद हैं, करा ली जाए और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां जाकर उनकी बात सुनें।

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उप मुख्य मंत्री जी ने जब यह स्वीकार किया है और इधर से विपक्ष के नेता ने, तो आप समय दीजिये ना कि कब इस पर बहस करवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मंदिरों में दैनिक भोग सामग्री हेतु बजट की राशि में वृद्धि

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय मंदिरों में दैनिक भोग सामग्री की कमी के फलस्वरूप देवताओं के भूखे रहने की ओर माननीय देवस्थान मंत्री, राजस्थान का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

भूतपूर्व रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात् जिन मंदिरों में दैनिक व्यय का उत्तरदायित्व देवस्थान विभाग के पास आ गया था उन मंदिरों में दैनिक भोग हेतु पूर्व निर्धारित परिमाण के अनुसार ही विभाग के द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है। इस प्रकार परिमाण में भोग राग सामान देने के फलस्वरूप इसके व्यय में बाजार भाव के बढ़ते रहने से बजट में वृद्धि होती रही। इस कारण राज्य सरकार ने सन् 1972 में यह निर्णय किया कि देवस्थान विभाग द्वारा राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर में उस समय के भाव से जितनी राशि की भोग व सेवा पूजा की सामग्री आती है, भविष्य के लिये वही राशि निर्धारित कर दी जाए। देवस्थान विभाग ने 1972 के आधार पर वस्तुओं का जो मूल्य हुआ उसी मूल्य की सीमा तक भोग सामग्री का मंदिरों के लिऐ निर्धारण किया और अभी तक उसी मूल्य की सीमा तक राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। देवस्थान विभाग ने शायद उन परिस्थितियों पर विचार ही नहीं किया कि आगे जाकर के भावों में वृद्धि भी हो सकती है। बाजार में वस्तुओं के भाव निरन्तर बढ़ते गये और आज हालत यह हो गयी कि सन् 1972 में निर्धारित राशि पर सामान बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिऐ मंदिर श्री रसिक बिहारीजी जोधपुर में वर्ष 1972 से पहले मासिक रूप से आटा 27 किग्रा., घी-13 किग्रा., शक्कर साढ़े सात किग्रा., मूंग की दाल 12.500 किग्रा. और बेसन 2.850 किग्रा. दिया जाता था जिस की कीमत कुल 331 रुपये मासिक की निर्धारित की गयी। यही सामान आज की दरों पर बाजार से खरीदा जाये तो 1400 रुपये मासिक व्यय आता है।

इसी तरह मंदिर श्री पाला गणेश जी, उदयपुर में वर्ष 1972 में गेंहूँ का आटा 16.271 किग्रा. निर्धारित था जिसका मूल्य उस समय 17.90 रुपये था। आज की तारीख में 17.90 रुपये में मात्र तीन किग्रा. गेहूँ का आटा ही आऐगा और यदि उस समय की राशि के वजन के आधार पर गेहूँ का आटा आज खरीदा जाए तो वह 17.90 रुपये की जगह 98 रुपये में आऐगा। घी देशी 1972 में 5.425 किग्रा. निश्चित था जिसकी कीमत उस समय 68.35 रुपये थी, इस कीमत पर यदि आज घी खरीदा जाए तो सिर्फ 750 ग्राम महीने भर के लिये मिलेगा। उस समय के देशीघी के वजन की राशि आज 500 रुपये है। इसी तरह गुड़ भी 1972 में 5.425 किग्रा. निर्धारित था जिसकी कीमत 5.45 रुपये थी आज इस राशि में आधा किग्रा. गुड आता है और उस समय के वजन के अनुसार गुड खरीदा जाए तो 45 रुपये में आऐगा। अर्थात् इस मंदिर के लिए 91.70 रुपये की राशि निर्धारित थी आज के बाजार भाव से 643 रुपये की जरूरत होती है। यह तो उदाहरण हैं ऐसी सभी प्रभार मंदिरों की स्थिति है। भावों में लगभग 6 से 7 गुना वृद्धि हो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

गयी है लेकिन राशि की वृद्धि नहीं हुई। 1972 की दरों पर जो राशि निर्धारित है उससे आज भोग राग सामग्री बहुत अल्प मात्रा मे मंदिर में उपलब्ध करवाई जा रही है। यों कहें कि प्रतीक रूप में नगण्य मात्रा में सामग्री दी जाती है उससे आज मंदिरों की सेवा पूजा विधिवत् रूप से कराना एवं सम्प्रदाय विशेष के अनुसार मार्यादा का निर्वाह करना असंभव है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि देवस्थान विभाग के राजकीय प्रभार मंदिरों में भगवान भूखे ही रह रहे हैं और सेवा पूजा, भोग राग के अभाव में कष्ट पा रहे हैं। उनके कष्टों के निराकरण के लिऐ विभाग द्वारा अभी जो राशि दी जा रही है उसमें कम से कम सात गुना वृद्धि अपेक्षित है और भविष्य के लिए भी राशि वृद्धि के लिए मार्ग तलाशना चाहिए। मंदिरों के साथ जन भावना जुड़ी हुई है और अत्यल्प राशि में न मंदिरों मे भोग हो सकता है और न सेवा पूजा ही हो सकती है। इसके कारण जन समुदाय खिन्न और दु:खी है। अत: माननीय देवस्थान मंत्रीजी का ध्यान मंदिरों में भोग तथा सेवा पूजा की समुचित व्यवस्था करने और उसके लिऐ पर्याप्त बजट प्रावधान रखने तथा भविष्य के लिऐ भी नीति निर्धारित करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाली माननीय सदस्य ने यह तो बात कही कि देवता भूखे मर रहे हैं। देवता तो श्रद्धा के, भक्ति के भावना के भूखे हैं। कोई आप पुजारियों का, दूसरो का चकाचौंध, पांचों उंगलियाँ, घी में रहे उनके लिऐ इन्तजाम करवा रहे हो, भगवान, डेइटी तो परपीचुअल है, माइनर है उसको तो दूध पिलाना चाहिए, वह रोटी-वोटी खाता ही नहीं है। कहां भूखे मर रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (देवस्थान मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, वास्तव में 1972 में जो पहले काइंड में था उसको केश में कन्वर्ट करने के कारण से आज भोग के लिऐ सामग्री निश्चित रूप से कम उपलब्ध हो रही है। यह विषय सरकार के विचाराधीन है और मंदिर संस्कृति, प्रतिष्ठान का कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वर्णन किया है उसका गठन होने के बाद इसको हम किस ढंग से और कितना बढ़ाया जा सकता है उस पर निर्णय करके निश्चित रूप से उसे बढ़ायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर के मुख्य चिकित्सालय में सी.टी. स्केन मशीन की स्थापना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान जोधपुर शहर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिऐ सी.टी. स्केन मशीन स्थापित करवाने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के बारे में नियम 295 के अन्तर्गत दिलाना चाहती हूँ।

मुझे मिली जानकारी के अनुसार सी.टी. स्केन मशीन 28 सितम्बर, 1994 को ही जोधपुर पहुँच चुकी है। यह मशीन आज भी पैक पड़ी है। अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है कि बिना भवन के निर्माण और विद्युत सम्बन्धी कार्य करवाये इतनी महँगी सी. टी. स्केन मशीन

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मंगवाकर सरकारी धन राशि का दुरुपयोग किया? मशीन तो आ गयी लेकिन बीमारों को तो अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों द्वारा 23 जुलाई से 19 दिसम्बर तक समय-समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सी.टी. स्केन ब्लॉक बनाने की संशोधित स्वीकृति के बारे में पत्र व्यवहार करने पर भी अब तक कोई भी सकारात्मक स्थिति सामने नहीं आयी है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि एक करोड़ रुपये से भी अधिक लागत की कीमती सी.टी. स्केन मशीन अभी तक बिना काम के पड़ी रहने की वस्तु स्थिति स्पष्ट करावें कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि यह मशीन कब तक स्थापित हो जाएगी और इसके विलम्ब के क्या कारण रहे हैं। क्या मशीन की तकनीकी जांच कर ली गयी है कि यह मशीन सही है? मैं यह भी जानना चाहूँगी कि सी.टी. स्केन मशीन ब्लॉक निर्माण के लिऐ प्रस्तावित बजट स्वीकृति के बारे में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा गत छह महीनों में इस बारे में बजट स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही न करने का क्या कारण रहा है?

मुझे यह बताते हुए भी बहुत रंज है कि जोधपुर डायलसिस कक्ष वातानुकूलित नहीं है। एक ओर जहां ऐसे उपकरण खरीदे जा रहे हैं जिनके लिये प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है और वह खरीदा गया सामान स्टोर में ही पड़ा रहता वहीं दूसरी ओर पीड़ित मानव सेवा के लिये डायलसिस कक्ष में अत्यावश्यक एयर कंडीशन नहीं लगवाया जाना स्पष्ट रूप से अधिकारियों की उदासीनता है। कृपया इस सम्बन्ध में बतायें कि अभी तक एयर कंडीशन नहीं लगवाने का क्या कारण रहा है इसके साथ ही कृपया यह भी बतायें कि डायलसिस यूनिट में कितने डायलसिस लगे हुऐ हैं और इनके उपयोग की क्या स्थिति है एवं कितने प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है। कृपया उनके नाम एवं कार्यविधि बताने की व्यवस्था करावें।

जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चिकित्सा सेवाओं और विशिष्ट चिकित्सा इकाइयों की स्थापना आज यहाँ की प्रमुख आवश्यकता बन गयी है। जोधपुर शहर इसमें अभी भी वहुत पिछड़ा हुआ है। यहां न्यूरो फिजिशियन, नेफ्रोलोजी, हृदय रोग चिकित्सा सम्बन्धी अत्याधुनिक उपकरण, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे मशीन तथा आक्सीजन प्लान्ट की अत्यधिक जरूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बतायें कि इन चिकित्सा सेवाओं का लाभ पीड़ितों तक पहुँचाने के लिए विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

मेरा निवेदन यह भी है कि जोधपुर के उम्मेद महिला चिकित्सालय की स्थापना के बाद विस्तार की दृष्टि से अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। शिशु चिकित्सा के क्षेत्र में तो काफी विकास कार्य हुऐ हैं मगर महिला अस्पताल में विकास कार्य नहीं हुआ है। इस अस्पताल की हालत तो यह है कि गर्भवती और प्रसव की महिलाओं को फर्श पर ही लेटना पड़ता है जिससे नवजात शिशुओं और सम्बन्धित महिलाओं के इन्फैक्शन की पूर्ण सम्भावनाएं बनी रहती हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा इस महिला चिकित्सा के विस्तार या अन्य

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

महिला अस्पताल के निर्माण के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो जोधपुर की जनसंख्या के बढ़ते घनत्व को देखते हुए इसकी योजना तुरन्त बनायी जाए।

जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा इकाइयाँ कार्यरत हैं और वहाँ काटेज वार्ड की सुविधाएं सुलभ नहीं हैं जिससे मरीजों को अपेक्षित सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। इस अस्पताल में कॉटेज वार्ड निर्माण की प्रस्तावित योजना के बारे में विभाग की ओर से की गयी कार्यवाही से अवगत करावें।

मुझे विश्वास है कि आप इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत जानकारी कर अवगत करवायेंगे। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट योजना संगठन द्वारा राज्य में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य विभिन्न योजनाओं के तहत कराये जा रहे हैं उनमें श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 22 रुपये के बजाय केन्द्र सरकार द्वारा 32 रुपये की जा चुकी है परन्तु उक्त कार्यों का तखमीना पुरानी दरों से होने के कारण ये कार्य अधूरे रह रहे हैं क्योंकि मजदूरी बढ़ जाने के कारण उन कार्यों की लागत बढ़ गयी है फिर भी स्वीकृत राशि नहीं बढ़ायी जा रही है।

विभाग में कार्यरत तकनीकी अधिकारी जो तखमीना बना रहे हैं वो विभागीय बी.एस.आर. के अनुसार ही बना सकते हैं। इसलिए समस्या यह है कि जब तक बी.एस.आर. नहीं बदली जाती तब तक तखमीना भी नहीं बदला जा सकता। इसलिए विशिष्ट योजना संगठन को चाहिए था कि ज्यों-ज्यों मजदूरी की रेट बढ़ी, साथ ही बी.एस.आर. भी बदल देनी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं करने से निर्माण कार्य जो हजारों की संख्या में गांवों में चल रहे हैं वे अधूरे पड़े रह रहे हैं, जिसके कारण मुख्यतः ग्राम पंचायतों के सामने भयंकर संकट खड़ा हो रहा है और उनका पूर्ण भुगतान भी नहीं हो रहा है और इसी प्रकार के मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है; जबकि इसमें यह योजना भी शामिल थी जिसमें मजदूरों को रोजगार की गारण्टी दी गयी है परन्तु रोजगार नहीं मिल रहा है।

अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है इसलिए नियमों के नियम 295 के तहत राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस मामले में अविलम्ब आवश्यक कदम उठाकर मजदूरों को बढ़ी हुई दर से पूर्ण भुगतान हो सके ऐसी व्यवस्था करावें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विशिष्ट योजना संगठन मंत्री महोदय यहां बिराजमान हैं, यह ऐसा मसला है जिससे राज्य के सारे निर्माण कार्य अधूरे के अधूरे रह रहे हैं और जिस उद्देश्य को लेकर यह रोजगार गारण्टी कार्यक्रम चलाया था उसमें मजदूरों को वह मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, इसमें कोई आश्वासन दिलायें।

श्री रामनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा था, आप थे नहीं। श्रीमती उजला अरोड़ा।

ओलावृष्टि से किसान की फसल को नुकसान

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत किसानों की फसलों को हुए नुकसान के संम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी।

मान्यवर पिछले दिनों गत माह में राज्य भर में और जयपुर जिले में ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। एक ओर तो भगवान की अकृपा, दूसरी ओर समय पर बिजली न मिलने व पर्याप्त बिजली न मिलने से फसलों को क्षति हुई है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब चलने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी आपकी मदद की आवश्यकता नहीं मानती। मैं आपकी मदद की आवश्यकता नहीं मान रही हूँ। आप बैठ जाइये। आप अपने समय पर बोल लीजिये।

डॉ. हरिसिंह : आपने कभी गेहूँ का दाना देखा है क्या कि कैसे उगता है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हां बोलिये आप

श्रीमती उजला अरोड़ा : किसानों को राहत पहुँचाने हेतु राज्य सरकार को चाहिऐ तत्काल गिरदावरी कराकर परेशान लोगों को राहत दें। ऋण वसूली न की जाए तथा लगान वसूली न की जाऐ तथा जितनी फसलें बच सकें एतदर्थ बिजली देकर बचाने के प्रयत्न में सहयोग किये जाने में सरकार सदन को आश्वस्त करें। गांवों में किसानों में भयंकर रोष है। अतः यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है कृपया मुझे इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां विद्युत मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी, चाहे वह' शहरों में बिजली की कटौती कर दें और जो मर्करी व अन्य बिजली जलती रहती है, इस समय में उनको बन्द करके किसानों को बिजली दें जिससे जितनी भी फसल बच सकती है वह बच सके और उनमें जीवन पड़ सके, किसान स्वस्थ और आश्वस्त रह सकें। मुझे आशा है कि इस अवसर पर उदाहरता से किसानों को राहत देंगे और सदन को आश्वस्त करेंगे।

धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

बी.एड. बेरोजगार युवकों को रोजगार

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स मास्टरों के बगैर खाली पड़े हुए हैं। बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बी.एड. करके छात्र रोजगार के लिये तरस रहे हैं। गरीब मां-बाप अपने खून एवं पसीने की कमाई को लगाकर अपने बच्चों को

(श्री रामस्वरूप)

बी.ए. कराने के साथ बी.एड. कराते हैं और बी.एड. करने के बाद आज हजारों युवक एवं युवती बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ तक कि कइयों की तो उम्र पूर्ण होने जा रही है। क्या सरकार बी.एड. करके बैठे युवकों एवं युवतियों को जल्दी ही रोजगार दिलायेगी एवं जो लोग ओवर-ऐज होने जा रहे हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता देगी? यह समस्या पूरे राजस्थान की है। सरकार इसके बारे में क्या नीति बना रही है और बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कब तक रोजगार देकर लाभान्वित करने का इरादा रखती है? जो लोग पूर्ण ट्रेनिंग करके बैठे हैं उनको रोजगार नहीं मिले तो यह संवेदनशील सरकार क्या ढिंढोरा पीटती है।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ कि बी.एड. छात्रों एवं छात्राओं को रोजगार दिया जावे। अतः मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि जो सारे राजस्थान में एक आन्दोलन चल रहा है बेरोजगारों का, उनको आप राहत दें। माननीय मंत्रीजी इसका जवाब दें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप जरूर जवाब दिलवायेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय विराजमान है, वे बोलना चाहते हैं। आपने उनको समय ही नहीं दिया बोलने के लिऐ।

श्री रामनारायण मीणा : वे जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी को कहना होगा तो जरूर कह देंगे। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो कहिये।

श्री रामनारायण : उनके पास जवाब ही नहीं है। वे तैयार ही नहीं है। उनकी तैयारी पूरी नहीं है।

श्री रामस्वरूप : कुछ तो जवाब हां-ना में दिलायें। इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम तैयारी करके आये और आपके सामने रखा। फिर महत्व क्या है उसके रखने का? आप उनसे जवाब दिलायें। फिर सरकार के सामने रखने का मतलब क्या हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सही फरमा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : आज बी.एड. करके लोग बैठे हुए हैं, स्कूलों में जगह खाली पड़ी है। सरकार इस बारे में कब तक विचार करेगी? बाहर धरने पर लोग बैठे हुए हैं। इसका जवाब तो आप दिला सकते हैं।

श्री रामनारायण : सरकार चाहती नहीं जवाब देना।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : सरकार जवाब देने को तैयार बैठी है। सरकार से जवाब दिलाया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बहुत हो गया, आप बिराजें। श्री रामनारायणजी।

श्री रामस्वरूप : आप पहली बार उपाध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं, कम से कम इतना तो सरकार से जवाब दिलवा दो।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, दो करोड़ रुपये शिक्षा विभाग में नौकरी देने के लिऐ पोस्टल आर्डर के रूप में ले लिये गये हैं बेरोजगारो से। माननीय मंत्री महोदय, दो करोड़ रुपये वसूल कर लिये गये हैं और नौकरी किसी की नहीं लगी है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, जो बी.एड. करके बैठे हुए हैं बेरोजगार उनको कब तक रोजगार दिला देंगे ? सरकार जगह क्यों नहीं खोलती है ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के ध्यान में सारी बात आ गयीहै। आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पोस्टल आर्डर की जो राशि ली गयी है वह तो लौटायी जाए। दो करोड़ रुपये होते हैं राजस्थान के अन्दर।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय जवाब दें इस बात का। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि इसका जवाब दिलाया जाए। अगर सरकार इसका जवाब देने को तैयार नहीं है तो मैं जब तक नहीं बैठूंगा जब तक सरकार जवाब नहीं देगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य 295 में अभी उनको जवाब देने के लिए एकाएक बाध्य तो नहीं किया जा सकता। आप बिराजो।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हजारों बेरोजगारों का मसला है और बाहर लोग बैठे हैं धरने पर (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। बहुत हो गया (व्यवधान) पहले इनका खतम हो जाने दें। आपकी बात पूरी हो जाए।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : एक मिनट ऐसा है, माननीय सदस्य ने 295 में प्रभारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया है। 295 के अन्दर मंत्री तैयार हो करके आयें या नहीं आये, कोशिश यह करनी चाहिए, पिछली दफा मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था अगर मंत्रीजी उत्तर दे सकते हैं और उनके पास तथ्य हैं तो उनको सदन में उन तथ्यों की जानकारी देनी चाहिऐ। अगर आज उनके पास नहीं हैं तो तथ्य अभी इकट्ठे नहीं किये जा सकते हैं, कितनी वैकेन्सीज है (व्यवधान) इसलिए आप उनको बाध्य भी नहीं कर सकते हैं और आप यहां खड़े रहेंगे जब तक तो सदन की कार्यवाही में बहुत व्यवधान पड़ेगा। इसलिए, माननीय सदस्य, आप बैठिये और आप अगर इसका उत्तर कल दे सकते हैं परसों दे सकते हैं तथ्य इक्ट्ठे करके तो आप उनको संतोष करवा दीजिये कि यह स्टेप आप कब तक ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब एजूकेशन की डिमाण्ड्स आयेंगी उस समय बात हो ही जाएगी। उस समय सारी बात आ जाएगी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह अलग बात है। यह बहुत बड़ा मामला है। एक्जामिनेशन्स आ गये हैं और अध्यापक नहीं हैं, बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मामला सीरियस तो है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मान लो बिगनिंग ऑफ दी एकेडेमिक सेशन हो तो एक दूसरी बात थी लेकिन एक्जामिनेशन के पहले कोर्स पूरा नहीं होना और अध्यापकों की कमी है यह बहुत सीरियस मामला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अपने आप में बहुत विस्तृत है। इसकी जितनी जानकारी चाही है कि कहां कितने पद खाली है, उन सब को जब तक मैं देख कर बात को स्पष्ट नहीं करूँगा तब तक शायद आप संतुष्ट नहीं होंगे। 28 तारीख को आपका पहला ही प्रश्न है उस दिन मैं आपको इस बारे मे जो भी जानकारी होगी वह दे दूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

वन पोल कृषि कनेक्शंस में कथित अनियमितताएं

श्री रामनारायण (नैनवां) : राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एक पोल कृषि कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में जिस तरह की धांधली की गयी, बेईमानी की गयी, भ्रष्टाचार किया गया और शायद माननीय मंत्रीजी की जानकारी में नहीं आया होगा, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान नियम 295 के तहत आकर्षित कर रहा हूँ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एक पोल के कृषि कार्य हेतु विद्युत सम्बन्ध दिये जाने के आदेश जारी किये जाने की तारीख से अब तक के विद्युत सम्बन्धों बाबत वास्तविकता की जाँच मौके की स्थिति के मुताबिक नहीं किये जाने से अनेक स्थानों पर एक से अधिक पोल लगा कर या पोल की दूरी सामान्य से अधिक रख कर अथवा लम्बी डोरी देकर आदेश की भावना से हटकर भी विद्युत सम्बन्ध जारी किये गये हैं। विद्युत मण्डल के कर्मचारियों द्वारा गलत एस्टीमेट बना कर पद का दुरुपयोग करके अनेक व्यक्तियों को नाजायज लाभ पहुँचाया गया है। सुल्तानपुर, अन्ता, बारां एवं अटरू क्षेत्र के सहायक अभियन्ताओं के क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में एक पोल विद्युत सम्बन्धों की क्षेत्रवार पूरी सूची मय आदेश के बनायी जाकर निम्न प्रोफोर्मा में वास्तविक सूचना संकलित करके मौके की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किये जाने एवं रिपोर्ट तैयार करने पर वास्तविकता का पता लग सकेगा :

(1) क्र.सं., (2) कृषक का नाम एवं पता, (3) एस्टीमेट में बताई गयी दूरी, (4) मौके पर बाद जांच पायी गयी दूरी, (5) वास्तव में कितने पोल रोपे गये/कितनी लम्बी डोरी उपयोग में ली/कितने पोल रोपे जाऐंगे/कितनी लम्बी डोरी उपयोग में ली जाऐगी एवं (6) विशेष विवरण।

उपरोक्त वर्णित प्रोफार्मा में सूचना संकलित की जाकर उचित कार्यवाही किये जाने के साथ ही पूर्ण विवरण जारी किया जावे। एक पोल विद्युत सम्बन्ध बाबत विद्युत मण्डल द्वारा जारी समस्त आदेशों सहित उक्त प्रोफार्मा में संकलित सूचना एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी मुझे भी यथाशीघ्र भेजी जावे तथा इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण भी जारी किये जाने के लिऐ आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना.....

श्री रामनारायण : माननीय उपाध्यक्षजी शायद उनकी जानकारी मे हो, 295 के अन्तर्गत जानकारी हो तो कह दें, नहीं हो तो वैसे कह दिया जाए। बड़ा महत्त्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी कुछ कहना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री रघुवीर कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन मामलों में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तुरन्त जाँच करवायी जाऐगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाऐगा।

सभापति तालिका

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 9(1) के अन्तर्गत श्री घनश्याम तिवाड़ी के स्थान पर सभापति तालिका मे श्री समर्थलाल मीणा को सदस्य मनोनीत करता हूँ।

उन्होंने मना किया है। बड़े दुःख के साथ में है पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहना चाहता। चार हैं। श्रीमती ताराजी, श्री रमाकान्तजी और श्री किशनजी मोटवानी। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गंगारामजी चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचनाएं

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ।

(अधिसूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देंखे।)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ऐसे काम नहीं चलेगा है। कौन-कौनसी, क्या-क्या सूचनाएं हैं उनका नाम बता दिया जाए।

श्री गंगाराम चौधरी : विषय सूची मे दे रखी हैं, आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सूचनाएं वैसे सर्क्यूलेट कर दी गयी थीं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य लोकसभा में रहे हुए हैं। लोक सभा में हाउस की टेबल पर जब सूचनाएं ले-डाउन की जाती हैं तो शायद उसमें एक सैकण्ड लगाता है मिनिस्टर। अब यह लम्बा चौड़ा पढ़ने से क्या है। अपने पास में तो हैं। इसलिए वही की वही सूचना पढेंगे क्योंकि अपने पास में सूचनाएं हैं उसमें कोई एतराज हो या टाइम के अन्दर उन्होंने पेश नहीं की हों। इस तरह का आब्जेक्शन हो तो और बात है। अदरवाइज यहाँ हाउस का समय जाया होता है फालतू। सूचनाएं उनको एक, दो, तीन, चार, पांच इसी तरह से रखनी चाहिऐ जैसा कि लोक सभा में परम्परा है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के नेता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लोक सभा की परम्परा भी है, यहाँ की परम्परा भी है। उसमें यह लिखा रहता है कि आइटम के फलां फलां को मैं पेश करता हूँ। नाम भले ही मत रखिये लेकिन बिजनेस के एजेण्डा के आइटम नम्बर फंला फंला को पेश करता हूँ, यह होता है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अनंग कुमारजी जैन, वित्त राज्य मंत्री, आबकारी विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त (आबकारी) विभाग की अधिसूचना सं.

(श्री अनंग कुमार जैन)

पं. 4 (59) वित्त/ आब/ 94 दिनांक 30.12.94 जिसके द्वारा मैसर्स आम्रपाली एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड जैतपुरा, जयपुर द्वारा राज्य में विनिर्मित और भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यातित, भारत में निर्मित विदेशी शराब पर के निर्यात शुल्क के संदाय से निर्बन्धों और शर्तों पर छूट प्रदान की गयी है, सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रतापजी, राज्य मंत्री कृषि विभाग विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

डॉ. रामप्रताप (राज्य मंत्री, खाद्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या पं. 1(8) कार्मिक/क-2/79 दिनांक 22 अक्टूबर, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व जी, यातायात राज्य मंत्री, परिवहन विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ।

(अधिसूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखता हूँ।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जी जैन, सरकारी, मुख्य संचेत कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 मार्च, 1995 की मध्याह्न पश्चात् 2-30 बजे माननीय उपाध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने दिनांक 24 मार्च, 1995 से 7 अप्रेल, 1995 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य पर विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए—

कार्यवाही अध्यक्ष पीठ के आदेश दिनांक 28-3-95 पत्रांक संख्या F 31(7) सदन/वि. स/93 की टीप संख्या 12, 13, 14 व 15 के अनुसरण में अपलोपित की गई।

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 1995	(1) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद। (2) वर्ष 1994-95 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन।
शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 1995 रविवार, दिनांक 26 मार्च, 1995	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 1995:	आय व्ययक अनुमान वर्ष 1995-96 एवं लेखानुदान सम्बन्धी विवरण का उपस्थापन।
मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 1995	(1) अनुपूरक अनुदान के मांग 2 वर्ष 1994-95 (द्वितीय संकलन) पर मतदान एवं पारण एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। (2) वर्ष 1995-96 के लिये लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का पारण एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। (3) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की ऋण सीमा में वृद्धि सम्बन्धी शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 1995 गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 1995 शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 1995	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
शनिवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1995 रविवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1995 सोमवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1995	बैठक नहीं होगी
मंगलवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1995 बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1995 गुरुवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1995 शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 1995	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1995-96 पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 23 की ओर ले जाना चाहता हूँ। मुझे दुःख है कि विधान सभा में प्राइवेट मैम्बर्स के लिये जो दिन होने चाहिए वह नियत नहीं किये गये हैं। आज भी यह जो प्रतिवेदन पढ़ा गया इसमें भी प्राइवेट मैम्बर्स के लिये कोई भी दिन नियत नहीं किया गया है। नियम 23 कहता है—

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

'The House may on the advice of the business Advisory Committee allot as many days as may be possible for private members business and may allot different days for the disposal of different classes of such business and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence:

Provided that two days in a month shall be allotted for the transaction of private member's business...'

मेरा निवेदन है कि कम से कम दो दिन, जैसा कि परम्परा है शुक्रवार को आप नियत करे।

श्री उपाध्यक्ष : कल ही बात हो गयी थी, अबकी बार रखेंगे।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पूरे सैशन में सिर्फ एकदिन प्राइवेट मैम्बर्स दिन था और वह भी मुश्किल से केवल 3 घंटे का समय मिला है और हम जो रूल्स की अवहेलना निरन्तर करते जा रहे हैं वह बन्द होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री जगदीप धनखड़, सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर

श्री रमाकान्त शर्मा (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री जगदीप धनखड़, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध श्री शिवकिशोर सनाढ्य एवं अन्य 15 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री अनग कुमार जैन, सभापति, प्रवर समिति, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994

श्री अनंगकुमार जैन (सभापति, प्रवर समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं,

(श्री अनंग कुमार जैन)

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 20 अप्रैल, 1995 तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 20 अप्रैल, 95 तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, राजस्थान आवासन मण्डल के कार्य-कलापों की जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

सदनेतर समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान आवासन मंडल के कार्यकलापों जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यकपालों की जांच हेतु गठित सदन की समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ। उक्त प्रतिवेदन प्रक्रिया के नियम 205 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रतिवेदन को मुद्रण, प्रकाशन व परिचालन के लिये आदेश प्रदान कर दिये गये थे परन्तु विधान का सत्र न होने कारण सदन में उपस्थापित नहीं किया जा सका जो आज किया जा रहा है।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वसनों सम्बन्धी समिति, 1994-95 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयेन्द्र पाल सिंह सभापति सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 1994-95 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (सभापति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 1994-95 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) (1994-95) का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोसिंह जी शेखावत, मुख्य मंत्री अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 1994-95 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1994-95 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करता हूँ।

विद्यायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान राजमार्ग, विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी प्रभारी मंत्री राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुर : स्थापित भी करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवर लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिऐ प्रस्ताव करेंगे।

श्री भवंरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुनःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभार मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री भवंरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर, प्रभारी मंत्री, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यादेश को रिप्लेस करने वाला बिल है क्या दो बच्चों वाला?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : दो हैं, दो चीजें हैं, दो बच्चों वाला भी है।

श्री परसराम मदेरणा : दो वाला है या तीन वाला है या जुड़वा बच्चों वाला है?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : हां, वह भी है (व्यवधान) मैं बता रहा हूँ ना वही है।

श्री जगदीप धनखड़ : यह कौनसा है? आप बताइये कौनसे आर्डिनेंस के तहत है? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-6) तथा पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का अध्यादेश संख्या-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिऐ समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिऐ समय का आवंटन सभी दलों को इस प्रकार से किया गया है—

भारतीय जनता पार्टी	—	7.40 घंटे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	—	6.05 घंटे
जनता दल	—	0.30 घंटे
सी.पी.एम.	—	0.05 घंटे
निर्दलीय	—	1.40 घंटे

कुल 16 घंटों का आवंटन किया गया है और कार्य सलाहकार समिति के अनुसार ही सारी बातें की गयी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सी.पी.एम., It is a Natioal party और नेशनल पार्टी को केवल 5 मिनट देना, 5 मिनट भी कोई मिनट होते हैं। एक मैम्बर, हो चाहे दो हो या पांच हों लेकिन 5 मिनट की इतनी अल्पावधि है कि खड़े होकर भूमिका ही नहीं बना सकते। इसलिए उनको थोड़ा समय देना चाहिए और वे अपने विचार रखेंगे। डायलेक्टकली मैटेरियलिज्म पर अपनी बात को रखेंगे अभी उदारीकरण के सम्बन्ध में उनका भाषण सदन सुनना चाहता है।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे भी समय तो बढ़ जाता है।

श्री कालीचरण जी सर्राफ, सदस्य, विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में अभिभाषण प्रस्तुत किया जाय :—

(श्री कालीचरण सराफ)

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 4-5 सालों को छोड़कर हमारे देश में और अधिकांश प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार रही है। यदि हम कांग्रेस के पिछले वर्षों के शासन की उपलब्धियों की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि सरकार अधिकांश मोर्चों पर असफल रही है। आर्थिक मोर्चे पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि आज देश की स्वतंत्रता के लगभग 47-48 साल बाद भी हमारी उपलब्धि रही कि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा गरीबी किसी देश में है तो हमारे देश में है, विश्व में सबसे ज्यादा भुखमरी यदि किसी देश में है तो हमारे देश में है, सबसे ज्यादा निरक्षरता यदि किसी देश में है तो वह हमारे देश में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि किसी देश में है तो हमारे देश में है, सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज यदि किसी देश पर है तो हमारे देश पर है। इस प्रकार की आर्थिक नीति देश पर कांग्रेस की सरकार ने लागू की जिसके परिणामस्वरूप. . . .

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं क्या?

श्री कालीचरण सराफ : मैं आ रहा हूँ चिन्ता मत करिये।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नर के अभिभाषण पर क्या भूमिका होनी चाहिए, यह 47 साल, आपका देश और आपका ग्लोबल और संसार और दुनिया, यह कैसे. . . . .

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सीमाओं में रहिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : कांग्रेस की बात छोड़ो, अपनी बात कहो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इतनी बड़ी भूमिका मत बांधो।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : कांग्रेस शासन के कुशासन की बात करना बेकार है, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलिये।

श्री रामस्वरूप : आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बात कर रहे हो या कांग्रेस की कर रहे हो?

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश में ही राजस्थान प्रदेश आता है इसलिए देश की स्थिति बताकर प्रदेश पर आऊँगा। आप चिन्ता मत करिये, आ रहा हूँ।

श्री रामस्वरूप : इतने महान् नहीं हो कि देश की बात करो।

श्री अमराराम (धोद) : पहले इन्होंने बिगाड़ा, अब आप बिगाड़ोगे क्या?

श्री कालीचरण सराफ : इस प्रकार की आर्थिक नीति देश पर कांग्रेस की सरकार ने लागू की जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, निरक्षरता बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और विदेशी कर्ज से हमारा देश लद गया। गलत आर्थिक नीतियों का यह परिणाम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1951 में विश्व के विदेशी व्यापार में जहां हमारे देश का हिस्सा

(श्री कालीचरण सराफ)

एक प्रतिशत था, 47-48 साल की आजादी के बाद उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी परन्तु यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक प्रतिशत हिस्से में भी अब कमी आयी है और हमारे देश का विदेशी व्यापार का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वह जनसंघ के रूप में थी, हर बार आर्थिक नीतियों में निजीकरण की बात की परन्तु जब-जब भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की बात की तो हमारे कांग्रेसी मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामीवादी पार्टी बताकर उसका विरोध करने की कोशिश की। परन्तु वक्त ने करवट ली और आज केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की जो नयी नीति लागू की है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी उस नीति को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार को बाध्य होना पड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उसका भी विकृत रूप।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यदि हम केन्द्रीय सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं.....

श्री परसराम मदेरणा : आपकी जो आर्थिक नीतियाँ थीं, पहले उसका अपोजिशन होता रहा, अब कांग्रेस सरकार ने आपकी जो आर्थिक नीतियाँ थीं उनका अनुसरण करके उदारीकरण की नीति इस देश में लागू की, आप यही चाहते हैं न उदारीकरण की नीति? आपकी यही नीति थी? आपका इसमें विरोध तो नहीं है ना अब?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह गवर्नर का एड्रेस है, आपको जो कुछ कहना है बाद में कह दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो बहुत फण्डामेंटल बात है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रेलेवेंट का बताता हूँ। कई स्टेजेज ऐसी आयेंगी जो रेलेवेंट हैं, कई प्रश्न आयेंगे जो कंट्रोवर्सियल हैं। लेकिन गवर्नर के एड्रेस पर भाषण दे रहे हैं उसके बाद सबको जवाब देने का मौका है। मैं समझता हूँ कि इनको भी सुनें, हम आपको भी सुनेंगे। बीच में कोई प्रश्न होंगे तो आदान प्रदान में होता रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसमें इनको व्यवधान डालने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो स्वदेशी वाला मामला कहीं पीछे रह जाएगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह लेंगे बाद में, आप मेरे से कर लेना।

(14.00)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर यदि हम दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात राज्यों में तो करती है परन्तु पिछले 50 सालों में भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने में सरकार सफल नहीं हुई और एक स्थिति ऐसी आयी कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब उनको यह स्वीकार करना पड़ा कि हम एक रुपया यदि किसी बात पर खर्च करने के लिए भेजते हैं तो उसमें से केवल पन्द्रह पैसे वहां पर पहुँचते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं (व्यवधान) आप जवाब दे देना।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : ऐसा नहीं कहा था। व्यवस्था पर खर्च हो जाते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तो स्थिति यह हो गयी है कि आये दिन समाचार पत्रों में हमें किसी न किसी घोटाले के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। कभी बोफोर्स, कभी प्रतिभूति घोटाला (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : डामर घोटाला, एम्फोर्ट घोटाला।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी बोफोर्स घोटाला, कभी प्रतिभूति घोटाला, कभी चीनी घोटाला। यानी घोटाले इस देश में शीर्ष स्तर पर हो रहे हैं कि लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है कि कौन से घोटाले की चर्चा हो रही है। जब भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो उनमें आये दिन कोई न कोई नया घोटाला शीर्ष स्तर पर होता हमें दिखायी देता है।

जहां तक कानून-व्यवस्था की स्थिति है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज चाहे कश्मीर की स्थिति को देख लें, पंजाब की स्थिति को देख लें, आन्ध्र प्रदेश की स्थिति को देख लें, तमिलनाडू, मणिपुर, नागालैण्ड आदि कई इस प्रकार के प्रदेश हमारे देश में स्थित हैं जहां पर उग्रवाद की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उस पर अंकुश लगाने के लिये सरकार को जो उपाय करने चाहिए उसमें केन्द्र की कांग्रेस सरकार पूर्णतः असफल रही है और यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज हमारे देश में दो करोड़ बांग्ला देशी घुसपैठिये घुस गये हैं और उनको बेदखल करके देश से निकाले जाने की बात केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं हो रही है।

आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा यह हो गयी है कि जितने भी पिछले दिनों विधान सभाओं के चुनाव हुए उनमें कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है और स्थिति यह हो गयी है कि जो 14 बड़े राज्य हमारे देश में हैं उनमें से केवल केरल और उड़ीसा दो राज्य इस प्रकार के बचे हैं जहां कांग्रेस के अवशेष बचे हैं और ऐसा लगता है कि.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : केरल तो जैसलमेर जैसा ही है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ?

श्री चन्दनमल बैद :उत्तर, प्रदेश, मध्य प्रदेश ?

श्री कालीचरण सराफ : और जिस स्तर पर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : आप अपना टाइम आये तब बोलना, भाई चिन्तित क्यों होते हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो शिव सेनाकी बात सुनो, वो कहो। शिव सेना की पाकेट में हैं आप तो।

श्री कालीचरण सराफ : देखिये भारतीय जनता पार्टी किसी की पाकेट में नहीं है।पर केरल में यह निश्चित है कि मुस्लिम लीग की पाकेट में आप हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि करुणाकरण को हटाना चाहिए तो करुणाकरण

(श्री कालीचरण सराफ)

हट गये और एंन्थोनी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गये। इसलिए आप किस मुँह से बोल रहे हैं? मुस्लिम लीग की पाकेट में रखे हुए हो। हम किसी की पाकेट में नहीं है। समझ में आ गयी ना? अब मत बोलना

आज ऐसा लग रहा है कि केन्द्र सरकार काम भी कर रही है या नहीं कर रही। आपा-धापी मची हुई है आपस में। कभी अर्जुनसिंह, कभी नारायण दत्त तिवाड़ी, कभी माखनलाल फोतेदार, कभी शिवचरणजी माथुर, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, स्थायित्व की बात करते हैं वे लोग। एक भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसने कांग्रेस के शासन में कभी मुख्यमंत्री का अपना पाँच वर्ष का शासन काल पूरा किया हो। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : वर्तमान आपके मुख्य मंत्रीजी ने? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दोनों के ही नहीं है, पर हमारे मुख्य मंत्री ने 18 साल का कार्यकाल पूरा किया है।

श्री कालीचरण सराफ : महाराष्ट्र में कभी सुधाकर नाइक, फिर शरद पंवार, केरल में करुणाकरण एंथोनी (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप मुख्य मंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी मत कीजिये, बिल्कुल साफ मन से कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : हमारे यहाँ अनिश्चितता नहीं है, हमारे यहाँ परिवर्तन नहीं होता है।

श्री जगदीप धनखड़ : Don't be unfair to the Chief Minister.

श्री कालीचरण सराफ : कांग्रेस की गलत नीतियों का यह परिणाम है कि आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा की निगाह से देख रही है। आज कर्नाटक में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर का आयी और कांग्रेस का जनाजा निकल गया, मैं यह कहना चाहता हूँ। गुजरात में चुनाव हुए टू थर्ड से ज्यादा मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आयी और कांग्रेस का सफाया हो गया। महाराष्ट्र में शरद पंवार जैसे स्ट्रांग मुख्य मंत्री (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री कालीचरण सराफ : महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो वहाँ सफाया हो गया। आपके बड़े भारी भरकम लीडर श्री शरद पंवार जिनको स्थिति सुधारने के लिऐ भेजा गया था, वहाँ भी आपको धूल चाटनी पड़ी और शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश में आपको चाटनी पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें, शांति बनाये रखें।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन दूर नहीं, मैं यह चुनौती देना चाहता हूँ कि आपके श्री नरसिम्हा रावजी,

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रधान मंत्री से बात कर लें और लोक सभा के चुनाव घोषित करवा दें, इस बार लोक सभा के चुनावों में भी कांग्रेस वही दुर्गति होगी और भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में सरकार बनायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : दिल्ली अभी दूर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री कालीचरण सराफ : विपक्ष के माननीय नेता महोदय, दिल्ली अब आप के लिऐ निश्चित रूप से दूर होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के लिये दूर नहीं है। (व्यवधान) यह तो वक्त बतायेगा। कभी अर्जुन सिंह जी बात करें या नारायणदत्त तिवाड़ी से बात करें, शिवचरणजी माथुर से बात करें। पर क्या बात करेंगे (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : कर ली।

श्री कालीचरण सराफ : क्या बात कर ली, आपको कमरे में नहीं घुसने देते और कहते हैं कि बात कर ली। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपका नियंत्रण बहुत सख्त है पर यह धनखड़जी उसमें आते हैं या नहीं आते हैं?

श्री धनश्याम तिवाड़ी: यह तो अर्जुन सिंह जी के साथ जा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने तो यह हिंट दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रोको थोड़ा।

श्री परसराम मदेरणा : जब बाल ठाकरे-जी के पास आपको जाने का कोई अवसर मिले बम्बई में तो माननीय सदस्य को भी आप साथ ले जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :आपकी अनुमति होगी तो साथ मैं ले जाऊँगा लेकिन यह भी अनुमति चाहता हूँ कि वहीं छोड़ आऊँगा।

श्री जगदीप धनखड़ : पर आप तो वहां पर गये ही नहीं शपथ समारोह में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या?

श्री जगदीप धनखड़ : आप बम्बई शपथ समारोह में क्यों नहीं गये?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको अब इतनी ही जानकारी है तो ....

श्री जगदीप धनखड़ : खबर तो यह थी कि गये हैं, सम्मिलित नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारे अखबारों में तो फोटो छपे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अखबारों की बात छोड़िये, वहाँ पर तो आपका नियंत्रण है। आप तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वहाँ पर जाकर आया हूँ, शपथ मेरे सामने हुई है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप उपस्थित थे क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत :हाँ मैं उपस्थित था। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर मुझे लगता है कि वहाँ इलाज इनका नहीं होगा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) आगरा में होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : क्लीवलैड में होगा। क्योंकि क्लीवलैंड राजस्थान के लिए कुछ ठीक हो रहा है। अभी आप फिल्म देखकर आये हैं। मैं भी आपके साथ गया था देखने के लिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिए समय का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धनखड़ साहब पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय का कन्ट्रोल नहीं हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि धनखड़ साहब, हिन्दुस्तान में जितनी भी पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो इनको एन्ट्री नहीं दी ऐसी + + + को हम लेते नहीं हैं, बाकी जितनी पार्टीज हिन्दुस्तान के अन्दर हैं उन सब की यात्रा करके आप कांग्रेस में पधारे हैं इसलिए इनमें अनुशासन भी धीरे-धीरे आयेगा।

श्री जगदीप धनखड़ :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गम्भीर टिप्पणी की है, इतनी गम्भीर टिप्पणी की है कि मुझे इसपर कुछ बोलने का अवसर मिलना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपका नम्बर है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि इस सरकार के अन्दर देश में सबसे ज्यादा निर्दलीय हैं। वह किस की बात कर रहे हैं, कौनसी नैतिकता की बात कर रहे हैं ? जहाँ तक मेरे लेने का प्रश्न है, मान्यवर, मैंने कभी ऐसा निवेदन नहीं किया है। जिन्दगी में कुछ भी हो जाए पर भारतीय जनता पार्टी में जाना तो हो नहीं सकता है। छोड़िये बात जो हैं उनको तो इकट्ठा कर लीजिये इकट्ठा करके रख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया। अब आगे चलने दीजिये कार्यवाही।

श्री कालीचरण सराफ : धनखड़ साहब, जब आपका समय आयेगा तो आपको समय मिलेगा, आप मेरी बात का जवाब दे देना। अभी तो आप बिराजो, प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाषण देना है तो धनखड़ साहब का तो नाम ही मत लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्योंकि अब इनका टाइम निकल गया।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए अब आपका नाम नहीं लूंगा।

जहाँ तक हमारे प्रदेश राजस्थान का सवाल है, 1990 के विधान सभा के चुनावों में राजस्थान की जागरूक जनता ने कांग्रेस को धूल चटाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनाने का जनादेश दिया था। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990 में यहाँ बनी। हमने जो वादे

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

किये थे प्रदेश की जनता से, 345 करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ किया हमने, बारानी भूमि का लगान माफ किया हमने लगभग 137 नगर पालिकाओं के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में यहाँ हुए। वार्षिक योजना का आकार बढ़ा। जितना पैसा यहाँ योजनाओं में खर्च होता था उसका 60 प्रतिशत गांवों में खर्च करने का निर्णय लिया गया और उसको लागू किया गया। विकास के नये आयाम प्रदेश में स्थापित हुए। राजस्थान प्रदेश को विकास की नयी दिशा मिली। परन्तु क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाया गया, उसको बहाना बनाकर केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमालय प्रदेश के साथ राजस्थान की सरकार को भी बरखास्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और जो राजस्थान प्रदेश विकास की ओर अग्रसर था, वहाँ विकास की गति अवरुद्ध हो गयी और विकास के सारे काम राजस्थान में ठप्प हो गये। 1993 मे वक्त ने फिर करवट ली। कांग्रेस फिर इस आशा और विश्वास के साथ मैदान में उतरी कि इस बार तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। कुर्सी की ललक के कारण कांग्रेस ने आपसी झगड़े भुलाकर एक होने का भी प्रयास किया परन्तु वाह रे राजस्थान की जनता, कांग्रेस को फिर धूल चाटनी पड़ी और राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के एक साल के शासन के दौरान जो अभिभाषण में दर्शित किया गया है, इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस सरकार की रही हैं जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है।

राजस्थान के इतिहास में पहली बार आरक्षण व्यवस्था के आधार पर स्वायत्तशासी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाये गये और आज उसका यह परिणाम है कि पहली बार 39,268 महिलाएं, 20909 अनुसूचित जाति के लोग, 18129 अनुसूचित जनजाति के लोग और 15200 पिछड़े वर्ग के लोग इन संस्थाओं में जनता के द्वारा चुने गये हैं। आज एक प्रकार की मूक सामाजिक क्रांति पूरे प्रदेश में इस आरक्षण व्यवस्था के कारण हुई है। जो ठेकेदार पिछले कई सालों से जमे हुए थे, जो पंचायती संस्थाओं को अपनी बपौती समझते थे, मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू की और जो ठेकेदार कई सालों से जमे हुए थे वे सब नेस्तनाबूद हो गये और स्थिति यहां तक आयी कि कांग्रेस के बड़े-बड़े दिग्गज जैसे रामदेव सिंह महरिया, भैरूलाल भारद्वाज और कितने ही इस प्रकार के दिग्गजों को धूल चाटनी पड़ी और वे धराशायी हो गये। सरकार ने इतना ही नहीं किया, केवल वार्डों में आरक्षण हो, ऐसी बात नहीं है, नगर निगम के मेयर का भी आरक्षण किया। तीन नगर निगम राजस्थान में बने, उनमें से कोटा नगर निगम में मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। जोधपुर नगर निगम में ओ. बी. सी. के लिये आरक्षित किया गया। इसी प्रकार नगर परिषद

(श्री कालीचरण सराफ)

और नगर पालिकाओं में, सबमें चेयर पर्सन को भी आरक्षित किया गया और यह व्यवस्था यहां तक ही सीमित नहीं रही, जिला प्रमुखों में जहां तक स्थिति है, 31 जिला प्रमुखों में से 10 महिलाएं जिला प्रमुख बनीं, 6 अनुसूचित जाति के लोग जिला प्रमुख बने, 5 अनुसूचित जन जाति के लोग जिला प्रमुख बने और 5 ओ. बी. सी. के व्यक्ति जिला प्रमुख बने। इसी प्रकार प्रधानों के चुनावों में 237 प्रधानों में से 80 महिलाएं प्रधान बनी। राजस्थान के इतिहास में पहली बार 41 प्रधान अनुसूचित जाति के, 35 प्रधान अनुसूचित जन जाति के और 35 प्रधान ओ बी. सी. के यहां पर बने।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की क्रान्ति हमारे प्रदेश में माननीय भैरोसिंह जी शेखावत के प्रयासों से प्रारम्भ हुई।

श्री चन्दनमल बैद : तारीफ कर रहा हूँ आपकी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : इसका क्रेडित मत लीजिये। स्वर्गीय राजीव जी गांधी यह एक्ट लाये थे, आपने विरोध करके इसको पास नहीं होने दिया था पार्लियामेंट में।

श्री कालीचरण सराफ : इस चुनावों में पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग और महिलाओं ने जिस ढंग से भाग लिया, जिस उत्साह से भाग लिया, यह इस बात का द्योतक है कि गांव-गांव में महिलाओं में जागृति, अनुसूचित जाति के लोगों में जागृति, अनूसुचित जनजाति के लोगों में जागृति, ओ.बी.सी. के लोगों में जागृति पैदा करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। अब इनके पेट में मरोड़ा इसलिए आ रहा है कि इनकी जो पंचायतों के चुनावों में ठेकेदारी थी वह सब खतम हो गयी और प्रधान और जिला प्रमुख जो बनने की सोच रहे थे, जो इनकी परमानेंट बबौती थी वह खतम हो गयी। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो चुनाव हुए उनमें एक विशेष बात और देखने को मिली। 44 नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पालिकाओं में चुनाव हुए। यह हमारी सरकार की उपलब्धियों का ही द्योतक है कि 44 में से 33 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में भारतीय जनतापार्टी के बोर्ड बने। कांग्रेस की तो यह स्थिति रही है कि नगर पालिकाओं और नगर निगम के चुनाव दलीय आधार पर ही नहीं लड़ी। उन्होंने देखा कि हमारी दुर्गति होगी इसलिए वह चुनाव ही लड़ने की स्थिति में नहीं थी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : चुनाव चिन्ह ही नहीं लिया।

श्री कालीचरण सराफ : खैर, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के चुनाव हो गये और केन्द्र में बैठे कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री माननीय नरसिम्हा राव जी को सुध आयी और उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, परसराम जी अध्यक्ष हैं इसलिए गड़बड़ हो गयी। परसराम जी को + + + अशोक जी गहलोत राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष बने। उन्होंने आते ही घोषणा की कि.....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री कालीचरण सराफ : मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। वापस लेता हूँ। अजी, वापस लेता हूँ।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष के एक जिम्मेदार माननीय सदस्य को प्रस्ताव पेश करने के लिये कहा है और इस प्रस्ताव की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं लेकिन सदन के नेता वहां मौजूद है, आप कहते हैं कि मैं वापस लेता हूँ, वापस क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, जो शब्द आपने उच्चारण कर दिया, वह तो निकल गया इसलिए आप वापस नहीं, इसके लिये खेद व्यक्त करो और मैं आपसे चाहूँगा, मुख्य मंत्री जी, इसके लिये उनसे कहो कि वे खेद व्यक्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : मैं खेद व्यक्त करता हूँ।

एक माननीय सदस्य : समझदार हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) : आप जैसे नहीं हैं।

श्री कालीचरण सराफ : सॉरी

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की ग्रामोन्मुखी नीति का ही यह परिणाम है कि यहां जो पंचायती संस्थाओं के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की। 237 प्रधानों में से 118 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने और कांग्रेस की स्थिति तो यह हुई कि राजस्थान के पांच जिले–अजमेर, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, ऐसे रहे कि यहां एक भी प्रधान कांग्रेस बनाने में सफल नहीं रही। इसी प्रकार 31 जिला प्रमुखों के चुनाव हुए उनमें से 16 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने। आज से पहले यह स्थिति थी कि भारतीय जनता के 12 से ज्यादा प्रधान कभी नहीं बने और एक से ज्यादा जिला प्रमुख नहीं बना और कांग्रेस के मित्र यह आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों की पार्टी है, गांवों में इसका कोई लेना-देना नहीं है परन्तु इन चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पाटी शहरों में जितनी मजबूत है, गांवों में उससे भी ज्यादा मजबूत है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : फर्जी वोट डलवाये गये हैं।

श्री कालीचरण सराफ : बिराजिये आप। एक भी उदाहरण इस प्रकार का नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसी सही कहानी बताता हूँ (व्यवधान) आप जरा सुनिये। यह किस मुंह से बोल रहे हैं ? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे यहां प्रधान के चुनाव के अन्दर एक मैम्बर यहां हास्पिटल में एडमिट था और उसका फर्जी वोट डलवाया और उस अधिकारी ने डलवाया। रात को मिनिस्टर गये और उसने जाकर उस अधिकारी को दबाया। फर्जी वोट डलवाकर जीते हो और बात करते हो आप इस तरह की। आपको + + + आनी चाहिए। फर्जी वोट डलवाये हैं और उसके बाद आप इस तरह की हाउस में बात करते हैं।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहली बार प्रधानी जाने का इतना दुःख होता है, मुझे पता नहीं था।

(14.20)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, यह इनका दोष नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति में फर्जीवाड़ा प्रमुख चीज है। अब इनका फर्जीवाड़ा इस बार चला नहीं और हार गये। अपनी हार को दिलदारी के साथ स्वीकार करो और यह हार की बौखलाहट प्रदर्शित मत करो।

श्री मोहनलाल मोदी : + + + करके....

श्री कालीचरण सराफ : + + + बिल्कुल करते हैं आप।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ उस अधिकारी की जांच कराकर उसको सस्पैण्ड करिये। अगर यह मामला सही नहीं हो तो मैं विधान सभा से तयाग पत्र दे सकता हूँ। क्या बात करते हो आप?

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप आये दिन लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, फिरकापरस्त पार्टी है परन्तु मैं पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में माननीय भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने बे बाद (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मोदी जी गुस्सा नहीं करते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, बैठो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आप तो भाग गये सीकर से। आपने ऐसी जगह ढूंढ ली कि जहां दूसरे ऐसे आदमी मिले हैं। सीकर में ही आपका पत्ता साफ कर दिया। सीकर प्रमुख के चुनाव के लिये क्या-क्या हथकण्डे नहीं किये। सरकारी अधिकारियों को दबा-दबा कर भेजा है। एक इंजीनियर को भेजा कि एक वोट है वह किसी तरीके से इधर ले आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर से इतनी दूर रहने के बाद आपकी यह थिति है तो मैं वहां रहूँगा तो फिर क्या होगी?

श्री मोहनलाल मोदी : हमारी स्थिति तो साफ है। उप-प्रधान हमारा जीत गया और आप देखते रह गये। आपके लोग चले गये, भाग गये।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, फिरकापरस्त पार्टी है परन्तु एक साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान प्रदेश की जनता में जिस प्रकार से साम्प्रदायिक सौहार्द्र और सद्भाव का वातावरण बना है वह इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करती।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि राजस्थान की राजधानी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

जयपुर के इतिहास में पहली बार इस बार दीपावली पर मुस्लिम भाइयों ने अपनी दुकानों पर रोशनी की और ईद पर हिन्दू भाइयों ने अपनी दुकानों पर रोशनी की। इससे ज्यादा साम्प्रदायिक सौहार्द्र का वातावरण राजस्थान में नहीं हो सकता। बहुत खुशी की बात है। आपकी + + + बन्द हो रही है। (व्यवधान)

मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से राजस्थान के पुलिस प्रशासन को कि पंजाब के आतंककारियों ने जो चुनौती राजस्थान की सरकार को दी थी उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। जयपुर में राजेन्द्र मिर्धा का जिस प्रकार से अपहरण हुआ, राजस्थान की जनता में चिन्ता व्याप्त हो गयी, दहशत का वातावरण पूरे राजस्थान में बना परन्तु मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और पुलिस प्रशासन की सूझबूझ के कारण श्री राजेन्द्र मिर्धा को सकुशल रिहा करवाया गया और उसमें विशेष बात यह रही कि पुलिस के किसी अधिकारी के खरोंच तक नहीं आयी और न राजेन्द्र मिर्धा को किसी प्रकार की चोट आयी और एक आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारा गया। इस सफल ऑपरेशन के लिये जितनी ज्यादा प्रशंसा पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की की जाए, थोड़ी है।

इसी प्रकार, जयपुर में गुलशन माखीजा जैसा सनसनीखेज हत्याकाण्ड.....

श्री एमादुद्दीन अहमद खाँ (तिजारा) : आप गृह मंत्री जी के बारे में भी तो थोड़ा कुछ कह दीजिये। मुख्यमंत्री जी को आपने धन्यवाद दिया, पुलिस वालों को दिया, गृह मंत्री जी को भी वह दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है कि हाथी के पांव में सब के पांव, जहां मुख्यमंत्री जी आ गये, गृह मंत्री जी भी आ गये, पूरा मंत्रिमण्ड़ल भी आ गया। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, जयपुर शहर में गुलशन माखीजा का एक सनसनीखेज हत्याकाण्ड़ हुआ था। पिछले विधान सभा सत्र में यह मामला बड़े जोर शोर से हम लोगों ने उठाया था। मैं इस बात के लिये भी बधाई देना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि हत्याकाण्ड़ के सारे अभियुक्त बड़ी कुशलता के साथ पुलिस ने पकड़े। इतना ही नहीं, अन्तर्राज्यीय डकैती नकबजनी करने वाला जो गिरोह था उसका भी पर्दाफाश हुआ। लगभग 973 अवैध हथियार और भारी मात्रा में कारतूस भी पकड़े गये। 1015 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस सफलता के लिये भी मैं पुलिस प्रशासन को साधुवाद देना चाहूँगा। पंजाब के आतंककारियों की गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिये राज्य सरकार ने अभिभाषण में सजगता का परिचय दिया है उसके लिये भी मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। 1993 में जहां 62 करोड़ रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया था, इस बार 152 करोड़ रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया है और 230 घुसपैठियों को भी राजस्थान सरकार पकड़ने में सफल हुई।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

निश्चित रुप से इसके लिये मुख्यमंत्री जी और सरकार साधुवाद के पात्र है। (व्यवधान)

अब आपको तकलीफ हो रही है, मै क्या कर सकता हूँ ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : कालीचरण जी, वह प्रेस कान्फ्रेस में यूरेनियम का क्या हुआ ?

श्री कालीचरण सराफ : मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो जवाब दे देंगे, आप विराजिये।

मैं राज्य सरकार को इस बात के लिये भी साधुवाद देना चाहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान राजस्थान में चलाया जायेगा और आज उसी का यह परिणाम है कि 1994 में 230 अपराध सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पंजीकृत किये गये, 443 प्रकरणों का निपटारा किया गया, 57 राज्य कर्मचारियों के यहां छापे मारे गये, 138 जांचों को पूरा किया गया, 68 कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये, 73 अधिकारियों को दण्डित किया गया, 14 अधिकारियों को राज्य सेवा से हटाया गया। निश्चित ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वातावरण बना है और इन कार्यवाहियों से निश्चित रुप से भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिये भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी कार्य कुशलता के कारण, कुशल वित्तीय प्रबन्ध के कारण, अधिक साधन जुटाये जाने और मितव्ययता बरते जाने के कारण प्रदेश की वार्षिक योजना में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। 90-91 में जहां प्रदेश की वार्षिक योजना में 961.53 करोड़ की थी, 91-92 में 1166 करोड़ रुपये की हो गयी, 92-93 में 1400 करोड़ रुपये की हो गयी, 93-94 में 1705 करोड़ रुपये की हो गयी और 94-95 में 2450 करोड़ की यह योजना हो गयी, मुझे खुशी है इस बात की कि 95-96 के लिये 3200 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत की गयी है।

माननीय सभापति महोदया, कांग्रेस के शासन की क्या स्थिति थी ? सातवीं पंचवर्षीय योजना कुल 3,000 करोड़ की थी और अब हमारी वार्षिक योजना 3,200 करोड़ रुपये की होने जा रही है। यह राशि में वृद्धि निश्चित रुप से राजस्थान के विकास को नयी दिशा प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के शासन के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना में जहां हमारे देश का प्रति व्यक्ति विनियोजन 718 रुपये था वहीं राजस्थान का प्रतिव्यक्ति विनियोजन 622 रुपये मात्र था।

यानि कम था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में प्रति व्यक्ति विनियोजन 1175 रुपये था और हमारे प्रदेश का प्रति व्यक्ति विनियोजन 875 रूपये था। यानि कांग्रेस के शासन के दौरान हमारे प्रदेश का अन्य राज्यों की तुलना में योजनागत विनियोजन कम था। परन्तु हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनते ही, आठवीं पंचवर्षीय योजना में

(श्री कालीचरण सराफ)

देशं का प्रति व्यक्ति विनियोजन जहां 2102 रुपये था, उसकी तुलना में हमारे प्रदेश का प्रति व्यक्ति विनियोजन 2614 रुपये हो गया।

श्री जगदीप धनख़ड़ : माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं है कि राजस्थान में मिली-जुली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार कहां है ? बार बार भाजपा सरकार कह रहे हो। निर्दलीयों को मत भूल जाओ। खतरे में पड़ जाओगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : निर्दलीयों का सवाल नहीं है। यहां तो हम आपके समर्थन का भी मूल्य कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है आपका भी बड़ा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से जिस प्रकार का समर्थन हमको मिल रहा है हम तो उसका भी मूल्य समझते हैं।

श्री जगदीप धनख़ड़ : सभापति महोदया, मुख्यमंत्री जी से कहिये, अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है उसकी कुछ व्याख्या करें। प्रत्यक्ष तो खैर हम देख सकते है अप्रत्यक्ष बतायें।

श्री सभापति : समय आने पर कर देगें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसलिये साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने परियोजनाएं बनाकर (व्यवधान) भारी मात्रा में—

श्री जगदीप धनख़ड़ : कालीचरण जी ने बहुत मेहनत की है इस बार। कुल 25 दफा आपको धन्यवाद दिया गया है और + + + है।

श्री चन्दनमल बैद : और 50 दफा + + + है।

श्री कालीचरण सराफ : आपको क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनख़ड़ : क्या आपको फर्क नहीं पडता है ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : आपने भी चन्द्रशेखर जी की बड़ी प्रशंसा की लेकिन नम्बर नहीं आया तो मैं क्या करुं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : कहीं यही हश्र कालीचरण जी का न हो जाए।

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : देखिये इस नीयत से कोई नहीं बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनख़ड़ : वह तो उनको बोलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेख़ावत : देखिये, इस नीयत से कोई नहीं बोल रहे हैं लेकिन यह कह रहे थे ना कि कितनी बार प्रशंसा कर दी है। मैंने भाषण सुना है इनका भी, कितनी ही बार चन्द्रशेखर जी की प्रशंसा की है लेकिन मन्त्रिमंडल में नम्बर नहीं आया तो नहीं ही आया।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, आपके कहने का मतलब यह है कि नीयत से नहीं, बदनीयत से बोल रहे हो ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जिस नीयत से बोल रहे हैं उसमें मंत्रिमंडल में आने और नहीं आने का प्रश्न नहीं है। जो सरकार की उपलब्धियांहैं वह आपके सामने रख रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मैंने लोकसभा में माननीय चन्द्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल में एक भी भाषण नहीं दिया।

श्री सभापति : आपकी सफाई नहीं ले रहें हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : इसलिये मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे है वह तथ्यों से परे है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना कितने की बतायी है ?

श्री कालीचरण सराफ : तीन हजार करोड रुपये की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तीन हजार करोड रुपये की ? अब कितने की बतायी है ?

श्री कालीचरण सराफ : अब वार्षिक योजना है बत्तीस सौ करोड़ रुपये की, एक साल की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक साल की ?

श्री कालीचरण सराफ : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी, कालीचरण जी, आप एम.एल.ए. थे और आज भी एम.एल.ए. ही हैं, दूसरे मंत्री बन गये। आपका क्या हुआ ?

श्री कालीचरण सराफ : मैं एम.एल.ए.तो था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस बात को देख ही नहीं रहे हो, यूं ख्वाहम ख्वाह ही बढ़ाये जा रहे हो। आप अपने आपको बढ़ाओ ना।

श्री कालीचरण सराफ : सुनिये, मैं तो पहले भी एम.एल.ए. था और अब भी एम.एल.ए. ही हूँ परन्तु आप पहले सांसद थे और अब एम.एल.ए. हो गये। (व्यवधान) और वह भी + + + से हुए, केवल 15 वोटों से।...(व्यवधान) मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के शासन के दौरान जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 97 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता हमारे प्रदेश को मिली थी वह इस बार बढ़कर 1500 करोड़ रुपये हो गयी।

एक माननीय सदस्य : आप बार बार साधुवाद क्यों दे रहे हैं ?

श्री कालीचरण सराफ : 1500 करोड़ रुपये यदि विदेशी सहायता हमें प्राप्त हो रही है तो आपको भी साधुवाद देना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देखिये, यह फर्क है। साधुवाद का मतलब, जिसको कहीं भी मंत्रिमंडल की चाह नहीं है वह साधुवाद शब्द का प्रयोग करेगा। (व्यवधान) वरना धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, इतना ही नहीं, 92-93 में जहां अन्य राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश का बारहवां नम्बर था, अब 95-96 में हमारे प्रदेश का नम्बर चौथा हो जाएगा। हमारी वित्तीय स्थिति बेहतर हुई है। अब इनको फिर तकलीफ होगी मैं फिर साधुवाद दूंगा और इनको फिर तकलीफ होगी। (व्यवधान) चलो, मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिये भी बधाई

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

देना चाहूँगा, आपको तकलीफ हो रही है तो मैं शब्द परिवर्तित कर लेता हूँ, मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि आज तक प्रदेश का बिना नीतियों के कारण जो असन्तुलित विकास हो रहा था, कई जिलों में तो ज्यादा स्कूल कई में कम, कहीं पर सड़क ज्यादा है कहीं कम, हर विषय की नीति बनाकर,दीर्घकालीन परिवेश रचकर योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश का विकास हो, इस बारे में सड़क की नीति बनी हैं औद्योगिक नीति बनी है, खनिज नीति बनी है और पर्यटन नीति तथा कृषि नीति और बनने वाली है।

श्री जुबेर ख़ान (रामगढ) : मंत्रिमंडल बनाने की नीति भी बना दें आप।

श्री कालीचरण सराफ : आप क्यों चिन्ता करते हो। भैया, बनना हम लोगों में से किसी को है, आपका किसी का भी नम्बर नहीं आने वाला है तो आप चिन्ता ही मत करो।

श्री जुबेर ख़ान : मंत्रिमण्डल की नीति शायद आपके काम आ जाए, इसलिए कह रहे हैं हम तो।

श्री कालीचरण सराफ : मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनैतिक मापदंण्डों को छोड़कर वास्तविकता के आधार पर नीतियां बनायी गयी हैं ताकि पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो, संतुलित विकास हो। इस बार मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने यह तय किया है कि नीतियां बनाकर पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। इस तरह निश्चित रुप से जो असंतुलन प्रदेश के कई इलाकों में है वह दूर होगा और पूरे प्रदेश का समन्वित विकास होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि यमुना समझौते में, मुख्यमंत्री जी ने अड़िग रहकर और दृढ़ता के साथ ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया और हमारे राज्य को 1.119 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिलवाने में जो सफलता हासिल की निश्चित रुप से यह स्वागत योग्य है। तीन लाख हैक्टेयर भूमि में इससे सिंचाई हो सकेगी और भरतपुर, अलवर, चूरू, सीकर, झुन्झुनूं की पेयजल समस्या का भी इससे निश्चित रुप से निदान होगा। अब मैं बधाई दूंगा, आपको फिर तकलीफ होगी,परन्तु अजमेर और ब्यावर को बीसलपुर योजना से पानी उपलब्ध हुआ है और आज वहां के लोग पानी पी रहे हैं इसलिए भी मैं मुख्यमंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा परन्तु इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि जयपुर में भी पेयजल का गम्भीर संकट है, बीसलपुर योजना से जयपुर को पानी दिया जाए। इस प्रकार की योजना राज्य सरकार की है। कांग्रेस के राज में तो इस योजना में यह कह करके जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की गयीकि द्वितीय चरण में दो हजार के बाद पानी आयेगा या 2015 के बाद पानी आयेगा, परन्तु आज जयपुर की स्थिति यह है कि यहां का रामगढ़ का बंधा जो, प्रमुख स्रोत है, उसमें पानी नहीं है। 500 नलकूपों के आधार पर आज जयपुर शहर में पानी का वितरण हो रहा है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो 550 करोड़ रुपये की बीसलपुर योजना से आपने जयपुर को पानी देने की योजना बनायी है, विश्व बैंक से या अन्य किसी विदेशी एजेन्सी से जल्दी से जल्दी बातचीत करके इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जिससे जयपुर के लोगों में जो पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है, जो पेयजल का संकट जयपुर शहर में है, उससे निजात पायी जा

(श्री कालीचरण सराफ)

सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जयपुर शहर से विधायक हूँ और आज तक इतनी सरकारें बनीं, तीन सरकारें तो मेरे सामने भी बन गयीं, मैं दस साल से विधायक हूँ परन्तु किसी सरकार ने नगरीय विकास के बारे में कभी कोई चिन्ता नहीं की। मैं इस बात के लिये निश्चित रुप से बधाई देना चाहूँगा राज्य सरकार को कि उन्होंने पहली बार परियोजना 6 नगरों की बनायी हैं जिसमें जयपुर भी शामिल है, और एशियन विकास बैंक से इसकी बातचीत चल रही है। जयपुर शहर में सीवरेज, नालियां, सडकें, लाईट्स, पार्कों का विकास, नये कई इस प्रकार की समस्याएं हैं, जब यह परियोजना लागू हो जाएगी तो उनसे निश्चित रुप से निजात मिलेगी। मैं जयपुर शहर की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि कई सालों से कृषि भूमि पर बने मकानों के नियमन का मामला अटका पड़ा था, कांग्रेस की सरकार ने 1981 में एक एडवरटाइजमेन्ट निकाला कि कन्वर्शन चार्जेज जमा करवायें, हम हाथों-हाथ रुपान्तरण कर देगें, जयपुर की जनता ने 28 करोड़ रुपये कांग्रेस के शासन में जमा भी करवा दिये परन्तु न तो इनका ब्याज दिया गया, न कोई नियमन किया गया परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या के निदान की कोशिश की और भूमि रुपान्तरण कानूनों और नियमन के कानूनों का सरलीकरण किया गया और उसी के परिणमस्वरुप 16525 भूखण्डों का और 134 योजनाओं का नियमन हो गया है। तो निश्चित रूप से इसके लिये भी राज्य सरकार बधाई की पात्र है। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। अन्त में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यह सरकार प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। यह सरकार प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। यह सरकार गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करने के लिये प्रतिबद्ध है। इस अभिभाषण में प्रदेश को नयी दिशा देने का संकल्प है। अतः मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता, मैं आपके भाषण को सुन रहा था, आपका जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, वह धन्यवाद तो देना चाहते हैं महामहिम राज्यपाल को और आप धन्यवाद देना दिखाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्यमंत्री) : राज्यपाल means राज्य सरकार है।

श्री परसराम मदेरणा : आप जानते हैं कि proposer of the motion thanks the Governor for his address to the house. अब गवर्नर को धन्यवाद और अपने प्रस्ताव में राज्यपाल महोदय का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद- धन्यवाद से मुख्यमंत्री जी पर इतना बोझ ड़ाल दिया आपने।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Who have prepared the address.?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद है। (व्यवधान) ..

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रतिपक्ष भी देता आ रहा है निरन्तर, इसलिए कोई बोझ नहीं है उन पर।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। माननीय सभापति जी भारत आजाद होने के बाद राजस्थान में अधिकांश वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। (व्यवधान) अब कोई चांस नहीं है। समय आयेगा, बता देंगे।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री,पंचायती राज) : अब भूली बिसरी यादें हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अधिकांश समय में जितना राजस्थान का विकास होना चाहिये था, वह राजस्थान का विकास नहीं हुआ। चाहे राजस्थान में पीने के पानी की समस्या हो, चाहे राजस्थान में विद्युत का संकट हो, चाहे राजस्थान में सीमाओं पर अराष्ट्रीय गतिविधियों हों, इन सारी समस्याओं पर गम्भीरता से पूर्व सरकार ने ध्यान नहीं दिया, (व्यवधान) कांग्रेस की पूर्व सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में उन समस्याओं के समाधान के लिये, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए और जनता को राहत देने के लिये जो कार्यक्रम बनाये ,उसको जनता का समर्थन मिला। चाहे कोई गवर्नमेंट बनी हो, मुख्यमंत्री माननीय भैरोंसिंह शेखावत बने हैं और उनके नेतृत्व में राजस्थान के विकास ....

श्री परसराम मदेरणा : मुख्यमंत्री तो बन गये लेकिन उनके साथ 54 एम.एल.ए. जनता दल के थे, आप भले ही लूट रहे हो, बन गये। लेकिन It is a coalition government.

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, राजस्थान के विकास में जो कमियां रही थीं योजनाबद्ध तरीके से और समय का लक्ष्य निर्धारित करके योजना पूरी नहीं की गयी और कांग्रेस सरकार के कारण जो भ्रष्टाचार पनपा नीतिगत जो निर्णय लेने चाहिए थे और समय पर निर्णय लेने चाहिये थे, वह नहीं लिये गये, इस कारण प्रदेश का विकास नहीं हुआ। 1990 में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उस समय जो राजस्थान के अन्दर गम्भीर से गम्भीर समस्याएं थीं, उनको सुलझाने की एक शुरुआत हुई। उस शुरुआत के अन्दर सबसे पहले राजस्थान का समूचा विकास और विकास के अन्दर सन्तुलन पैदा किया जाए उसकी नीतियां घोषित की गयीं। उस नीति के आधार पर राजस्थान के विकास की शुरुआत हुई।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य कालीचरण जी ने ऑकड़ों के आधार पर इस बात को साबित किया कि राजस्थान के अन्दर किस प्रकार से विकास हुआ। उस विकास का आधार और जनता की समस्याओं का समाधान जिस आधार पर हुआ उसका मूल्यांकन यदि हम देखें, हाल में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव राजस्थान में हुए उन

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

चुनावों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी को, माननीय भैरोंसिंह शेखावत को जितना भारी जन समर्थन मिला उस जन समर्थन का आधार देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की नीतियां आज जनता के लिये सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 77 से 80 तक भी आपने वे ही नीतियां निर्धारित की थीं ना, फिर आप 80 के चुनाव में कहां आये। मार्च में आपकी क्या दुर्गति हुई, वह आपको पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह आपको पता होगी। माननीय सभापतिजी, जो 80 में राजनीतिक घटनाचक्र देश में चला था उस घटनाचक्र के परिणाम से हम भी अछूते नहीं रहे परन्तु आज जो देश में राजनीतिक घटनाचक्र चल रहा है उस घटनाचक्र से भी आप बचने वाले नहीं हैं। आज देश के अन्दर जब प्रदेशों के चुनाव हुए, प्रदेशों के अन्दर इस बात को साबित किया गया और गैर कांग्रेसी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजस्थान में राज कर रही है, उस राजस्थान की सरकार को मॉड़ल मानकर गुजरात और महाराष्ट्र की जनता ने माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के कुशल प्रशासन के कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बहुमत मिला और महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ उन्होंने अपना राज बनाया। यह भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक सफलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व और पश्चिमी राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से लगती हुई है और आजादी के बाद लगातार वहां तस्करी होती रही है और आतंकवादी और हथियार ....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : मैं रोकना तो नहीं चाहता हूँ,आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, भैरोंसिंहजी साहब को आड़वाणीजी की जगह भेजिये, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइये, देश का राज करिये, हमारा पीछा छुटवाइये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : हम प्रधानमंत्री बनायेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री परसराम मदेरणा : पूर्व और पश्चिम नहीं, जो घटनाचक्र चल रहा है अभी पूरे देश में यह घनचक्कर तो खरीद फरोक्त का है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह तो आज तक आपने किया है इसलिए अभी पंचायतों के चुनावों में भोपालगढ़ में जानकी जैसी सदस्या, जो अनुसूचित जाति की थीं, का आपने अपहरण करवा दिया और बाद में पुलिस प्रशासन ने उसको छुड़वाया।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : यह तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, खरीद-फरोख्त आपने की और उनको प्रधान का टिकट पैसे देकर दिया।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापतिजी, पश्चिमी राजस्थान की जो सीमा लगती है उस सीमा पर तो अराष्ट्रीय गतिविधियां चल रही थी, 1990 के बाद सरकार की सर्तकता और पुलिस के प्रशासन के कारण उस पर नियन्त्रण आया। सीमित साधन होने के बाद भी आतंकवादियों को आने से रोका गया और तस्करी पर नियन्त्रण करने की कोशिश की गयी। देश के अन्य प्रांतों के अन्दर जो आतंकवाद का बोलबाला है, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, पंजाब और कश्मीर में ज्यादा

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

सतर्कता होने के कारण राजस्थान की सीमा की ओर पाकिस्तान के आतंकवादी बढने का प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई.हमेशा इस बात की कोशिश करती रही है कि राजस्थान में भी पंजाब और कश्मीर की तरह हालात पैदा किया जाये, राजस्थान की भी शांति भंग की जाए, राजस्थान में भी अराजकता पैदा की जाए। राजस्थान पुलिस प्रशासन के कारण, राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत की सतर्कता के कारण, कुशल प्रशासन के कारण राजस्थान के अन्दर आतंकवादियों की एक भी नहीं चल रही है और पुलिस उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इसी का परिणाम यह था कि राजस्थान के अन्दर जयपुर में राजेन्द्र मिर्धा जी का जो अपहरण हुआ उस अपहरण के बाद जिस ढ़ंग से बरामद करके सकुशल उनको उनके परिवार को सौंपा गया। आज से पहले आपने देखा होगा कि केन्द्रीय गृह मंत्री जी की लड़की का अपहरण हुआ तो आतंकवादियों के साथ बार्गेनिंग की गयी, उनके साथ सौदेबाजी की गई। परन्तु राजस्थान के प्रशासन ने, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने, अपने कुशल नेतृत्व में राजेन्द्र मिर्धा को सकुशल रिहा करवया और उनके परिवार को सौंपा। साथ ही राष्ट्रीय एकता के लिए राजस्थान की सरकार जिस प्रकार का काम कर रही है और राष्ट्रीय एकता के लिये सीमा पर जिस प्रकार की निगरानी रख रही है इसके लिये मैं केन्द्र सरकार से भी यह मांग करुंगा कि राजस्थान सरकार को और बहुत से साधन दिये जाएं जिन साधनों के कारण पूरीतरह से सतर्कता बरत सके।

माननीय सभापतिजी, राजस्थान में जल का संकट था। पिछले सत्र के अन्दर ब्यावर, अजमेर और जोधपुर के जल संकट की काफी चर्चा की गयी थी। जल संकट के समाधान के लिए बीसलपुर परियोजना से अजमेर और ब्यावर को पानी दिया गया उसी तरह जोधपुर के भी जल संकट को ध्यान में रखते हुए 1990 से जोधपुर लिफ्ट कैनाल का काम तेज गति से आरम्भ किया गया। उस लिफ्ट कैनाल के इतिहास के बारे में विपक्षके नेता यह जानते हैं कि उसका क्या इतिहास रहा था। 1984 के अन्दर लिफ्ट कैनाल का उद्घाटन किया गया था। एक के बाद एक उद्घाटन होते रहे और 1990 तक उसके कार्य में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। 1990 के बाद 256 करोड़ की जो योजना जोधपुर के पेयजल के संकट के समाधान के लिये बनायी गयी थी उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री, भैरोंसिंहजी शेखावत और हमारे जलदाय मंत्री जी, भंवरलालजी शर्मा ने जो प्रयास किया उसके कारण जोधपुर की जनता को हिमालय का पानी आज भी 40 लाख गैलन मिल रहा है। एक लक्ष्य और समय निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर यह जो भागीरथी प्रयास किया गया था उस प्रयास का यह परिणाम है कि जोधपुर को आज पानी मिल रहा है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा, जोधपुर को जो 40 लाख गैलन पानी मिल रहा है यह अपर्याप्त है इसको बढाने के लिये माननीय जलदाय मंत्रीजी ने एक इमरजेन्सी स्कीम और उसमें लगा कर योजना चालू करके उस योजना के आधार पर इसी मई तक जोधपुर को 40 से 80 लाख गैलन तक पानी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था कि जोधपुर को पानी मिलना चाहिए, जोधपुर का विकासहोना चाहिये, जोधपुर की पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिए। आज इस प्रकार की जो बड़ी से बड़ी समस्या है जल संकट की उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह काम कर रही है।

श्री परसराम मदेरणा : सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बतायें कि 40 लाख की जो आपातकालीन योजना है यह पानी आपकी सरकार के टाइम में पहुंचा था या राष्ट्रपति शासन के दौरान पहुंचा था ? (व्यवधान) ..पानी कभी पहुँचा हो लेकिन सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को इस सदन में स्वीकार करेंगे कि इस योजना की परिकल्पना दूरदर्शिता से किसने की और 1990 से लेकर 1996 तक 40 लाख गैलन पानी लाये हो, 6 वर्ष में आपकी यह प्रगति है, फिर यहाँ पर बड़ी-बड़ी डींग हांक रहे हो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापतिजी, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने सही कहा, परिकल्पना आपने की होगी, आपने योजना 1984 में बनायी होगी, आपने प्रथम शिलान्यास करवाया था, आपके बाद आपकी योजना पर भाटा अपने भाटीजी ने डाल दिया। इन्होंने 1985 में पुनः शिलान्यास करवाया और योजना को वर्जित कर दिया। 1984 से लेकर 1990 तक आप आंकड़े उठा कर देख लें मात्र 17 करोड़ रुपये खर्च हुए 20 किलोमीटर नहर की लाइनिंग का काम हुआ। इसके अलावा जो निर्णय लेने थे वह माननीय भवंरलालजी शर्मा, जलदाय मंत्री ने लिये हैं जिसके कारण 1990 से लेकर आज तक वह योजना पूरी होने को जा रही है। उससे पहले माननीय दीवान साहब भी उसके मंत्री रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप बोल लिये, बहुत अच्छा पानी लेकर आये हैं, मैं भी जोधपुर का निवासी हूँ, मैं भी आपका पानी पी रहा हूँ लेकिन चूंकि आपने रिकार्ड की बात कर दी, मैंने भी जलदाय विभाग का चार्ज संभाला है, मैं कैनाल का मिनिस्टर भी था, सबसे ज्यादा अगर लिफ्ट योजना की खिलाफत की है तो यहां सदस्य बैठे हैं, सबसे ज्यादा आप के नेता महोदय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने की है जब विपक्ष के नेता थे। लिफ्ट कैनाल के प्रिंसिपल में वह खिलाफत कर रहे थे और आपकी जोधपुर लिफ्ट भी उसमें सम्मिलित है। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : आप उन से बात करें, इनसे क्या बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं जवाब दूंगा, आप बैठो न।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह तो हमारी घर की बात है, साहब। आपको क्या तकलीफ है (व्यवधान) + + + मैंने तो मुख्य मंत्रीजी को कहा कि मेरे से बात न करें, मैं तो घर वालों से तो करूँगा ही। इसलिए इन प्रिंसिपल आप बहुत अच्छा पानी लेकर पधारे हो, मैं तो आपको बधाई देता हूँ। आकंड़े देते समय फैक्ट्स को मोड़ो मत। भैरोंसिंहजी जोधपुर के हित में बिल्कुल नहीं रहे थे। विपक्ष के हमारे नेता बिराजमान हैं, यह भी मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे। (व्यवधान) आपने मेरा नाम लिया इसलिए मैं खड़ा हुआ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, सभापतिजी, मैंने इसलिए नहीं लिया। जोधपुर लिफ्ट कैनाल के पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है और वह भी एक कारण इस योजना में विलम्ब होने का रहा। चाहे माननीय मदेरणाजी की राजनीति रही हो,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

माननीय भाटी साहब की राजनीति रही हो, माननीय अशोकजी गहलोत की राजनीति रही हो, उनके पीछे यह एक ऐसा भ्रम जाल रहा है जिसके कारण जोधपुर की जनता हमेशा इनके कथन सुनती रही।

श्री परसराम मदेरणा : कोई राजनीति नहीं रही है। अभी जो प्रभारी मंत्री हैं पी.एच.ई.डी. के उनसे मैं रिक्वेस्ट करुँगा कि आप इनको फैक्चुअल पोजिशन से अप्राइज कीजिये। 20 फरवरी, 1984 को, शायद 19 को पी.पी.सी. की मीटिंग हुई, 20 फरवरी, 1984 को बोर्ड की मीटिंग हुई, यह जोधपुर की डिंकिंग वाटर लिफ्ट स्कीम केबिनेट से सैंक्शन नहीं हुई है। उस बोर्ड और पी.पी.सी. का मैं चेयरमैन था। मैं कोई मेरी तारीफ कराने के लिये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप यह कहो कि राजनीति आ गयी है, राजनीति आती तो मैं यह सैंक्शन क्यों करता।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापतिजी, माननीय मदेरणाजी ने जोधपुर में पानी लाने का प्रयास जरुर किया होगा परन्तु मदेरणाजी की राजनीति नहीं थी, उसमें भाटी साहब भी बाद में आ गये, भाटी साहब ने अपनी राजनीति कर ली, अशोकजी गहलोत फिर बन गये उन्होंने राजनीति कर ली, माननीय दीवान साहब मंत्री बन गये, उन्होंने राजनीति कर ली परन्तु जोधपुर शहर तो प्यासा का प्यासा ही रहा। जोधपुर के अन्दर आपने शुरुआत की उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब भी जोधपुर के अन्दर यह पानी आएगा तो आपके प्रयास को भी हम ध्यान रखेंगे परन्तु वह भागीरथी प्रयास माननीय भैरांसिंजी शेखावत ने किया, वह भागीरथी प्रयास माननीय भंवरलालजी शर्मा ने किया जिन्होंने कैनाल को लक्ष्य पर पहुँचाया और जोधपुर को पानी पहुँचाया।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर ड्रिंकिंग वाटर योजना का राजनीतिकरण जितना जोरदार तरीके से आप कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से मैं समझता हूँ कि जोधपुर जिले के किसी भी नागरिक ने नहीं किया। यह तो राजनीतिकरण ही आप कर रहे हैं, सरसरी ही यहां से हुई है।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा। पता नहीं राजनीतिकरण किसने किया, किसने नहीं किया, आप विधायकों की एक कमेटी बना दीजिये, आज तक जो पानी पहुँचना चाहिए था, यह नहर 92-93 में कम्प्लीट हो जानी चाहिए थी, 3 साल, 4 साल डिले हो रही है उसके लिये टोटल रेस्पांसिबल भंवरलाल जी शर्मा हैं, निर्णय लेते ही नहीं। इनके पास टेण्डर पड़े हुये हैं 3-3 साल से पम्प के पावर हाउस लिफ्ट स्टेशन के 3-3 साल से टेंडर पड़े हुए हैं, निर्णय लेते ही नहीं। आज बैठा दो, अगर यह नहीं हो जाए, मैं इस्तीफा दे दूँगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, दीवान साहब को इस्तीफा न देना पड़ जाए, वह तथ्य मैं आपके सामने रख सकता हूँ।

श्री माधव सिंह दीवान : आज जो तीन साल से जोधपुर प्यासा रहा है उसके लिए एकमात्र आदमी जिम्मेदार है (व्यवधान) ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखिये। इधर-उधर लोगों के नाम मत लीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति जी, दीवान साहब ने जो बात रखी है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 1984 से 1990 तक आपने पम्प हाउस बनाने का कोई निर्णय लिया, आपने पम्प हाउस खरीदने का कोई निर्णय लिया, आपने पाइप बनाने का कोई निर्णय लिया, आपने किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया ? आपने एक भी निर्णय नहीं लिया और आप हमेशा यह कहते रहे कि 86 में पानी मिल जाएगा, 87 में पानी मिल जाएगा। जिसके कारण आपको शायद यह विभाग भी छोड़ना पड़ा। आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जोधपुर की जनता के लिये जो सारे निर्णय विचाराधीन थे वह माननीय भंवरलालजी शर्मा ने लिये। जोधपुर लिफ्ट कैनाल के लिए जितना पैसा चाहिए था वह पैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया। उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि जोधपुर को पानी मिलना चाहिए और समय पर पानी मिलना चाहिए। मैं इस बात के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि सरकार 15 दिसम्बर को बरखास्त नहीं होती तो आज की स्थिति में आज से एक साल पूर्व जोधपुर को पूरा पानी मिल जाता है। आज स्थिति इसके बाहर नहीं हुई कि एक साल के राज्यपाल के शासन में जोधपुर में लिफ्ट कैनाल का काम बंद हो गया। मैं महामहिम राज्यपाल को आज के दिन धन्यवाद दूँगा, वे जोधपुर पधारे थे 5 सितम्बर, 1993 को तो हमने उनको एक ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा जब नहर तैयार बनी हुई है तो जो जिले के अंदर आपातकालीन योजना बनायी गयी थी वह क्यों नहीं लागू की जा रही है, उन्होंने तिथि तय की और तिथि के अनुसार काम चालू हुआ। उधर नहर बनी हुई थी उसके अंदर मिट्टी आ गयी थी। महामहिम राज्यपाल जी ने वह योजना प्रारम्भ की, जोधपुर को पानी दिलाया और जोधपुर में हिमालय का पानी आ गया। इसलिए मैं राज्यपाल महोदय को आज के दिन धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति जी, पेयजल संकट और बिजली के संकट यह कांग्रेस शासन की देन है। जिसके कारण आज राजस्थान की जनता को यह भुगतना पड़ रहा है। 6 वर्षों में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने राजस्थान के विकास के लिऐ नये कार्य शुरु किये हैं और जनता की आस्था और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर टिका हुआ है कि इसके कारण राजस्थान का विकास होगा। वार्षिक योजना के अंदर जो वृद्धि की गयी है उससे राजस्थान का समुचित विकास होगा।

माननीय सभापति जी, मैं एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हूँ। पिछड़े वर्गों को जिस प्रकार की सुविधा माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार ने दी हे उसके लिए पिछडे वर्गों की ओर से मैं माननीय भैंरोसिंह जी को साधुवाद देता हूँ। पिछड़े वर्गों के लिये सरकार ने नौकरियों में 21 प्रतिशत आरक्षण किया गया। आज से पहले मांग की गयी, भैरोंसिंह जी शेखावत से किसी ने मांग नहीं की थी उसके बावजूद उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये, प्रशासन में पिछड़े वर्गों की भागीदारी हो इसलिए पिछड़े वर्ग को 21 प्रतिशत आरक्षण दिया। साथ ही राजनैतिक आरक्षण दिया है उसके कारण राजस्थान में राजनैतिक समीकरण बदले हैं। राजस्थान के अंदर पंचायत चुनावों से साबित हो गया है कि

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

राजस्थान का पिछड़ा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिला हैं। भारतीय जनता पार्टी के जगह-जगह प्रधान और प्रमुख बने हैं, नगर पालिका और नग निगमों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है।

माननीय सभापति जी, आपने जो आज के अवसर पर यह समर्थन प्रस्ताव पढ़ने का समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह जी महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जौहरी बाजार क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसका समर्थन माननीय श्री गहलोत जी ने किया है, मेरा यह मानना है कि दोनों ही भूल कर रहे हैं। न तो यह प्रस्ताव समर्थन के लायक था और न ही यह प्रस्तुत करने लायक। मेरी समझ में जब से यह विधान सभा आयी है, सन् 52 से, लेकर आज तक के सब अभिभाषणों को मंगाकर आप अन्वेषण करा लो, ऐसा + + + ऐसा ढीला, ऐसा + + + अभिभाषण आज तक किसी महामहिम ने इस सदन में नहीं दिया। न तो यह राज्य के विकास की ओर इंडीकेशन करता है, न इसमें कोई उपलब्धियों का बखान है। सभापति महोदया, इसमें कुल मिलाकर 94 पैराग्राफ दिये गये। अगर इस पूरे अभिभाषणको समराईज किया जाता तो 10 पैराग्राफ में आ जाता।

एक माननीय सदस्य : आपने पढ़ा कि नहीं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने पूरा पढ़ा है, बिना पढ़े तो माननीय कालीचरण जी सराफ बोल गये और गहलोत जी बोल गये। मैं तो पढ़कर बोलूंगा (व्यवधान) सभापति महोदया, इसमें पहले 3 पैराग्राफ चुनावों के सम्बन्ध में हैं महामहिम कह रहे हैं कि चुनाव राजस्थान में नगरपालिका और पंचायत समितियों के करवा दिये और उसकी प्रशंसा का श्रेय खुद ले रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ सदन में आपके माध्यम से, सरकार से, कि 5 साल तक जो पंचायतों को आपने भंग करके प्रशासक बैठाये थे उस अपराध के भागीदार भी आप ही हैं? राजस्थान वह प्रदेश है जिसने समूचे देश में पंचायती राज व्यवस्था का दीप प्रज्जवलित किया।

श्री नाथूसिंह (राज्यमंत्री, पंचायती राज) : आपने तो 13 साल नहीं कराये, मैं तो....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज किस बात का श्रेय ले रहे हैं मान्यवर? अगर केंद्रीय सरकार विकास की राशि को नहीं रोकती या अड़ांस नहीं लगाती तो, 13 साल तक तो शासन में नहीं रहेंगे, जब तक यहाँ शासन में रहते, यह नाथूसिंहजी चुनाव नहीं करवाने वाले थे।

श्री नाथूसिंह यह फैक्ट करेक्ट नहीं है कि केन्द्र सरकार ने राशि रोकी इसलिए ऐसा हुआ है। चूंकि एक्ट में, पंचायत राज कानून में परिवर्तन करना था, आम आदमी को भागीदार बनाना था इसलिए डिले हुआ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन करके पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव आब्लीगेटरी और मेंडेटरी कर दिये भारत की पार्लियामेंट ने इसलिए आपको करवाने पड़े। क्या बात करते हैं आप।

श्री नाथूसिंह : 92 में भी हमने अमेंडमेंट किया था तब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं हुआ था। उससे पहले (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस समय हो गया था।

श्री परसराम मदेरणा : कहां है, कहां है वह अमेंडमेंट ?

एक माननीय सदस्य : 1992 में अमेंडमेंट किया गया था।

श्री परसराम मदेरणा : इलेक्शन क्यों नहीं करवाया ?

श्री नाथूसिंह : इलेक्शन इसलिए नहीं करवाये कि उसके साथ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया और उसको भी उसमें शामिल करना था।

श्री परसराम मदेरणा : वह अमेंडमेंट स्टेच्यूट बुक में है क्या ?

श्री नाथूसिंह : है, बिल्कुल है।

श्री परसराम मदेरणा : वह अमेंडमेंट ?

श्री नाथूसिंह : कई अमेंडमेंट हैं उसमें 92 में केवल एक अमेंडमेंट नहीं था, उसमें कई अमेंडमेंट थे।

श्री परसराम मदेरणा : That amended Bill, on the 7th of April, 1994, has been repealed. It is not on the statutory book.

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, इस अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया, अनुसूचित जन जाति को आरक्षण दिया और ओ.बी.सी. को आरक्षण दिया। सभापति महोदया, संविधान के संशोधन के तहत यह आरक्षण दिया गया है, यह कोई अहसान आपने नहीं किया। इस बात का तो धन्यवाद देना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम है तो इस बात का धन्यवाद देना चाहिए आपको भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को और उनकी सरकार को कि उन्होंने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट। ओ.बी.सी. का जो रिजर्वेशन था, जिस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्डट्राइब्स के लिये रिजर्वेशन मेंडेटरी किया गया था, ओ.बी.सी. के लिये कोई मेंडेटरी नहीं था। It was the Rajasthan Government who did it.

श्री हरिसिंह (महुआ) : राज्य सरकार ने ओ.बी.सी. के लिये रिजर्वेशन किया है। सभापति महोदय, बड़े + + + की बात है। माननीय मंत्री महोदय आपके लिये तो बहुत ज्यादा + + + की बात है। आप ओ.बी.सी. से सम्बन्धित व्यक्ति हैं, राजस्थान में ओ.बी.सी. की पापूलेशन 50 प्रतिशत से ज्यादा है और आप पन्द्रह प्रतिशत का आरक्षण देकर संतोष कर गये। इससे ज्यादा + + + की बात और क्या होगी।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूसिंह : हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, उस समय गुजरात में कांग्रेस की सरकार, उनमें सबसे ज्यादा रिजर्वेशन राजस्थान में दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइण्ट ऑफ आर्डर।

सभापति महोदया, पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि मध्य प्रदेश की असेम्बली में 15 दिन पहले एक मंत्रीजी पान खाकर उठे और आपकी पार्टी के लीडर ने चेयर से व्यवस्था ले ली है कि कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य सदन में पान नहीं खायेगा। आप व्यवस्था दीजिए मेहरबानी करके, क्योंकि सदन की गरिमा है। या आप ऐसा कीजिए कि शराब और सिगरेट पीना भी अलाउ कर दीजिए। यह मैं बड़ी गंभीरता से अर्ज कर रहा हूँ।

श्री रामस्वरूप : शराबबंदी के लिए तो बाहर लोग मर रहे हैं और.....

श्री रूपाराम (मकराना) : सदन हो या घर, खाते हैं पान। खाते हैं पान सदन हो या घर, हम तो मंत्री हैं हमें किस बात का डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदया, वर्ल्ड की किसी भी पार्लियामेंट में न तो पान खाना अलाउड है, न सिगरेट पीना अलाउड है, हाउस के बाहर आप कुछ भी करिये। मैं हाउस ऑफ लार्डस में गया हूँ, सभापति महोदया, वहां बार भी है बाहर लेकिन सदस्य बाहर पी सकते हैं, अन्दर नहीं तो आप बिराजमान हैं वहां पर, हमारे संभाग की हैं, सीरियसली आप इसको सोचिए।

एक माननीय सदस्य : शांति धारीवाल जी बिल्कुल पड़ौस में बैठे हैं उनको तो उपदेश दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : भाटी साहब, आप हाउस ऑफ लार्डस में गये हैं, आप वहीं के लायक हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसा है घनश्याम जी, मैं हाउस ऑफ लार्डस में गया। मेरे एक बहनोई हैं जो आपके उप नेता हैं वह हाउस ऑफ लार्डस से लोकसभा में चले गये। अभी एक प्रेस कांफ्रेंस की वाजपेयी जी के साथ और आपके मुख्यमंत्रीजी के साथ, हमें यूरेनियम मिल गया, इण्टरनेशनल जांच होनी चाहिए, क्या निकला, इसलिए हाउस ऑफ लार्डस और हाऊस ऑफ कामन्स, अपन दोनों निपटते रहेंगे, आप एडवाइज करिये आपके नेताओं को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके स्वभाव के अनुसार, आपकी रुचि, आपका चाल-चलन सब हाउस ऑफ लार्डस के लायक हैं।

श्री रामस्वरूप : आप तो चौमूं के लायक हो, चौमूं में पड़े रहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो आपके साथ रहूँगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, मैं आरक्षण के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। महिलाओं को आरक्षण, अनुसूचित जाति को आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण और आरक्षण के माध्यम से स्वायत्तशासी संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने का श्रेय राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार को है, न कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय शेखावत साहब की सरकार को।

(श्री हरिसिंह)

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा और, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, जब आप बड़े मेहरबान हुए आरक्षण करने में तो फिर क्या कठिनाई थी कि उप जिला प्रमुख और उप जिला प्रधान में आरक्षण नहीं किया ?

श्री नाथूसिंह : किया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कहां किया है ? उप जिला प्रमुखों और उप प्रधानों में आरक्षण क्यों नहीं किया ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इतने कम उदारवादी थे आप आरक्षण के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब आप देखिये, आपने चुनाव करवाया किसी डर से, मेंडेटरी वह था

श्री नाथूसिंह : महुआ से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे जानकारी दे दें कि कांग्रेस रूल्ड स्टेटों में कितने उप प्रमुखों और उप प्रधानों को रिजर्वेशन दिया गया है ?

श्री जुबेर खान : आप उदार थे, आपको करना चाहिए था।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय प्रभारी मंत्रीजी, आप यह बताइये कि रिजर्वेशन के मामले में जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके बाद आपने किसी भी कास्ट का रिजर्वेशन किया है क्या, उसको बैकवर्ड घोषित किया है क्या ?

श्री नाथूसिंह : उससे क्या मतलब ?

श्री परसराम मदेरणा : सौदेबाजी। यह आपने पहले क्यों नहीं किया ? नोटिफिकेशन के बाद किया। आपको बैकवर्ड क्लासेज कमीशन से प्रपोजल लेकर पहले करना चाहिए था। बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने पहले रिकमण्डेशन की थी कि इनको ओ.बी.सी. में डिक्लेयर करना चाहिए। कलमियों को आपने नहीं किया। सौदेबाजी की, फिर नोटिफिकेशन निकाला।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सौदेबाजी क्या की ? सौदेबाजी का स्वभाव तो कांग्रेस का रहा है इसलिए सौदेबाजी याद आती रहती है, यह स्वभाव की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : वह बहुत मंहगा पड़ा आपको। हम समझ गये आपकी चाल। हमने कांउटर चाल इतनी जोरदार चली कि दो दो तो प्रमुख आये कलमियों के और आप ताकते रह गये (व्यवधान) ......

श्री नाथूसिंह : हमारा एक प्रमुख आया करता था, बारह या पन्द्रह प्रधान आते थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में प्रधान भी आये और प्रमुख भी आये।

एक माननीय सदस्य : टोंक में ?

श्री नाथूसिंह : मैं कोई टोंक का मंत्री हूँ क्या ? मैं राजस्थान का मंत्री हूँ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर: पूरे राजस्थान के हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पंचायत संस्थाओं सम्बन्धी जो एक्ट राजस्थान में आया और उस एक्ट में नगर पालिका और नगर निगम के सम्बन्ध में जो संशोधन लाये, राजस्थान सरकार ने उसमें परिवार नियोजन से सम्बन्धित कुछ प्रोविजन इनकारपोरेट किये और यहाँ पर माननीय भाभड़ा जी जब माननीय अध्यक्ष थे तो यहाँ सेमीनार हुई, सुन्दर लाल जी बहुगुणा

(श्री हरिसिंह)

आये, आपके उपाध्यक्ष वी.जे.पी. के सिकन्दर बख्त आये और भूरि-भूरि प्रशंसा की, हेन्दुस्तान में अग्रणी नेता बनने का दावा केया। हिन्दुस्तान का अग्रणी एक्ट बन गया, परिवार नियोजन के लिये एक राह दिखाई। कौन सी बाध्यताएँ थीं, मैं पूछता हूँ आपसे? आपने पूरी प्रेस को गुमराह किया, आपने मीडिया का दुरुपयोग किया और चोरी से, चुपके से ऑर्डिनेंस निकालकर आपने उस प्रोविजन को वापिस ले लिया। क्या प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि वापस ले लो? आपके इस प्रावधान को इनकारपोरेट करवाने में हमारी सहमति थी, खुली सहमति थी और आपने हमारे साथ दगा किया, इस सदन के साथ दगा केया। माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक इश्तहार छपवाया था, यह हर पेपर को दिया, बड़ा पैसा खर्च केया इस एडवरटाइजमेंट पर और मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि निर्दलीय भ्रष्ट होते हैं, उनको वोट मत दो।

श्री जुबेर खान : निर्दलीयों से ही राज चला रहे हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सभापति महोदया, आपकी इजाजत से मैं पढ़कर सुनाता हूँ (व्यवधान) जनोपयोगी विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा इसलिए निर्दलीयों को वोट मत दो, परोक्ष रूप से मुख्य मंत्रीजी स्वीकार कर गये कि भ्रष्टाचार की नींव पर उनकी सरकार टिकी हुई है, उन्होंने निर्दलीयों के साथ सौदा किया था। लेकिन, सभापति महोदया, राजस्थान की जनता ने इनके मेंडेट देने को नहीं माना और भारतीय जनता पार्टी हार गयी। राजस्थान की म्यूनिसिपैलिटीज के चुनावों में निर्दलीयों की जीत हुई। (व्यवधान) कांग्रेस ने तो चुनाव दलीय आधार पर लड़ा ही नहीं था। वह जो निर्दलीय थे वह कांग्रेस की जीत थी। लेकिन आप लोगों ने + + + की। आप लोगों को पता था कि भ्रष्टाचार से हम इनको खरीद सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी पार्टी के लोगों ने उनकी खरीद-फरोख्त की और अपना बहुमत बनाया, सरकार में आपने बहुमत बनाया। उसी प्रक्रिया के तहत आपने म्यूनिसिपैलिटीज में भी बहुमत बनाया क्योंकि खरीद-फरोख्त की प्रकिया में आप बहुत माहिर हैं।

श्री भंवर सिंह चौधरी : आप यह मानते हैं कि निर्दलीय कांग्रेस के हैं? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं, माननीय सभापति महोदया, चुनाव के सम्बन्ध में एक छोटासा निवेदन और करना चाहूँगा। थ्री टायर सिस्टम हमने अपनाया है। पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्। लेकिन चुनाव करते हुए मुख्य मंत्री जी ने शीर्षासन करवा दिया। प्रक्रिया बिल्कुल बदल दी। पहले जिला परिषद का चुनाव, फिर पंचायत समिति का चुनाव, फिर पंचायत का चुनाव, फिर वार्ड मैम्बर का चुनाव। आखिर क्यों ? क्या बाध्यता थी?

- + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

आत्म विश्वास की कमी थी सरकार में। सरकार जानती थी कि अगर पंचायतों के चुनाव पहले करवा देंगे तो कांग्रेस का बहुमत आयेगा। (व्यवधान) .... आया है, आज भी है। आज भी राजस्थान की दो तिहाई पंचायतें कांग्रेस के पास हैं। आपने पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित कर दिया। आपने चुनाव जिला प्रमुख से शुरू करवाये और चुनाव पहले क्यों करवाये उसकी जानकारी मैं दे देता हूँ क्योंकि हमें पता चल गया था, हमारी आंखे खुलीं कि आखिर यह प्रक्रिया क्यों अपनाई गयी। आपने पुलिस में हर थाने पर आदेश दिये कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाकर 151 में पाबन्द करवा दो। .....(व्यवधान) ..... राजस्थान भर में आपने यही प्रक्रिया अपनाई। हर पंचायत में अपनाई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन करने के लिये आपने वहां एस.डी.एम. के सामने पेश नहीं किये चालान, थानों में बंद कर दिया, चुनावों में वोट देने से वंचित किया।

श्री भंवर सिंह चौधरी : माननीय सभापति महोदया, यह सरासर असत्य बोलते हैं। सदन को गुमराह करते हैं। नागौर जिले में एक भी आदमी 151 में गिरफ्तार हुआ है तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। क्यों असत्य बोलते हो आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, नागौर जिले में नहीं इसीलिये नागौर में कांग्रेस जीत गयी। सवाईमाधोपुर की चर्चा आयी है, मैं सवाईमाधोपुर की बात कर रहा हूँ।

श्री भंवर सिंह चौधरी : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया प्रेस को, सदन को गुमराह नहीं करें इस तरह से। किसी की भी आये पार्टी, कोई मतलब नहीं है। 151 में कोई गिरफ्तारी नागौर जिले में नहीं हुई, कहीं ऐसे आदेश नहीं दिये राजस्थान में।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी आपके एक माननीय सदस्य ने सवाईमाधोपुर की बात की है। सवाईमाधोपुर में कांग्रेस का एक भी प्रधान नहीं आया। सफाया हो गया। सवाईमाधोपुर के प्रभारी यहीं बैठे हैं। ....(व्यवधान) ..... बाड़ी पंचायत की सीसोला पंचायत में क्या किया? बाड़ी के सरपंच को आपने निर्देश दिया कि सीसोला पंचायत में जो कांग्रेस का प्रत्याशी धूपसिंह राजपूत चुनाव लड़ रहा है इसका चुनाव करवायें और सीसोला के 24 आदमियों के आपने वारंट निकलवाये, 151 में बंद करवाया। प्रेम मीणा की मां उसकी बहन, उसकी घरवाली, उसकी चाची, पीछे आज भी 307 के केसेज लगाकर महिलाओं की अस्मत लूटने की कोशिश की जा रही है। यह किया है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। सवाईमाधोपुर में 9 प्रधान जीतकर आये हैं इससे आपको पीड़ा हो रही है, आपको दुख हो रहा है और कांग्रेस का सफाया हो गया है सवाईमाधोपुर से जो कांग्रेस का गढ़ था। इसीलिए आप इतनी बात सुना रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे पता है टोडाभीम में आपने अपना प्रधान बनाने के लिए पांच लाख रुपये दिये थे। पांच लाख रुपये खर्च किये। एक-एक निर्दलीय को आपने एक-एक लाख रुपये की थैली भेंट की। (व्यवधान) .....

(श्री हरिसिंह)

सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पैरा नम्बर 5 से लेकर 8 तक राजस्थान में शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लेख है। बड़ी उपलब्धि है। मैं तो यह चाह रहा था और इस सदन से भी निवेदन करुंगा कि भैरोंसिंह जी या उनका मंत्रिमण्डल गवर्नर से यह राजेन्द्र मिर्धा वाली बात नहीं कहलवाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। यह बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इसकी संवेदनशीलता को हम जान रहे हैं। अगर इसकी सच्चाई सदन में उजागर करेंगे तो न राज्य के हित में होगा, न पुलिस के हित में होगा। लेकिन एक बात निश्चित साफ है कि आपने इतना कहने का हक तो दे ही दिया यह पैराग्राफ में जोड़ करके कि आपकी खुफिया एजेन्सियों की पोल खुल गयी। बिल्कुल पोल खुल गयी और मैं तो यह मानता हूँ कि खुफिया एजेन्सी है कहां, खुफिया एजेन्सी में सी. आई. डी. में आपके वो थानेदार हैं जिनके पास बैटर पोस्टिंग के लिये या तो पैसा नहीं है या जिनके पास जैक नहीं है या जो आपका फ्रस्टेटेड स्टाफ है वह आपके सी.आई.डी. और सी.बी. में बैठा हुआ है। उससे क्या उम्मीद करते हैं? कोटा में दस्तक दी उग्रवादियों ने। दो साल हो गये और सैण्ट्रल गवर्नमेंट की खुफिया एजेन्सी ने सूचना भिजवा दी कि राजस्थान इनकी शरणस्थली बन रही है, जयपुर इनका मुख्य केन्द्र बन रहा है। भुल्लर से पकड़े कागजात की तलाशी करने के लिए यहां सैण्ट्रल की खुफिया/एजेन्सी आ जाए और राजस्थान की खुफिया एजेन्सी सोती रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक निवेदन करूंगा। बहुत संवेदनशील मैटर है, मेरे पास इसकी सच्चाई भी है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी को निश्चित रुप से खुले दिल से कि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस मामले में...

एक माननीय सदस्य : कैलाश जी को नहीं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : कैलाश जी का तो कहीं अखबारों में नाम ही नहीं आया। मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर जितना उनको प्रयास करना चाहिए था उतने सब प्रयास किये लेकिन यह भी जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी हताश हो चुके थे कि राजेन्द्र मिर्धा नहीं छूट रहे हैं और अगर यह आकस्मिक मुठभेड़ नहीं हुई होती तो 28 तारीख को तो मुख्य मंत्री जी ने कह दिया था कि भुल्लर को रिहा कर दो। (व्यवधान) मैं इस पर विशेष नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरुर बोलूंगा, आपकी उपलब्धि बहुत जोरदार है। गुलशन माखीजा काण्ड, वाकई पुलिस ने काम किया। बड़ी होशियारी से होटल में जाकर गुलशन माखीजा को पकड़ा और इसके लिए मैं निश्चित रुप से राज्य के गृह मंत्रीजी को धन्यवाद दूँगा। लेकिन मैं साथ ही यह भी पूछना चाहता हूँ कि वह अपराधी जो सैण्ट्रल जेल में बंद था और एम्फोर्ट का अपराधी भी सैण्ट्रल जेल में बंद था आखिर वह सरकार की किस मेहरबानी से एस.एम.एस. के क्यूबिकल और कॉटेज वार्ड में रहे? मुझे इसका जवाब दीजिए। 302 के अपराधी जो फांसी के तख्ते तक जा सकते थे। चालीस करोड़ रुपये का घोटाला करने वाला सज्जन सिंह राठौड़ जो किसानों को धोखा देकर माल लूट सकता है, आखिर सरकार की कौनसी मेहरबानी थी, कौनसी बाध्यताएं थीं कि उसको एस.एम.एस. में भर्ती करवा करके मेहमान की तरह रखा गया। सभापति महोदया, जब यह बात सुनी तो मैं लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य को साथ लेकर एस.एम.एस. गया। हमने वहां के अधीक्षक से बात की तो उनको पसीने आ गये। उसी

(श्री हरिसिंह)

वक्त पूरा रिकार्ड खत्म और उनको जेल भेज दिया वापिस। आप बात कर रहे हैं ईमानदारी की, भ्रष्टाचार मिटाने की। सभापति महोदया, स्थिति यह है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस को दोष मुक्त कर दूँ कि उस समय भ्रष्टाचार नहीं था लेकिन आज से कम भ्रष्टाचार था। कांग्रेस के राज में कर्मचारी डरते, कांपते हुए कुछ हेरा-फेरी करते थे लेकिन आज चौड़े में टेबल पर तराजू रख रखी है। (व्यवधान) निडर होकर के ले रहे हैं। न इनके कोई इरादे हैं भ्रष्टाचार मिटाने के, न दृढ़ इच्छा शक्ति है और न ही सरकार उसके प्रति संवेदनशील है।

यहाँ पर माननीय विद्युत मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मेरे विभाग में एक भी भ्रष्टाचार का केस प्रूव कर दो। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके पास दोनों विभाग ऐसे हैं। अगर विद्युत मंत्रीजी यह कहते हैं कि उनके विभाग में किसी किसान को एक भी कनेक्शन बिना रिश्वत लिये दिया गया हो तो मैं उनकी प्रशंसा करता और वन विभाग की स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत पाकेटेड हो रहा है, विदेशी कर्जा ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : तब देखा जाएगा जब करना पड़ेगा।

श्री जुबेर खान : अभी तो खा लो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, अभी कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की जो आडिट रिपोर्टस आयी हैं वे चौंकाने वाली हैं। वन विभाग में जिस कदर उन्होंने इंडीकेशन दिया है, साढ़े छह करोड़ पौधों का तो पता ही नहीं चला, कहां गये। वह लगे भी कि नहीं लगे। खैर, मैं वह विषय जिस दिन कोई बात आयेगी उस दिन करेंगे, आज मैं विशेष उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन जब भ्रष्टाचार की ही बात कर रहा हूँ तो मैं इन्हीं के उस पर एक बात कह रहा हूँ–

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : भ्रष्टाचार की बात करते समय प्रधानमंत्री की ओर ध्यान दीजिये। शेयर घोटाले और चीनी घोटालों को भी ध्यान में रखिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां तो करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बस उसी को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार की बात कीजिये। (व्यवधान) आप घोटाले जरुर करिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदया, चूंकि उप मुख्यमंत्रीजी भ्रष्टाचार के बारे में बड़े चिंतित हैं। जिस तरीके से इन्होंने वह जूडिशियल जांच सी.बी.आई. के ढांचे के पीछे पड़कर जो दबायी, जो मैं समय आते उठाऊँगा, प्रिविलेज मोशन लाऊँगा। श्रीमान् जी थोड़े–

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप ऐसी बात बोल रहे हैं जिसको आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं सकते। सी.बी.आई. की जांच दबाने का अधिकार यदि अध्यक्ष को होता है, आश्चर्य की बात है कि सी.बी.आई. की . . . . (व्यवधान) . . . . आप जरा सोच समझकर बोलिये। अध्यक्ष को कोई सी.बी.आई. का अधिकार नहीं होता।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले आप उतने भ्रष्ट होइये आपकी पार्टी के नेता जितने, फिर बोलिये आप भ्रष्टाचार के बारे में। अभी तो आप ईमानदार हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, अभिभाषण में जो आंकड़े दिये हैं, उन्हीं को आपकी इजाजत से थोड़ा-सा पढ़कर सुनाऊँगा। इसमें कहा, 443 मामलों में जांच की गयी और चालान पेश करने की इजाजत कितने की दी सात की ? 1993 में सात मामलों में सिर्फ चालान पेश करने की इजाजत दी राजस्थान ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने और इस साल कितने की दी 38 की। क्यों भाई, क्यों रोक रहे हो ? जस्टिस मीणा का जो आदेश आया, निर्णय कर दिया उन्होंने कि डी.ओ.पी. से मंजूरी लेने की, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई जांच पूर्ण हो गयी तो किसी प्रकार से सरकार की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। एक-एक फाइल को मंगा करके डी.ओ.पी. के अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों के पास बुला करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और जंचे जिसमें चालान पेश करवा दिया और सौदा पट गया तो उसको चुप्पी की टोकरी में डाल दिया।

मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ राजस्थान पत्रिका, प्रिय अखबार, कह रहा है, सबूत होने के बावजूद भी मामले रफा-दफा। यह 12.2.94 का है और मैं इसमें से आपको चार लाइन, आपकी इजाजत हो, पढ़कर सुना दूँ। अन्वेषण ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह के 13 प्रकरणों की सूची राज्य सरकार एवं कई स्थानों पर भिजवायी लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई। उस सूची में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर से सम्बन्धित कथित भ्रष्टाचार के मामले थे। उन प्रकरणों के बारे में ब्यूरो के एक अधिकारी ने ही शिकायत की है कि अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के हस्तक्षेप पर यह सभी मामले रफा-दफा कर दिये।

मैं आपको दूसरा 12.6.94 का एक और उद्धरण पेश कर रहा हूँ। शेखावत ने भ्रष्टाचार के 122 मामलों में चालान की अनुमति नहीं दी। यह दृढ़ इच्छाशक्ति है राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटाने की ?

श्री जुबेर खान : इतनी आर्थेंटिक।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं वित्तीय अनुशासन की बात करूं, उससे पूर्व थोड़ा-सा निवेदन करना चाह रहा हूँ। आपको विषय से थोड़ा, दूर हटकर ले जाना चाह रहा हूँ। शायद इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं...

श्री जुबेर खान : महुआ से दूर मत ले जाना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, जो राजनीतिक + + + हैं माननीय शेखावत जी के, वह यहां विधान सभा में कई बार कहते हैं अन्त्योदय के जनक, अन्त्योदय के जनक। यह कह करके उनकी बिरदावलियां गायी जाती हैं...

श्री अनंग कुमार जैन : आप भी कहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने कहा होगा तो यह कहा होगा, अन्त्योदय के तथाकथित

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरिसिंह)

जनक। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको यह भूल है इन लोगों की। यह गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है हैल्थ डिपार्टमेंट का, इसमें आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ। ग्रामीण विकास, यह महिमा मंडित किया गया माननीय एम.एल. मेहता जी को जब वह चीफ सैक्रेटरी थे। (व्यवधान) ..... हां बने थे उस समय महिमा मंडित किया गया था, उस समय का है यह इसकी मैं चार लाइन आपको पढ़कर सुनान चाह रहा हूँ। ग्रामीण विकास, सामाजिक गतिशीलता तथा पर्यावरण में गहरी रूचि रखने वाले उच्च कोटि के प्रशासक, योजनाकार एवं सेवाभावी श्री मेहता अन्त्योदय जैसी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाली योजना के स्वचिंता हैं। ब्यूरोक्रेसी कहती है, मुख्यमंत्रीजी नहीं, एम.एल. मेहता जी और मुख्यमंत्रीजी ने कई बार सदन में कहा है कि हमारी अन्त्योदय से प्रेरणा लेकर बाद में समन्वित ग्रामीण विकास योजना चालू की गयी और यही बात इन्होंने कही, इनके ब्यूरोक्रेटस ने, जो चीफ सैक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि दलित एवं पिछड़ों के उत्थान की यह कल्याणकारी योजना समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना, आई.आर.डी.पी. बन गयी। जब तक वह चीफ सैक्रेटरी नहीं बने तब तक तो ब्यूरोक्रेसी की सच्चाई उजागर करने की हिम्मत हुई नहीं और जब वह चीफ सैक्रेटरी बन गये, जब उनको पता है अब हमको रक्षा कवच पहना सकते हैं, भैरोंसिंह जी, हमारा क्या बिगाड़ेंगे तो उन्होंने सच्चाई उजागर कर दी कि आप नहीं, अन्त्योदय के रचयिता तो एम.एल. मेहता जी हैं। लेकिन मैं इससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहा हूँ, अन्त्योदय के रचयिता न तो एम.एल. मेहता जी हैं और न ही भैरोंसिंह जी। एम.एल. मेहता जी ने एक फरेब किया है, एक चाल की है, बौद्धिक स्तर की चोरी की है, बौद्धिक स्तर की चोरी की है, बौद्धिक प्रतिमा की चोरी की है और धोखा दिया है भैरोंसिंह जी को, राजस्थान की समूची जनता को, हिन्दुस्तान की पूरी पब्लिक को। अन्त्योदय की योजना का मूल स्वरूप, मूल आइडिया, 1976 के बजट के साथ एक पुस्तिका सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने प्रसारित की थी जिसमें इस योजना का मूल उल्लेख था 1976 के बजट में और एम.एल. मेहता जी उस समय वहां पर डिप्टी होम सैक्रेटरी हुआ करते थे, वहां से बुकलेट चुरा लाये।

श्री जुबेर खान : आदत नहीं गयी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह मेरे पास किताब है भारत के नियोजन एवं विकास। आपकी अनुमति से तीन लाइन पढ़ना चाहूँगा। भारत में एकीकृत ग्रामीण विकास का विचार सबसे पहले 1976 के बजट प्रस्ताव में संसद में प्रसारित एक पुस्तिका के रूप में दिया गया था जिसका निहित अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में एक नयी तकनीक विकसित करने की समस्या के रुप में था। तत्कालीन वित्त मंत्री का कहना था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने कार्यक्रम ने ग्रामीण जीवन पर इसीलिए सीमित प्रभाव डाला क्योंकि हम गरीबों को एक एकीकृत तकनीक प्रदान करने में असमर्थ रहे। अभी क्षेत्र स्तर परियोजना के मिशन के सफल बनाना है तो इस क्षेत्र में एक विशिष्ट योजना एजेन्सी का

(श्री हरिसिंह)

गठन करना होगा। इसमें आगे कहा कि इसके बाद कुछ न्यूनाधिक परिवर्तनों सहित 1978-79 में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया 1978-79 में कुछ ब्लाक्स में सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम आपको अनुदान देंगे। वह राजस्थान में भी कुछ ब्लॉक्स आये हैं और समन्वित ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम था उस पर अन्त्योदय की स्लिप ऊपर से एम.एल. मेहता जी ने चिपका दी और स्लिप चिपकाने के पीछे निहित अर्थ यह था...

श्री शैलेन्द्र जोशी : नीचे क्या था ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जिस लक्ष्य समूह को ध्यान में रखा गया उसके अन्तर्गत गरीबों में सबसे अधिक गरीब को शामिल किया गया। वह किताब तो इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी तो पढ़ी थी गरीबों में सबसे अधिक गरीब, अपनी जीवनी में महात्माजी ने लिखा है, कि मेरे जीवन में मैं अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ तो जान रस्किकन की पुस्तक टू द लास्ट से हुआ हूँ। स्वयं महात्माजी ने उसका हिन्दी अनुवाद किया है अन्त्योदय, अन टू द लास्ट। वहां से यह शब्द चुराया और यहां के शासकों की अनभिज्ञता का लाभ उठाया। यह अन्त्योदय है जिसके लिये मुख्य मंत्रीजी कई बार यहां पर खड़े होकर कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया उसके बाद में सन् 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास योजना भी नकल करके लागू की गयी। कितना फरेब, कितना जाल।

श्री नाथूसिंह गूर्जर (राज्य मंत्री पंचायती राज) : महात्माजी ने जो बात कही थी उसको लागू तो हमने किया, आपने नहीं किया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि काफी समय ले लिया है। माननीय सभापति महोदया, मैं वित्तीय अनुशासन की, वित्तीय प्रबन्धन की बात कर रहा हूँ। कई बार यहां सदन में कहते हुए सुना मुख्य मंत्रीजी को कि गाडगिल फार्मूला में अधिक पैसा मिला क्योंकि मैं प्रतिपक्ष का उस समय नेता था और मैंने राजस्थान की वकालत की, उसमें मेरी भी भागीदारी है। गाडगिल फार्मूला में हमको ज्यादा मिला। अब दसवां वित्त आयोग आया तो क्या हुआ? आपको जानकर आश्चर्य होगा, दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गयी है और दसवें वित्त आयोग के अनुसार 1995 से लेकर 2000 तक साढ़े सात हजार करोड़ रुपया नॉन योजना में अनुदान का देंगे और उसमें राजस्थान की भागीदारी मात्र $33\frac{1}{2}$ करोड़ की है। इससे बड़ी विफलता राजस्थान के मुख्य मंत्री की और कोई दूसरी नहीं हो सकती।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : यदि आप फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं तो टोटल फाइनेंस कमीशन कितनी मदद देगा यह आप बता दीजिये? टोटल जो फाइनेंस मदद है वह बता दीजिये कितनी है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : भाभड़ाजी आपके चैम्बर में यह भी बता दूँगा।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : 2 लाख 26 करोड़ देगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं राजस्थान की पूछ रहा हूँ।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान की 400 करोड़ देगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पिछले नाइंथ फाइनेंस कमीशन से कितना ज्यादा है ?

श्री चन्दनमल बैद : 1 पर्सेण्ट, 1.15 लैस हुई है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कैसे ? बताइये, आप कैसे हुई।

श्री चन्दनमल बैद : पहले 6.15 मिला था, अब 5.03 मिला है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उनसे पूछ रहे हैं और यह जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यानी पिछले नाइंथ फाइनेंस कमीशन से_

श्रीमती कमला : आप तो सिर्फ यह बता दीजिये माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह गलत है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने आपके नेता महोदय को कह दिया था कि फाइनेंस के बारे में मेरे से बहस नहीं करें। अब आप तो उनसे बहुत छोटे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं तो आंकड़े पूछ रहा हूँ। केवल आंकड़े पूछ रहा हूँ।

श्रीमती कमला : कोई यह सवाल जवाब का समय है क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नाइंथ फाइनेंस कमीशन में टोटल हमको कितना मिला और टेंथ फाइनेंस कमीशन में .....(व्यवधान)....

श्रीमती कमला : सदन में इस तरह से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। आप रोकिये उनको।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : केवल आंकड़े बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : टेंथ फाइनेंस कमीशन में आपको 5.03 मिला है, पहले आपको साढ़े छह हजार करोड़_

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब हमको 11 हजार करोड़ मिला है। टेंथ फाइनेंस कमीशन 11 हजार करोड़ दे रहा है। अब आप उसको कैसे लेस करते हैं, यह कौन सी गणित है मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री चन्दनमल बैद : सुनिये, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, उस समय डिवोल्यूशन हुआ था 1 लाख 6 हजार करोड़ का, अब 2 लाख 26 हजार करोड़ का है। सोचिये जरा सा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सवाल यह नहीं है। देखिये जो 33 करोड़ की बात कह रहे हैं वह हमारे वित्तीय अनुशासन को देख कर कह रहे हैं कि हम अपने स्रोतों का सृजन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जरुरत नहीं समझी। यह फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट में कहा है कि राजस्थान अपने सोर्सेज स्वयं बना सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : माफ कीजिये, आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हाँ पढ़ी है इसलिए कह रहा हूँ। बिना पढ़े थोड़े ही कह रहा हूँ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जब आपके बजट पर बोलूंगा तो उस समय आपकी सारी पोल खोल दूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह तो जरूरत पड़ी तो शायद मुझे भी बताना पड़ेगा। पोल तो मैं आपकी नहीं खोलूंगा किसी भी हालत में लेकिन कम से कम जो आपने आंकड़े बताये हैं उसका जवाब तो दूंगा मैं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी पोल ही नहीं है, सब खुला है। I am open to all sides.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : भाभड़ा साहब, कुछ चूरु की बातें बताइये तो सही हमें भी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अभी चूरु की बात हो रही है ? आप बीच में कहां से आ गये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, वही बताइये तो सही हम भी थोड़ा ज्ञान लेवें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदया, अब चूंकि यह भ्रष्टाचार की बात चल रही है इसलिए मैं दो-तीन इस सदन को उदाहरण देना चाहूँगा।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर) : दो-तीन क्या पूरी की पूरी बताइये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, महामहिम रोडवेज के फंक्शन में गये, हमारे माननीय यातयात मंत्री भी चले गये। उन्होंने एक बढ़िया रिमार्क पास किया हमारे मुख्य मंत्री जी ने कि वहां का चेयरमैन चोर है तो मंत्रीजी डर गये। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, अखबार में आया है।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : कौन से अखबार में आया है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह राजस्थान पत्रिका में आया है। यह मुख्य मंत्रीजी ने कहा है। हालांकि उसको हास्य परिहास में बदलने की कोशिश की । सच्चाई तो यकायक निकल गयी लेकिन बाद में उस पर हास्य परिहास का मुल्लमा चढ़ाने की कोशिश की गयी लेकिन उसी दिन वहां महामहिम भी पधारे थे और महामहिम ने राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को महिमामंडित किया था कि ऐसा कुशल वित्तीय प्रबन्धक दूसरा व्यक्ति नहीं (व्यवधान) . . . . यह भी उसी में है। लेकिन आश्चर्यजनक बात देखिये उसी पत्रिका में उसी दिन यह भी लिखा था कि राजस्थान के तिलम संघ में 139 करोड़ रुपये की मशीनरी कबाड़खाने में बदल गयी। मिट्ठालालजी अन्त्योदय के जनक तो नहीं लेकिन तिलम संघ के जनक हैं, संरक्षक हैं और, सभापति महोदया, यहां पिछली 24 मार्च को मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र जी व्यास ने तिलम संघ और उसके चेयरमैन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी उद्वेलित हो गये, गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। मालुपरा से आने वाले माननीय सदस्य का कहना था कि 40 करोड़ रुपये की परचेज बिना परचेज कमेटी की राय के की गयी है। उसमें साढ़े सात पर्सेण्ट का कमीशन लिया और साढ़े सात पर्सेण्ट कमीशन के हिसाब से तीन करोड़ का कमीशन खाया। माननीय मिट्ठालालजी मेहता ने इस संस्था को अपना पार्ट टाइम जॉब बनाकर रखा दिया, इस संस्था की भलाई की बात नहीं की। इस संस्था से जुड़े हुए 966 तिलम ग्राम सेवा सहकारी समितियों से सम्पादित 1 लाख 51 हजार कृषकों के हित की बात नहीं की। तिलम संघ

(श्री हरिसिंह)

समितियों और सहकारी समितियों की जो 1 लाख 51 हजार किसानों की शेयर कैपिटल थी उसकी सुरक्षा की बात नहीं की। उस समय मुख्य मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया और सदन को गुमराह करके, मैं आज इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास रिकार्ड है आज उत्तर देने के लिये, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि 91 के तीन महीने में तिलम संघ को एक करोड़ और कुछ लाख रुपये का प्रोफिट हुआ और 92-93 में साढ़े तीन लाख का प्रोफिट हुआ। लेकिन आज तिलम संघ के संचालकों ने, इसके जन्म देने वाले रचयिताओं ने आत्मलोचन किया है और आत्मलोचन की रिपोर्ट सब जगह गयी है और उन्होंने मुख्य मंत्रीजी के सदन में दिये गये बयान का रिबटल पेश कर दिया कि तिलम संघ प्रथम तीन महीनों में ही सवा करोड़ के घाटे में चला गया था और 92-93 तक इसका घाटा 5 करोड़ तक पहुँच गया था और आज इसका घाटा 40 करोड़ से ऊपर है। 149 करोड़ की पूंजी, यह आपका वित्तीय प्रबन्धन का मामला है।

सभापति महोदया, दूसरा उदाहरण एक के.के. काम्पलेक्स_

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मेरे सामने बहस हुई थी और उस समय माननीय सदस्य यहां मौजूद थे मगर पता नहीं उस समय इनको यह बातें याद क्यों नहीं आयीं और उस बहस की समाप्ति के बाद यह उनको रह रह कर चेतना कैसे आ रही है। यह मुझे पता नहीं। बाकी इसकी पूरी विस्तार से बहस हुई है, मेरे सामने हुई है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, भाभड़ाजी, ऐसा नहीं है। उस समय मुख्य मंत्रीजी की कही हुई बात को सही मान लिया हमने। रिबटल गलत तो बताया है तिलम संघ के चेयरमैन ने। उन्होंने आत्मलोचन की रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने गलत बताया है। के.के. काम्पलेक्स, राजस्थान का पुराना मोटर गैराज, एम.आई.रोड़ पर 8 जनवरी, 1992 को 14 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ। नीलामी की शर्त यह थी कि नीलामी के दिन 1/4 हिस्सा जमा होगा और शेष रकम एक महीने में जमा होगी। पार्टी को सौदा महंगा लगा। उन्होंने रकम जमा नहीं कराई एक महीने में तो वह हाईकोर्ट गये और हाई कोर्ट में उन्होंने एक बात कही थी कि इसमें मंदिर की जमीन है और यह मन्दिर जब तक खाली नहीं होगा इसका में क्या करुंगा। हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी तो डी.ब्री. में चले गये। 1 या डेढ करोड़ रुपया जो इनका जमा था उसको जप्त करवाने के लिये। जब डी.ब्री. में गये और जब केस पैंडिंग था उसी दरमियान जे.डी.ए. के जो संचालक थे, कमिश्नर महोदय, उन्होंने सौदा किया के.के. काम्पलेक्स वालों से कि 1 साल 1 महीना हो गया इस पर दो करोड़ 44 लाख रुपया तो सिर्फ ब्याज का बन गया है, मैं आपका ब्याज भी माफ कर दूँगा और आसान किश्तों में 12 महीने तक आप पेमेन्ट करते रहना। आखिर ऐसी कौनसी बात थी, कमिश्नर महोदय ने इतनी मेहरबानी की? किसकी आज्ञा से की? क्या, मंत्री महोदय, इस प्रकरण की आपने जांच करवाई? बाजार में आम बोलवाला है कि भण्डारी 55 लाख रुपये का डील कर गया। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे? यह आप भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं।

(श्री हरिसिंह)

यहां माननीय ललित किशोर जी बैठे हैं। एक रोड़ बना रहे हैं भिवाड़ी से करोली और 75 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक के कर्जे का है और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी ने खुद के इनकी रिजीम में ही उसकी स्वीकृति दी है। टेण्डर हुए राजस्थान पी.डब्ल्यू.डी. रेट से 250 पर्सेण्ट अवब आइटम रेट पर.....

श्री ललित किशोर चचुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सदस्य महोदय, यह वर्ल्ड बैंक की रोड है जो यहां स्वीकृत नहीं होती। इसकी स्वीकृति के लिए वर्ल्ड बैंक तक जाना होता है। इसमें प्रिक्वालीफिकेशन होती हैं। यह आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरी जानकारी में पूरा है। सभापति महोदया, मैंने पिछली विधान सभा में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था और उस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में यह मेरा आरोप था कि जो फर्म है सिमको, उसने अपने रनिंग बिल में, पैमाइश में हिन्डौन बाईपास बन रहा है...

श्री सभापति : आपकी पार्टी ने सारा समय आपको दे दिया है क्या?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह अन्तिम है मेरा 13 लाख 2 हजार रुपये का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया और ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इन सब बातों का प्रत्युत्तर आपको दिया जा चुका है। कहीं रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है?

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोई उत्तर नहीं आया। दरअसल में वह विधान सभा में नहीं लगा। प्रत्युत्तर तो मैंने अब प्रश्न लगाया है देना पड़ेगा आपको और इतना देना पड़ेगा कि आप को पसीने आ जाएंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी था।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह डिस्कस नहीं हुआ। नवीं विधान सभा का है। उसमें 13.2 लाख रुपये का वैल्यूएशन ज्यादा कर दिया। मैंने जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया तो मंत्री जी को पता चला कि यह तो गड़बड़ी हो गयी तो जल्दी जल्दी में फटाफट में तो सस्पैंड कर दिया और यह स्वीकार कर लिया कि हां, हमने रनिंग बिल में 13.2 लाख रुपया दे दिया था और अब हमने ठेकेदार से काट लिया है। अगर हरिसिंह यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लगाता तो...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसीलिए तो बुलाया है विधान सभा में आपको।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदया, कि इस सड़क के ठेकेदार ने एक फायदा उठाने की कोशिश की। सैन्ट्रल गवर्नमेंट का एक आर्डिनेंस है कि अलवर की अरावली हिल्स में कोई भी माइनिंग वर्क नहीं होगा और उसमें गिट्टी मिट्टी आ भी गयी। पूरा का पूरा यह रोड अलवर से लेकर मण्डावर मेरे विधान सभा क्षेत्र में हिण्डौन तक और करौली तक अरावली हिल्स के बीच में से होकर निकल रहा है। तो उसने उस आर्डिनेंस का फायदा उठाने के लिये पी.डब्ल्यू.डी. में 25 करोड़ रुपयें का एक्स्ट्रा आइटम का बिल पेश

(श्री हरिसिंह)

कर दिया कि मैं गुरदाना से मिट्टी लाया हूँ, गिट्टी लाया हूँ, रोड़ी लाया हूँ और भरतपुर की पहाड़ी से लाया हूँ। जब मुझे पता चला और मैंने अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में मेन्शन किया तो मंत्रीजी को मजबूर होकर मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगने के बाद में + + + भारी मन से 25 करोड़ का बिल कैन्सिल करना पड़ा। अगर मैं इतना सजग नहीं होता तो 25 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान भी उसको हो गया होता। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ थोड़ा-सा सभापति महोदया। ठेकेदार ने अतिरिक्त लीड के लिये 25 करोड़ का क्लेम प्रस्तुत किया था परन्तु इसे विवाद द्वारा उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्लेम किया था तो क्या हो गया? क्लेम तो कुछ भी कर सकते हैं। पेमेन्ट क्या हुआ यह देखो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, यह रोड 5 हिस्सों में बंटी है। आपकी मंजूरी की कलम है, मंत्री जी की और इसमें पहला तो हिस्सा भिवाड़ी से रामगंढ़ तक 47 किलोमीटर का 550 दिन में पूरा होना था 1993 में। यानि इसकी डेट आफ कम्पलीशन थी 14-10-93 और अगला 47 किलोमीटर हिस्सा 26-2-94 को पूरा होना था। दोनों की डेट निकल गयी। रोड पर रोड बन रही है, कोई नयी जमीन एक्वायर नहीं की, कोई एक्वीजिशन प्रोसिडिंग्स नहीं की। उस रोड का आप वाइडनिंग कर रहे हैं और उसको और ऊँचा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट की, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर की ऐसी कौनसी बाध्यता थी कि आपने उसको डेढ़ साल बढ़ाने का टाइम और दे दिया। डेढ़ साल बढ़ाने का टाइम क्यों दिया? क्योंकि इनकी स्टीपुलेटेड टर्म थी एग्रीमेंट में कि अगर ठेकेदार सही समय पर रोड़ का निर्माण नहीं करेगा तो 33 हजार रुपया परडे से लिक्विडेटेड डेमेज चलेगा...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 77 हजार रुपया परडे हो गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तो उसको बचाने के लिये यह मंत्री जी के कार्यालय की करतूत है। किसी अधिकारी की नहीं है। आप अब आश्चर्य करेंगे कि यह करतूत क्यों है। क्योंकि ठेकेदार को न केवल यह लक्ष्य दिया गया कि आप रोड को 465 दिन का टाइम और दे रहे हैं बल्कि इस बीच में जो महंगाई बढ़ी है उसका 15 पर्सेण्ट का एक्सक्लेशन का आपने 2 करोड़ रुपये का और पेमेन्ट कर दिया। राजकोश को लूटिये माननीय मुख्य मंत्री जी बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा लाने की, मुख्य मंत्री जी बात कर रहे हैं बाह्य संस्थाओं से पैसा लाने की और राजस्थान की जनता के ऊपर भ्रष्टाचार थोपा जा रहा है सड़कों के नाम पर, सिंचाई के नाम पर, वन विभाग में फारेस्ट के नाम पर और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है अपने निजी स्वार्थों के हित के लिये लेकिन इन्होंने एक तय कर दिया है यह चार्बाक की नीति में जीने वाले लोग हैं, चार्बाक के सिद्धान्त पर जीने वाले लोग हैं,

(16.00 बजे)

यावत जीवत सुखम् जीवैत और ऋणम् कृत्वा घृत पिवेत। वहाँ केन्द्र में आप कांग्रेस की सरकार को कहते हैं कि हमने ऋण

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरिसिंह)

ऋण छोड़ दिया और यहाँ ऋण लाने के लिये आप ने झोली फैला रखी है। कटोरा लेकर आप घूम रहे हैं। राजस्थान की जनता पर ऋण थोपने के लिये

मैं ज्यादा नहीं कहकर, सभापति महोदया, सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा। विद्युत मंत्री जी नहीं हैं। सरकार की विफलता देखिये, आज किसान की खेती सूख गयी। गांव के किसान को दो घंटे बिजली मिल रही है। मात्र दो घंटे और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बच्चों की परीक्षा हैं और गांवों में पिछले दो महीने से ब्लैक आउट की स्थिति बनी हुई है। आज वे बच्चे क्या एक्जामिनेशन देंगे ? और जयपुर में किस प्रकार से दिखा रही है। मैं थोड़ा सा निवेदन करुंगा कि बोर्ड में जिस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, बोर्ड घाटा दिखा रहा है लेकिन बोर्ड कभी यह सही तस्वीर नहीं दिखाता कि बोर्ड के तीस हजार ट्रांसफामर्स नाकारा हुए पड़े हैं। 12 हजार ट्रांसफामर्स गारंटी पीरियड में मैन्यूफैक्चरर्स के पास चले गये हैं जो उन्होंने वापिस नहीं लौटाये हैं। बोर्ड में परचेजेज में किस प्रकार की घपलेबाजी चल रही है और उसकी निगाह लगी हुई है किसान की खेती पर और मुख्य मंत्री जी हमसे एडवाइज मांग रहे हैं कि कहो तो बढ़ा दिया जाए, नहीं तो घाटा जा रहा है। मिसमैनेजमेंट की वजह से, घाटा जा रहा है बोर्ड में चोरी की वजह से, घाटा जा रहा है परचेज में चोरी की वजह से। आप उसको रोकिये आप किसान के खेत की तरफ नजर मत डालिये। अगर अब नजर उठाकर देखा, पहले आप आपरेट कर चुके हैं दो पैसे बढ़ने पर आपने किसान की हत्या करवा दीऔर तीन दिन लाश लिये बैठे रहे, आपने 22 पैसे बढ़ाये और उसके बाद भी हम चुप रहे शालीनता के साथ में लेकिन अबकी बार अगर किसान के ऊपर थोपी गयी तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम यह दावे के साथ कह रहे हैं।

श्री सभापति : नहीं उस आग में तो सभी जल जाएंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने समर्थन किया है, उसका मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूँ। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से जो अनुसूचित जाति और जनजाति और बैकवर्ड क्लासेज से हैं, निवेदन कर रहा हूँ कि जयपुर में रज्जू भैया आये, मातृ संस्था का सबसे बड़ा शीर्षस्थ व्यक्ति जयपुर, कलकत्ता और नागपुर में यह कहे कि अनुसूचित जाति और जनजाति और बैक्वर्ड क्लासेज के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को उनकी बात माननी पड़ेगी, आप वर्ग हित में सोचिये। यह तो एक दिन रिजर्वेशन को खतम करेंगे। आपको आने वाले संततियाँ माफ नहीं करेंगे रिजर्वेशन अगर खतम हुआ तो। आप आइये और खड़े हो जाइये, विद्रोह कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ और इस + + + सरकार को पददलित कर दो।

इसी के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सभापति : श्री रामराय शर्मा।

श्री रामराय शर्मा (जमवारामगढ़) : माननीया सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत एवं धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। अभी मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने रामायण के विभिन्न पात्रों के रूप में अभिभाषण पर बहस की। सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी कहा। सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में इस अभिभाषण में उल्लेख हुआ। सरकार की कमियों के बारे में भी माननीय सदस्यों ने बात कहीं। मैं तो इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभिभाषण में सरकार द्वारा उल्लिखित वार्षिक योजना में जो 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान है, यह राजस्थान के विकास के लिये एक कीर्तिमान स्थापित होगा। इसके साथ ही, पुलिस विभाग के लिये 330 करोड़ रुपये का प्रावधान पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाने, संचार माध्यमों को उन्नत करने तथा आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने के लिये किया जाएगा जिससे राजस्थान में पाकिस्तानी एवं अन्य उग्रवादी संगठनों का मुकाबला सफलता के साथ किया जा सकेगा।

अभिभाषण में शिक्षा को भी प्राथमिकता देकर प्रदेश की अशिक्षा को दूर करने का भागीरथी प्रयास इस अभिभाषण में किया गया है। अभिभाषण में गौवंश को बचाने के लिये गौ सेवा संघ की स्थापना की घोषणा स्वागत योग्य है।

इसके साथ ही मेरे चुनाव क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वहां पूरे राजस्थान के साथ-साथ पेयजल समस्या, सड़कों की समस्या के समाधान एवं अशिक्षा के उन्मूलन की आवश्यकता है।

अन्त में, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का एक बार फिर स्वागत करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री माधव सिंह जी दीवान।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण कल विधान सभा के समक्ष दिया। अगर पिछले तीन सालों के अभिभाषण देखें तो इसमें नयी बात केवल एक यही कही कि हमने पंचायतों के चुनाव करवाये बार-बार जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा, चहेती पत्रिका ने कहा कि भाजपा गांवों में घुस गयी पंचायतों के चुनाव के मार्फत...

एक माननीय सदस्य : गांव में नहीं, घर घर में।

श्री माधव सिंह दीवान : आप वह दिन भूल गये जब 26 जिला प्रमुखों के चुनाव हुए थे और 26 के 26 कांग्रेस के आये थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी। आपको उस समय कहना चाहिए था जब आप 31 के 31 जिला प्रमुख ले आते तब तो आप कुछ क्रेडिट लेने के हकदार भी थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 31 के 31 ले आते तो हमारी वही हालत होती जो आज आपकी हो गयी। इसलिए उससे बचने के लिये हम यहां तक ही रहे।

श्री माधवसिंह दीवान : धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपमें सद्बुद्धि आ रही है परन्तु जिस तरह की धांधली आप लोगों ने चुनावों में मचायी, आपने सारे जिलाधीशों और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिये कि येन केन प्रकारेण भाजपा का आदमी जीते आप चाहे कुछ भी कर लीजिये, किसी स्तर तक की बदमाशी कर लीजिये, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यदि करते तो 31 के 31 आ जाते।

श्री माधव सिंह दीवान : यही तो फेल्योर है। इतना करने के बावजूद भी नहीं आ पाये, यही तो शर्मनाक बात है आपके लिये।

एक माननीय सदस्य : फेयर चुनाव हुए हैं।

श्री माधव सिंह दीवान : यह फेयर चुनाव का पाली जिले का एक- एक्जाम्पल दे रहा हूँ। माननीय नाथूसिंह जी का फेयर इलेक्शन का जो दावा है उसका एक उदाहरण पाली जिला, जहां से मुख्य मंत्री जी खुद एम.एल.ए. हैं, की भी कहानी आपको सुना दूँ। जसवंत सिंह जी की साली साहिबा को जिला प्रमुख बनाना था। चुने हुए व्यक्ति फेवर में नहीं थे। चार-चार आदमी चुनाव लड़ने को उत्सुक थे। कलक्टर को इंस्ट्रक्शंस दिये कि बैठक जो बुलाओ उसमें कोरम का क्लाज ही हटा दो। सुबह बैठक बुलायी। उसमें न तो बैठक हुई, न कोरम हुआ। शाम को तीन बजे सिर्फ एक जसवंत सिंह जी की साली साहिबा आयीं और उन्होंने फार्म भरा और शाम को तीन बजे बस भर के लाये और वोट डलवा दिये। सारे कानून और कायदे जो विधान सभा ने पास किये, बैठक में चुनाव हो रहा है, आधे घंटे में कोरम होना चाहिए...... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दर्द हो रहा है।

श्री माधवसिंह दीवान : आप जो कानून के रखवाले बन रहे हो, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हो इसलिए दर्द हो रहा है। एक अपने आदमी को जिताने के लिये दूसरा कोई फार्म नहीं भर दे, सारी बातें खतम कर दी।

सोजत में जो चुनाव हुआ, दस भाजपा के आये, दस कांग्रेस के आये। एक निर्दलीय था जिसको लेने के लिये होड़ थी। हम लोगों ने कहा, हमारे साथ आइये। उसने कहा, मुझे प्रधान बनाते हो तो मैं आऊँ। हमने कहा, प्रधान बनने के आपके लक्षण नहीं हैं आपके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है, आपने सगे काके की आंखे फोड़ कर उसको पांवों के नीचे कुचला। यह मुकदमा विचाराधीन है। परन्तु भाजपा ने उसको प्रलोभन देकर उसको भाजपा में ले लिया। उनके 11 हो गये। यह तो भाजपा में भी घनश्याम तिवाड़ी जैसे समझदार लोग बचे हैं कि एक भाजपा का अनुसूचित जाति का व्यक्ति छोड़कर कांग्रेस में आ गया कि ऐसे आदमी को मैं वोट नहीं दूँगा...

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अर्जुन सिंह जी की तरह।

श्री माधव सिंह दीवान : अर्जुन सिंह जी तो हैं जहाँ हैं, नाथूसिंह जी, आपको भी शायद इस तरह का लग जाए कि कि इस + + + भाजपा में हमारी कोई जगह नहीं है। इसलिए

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री माधवसिंह दीवान)

वह व्यक्ति कांग्रेस में आ गए। भाजपा का व्यक्ति भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आये यह सहन करना आपके लिये सहज बात थी नहीं। आपने वहाँ रिटर्निंग आफिसर को कहा, आपने नये संशोधन जो यहाँ विधान सभा में पास करने के बाद में लगाये थे कि वोट काउटिंग में अगर गड़बड़ हो जाए तो पुनः मतदान के आदेश दे दो। आपने अपने भाजपा का जो वोटर था उसको आदेश दिये कि तुम जब गिनती हो रही हो तब वहाँ जाकर वहाँ से वोट उठा लेना और खा जाना। भूखे हो तो खाना खाओ, वोट खाने से कोई भूख मिटती है क्या? आपको आश्चर्य होगा कि जब गिनती हो चुकी, वहां के पोलिंग आफिसर ने, रिटर्निंग आफिसर ने एफ.आई.आर. दर्ज करायी कि गिनती पूर्ण कर ली गयी थी तदनुसार मतगणना में रामेश्वर के पक्ष में 11 मत पड़े और तेजा राम के पक्ष में 10 मत पड़े जिनकी गिनती की जा चुकी थी। श्री भंवरसिंह जो पंचायत समिति सोजत से भाजपा के नवनिर्वाचित सदस्य हैं, एकदम से अपनी सीट से उठे और लपककर रामेश्वर के पक्ष में पड़े मतों के बंडल में से कुछ मतपत्र जबरन टेबल से छीन लिये, उठाये और मुँह में डालकर फाड़े और चबाने का प्रयास किया। हाइट ऑफ डेस्परेशन। अब उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने उसका गला पकड़ा, किसी ने यहां मुक्का मारा और वे मतपत्र वापस निकल आये। उसके बाद बाहर निकलते हुए माननीय सदस्य को जब पुलिस पकड़कर जीप में बिठाने लगी तो उन्होंने जोर से किसी भाजपा कार्यकर्ता को बुलाया और कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया, भाभड़ा साहब से कहना आप अपना काम करो। जब मेरे पास कार्यकर्ता दौड़कर आये कि साहब भाभड़ा साहब कहां से बीच में आ गये, हमको भी समझ में नहीं आया। साढ़े चार बज गये, पांच बज गये इलेक्शन का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रहा, मैंने कलक्टर साहब को फोन किया कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती हो रही थी और बीच में गड़बड़ हो गयी और वोट खा गया, हमने पुनर्मतदान के आदेश दे दिये। पुनर्मतदान के आदेश कैसे दे दिये, 11 मत आये हैं। मैंने डायरेक्टर महोदय को फोन किया तो उन्होंने कहा, हमने पुर्नमतदान के आदेश दे दिये और रिजल्ट रोक दिया। आकाशवाणी पर आ गया, 7 बजे, 10 बजे कि सोजत में पुर्नमतदान के आदेश हो गये। मैंने सेठी साहब से कहा कि यह एफ.आई.आर. पढ़ी कि नहीं जो पोलिंग आफिसर ने लिखायी है कि मतगणना हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं तो, कलक्टर ने गलत अवगत कराया है। अब कलक्टर ने गलत अवगत कराया कि नहीं कराया, मैंने यह एफ.आई.आर. की कापी टेलीफोन पर पढ़कर सुनायी। उन्होंने कहा, यह बात थी क्या, अच्छा, मैं इस पर फिर से विचार करता हूँ। अब दौड़ शुरु हुई। इलेक्शन कमीशन से आपने पावर ले लिये थे कि यह प्रधानों और प्रमुखों के चुनाव सरकार करायेगी। अब निर्णय कौन ले? आकाशवाणी पर आ गया, पुर्नमतदान होगा। ढूंढ हुई कि चीफ सैक्रेटरी साहब को ढूंढो चीफ सैक्रेटरी साहब जाकर 10 बजे भीलवाड़ा में मिले। भीलवाड़ा में उनको इस सारी बात से अवगत कराया। साढ़े 10 बजे

(श्री माधवसिंह दीवान)

उन्होंने सोजत का रिजल्ट डिक्लेयर करने का आदेश दिया। चीफ सैक्रेटरी, माननीय मंत्री महोदय, गवर्नमेंट हो तो आप हो, वह क्या चीज है, यह तो कृपा करके बताने का कष्ट करें कि चीफ सैक्रेटरी को कलक्टर ढूंढ रहा है और चीफ सैक्रेटरी के आदेश के ऊपर कलक्टर निर्णय ले रहा है। आपको ढूंढ रहा होता तो बात फिर भी समझ में आती। अब साहब, और भी सुन लो कि रात पुलिस थाने में पहुँचे, सुबह जब हम लोग जगे तो पुलिस वालों ने कहा कि साहब, आपकी जीत हो गयी, कृपा करके आप लोग जुलूस मत निकालो क्योंकि 10 हजार आदमी वहां पंचायत समिति के चारों और इकट्ठे थे कि यह बदमाशी हो रही है, हम रिटर्निंग आफिसर को बाहर नहीं निकलने देंगे। सुबह जब 6 बजे उठे तो यही माननीय भंवर सिंहजी होटल पर चाय पी रहे थे जिन्होंने वोट चबाये थे, तब समझ में आयी की भाभड़ा साहब अपना काम कर चुके। थाने से एफ.आई.आर. दी नहीं, कोर्ट से एफ.आई.आर. ली, उसमें आप क्लियरकट देखोगे कि धारा लगायी 353, 332 और 392 डकैती की हैं उसके ऊपर 341 कर दिया रातों-रात। यह क्लियरकट दिख रहा है और यह एफ.आई.आर. की कापी जो कोर्ट से प्राप्त की हुई है, इसको सदन की टेबल पर रखूंगा इतिहास बने कि एफ.आई.आर. के ऊपर रद्दोबदल करके यह सरकार चेंज करवा रही है। अपने आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए इतना ज्यादा घटिया काम और कौन सरकार कर सकती है कि एफ.आई.आर., जो रोजनामचा है, जिससे अहम् वस्तु तो कोई होती ही नहीं, उस रोजनामचे में थानेदार चेंज करें।, मैंने जब इस बात को ऊपर किया तो थानेदार वगैरह ने कहा कि आप क्यों इस बात को उठाते हो आखिर इसका कुछ होना जाना तो है नहीं। मैंने कहा कि होना जाना कैसे नहीं है। तो कहा कि आप कुछ भी कर लो बस। मैंने कहा कि मैंने विधान सभा में क्वेश्चन दे दिये हैं, यह भी कर दिया है। तो कहा कि आप तो, साहब, इसको विधान सभा में मत उठाना बाकी तो हम सब निपट लेंगे। निपट कैसे लोगे? निपट इसलिए लोगे कि यहां बिराजमान लोगों का उन पर बरदहस्त है।

इसके अलावा भी अटवड़ा में पोलिंग में गड़बड़ हुई। पोलिंग आफिसर ने एफ.आई. दर्ज करायी, क्या हुआ? कोखरा के अन्दर जो भाजपा का सदस्य लड़ रहा था उसका बेटा वहां पर कृषि उपज मण्डी का सचिव है, उसने जब देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, गुस्सा सहन नहीं हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीट दिया। एफ.आई.आर. दर्ज हुई, क्या हुआ? इस तरह से गजब का प्रोटेक्शन आपनेदेकर उस कृषि उपज मण्डी के सचिव को निकाल दिया, धाराएं परिवर्तित कर दी बिना किसी पी.पी. या और किसी की एडवाइस लिये हुए। वहां अटवडे में पोलिंग आफिसर नियुक्त किया हुआ, लिख रहा है उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं तो आपको यह एक एक्जाम्पल बता रहा हूँ

(16.15)

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

नाथूसिंह जी, आप यह जो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते हैं, यह एक जगह है जहां इस तरह की धांधली हुई, पता नहीं किस-किस तरह से कहां कहां आपने क्या-क्या धांधली करायी होगी।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : राष्ट्रपति शासन में हमारे साथ क्या किया, पूरा बीकानेर डिविजन गवाह है।

श्री माधवसिंह दीवान : आप वही कार्यवाही उस पर ब्याज लगाकर वापस कर रहे हो क्या?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : गवर्नमेंट बनी उसका क्या हुआ, हरियाणा में चुनाव हुए उसका क्या हुआ वह भी बता दो।

श्री जुबेर ख़ान : राजस्थान की बात करो।

श्री माधवसिंह दीवान : आपने यह जो गड़बड़ियां करायीं, फिर भी आपके इतने कम जिला प्रमुख आये, यह तो आप खुद को शर्म महसूस होनी चाहिए कि इतनी ज्यादा धांधली करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाये। फिर आप क्रेडिट ले रहे हो कि हमने पंचायती राज को सुदृढ़ करा दिया। चुनाव के बाद जाकर आपने देखा है कि सरपंच फिर रहे हैं ग्रुप सचिवों के पीछे कि साहब, हमारा चार्ज दो। उनको एक सील पकड़ा दी कि यह तुम्हारे सरपंच की सील लगाओ और फिरो। यह तो पंचायती राज सरपंचों को दिया और 5-5, 6-6 पंचायतों में एक ग्रुप सचिव है, सरपंच ढूंढ रहे हैं कि ग्रुप सचिव कहां है और ग्रुप सचिवजी मौज कर रहे हैं। क्या आपके भ्रष्टाचार मिटाने वालों ने ग्रुप सचिवों की जांच करायी आपके पिछले दोसाल के प्रशासन में जब आपने इनको जागीरदारों बना दिया गांवों का? एक-एक ग्रुप सचिव ने 20-20, 25-25 लाख रुपये कमाये, ज्यादा भी हो सकता है और यहां होटल बना लिये! जीते हैं उनकी 4-4 मेटाडोर किराये पर चल रही हैं और 5-5 पंचायतों पर एक ग्रुप सचिव है, कौनसा पंचायती राज आप कायम कर रहे हो, किसको सत्ता सौंप रहे हो? आपका जो बहुमत आया है, कुछ मंशा है या इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बना करके ही आप यह सब कराना चाहते हो?

स्कूलों में 150 लड़के, एक मास्टर। यह है क्या? जो पंचायती राज की स्कूलें हैं, मंत्री महोदय, आप स्कूलें खोल रहे हैं, नयी स्कूलें खोलीं वहां तो मास्टर लगने का प्रश्न ही नहीं, पुरानी स्कूलें हैं वहां पर भी कहीं पर कोई मास्टर नहीं है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि आज तक लोगों के यहां छापे पड़े, कितने आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारियों के यहां छापे लगाये? आपकी हिम्मत ही नहीं है उनके यहां कुछ कर लो और डरे नहीं तो करे क्या, राज ही वे ही कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : किसी आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी के छापा मारो।

श्री माधव सिंह दीवान : जब भी कोई मंत्री फेल होता है, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री फेल हो गये मलेरिया को रोकने में, प्लेग को रोकने में, तो मुख्य मंत्रीजी के पास इलाज ही नहीं था। वे अकेले ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने फट से आई.ए.एस. अधिकारी को कमिश्नर लगा दिया कि साहब, हमारे मंत्रीजी के पास कैपेसिटी नहीं है, आई.ए.एस. को लगावो वह ही शायद कुछ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : मैं कहना चाहता हूँ कि मलेरिया की रोकथाम में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके प्रधान मंत्रीजी ने प्रमाण-पत्र दिया, आपके केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी ने प्रमाण-पत्र दिया, आपके केन्द्रीय नेतृत्व ने वहां जो टीम भेजी उसने दो दिन तक दौरा करके इस बात को कहा कि राज्य सरकार ने माकूल प्रबन्ध किये थे। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की मृत्यु हुई पर सरकार को जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे वे समय पर एहतियाती कदम उठाये हैं।

श्री कालीचरण सराफ : प्रधान मंत्रीजी इनके पक्ष में नहीं हैं, वे अर्जुन सिंह जी के खेमे में हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि वह जो प्रमाण-पत्र है उसे सदन के पटल पर रख दें ताकि हमें भी उसका अवलोकन करने का मौका मिल जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के पटल पर रखने की बात नहीं है। उन्होंने दूरदर्शन से लेकर, जिस तरह से बार-बार आप राजस्थान पत्रिका का उदाहरण दे रहे हैं उसी तरह से दूरदर्शन से लेकर सभी जगहों पर उन्होंने इस चीज को कहा है कि राजनैतिक आधार पर मृत्यु के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर छपवाये जा रहे हैं। यह राजस्थान की ही नहीं भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा रहे हैं। यह आपकी आपस की लड़ाई के अन्दर काहे को इस तरह की बात कर रहे हैं? (व्यवधान) आखिर आपको और हमको तो एक जगह आना है।

श्री माधवसिंह दीवान : मंत्रीजी, यह तो आप अपने मुख्य मंत्रीजी से पूछो कि अमेरिका से आते ही उन्होंने मलेरिया उन्मूलन की मीटिंग बुलायी और उनकी चहेती पत्रिका ने लिखा कि मलेरिया के मामले में जो सारा मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था वह मुख्य मंत्रीजी के आते ही दो दिन में कंट्रोल में आ गया।

श्री रामनारायण (नैनवां) : कौनसी पत्रिका?

श्री माधवसिंह दीवान : चहेती पत्रिका। यह आपके खुद के मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि सारा मामला आपने ठप्प कर दिया था वह मुख्य मंत्रीजी के अमेरिका से वापस आते ही कंट्रोल हो गया और इसी का नतीजा हुआ कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग में फिर एक आई.ए.एस. आफिसर को लगाया। साहब, हमारी मंत्री फेल, डायरेक्टर फेल केवल एक आई.ए.एस. आफिसर हैं जो सरकार चला सकते हैं और उनके खिलाफ छापे डलवा दें तो क्या सरकार फेल करवाना चाहते हैं आप? एक ही तरीका है सरकार चलाने का कि जहाँ जहाँ मंत्री फेल होते चले जाएं आप वहां-वहां आई.ए.एस. लगाते चले जाएं।

माननीय श्री राजेन्द्र जी गहलोत जोधपुर लिफ्ट कैनाल की बात कह रहे थे। जोधपुर लिफ्ट कैनाल के बारे में मेरी कुछ कहने की इच्छा नहीं थी क्योंकि जोधपुर लिफ्ट कैनाल के बारे में पहले ही बहुत ज्यादा राजनैतिक चर्चा हो चुकी है परन्तु माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा से मैं पूछना चाहूँगा कि आज कैनाल पूरी हो चुकी है तो उसका पानी जोधपुर क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्योंकि पम्प और मोटर के आर्डर नहीं हुए। आज वहां 8 लिफ्ट स्टेशंस हैं, पम्प और मोटर की सप्लाई की जो सिच्युएशन

(श्री माधवसिंह दीवान)

है, आज आप यदि आर्डर दें तो उनको तीन साल लगते हैं मैन्युफैक्चर करने में, सप्लाई करने में और इरेक्ट करने में। सारी कैनाल बन गयी, सारे पम्प स्टेशंस बन गये (व्यवधान) आप जब बोल रहे थे (व्यवधान) आप कृपया शान्त रहें...

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, जानकारी दे दूँ।

श्री माधवसिंह दीवान : नहीं, जानकारी मुझे पूरी है। आज सिर्फ पम्प के आर्डर्स नहीं हुए और वह भी क्यों? यह तो ठीक है कि मुख्य मंत्रीजी ने श्री पी.एन. भंडारी साहब को थोड़े दिन के लिये सचिव लगा दिया वरना तीन साल से पड़े हुए टेंडर, स्पेसिफिकेशन कम्प्लीट, वहां पर भंडारी साहब आये तो उन्होंने आर्डर निकलवाये। तीन साल से वह पड़े हुए थे और तीन साल आपके जोधपुर पानी नहीं पहुँचता। यह क्रेडिट आप अपने मंत्रीजी को मत दो, क्रेडिट आप भंडारी साहब को दो, आई.ए.एस. को ____। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपने जो 90 तक नहीं आने दिया था वह तो एक साल राष्ट्रपति का शासन आ गया इसलिए विलम्ब हुआ।

श्री माधवसिंह दीवान : अब आप किसी को बदनाम करो वह बात दूसरी है। जो नहर तीन साल पहले तैयार हो जानी चाहिए थी, पम्पों के और जो लिफ्ट के स्टेशंस हैं पांच-पांच सौ और हजार-हजार हार्स पावर्स के उनकी मोटर के आर्डर अभी 4 महीने पहले आपने दिये हैं। तीन साल पहले जो काम हो सकता था वह काम पड़ा रहा। उस समय तो राष्ट्रपति का शासन नहीं था। 1991 के आये हुए टेंडर पड़े हुए थे, 1992 में आपका शासन था परन्तु जो काम नहीं करना है उसकी बदनामी किस और कि की जाए। पालिटिकल प्रोपेगंडा तो कहीं न कहीं आपको सिखाया जरुर जाता है, सुबह शाखाओं में सिखाया जाता है या पता नहीं कहां, यह तो आप जानो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप भी शाखा में आ जाओ।

श्री माधव सिंह दीवान : माननीय उपाध्क्ष महोदय, फिर बात आती है हैण्ड पम्प की। लाखों हैण्डपम्प गांव-गांव में खुदे हुए हैं और 90 पर्सेण्ट उनमें खराब पड़े हैं। पंचायत समिति वालों के पास जाओ तो वह कहते हैं कि पी.एच.ई.डी. वाले करेंगे, पी.एच.ई.डी. वाले कहते हैं कि पंचायत समिति करेगी, वह कहते हैं कि हमारे पास मिस्त्री हैं पर बजट नहीं है, हमारे आदेश निकल गये हैं। जनता को इनडिसीजन में प्यासा क्यों मार रहे हैं? जहां कहीं भी जाओ सारे हैण्डपम्पों के डण्डे हिलाओ तो एक बून्द पानी निकलने का सवाल नहीं है, आप अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो एक तो निर्णय लेओ। यह दोहरी व्यवस्था कौनसी व्यवस्था है। हैण्डपम्प खुदे हुए हैं उनमें पिछले साल पानी आने से वाटर टेबल ऊँचा चढ़ गया और आप यह निर्णय नहीं ले सको कि हमने इनके रिपेयर करवाने का काम किसको दिया है। सारे हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, कोई उनके रिपेयर करने की जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी पधार गये, उन्होंने आते ही घोषणा की थी कि शिक्षा विभाग को

(श्री माधवसिंह दीवान)

सुधार दूँगा। कोई 15 सूत्री या 20 सूत्री कार्यक्रम निकाला कि इतने से इतने दिन साल में पढ़ाई होगी, इतने इतने सब्जेक्ट पढ़ाये जाएंगे, ये-ये होगा। जैसे-जैसे मास्टरों का और अपने सनाढ्य साहब का दबाव बढ़ा वह एक-एक करके विदड्रा होते गये और आखिर वह दिन आया कि 12 के 12 और 15 के 15 पांइट में से एक भी लागू करने की हिम्मत वह नहीं कर सके। कैसी सरकार है, कैसी घोषणाएं, कैसा प्रेशर, कैसा दबाव, कौन-कौन सी साल भर की उपलब्धि इस बारे में बताना चाहते थे, कुछ समझ में आये नहीं। वाकई में आम जनता के लिये वन मैन शो है। तो जब श्री भैरोंसिंहजी अकेले ही सरकार चलाना चाहते हैं तो फिर फालतू मंत्रिमण्डल का खर्चा क्यों? यह जो फौज इकट्ठी की हुई है, जो कारों में बैठी फिरे, पावर उनको एक धेले की नहीं, उनमें कोई काम करने की क्षमता नहीं, काम करने के अधिकार नहीं और जब अकेले ही निर्णय लेने हैं तो राजस्थान की गरीब जनता पर इतना बोझ क्यों? भ्रष्टाचार हटाने वाले लोग_

श्री कालीचरण सराफ : संवैधानिक व्यवस्था है।

श्री माधवसिंह दीवान : अच्छा है, संवैधानिक व्यवस्था में आपको भी इनक्लूड कर लेंगे तब तो यह व्यवस्था फिर भी कुछ सुधर जाए। कहीं पर भी आप पधार जाओ जीपों के अन्दर आर.टी.ओ. के इंस्पेक्टर्स आपको चैक करते मिल जाएंगे और चैक क्या कर रहे हैं दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। क्या आपके भ्रष्टाचार विभाग के किसी अधिकारी ने उन पर छापा मारा जीप के अन्दर कि भाई, आप जब घर से निकले थे तब क्या आपके पास 10 हजार रुपये थे? वह रोज के 10 हजार, 15 हजार रुपये इकट्ठे कर रहे हैं सड़क के बीच में खड़े हुए और उन्हें कोई चैक करने वाला नहीं है। कौनसा भ्रष्टाचार विभाग, कौनसा निरोधक विभाग, कौनसा भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है। केवल बातें करनी ही करनी और जब पूरा मंत्रिमण्डल + + + तो फिर दूसरों की आगे बात करना ही फिजूल है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम बोलो।

श्री कालीचरण सराफ : भ्रष्टाचार के लिये नाम तो लो।

श्री माधवसिंह दीवान : जब आप एफीशियेंसी की बात करो __ (व्यवधान)

श्री रामनारायण (नैनवां) : कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्ट नहीं हैं पर उन्हें मंत्रिमण्डल में नहीं लिया जा रहा है। ____ (व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर के सैकंड फेज में नहर बन चुकी है 2 लाख हैक्टेयर में, खालें बन गये हैं डेढ़ लाख हैक्टेयर में, और अलाटमेंट हुआ है एक लाख हैक्टेयर में और आज सिंचाई कितने में हो रही है? 5 हजार हैक्टेयर में मतलब 2 लाख हैक्टेयर में से 5 हजार हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। बाकी सारी जमीन जहां राजस्थान की जनता का पैसा इन्वेस्टेड है, फालतू पड़ी है। क्यों फालतू पड़ी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री माधवसिंह दीवान)

है ? क्योंकि ऐसे-ऐसे लोगों ने वहां जमीनें ले लीं जिनका उसमें खेती करने में इंटरेस्ट नहीं है, केवल भाव बढ़ जाएं तो उसको बेचकर नक्की करें। आज राजस्थान की जनता के हर साल जहां पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं उससे ढाई पर्सेण्ट इलाके में सिंचाई हो, तो कौनसी सरकार इस काम को देख रही है, कौनसी सरकार उसकी मानीटरिंग कर रही है ? क्या मुख्य मंत्रीजी किसी महकमे का मानीटरिंग भी कर रहे हैं या नहीं ? पर यह लोगों के तो समझ में आने वाली बात नहीं है। फेमिन कोड़ 1988 में ...... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज आप जम नहीं रहे हैं।

श्री माधव सिंह दीवान : जमे की नहीं जमे लेकिन सही बात तो कहनी ही पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को सुधारने की बात करें। राजस्थान के फैमिन कोड को सुधारने के लिये 1988 में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जो उसके जानकार थे और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनको आर.ए.एस. होते हुए भी स्पेशल फंड दिया कि वह अपने घर बैठ कर कोड तैयार करें। 1990 में उन्होंने फैमिन कोड़ लेटेस्ट हिसाब से कम्प्लीट करके दे दिया। 1990 से लेकर 1995 तक उस फैमिन कोड़ को लेकर सरकार बैठी हुई है जिस पर सरकार का पैसा खर्च हो चुका है 5 साल से उस कोड को लागू कैसे किया जाए, किया जाए या नहीं किया जाए, किया जाए तो क्या संशोधन किया जाए, वह तैयार किया हुआ कोड़ सरकार लेकर बैठी है। ऐसी कितनी ही फाइलें हैं, ऐसे कितने ही काम हैं जो सरकार लिये हुई बैठी है।

उस हिसाब से यह जो राजस्थान के राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उपलब्धियाँ, उपलब्धियाँ, उपलब्धियाँ, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, "गुड़ तो अंधेरा मांही मीठो लागे"

अगर उपलब्धि होती तो वह सब अपने आप दिख जाती, खाली कागजों के आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल (अनुपस्थित)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको किसी स्पीकर को नहीं टोकना चाहिए। दीवान साहब को आपने बैठा दिया नहीं तो आपकी और पोल खोलते।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अभी मेरे पूर्व में बोलने वाले हरिसिंह जी ने एक बात कही थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक रज्जू भैया को लेकर आरक्षण खत्म करने की। मान्यवर, रज्जू भैया ने स्टेटमेंट दिया कि.....

श्री जुबेर ख़ान : ये कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : यह आपके हरिसिंह जी बोल रहे थे (व्यवधान) जनरल नॉलेज बढ़ायी है आपकी।

श्री कालीचरण सराफ : काहे के एम. एल. ए. हो, आप रज्जू भैया को नहीं जानते हो ? (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : रज्जू भैया का नाम आते ही जैसे उनके बिच्छू का डंक लगा । तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्क्ष महोदय, इस देश की हालत आजादी के बाद जो हुई है और इस देश पर कांग्रेस के नेताओं ने राज किया है, रज्जू भैया को न सत्ता चाहिए, न सत्ता से कुछ लेना-देना है जिनको (व्यवधान) मैं जो बात कर रहा हूँ वह आपके लिये लाभदायक है (व्यवधान) न उन्हें सत्ता चाहिए न उन्हें सत्ता से कोई लेना-देना है, सत्ता की चाह में इस वोटों की राजनीति में आज इस देश को बर्बादी के कगार पर इन कांग्रेस के नेताओं ने पहुँचाया है, बड़ा शर्मनाक है । आज आसाम जल रहा है, पूरा पूर्वांचल जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, पंजाब जल रहा है । जातिवाद का जहर इन्होंने घोला है। आज इस देश में किसी को भारतवासी बनने की प्रेरणा नहीं दी है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान तो बच गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आपके कर-कमलों और आपके नेताओं के घिनौने प्रयासों के द्वारा यदि यही हालत रही केन्द्र में बैठे हुए नेताओं की तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहेगा, यह आप मानकर चलना । यह आग जलती हुई आ रही है । राजस्थान तक भी पहुँचेगी और उससे भी आगे जाएगी और इस देश को गुलाम करने का जो षड़यन्त्र हो रहा है उससे हम अछूते नहीं रह पायेंगे । इस आतंकवाद और इस अलगाववाद के कारण कश्मीर की जो हालत देखते हैं, यह हालत क्यों हुई ? यह सब इस वोट की राजनीति के पीछे हुआ । मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण कश्मीर को इस आग में धकेला गया । वोट की राजनीति के कारण पंजाब की हालत खराब हुई और राजस्थान में राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण हुआ । धन्यवाद देंगे हम भैरोंसिंह जी शेखावत को—

श्री रामनारायण (नैनवां) : एक कुत्ते को नहीं पकड़वा सके । कुत्ता था या एक पिल्ला था । था कि नहीं था, आप तो यह बता दीजिए पहले । एक पिल्ला था, कुत्ता तो बहुत बड़ा होता है । इतना सा । महिलाओं की तो बात ही क्या है । पिल्ला था ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक महिला, एक बच्चा, एक कुत्ता इन्होंने आतंकवाद खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आतंकवाद फैल गया और कुछ नहीं कर पाये और फिर धन्यवाद दे रहे हो (व्यवधान) अंधे के हाथ बटेर ।

श्री रामनारायण (नैनवां) : वह तो बिल्ली के भाग से छींका टूटा है ।

एक माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिए थी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : वह आपकी केन्द्रीय सरकार को सौंप रखी है । मैं निवेदन कर रहा था कि मुस्लिम तुष्टिकरण और पंजाब में वोटों की राजनीति के कारण यह आग आज राजस्थान में भी आयी और राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत

(१५४)

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

का जिनकी सूझ-बूझ से, राजस्थान पुलिस की कर्तव्य परायणता से वह जो दुर्घटना हुई थी, भगवान की कृपा से हमें उसमें सफल हुए और सकुशल राजेन्द्र मिर्धा को वापस अपने घर लाने में सफल हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनकी किस्मत अच्छी थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : वह तो आपकी किस्मत अच्छी है जो आप यहाँ बैठे हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरी तो है ही।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : वरना यहां नहीं होते आप। वे तो आपको भी ले जा सकते थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनकी किस्मत अच्छी थी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने क्या उनसे सांठ-गांठ कर रखी है, जो आप पर खतरा नहीं आयेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : अभी चर्चा हो रही थी रिजर्वेशन के बारे में। पंचायत चुनावों में रिजर्वेशन हुए। भारतीय जनता पार्टी का भाव रिजर्वेशन के पीछे पंचायत चुनावों में प्रकट किया....

एक माननीय सदस्य : कहां किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : अभी आपने चुनाव लड़वाया है ना। जो रिजर्वेशन का भाव भारतीय जनता पार्टी का था, सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधकर सत्ता में भागीदारी देने का रहा है न कि वोटों की राजनीति के लिये जातियों को लड़ाने का रहा है। पुराने जमाने में गांवों में पंचायतें होती थीं और उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के मुखियाओं को मिलाकर बैठकें होकर निर्णय किये जाते थे, उसी प्रकार पंचायतों का स्वरुप आज पंचायत राज में बना है।

शिक्षा के क्षेत्र में इस एक वर्ष में जो उपलब्धि हुई है यदि शिक्षा के नाम पर देखें तो राजस्थान नीचे से चौथे या पांचवें नम्बर पर आता है उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार राजस्थान में पांचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले लड़कों व लड़कियों को और 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कदम उठाया गया है यह राजस्थान के इतिहास में क्रांतिकारी कदम है और इससे बच्चों में, अभिभावकों में पढ़ाने और पढ़ने की चेतना पैदा हुई है। एक रुपया रोज छात्राओं को देने की उन्होंने एक योजना चालू की है, उससे भी शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन मिलेगा। पिछले वर्ष में जितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये, यह अपने आपमें रिकार्ड है और इससे सरकार की मंशा साफ और स्पष्ट होती है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी जागरुक है और वाकई में ईमानदारी से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, विकास के बारे में चर्चा हो रही थी, योजनाओं के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं राजस्थान की बात नहीं करुंगा परन्तु मेरे क्षेत्र में ही जो पिछले वर्ष में विकास हुआ है वह अपने आप में एक रिकार्ड है। पिछले एक वर्ष में करीब 6 करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार ने विकास के लिये लगाये हैं और ....

एक माननीय सदस्य : भारत सरकार का कितना पैसा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : भारत सरकार का एक नया पैसा नहीं है, सब राजस्थान सरकार का पैसा है (व्यवधान) जे. आर. वाई. का नहीं है, सब सिंचाई विभाग और अन्य का है। 1 करोड़ 54 लाख 15 हजार रुपये की तो ...(व्यवधान) सिंचाई लघु परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, बन्धुवर।

श्री रामनारायण : पहले पाइंट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर है अब क्या पाइंट ऑफ आर्डर ?

श्री रामनारायण : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहता कि माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी परम्परा और नियम में यह है कि माननीय सदस्य के लिये जो जगह सुरक्षित है वह वहाँ से बोलें और यदि वह वहां से नहीं बोलते हैं तो उसके लिये अलाउ भी नहीं किया जा सकता बल्कि उनको सदन से बाहर निकालने का भी है।

श्री रामनारायण : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि + + + सदस्यों के बल पर सत्ता में बैठे हुए मुख्य सचेतक मुझे यह कह रहे हैं कि मैं सीट पर नहीं हूँ। मुझे उनके कथन पर + + + आ रही है। मैं अपनी सीट से बोल रहा हूँ। आपको ये ही पता नहीं है कि मैं कहां बैठता हूँ। आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि कौन इस सदन का सदस्य है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट ऑफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, सीट पर बैठे हैं, पाइंट ऑफ आर्डर रेज किया, आपने अनुमति दी। मुख्य सचेतक को क्या अधिकार है कि इनको यह कहें (व्यवधान) नहीं, नहीं उपाध्यक्ष महोदय, This is a serious matter. श्रीमान् जी के आपने शब्द सुने कि इनको पकड़कर हाउस से बाहर निकाल देना चाहिए। यह क्या बात है ? सचेतक साहब, थोड़ा भाषा का_

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा मैंने कभी नहीं कहा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने बिलकुल कहा है। (व्यवधान) नहीं नहीं, गलत चीज है, जैन साहब (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : निकाल दीजिये, ऐसा नहीं कहा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : ट्रेजरी बैंचेज के अलावा कहीं से भी बोल सकते हैं यह कैसे निकाल सकते हो आप ? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात बिल्कुल गलत है। वह अपनी जगह से बोल रहे थे और यहां सदन में किसी भी जगह से बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें तो सही। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें। ऐसा कोई शब्द हो तो इसको बाहर निकाल दो।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष जी, मुख्य सचेतक जी से कहिये कि वह उसके लिये क्षमा प्रार्थी हों।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कोई शब्द हो तो कार्यवाही से बाहर निकालिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने न तो ऐसा कहा है कि इनको निकाल दीजिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको आंख दिखाने की कोई जरुरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह किसी भी जगह से बोल सकते हैं इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। (व्यवधान) किसी भी जगह से बोलने पर आप कैसे बाहर निकाल सकते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने केवल यह कहा है कि वह अपनी जगह से बोले। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह सदन के माननीय सदस्य हैं, कुछ तो बोलने का लिहाज रखो इनका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। (व्यवधान) बैठिये। (व्यवधान) क्या छोटी छोटी बातों पर आ रहे हो?

श्री बनवारी लाल बैरवा : बाहर निकालने के लिये कैसे कह सकते हैं? सदन से बाहर कैसे निकाल सकते हो आप किसी सदस्य को? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रोसिडिंग्स को देखिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने इस तरह की कोई बात नहीं कि आसन के सम्मुख आकर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा है कि यदि इस प्रकार का कोई शब्द प्रोसिडिंग्स में आ गया तो उसको एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान) एक्सपंज के लिये कह दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय इस तरह की गाथा इस सदन की गरिमा के खिलाफ हैं। (व्यवधान) किताबें उठाने लग गये यह।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया। आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। (व्यवधान) सदन से इन सब को + + + (व्यवधान) यह कौन सा तरीका हुआ? यह कौनसी भाषा है? कह दिया तो कह दिया उसके खिलाफ आप प्रस्ताव लाओ। (व्यवधान) यह कौनसा तरीका हुआ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : बाहर निकालने के लिये आप कैसे कह सकते हो? (व्यवधान)तो उसके लिये वे क्षमा मांगें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजिये। यदि इस प्रकार का कोई शब्द आया हो तो उसको एक्सपंज कर दें। (व्यवधान) मैं सब की तरफ से खेद प्रकट करता हूँ। (व्यवधान) ये कुछ बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप इनकी सुन तो लीजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय खेद प्रकट करें, माफी मांगें कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। (व्यवधान) सत्ताधारी दल का यह मतलब नहीं है कि माननीय सदस्य का इस तरह अपमान किया जाए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने केवल नियमों के हवाले से यह कहा है कि कोई भी जो माननीय सदस्य बोलें वह अपने स्थान से बोलें, इस प्रकार का प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात तो सुन लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और रामनारायण जी नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं ने भी सुना है। यदि उन्होंने यह सुना है कि मैंने यह कहा कि उनको निकाल दो या ये निकल जाएं–

श्री शैलेन्द्र जोशी : साहब, आपने तो कहा कि उनको निकाल कर फैंक दिया जाएगा। अब आप असत्य बोल रहे हैं। आप सत्ताधारी दल के सचेतक हैं और यहां पर आप थर्ड डिग्री मैथड यूज कर रहे हैं। शोभा नहीं देता आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें मैंने यह कहा है कि यदि कोई माननीय सदस्य अपनी जगह से नहीं बोलें तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि उनको निकाल सकते हैं। यह कहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं सुनना चाहते। या तो माफी मांगो या सदन से बाहर जाइये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन की कार्यवाही बिलकुल नहीं चलने दी जाएगी। यदि आप भविष्य में समझकर नहीं बोले तो। आप माफी मांगिये अपने कथन पर। आपकी यह अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का कि आप प्रतिपक्ष के लोगों को इस तरह का कह सकें। (व्यवधान) कानून हम जानते हैं। बल्कि आप तो समझते भी नहीं, हम समझते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि मैंने कहा है तो, आप प्रोसिडिंग्स देख लें। अन-कन्डीशनल मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, खत्म हो गयी बात। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, माफी मंगवाइये (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं किसी भी प्रकार का हाउस का एक मिनट भी खराब नहीं करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिये माफी मंगवाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य का अपमान किया है उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : यदि इस प्रकार का कोई शब्द आया हो तो उसको एक्सपंज भी करें। माननीय सदस्य ने कह दिया कि यदि इस तरह का हुआ है तो माफी मांग लेंगे। बस खत्म हो गयी बात। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि हम प्रतिपक्ष के लोगों

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के तो कान ही खराब हो गये हैं। जो सुनते हैं वे सत्ता पक्ष के लोग ही सही सुनते हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है, इस तरह की आपत्ति करना। मुख्य सचेतक महोदय को कोई अधिकार नहीं है इस तरह का कहने का। वे माफी मांगें पहले तब आगे की कार्यवाही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : We have the right to sit here. तो लीगली लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह आपसे व्यवस्था मांगी थी मैं अभी भी यह कह रहा हूँ कि अगर यह चेयर हमें प्रोटेक्शन नहीं देगी और यह भूमिका बन रही है इसलिए कि इस हाउस की मोकरी की जा रही है। सुबह से मैंने जो पाइंट आउट किया। आप मित्रों को, सदस्यों को बुरा लगता होगा लेकिन मैं आपको सीरियसली अर्ज कर रहा हूँ। अगर आज इस चेयर ने प्रोटेक्ट नहीं किया। आज क्या मतलब है सुबह आज मुख्य मंत्रीजी ने चार-चार प्रश्नों को जिस हिसाब से टाला, आज जैसे कौनसे मांगीलाल या भाटों की बात आयी You mean to say. मुख्य मंत्रीजी को शोभा देता है (व्यवधान)...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भाटीजी का भी जो आचरण था वह भी सदन के अनुकूल नहीं था...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये, मंत्री महोदय, मैं आपको यह अर्ज करना चाह रहा हूँ...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : देखिये, एक माननीय सदस्य के नाते, भाटीजी का जो आचरण था, उनका आचरण अनूकूल नहीं था। उनका फाइल फैंक देना, उनका बीच में बोलना, गलत है यह...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप अगर चैलेन्ज करना चाहें तो करिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सदन ठीक तरह से चलाना चाहते हैं तो विपक्ष के लोगों को भी अपने आचरण को ठीक करना होगा। महावीरजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। महावीरजी ने केवल एक रुल का हवाला दिया था...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं तो भी माननीय सदस्य बीच में फरमा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और आप उस रुल के आधार पर सारे के सारे वैल में आ गये, आपका आचरण भी उचित नहीं था। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को चलाने की जो बात सनाढ्य जी कह रहे हैं तो सत्तापक्ष की ज्यादा है, हम तो वैसे ही सहयोग कर रहे हैं। बात हमारी तरफ से नहीं आयी है और (व्यवधान) जो फरमा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यही कह रहा हूँ कि प्रोसिडिंग्स मंगवा लेंगे। उसमें किसी प्रकार के ऐसे शब्द होंगे तो उसको निकाल देंगे और एक्सपंज करने के लिये कह दिया है

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ऐसे शब्द ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और इनसे कह भी दिया है कि ऐसा शब्द होगा तो एक्सपंज कर दिया जाएगा इसके बावजूद भी अनकंडीशनल क्षमा याचना हो गयी है "क्षमा वीरस्य भूषणम" बिराजिये आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा कि अगर कोई सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर नहीं बोलता तो उसको बाहर निकाला जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं निकाला जाना चाहिए, निकाला जा सकता है (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : Please hear me. You have the right to correct me.please hear me. मेरा यह आक्षेप है कि सरकारी मुख्य सचेतक को यह जानकारी नहीं है कि जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, वो अपनी सीट से बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे। अगर वे अपनी सीट से बोल रहे थे तो इस प्रकार का आक्षेप करने का उनका क्या अधिकार था।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उन्होंने रुल का हवाला देते हुए कहा है। रूल का हवाला देते हुए कहा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किस बात का रूल का हवाला . . . (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसमें निकाला जा सकता है। यह नहीं कहा कि उन्हें निकाला जाए . . .(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य अपनी सीट से बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप इसे गलत ढंग से पेश कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वे अपने स्थान से बोल रहे थे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसके लिये जिस तरह का आचरण किया गया है वह भी उपयुक्त नहीं था। वह ठीक नहीं था (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्षजी, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान) अपने स्थान से बोल रहे थे।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचेतक महोदय से माफी मंगवाइए आप इस बात के लिये। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक कार्यवाही नहीं चलेगी आगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और वह जो आचरण उन्होंने किया उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। एक सैकण्ड, आप सुन लीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सचेतक महोदय ने अपनी बात कहते समय यह कहा है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने स्थान से बोलना चाहिए . . . . (व्यवधान) एक मिनट, प्लीज, मुझे पूरा तो करने दो। पूरा करने दो ना और नियमों में यह भी प्रावधान है, (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये और नियमों में यह भी प्रावधान है (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये और नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य अपने स्थान से नहीं बोले तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। (व्यवधान) सुनिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अब तो यह प्रोसीडिंग्स के आधार पर निर्णय होगा कि यहबात उधर से कही जा रही है या इधर से कही जा रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है...

एक माननीय सदस्य : नहीं, यह शब्द कहने की आवश्यकता कहां पड़ी ? कहां आवश्यकता पड़ी यह सब कहने की ? (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ठहरिये तो सही, कम्प्लीट तो होने दीजिये। पूरी बात तो होने दो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कहकर के + + + रहे हो आप। गलत बात है यह

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब माननीय सदस्य अपनी सीट से बोल रहे थे तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह अलग बात है, यह अलग विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : यह तो रिलेटेड प्रश्न है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके साथ-साथ जब यह प्रश्न आकर खड़ा हुआ तो माननीय महावीरजी ने यह बात तक कही कि अगर निकालने की बात कही होगी बिना नियमों का प्रावधान किये हुए, अनकंडीशनल अपोलोजी मैं करुंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस बात के आंधार केवल फैक्ट इस पर आधारित हो गया कि अगर रिकार्ड यह आता है तो उन्होंने नियमों के प्रावधानों की चर्चा नहीं की, अनकंडीशनल अपोलोजी मांग रहे हैं। (व्यवधान) की है तो कहने का कोई सवाल ही नहीं। आप प्रोसिडिंग्स प्रारम्भ करिये, यह मेरा निवेदन है आपसे। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : यह बोलने की आवश्यकता कहां हुई ? क्या माननीय सदस्य अपनी जगह से बोल नहीं रहे थे ? (व्यवधान) माननीय सदस्य अपनी जगह से बोल रहे थे तो फिर बोलने की आवश्कता कहां हुई, बाहर करने की बात है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, मुझे एक थोड़ा-सा सबमिशन करना है और वह सबमिशन यह है कि सरकारी पक्ष के...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्य अपनी जगह से बोल रहे थे तो इस प्रकार का सरकारी मुख्य सचेतक को एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गलती कर ली उन्होंने..

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गलत बात करने का कोई अधिकार नहीं (व्यवधान)

श्री माधव सिंह दीवान : आप दोना थोड़ा ज्ञान चीफ व्हिप साहब को आप खेत सिंह जी के पास आओ ज्ञान लेने के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा अपन ने इस पर गुजार दिया। बात न बात का नाम। आप क्षमा मांग लो ना इसमें कौनसा फर्क पड़ता है। मैं तो कई दफा मांगता था। गलती हो गयी तो हो गयी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किस बात की माफी? मांग रहे हैं ना अगर गलत कहा होगा तो (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्षमा मांग लो, ऐसी कौनसी बड़ी बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गलत कहा होगा तो मांग लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जो है बहुत मूल्यवान और सर्वोच्च है और इस हाउस की बहत उच्च परम्परा रही है। राजस्थान की जनता हमसे यह अपेक्षा करती है कि हम इस प्रकार का आचरण करें, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं कि हम कुछ मतलब निकालकर विधान सभा के माध्यम से लोगों का भला कर सकें। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सारे नियम और प्रक्रियाएं और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह इसलिए हैं कि यह हाउस ठीक प्रकार से चले। अब यह जो मैंने नियमों के हवाले से कहा, कई बार इस हाउस के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के आब्जेक्शंस किये हैं कि कोई माननीय सदस्य अपनी सीट से नहीं बोले..

श्रीमती बीना काक : तो इन्हें ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह मैंने इनके लिये कोई मांग ही नहीं की। यदि मान लो माननीय सदस्य की यह सीट है, पहले माननीय सदस्य सामने बैठते थे अब यदि उन्होंने अपनी सीट चेंज की है और आज दिन भर वे इधर भी बैठते रहे हैं तो मैंने न तो उनके बारे में कोई बात कही है लेकिन मुझे इतना सा जरुर हुआ कि माननीय सदस्य अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं। उनके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन (व्यवधान) यदि माननीय सदस्य की वह सीट है तो मैं अपने आपको करेक्ट कर देता हूँ (व्यवधान) कि वह सीट उनकी है। और उसके कारण यदि उनको ठेस पहुँची है तोआप कहो जो मैं करने के लिये तैयार हूँ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बात हो गयी है, माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नो, नो, नो आप बात भले कितनी ही बोलो Hon'ble Deputy Speaker sir, this is my right.

श्री उपाध्यक्ष : अब सारी बात हो गयी है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, इनको भी खेद प्रकट करना चाहिए। सरकारी मुख्य सचेतक ने नियमों का हवाला देकर यह कहा कि अगर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई सीट से नहीं बोले तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। इस पर इतनी उत्तेजना आयी और उस पर जो आचरण इधर से माननीय सदस्यों ने किया, जिस तरह वैल में आकर किताबें हाथ में लेकर फैंकने का प्रयास किया...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरा अधिकार है यह कहने का, मैं अपोजीशन में हूँ। मेरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस प्रकार असंसदीय भाषा का प्रयोग किया इनको भी माफी मांगनी चाहिए। इनको भी माफी मांगनी चाहिऐ (व्यवधान) अगर यह सदन की गरिमा को ध्यान में रखना चाहते हैं ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बोलने का अधिकार क्या है।? कोई जूरिस्डिक्शन नहीं है इस में बोलने का। हमारे माननीय सदस्य भाटी साहब बोल रहे हैं इस समय माननीय मंत्री महोदय को बोलने का क्या अधिकार है। वे बीच में क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं? अपनी पार्टी की क्यों बचत कर रहे हैं...

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर ....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह क्या मतलब हुआ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक गलती करने वाले व्यक्ति को सही समय पर गलत तरीके से मदद देना चाहते हैं (व्यवधान) इस सदन की मर्यादा रखिये। इस सदन की मर्यादा रखने के लिये सब-स्टेण्डर्ड मत अपनाइये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारी की सारी, माफी हो चुकी (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन की मर्यादा रखिये आप। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप रखिये ना।

श्री देवीसिंह भाटी : आप रखिये। (व्यवधान) यह तो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप, उधर देखो ही मत ...(व्यवधान)

श्री इन्द्र सिंह पूनिया : बीच में बोल रहे थे कि (व्यवधान) इसको बाहर निकाल दो (व्यवधान) यूं खड़े हो गये + + + दिखा रहे हैं, जैसे पीटना है यहां कोई ...

श्री देवीसिंह भाटी : यहां तो बोलने का अधिकार है। आप कितनी बात कहना चाहते हो, जोर से बोलो कैसे भी बोलो। पर यहां आप वैल में आकर इस प्रकार का व्यवहार करें, किताबें फैकें यह व्यवहार तो ... (व्यवधान) अगर कैसी भी बात है तो मैं माफी मांग लेता हूँ किसी ने भी ऐसा व्यवहार किया है।मैंने जिस प्रकार से यहां इसी सदन के अन्दर (व्यवधान). मंजू हरिजन का मामला उठाया था...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 27 मार्च, 1995 के सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्‌नन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे सोमवार; 27 मार्च, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

परिशिष्ट - 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

सैटेलाइट चिकित्सालय, मण्डोर (जोधपुर) का जिला चिकित्सालय में परिवर्तन

8. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सैटेलाइट अस्पताल मण्डोर (जोधपुर) को जिला अस्पताल बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त अस्पताल के लिए निम्नांकित नवीन पद सृजित कराने का विचार रखती है :—

1.	यूरोलोजिस्ट	एक पद
2.	पैथोलोजिस्ट	एक पद
3.	अस्थि विशेषज्ञ	एक पद
4.	कार्यालय सहायक	एक पद
5.	वरिष्ठ लिपिक	एक पद
6.	कनिष्ठ लिपिक	दो पद
7.	वाहन चालक	दो पद (रोगी वाहन)

(3) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ। योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर तथा आवश्यक भवन की व्यवस्था होने पर जोधपुर में जिला चिकित्सालय की स्थापना पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी, नहीं।

(3) वर्तमान में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार सैटेलाइट चिकित्सालय में जो पद सृजित किये जाते हैं, उनमें यूरोलोजिस्ट, पैथोलोजिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ तथा कार्यालय सहायक के पद सम्मिलित नहीं है। मण्डोर सैटेलाइट चिकित्सालय में वर्तमान में दो वरिष्ठ-लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक तथा एक वाहन चालक का पद स्वीकृत है, जो प्रर्याप्त हैं।

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित कॉलोनियाँ

9. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला उदयपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनी हुई कुछ कॉलोनियाँ खाली पड़ी है? यदि हाँ, तो कितनी? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें। इस सम्बन्ध में सरकार भविष्य में क्या विचार रखती है?

उत्तर

जी हाँ, उदयपुर जिले में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1985-86 से 89-90 तक 162 कॉलोनियाँ बनाई गई थी इनमें से 55 कॉलोनियाँ खाली पड़ी है। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है। पंचायत समितिवार कॉलोनियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(158)

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

पंचायत समिति		खाली कॉलोनियों की संख्या
1.	गिर्वा	1
2.	बड़गांव	1
3.	गोगून्दा	2
4.	सलबर	4
5.	झाडोल	2
6.	सराडा	8
7.	मावली	1
8.	भीण्डर	7
9.	धरियावाद	11
10.	कोटड़ा	3
11.	खेरवाड़ा	15
	योग :	55

लाभार्थियों द्वारा आवंटित आवासों में रहने के इच्छुक नहीं होने की स्थिति में यह आवास अन्य पात्र व्यक्तियों/परिवारों को आवंटित करने के आदेश सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दिये जा चुके हैं।

7

(159)

परिशिष्ट–1

उदयपुर जिले की 11 पंचायत समितियों में बताये गये इन्दिरा आवास कॉलोनियों में से जो इन्दिरा आवास कॉलोनियाँ खाली है उसका पूर्ण विवरण नीचे अंकित है। इन निर्मित कॉलोनियों का आंबटन लाभार्थियों को कर दिया गया है परन्तु कुछ कॉलोनियों में लाभार्थियों द्वारा पट्टा लेने के बाद इसमें आवास नहीं किया है जिसका विवरण नीचे अंकित है—

क्र.सं.	पंचायत समिति	कॉलोनी का निर्माण स्थल	निर्माण वर्ष	व्यय राशि	आवासों की संख्या	खाली रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	गिर्वा	1. पाटिया (पडूणा)	87-88	1.20	10	आबंटित व्यक्तियों द्वारा आवास में नहीं रहने के कारण
2.	बडगांव	1. कैलाशपुरी	89-90	0.72	8	—
3.	मावली	1. धनोली (नान्दवेल)	87-88	2.18	20	—
4.	भीण्डर	1.भीखावनिया (पाणुन्द)	85-86	1.06	10	—
		2. मोतीन्दा	85-86	1.15	10	—
		3. डाबिया का खेडा	86-87	1.06	10	—
		4. नवानिया	87-88	0.36	4	—
		5. नागलिया (भोपाखेडा)	87-88	1.09	10	—
		6. सवना	87-88	0.36	4	—
		7. मासिंगपुरा (बग्गड)	89-90	0.54	6	—
5.	गोगुन्दा	1. बरावली (पदराडा)-1	85-86	0.43	4	—
		2. बरावली-11	86-87	1.76	15	—
		3. सेमड	86-87	0.89	10	—

1	2	3	4	5	6	7
6.	सलूम्बर	1. सेरिया	86-87	2.10	20	आबंटित व्यक्तियों द्वारा आवास नहीं करने के कारण।
		2. घटेड़ (मातासुला)	87-88	2.00	20	–
		3. देवलाकला (जोधपुर खुर्द)	87-88	1.24	12	–
		4. बनोड़ा	87-88	1.44	12	–
7.	झाडोल	1. गोदाना	87-88	1.03	10	–
		2. गोरण	87-88	1.10	10	–
8.	सराडा	1. देवपुरा	85-86	1.08	10	–
		2. मगरावाली थोरी (सेमाल)	85-86	0.93	10	–
		3. बगरूआ-1	85-86	1.02	10	–
		4. बगरूआ-11	87-88	1.06	10	–
		5. दमाणा	86-87	0.62	6	–
		6. भौराई	89-90	1.10	10	–
		7. सगतडा	89-90	1.10	10	–
		8. कालीघाटी (टोकर)	87-88	0.97	10	–
9.	धरियावद	1. पारेल	86-87	14.09	14	–
		2. कूण	86-87	00.78	10	–
		3. केशरियावाद	86-87	0.78	10	–
		4. धनेरा (अणत)	86-87	0.78	10	–
		5. पाडला बावडी	85-86	0.78	10	–
		6. देवला	87-88	1.14	10	–

1	2	3	4	5	6	7
		7. पिपलिया	87-88	1.83	10	आबंटित व्यक्तियों द्वारा आवास नहीं करने के कारण।
		8. मोठडा	87-88	1.13	10	—
		9. मानपुर	88-89	1.06	10	—
		10. मूगाना	85-86	0.78	10	—
		11. अग्गड (अरणिया)	87-88	0.68	6	—
10.	कोटडा	1. झेड	85-86	0.78	10	—
		2. लियाटा	87-88	1.08	10	—
		3. पडावली	86-87	1.08	10	—
11.	खैरवाडा	1. देपुर (पण्डयावाडा)	85-86	1.02	10	—
		2. ढेलाना	85-86	0.54	5	—
		3. घोडी (टपाना)	86-87	1.06	10	—
		4. खाण्डी ओवरी-1	86-87	1.08	10	—
		5. खाण्डी ओवरी-11	87-88	1.20	10	—
		6. खराडीवाडा (पहाडा)	87-88	1.20	10	—
		7. भूदर	87-88	1.20	10	—
		8. सुलई	87-88	0.96	8	—
		9. कोजावाडा	87-88	1.20	10	—
		10. कानपुर (कातरवास)	87-88	0.96	6	—
		11. थाणा	89-90	0.36	6	—
		12. परणवाडा डेरी	89-90	0.54	4	—
		13. छाणी	89-90	0.50	6	—
		14. घोघरवाडा (भाणदा)	89-90	0.52	6	—
		15. कल्याणपुर	89-90	0.53	6	—

161

तकनीकी विभागों में तकनीकी सचिव का पदस्थापन

10. **श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)** : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तकनीकी विभागों में सचिव का पद तकनीकी अधिकारी से भरने से विभाग की कार्य कुशलता/प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है ?

(2) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कृषि, वन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई आदि विभागों में तकनीकी व्यक्ति कब तक सचिव बना दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) तकनीकी विभागों में सचिव का पद तकनीकी अधिकारी से भरने से विभाग की कार्य कुशलता, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है अथवा नहीं, यह सचिव पद पर पदस्थापित होने वाले अधिकारी की योग्यता पर निर्भर करता है। फलतः यह कहना संभव नहीं हे, कि इससे कार्य कुशलता/प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सकती है अथवा नहीं।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र की पंचायतों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ना

11. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र की नव गठित पंचायतों के मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का कोई प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक पंचायत मुख्यालय से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

हाँ। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की नवगठित पंचायतों के मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अन्त तक सभी पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ दिये जाने की योजना है।

राज्य में बच्चे गायब होने की घटनाओं की रोकथाम

12. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या गृह मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बच्चे गायब होने की घटनायें हो रही है ? यदि हाँ, तो सन् 1990-91 से अब तक बच्चे गायब होने की कितनी घटनायें हुई ? वर्षवार, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इन घटनाओं के घटित होने के पीछे क्या-क्या कारण हैं और इनको रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये ?

उत्तर

(1) जी हाँ। दिनांक 1.1.90 से 15.3.95 तक राज्य में 4771 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तथा संदेहास्पद परिस्थितियों में बच्चे गायब होने के संबंध में 537 अभियोग दर्ज हुए। वर्षवार, जिलेवार तालिका परिशिष्ट "क" व परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) बच्चे गायब होने के पीछे अनेक कारण हैं जिनमें कुछ मुख्य-मुख्य कारण निम्न प्रकार से है : —

I. बच्चों का कुसंगति में पड़कर घर से भाग जाना।

II. नाबालिग लड़कियों का किसी परिचित लड़के के साथ घर छोड़कर भाग जाना।

III. परीक्षा में फेल होने के कारण अथवा अन्य किसी पारिवारिक तनाव के कारण घर से भाग जाना।

कुछ प्रकरणों में आपसी रंजिश अथवा किसी गैर कानूनी उद्देश्यों से भी बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक राज्य में किसी गिरोह द्वारा सुनियोजित तरीके से बच्चों को उठाने का प्रकरण सामने नहीं आया है।

बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को प्राप्त होते ही वैधानिक कार्यवाही की जाती है। संबंधित सीमावर्ती राज्यों/थानों को खोज के लिए सूचना दी जाती है। समाचार पत्रों, टेलीविजन पर प्रकाशन करवाया जाता है तथा पुलिस की विशेष टीम गठित कर खोज करवाई जाती है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पिछड़ा वर्ग आयोग

13. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? इस आयोग के क्या-क्या अधिकार और कर्त्तव्य हैं?

(2) उक्त आयोग ने सरकार को अब तक क्या-क्या सिफारिशें की हैं? तथा उनमें से सरकार ने क्या-क्या सिफारिशों को स्वीकार किया है?

(3) अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 11-3-93 को किया गया। आयोग के गठन अधिकार एवं कर्त्तव्य संबंधि अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

(2) आयोग द्वारा प्रथम प्रतिवेदन मार्च, 1994 में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 46631 दिनांक 27-8-93 के द्वारा मण्डल आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लिये तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूची के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इस सूची में संशोधन/स्पष्टीकरण/उप जाति नाम आदि जोड़ने/हटाने के संबंध में आयोग द्वारा अध्ययन कर 52 पिछड़े वर्गों की संशोधित सूची जारी करने की सिफारिश प्रथम प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रतिवेदन में की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना को विखण्डित करते हुये अधिसूचना संख्या 52307 दिनांक 6-8-94 के द्वारा राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित की गई।

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

(3) वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्गों को रोजगार हेतु वित्तीय सहायता सुमेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जाती है। राष्ट्रीय विकास वित्त निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का लाभ पिछड़े वर्गों को सुलभ कराने की दृष्टि से राजस्थान अनु. जाति जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर को चैनेलाइजिंग ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय निगम की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ-11(125) आरएण्डपी/सकवि/92-93/14293 जयपुर, दिनांक : 11.3.93

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करने/हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है।

यह आयोग राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जायेगा। इस आयोग की सदस्यता और कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

सदस्यता—

1. इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव व तीन अन्य सदस्य होंगे।
2. अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
3. सदस्य सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के वर्तमान/निवर्तमान अधिकारी होगें।
4. सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परन्तु कोई भी सदस्य समयावधि से पूर्व अपना त्याग-पत्र राज्य सरकार को देकर आयोग की सदस्यता त्याग सकता है।
5. राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी—

    (1) कानून रूप से दिवालिया घोषित होने पर,

    (2) किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर,

    (3) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार किए जाने पर,

    (4) कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होने पर,

(5) आयोग की बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर,

(6) राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरूपयोग करने के फलस्वरूप पिछड़े वर्गों अथवा जनहित में पद पर बने रहने के अनुपयुक्त होने पर।

(7) परन्तु किसी भी सदस्य की सदस्यता बिना उसे सुनवाई का मौका दिए समाप्त नहीं की जा पा सकेगी।

(8) आयोग के सदस्यों में से कोई भी पद रिक्त होने पर रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा नवीन मनोनयन कर तीन वर्ष के लिए भरा जा सकेगा।

कार्य एवं शक्तियाँ

1. यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रार्थनाएं तथा उक्त सूची में कम समावेश व अधिक समावेश सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर राज्य सरकार को ऐसे सुझाव देगा जो वह उचित समझे।
2. मण्डल आयोग द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित पिछड़े वर्गों की सूची को राज्य सरकार आयोग के विचारार्थ उपलब्ध करायेगी।
3. आयोग द्वारा इस हेतु दिए सुझाव व सिफरिशों राज्य सरकार को सामान्यतः मान्य होगी।
4. आयोग के सदस्यों के वेतन/भत्ते आदि राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किए जायेंगे जिनका भुगतान आयोग को दिए गए वार्षिक अनुदान से दिया जायेगा।
5. आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा।
6. आयोग प्रति वर्ष राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके वर्ष भर के कार्यों का लेखा-जोखा व समीक्षा होगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आज्ञा से,

(श्रीमती कुशल सिंह)
शासन सचिव

(166)

किशनगढ़ में ए.सी.एम. कोर्ट की स्थापना

14. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के तहत कितने राजस्व मुकदमें किशनगढ़ में कब से लम्बित हैं ?

(2) क्या सरकार राजस्व मुकदमों की संख्या व लम्बित अवधि को दृष्टिगत रखते हुये इनके शीघ्र निस्तारण हेतु किशनगढ़ में एक ए.सी.एम. कोर्ट की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़ स्थित राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व मुकदमों की स्थिति निम्नानुसार है :—

(अ) न्यायालय उप जिलाधीश किशनगढ़

वर्ष	अवशेष राजस्व मुकदमों की सं.	वर्ष	अवशेष राजस्व मुकदमों की सं.
1981	01	1989	34
1983	02	1990	53
1984	03	1991	50
1985	16	1992	56
1986	14	1993	106
1087	19	1994	105
1988	25	1995	19
	कुल योग		503

(ब) न्यायालय तहसीलदार, किशनगढ़

तीन माह से कम	तीन माह से अधिक व 6 माह से कम	छः माह से अधिक व एक वर्ष से कम	१ वर्ष से अधिक	2 वर्ष से अधिक	कुल योग
125	121	29	20	09	304

(2) राजस्व मुकदमें अत्यधिक संख्या में लम्बित नहीं है। अतः ए.सी.एम. कोर्ट खोलने का प्रस्ताव फिलहाल नहीं लिया गया है।

मण्डावा जिला झुन्झुनूं का रेफरल अस्पताल

15. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मण्डावा जिला झुन्झुनूं में रेफरल अस्पताल किस वर्ष में स्वीकार हुआ था तथा अभी तक अस्पताल के चालू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रेफरल अस्पताल में आवश्यक जरूरी सामान आदि भी पहुँच गया तथा फिर भी अस्पताल चालू नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि मंडावा रेफरल अस्पताल का सामान वापस मंगवा कर विभाग ने दूसरी जगह भिजवा दिया है ? यदि हाँ, तो कितना व कौन-कौन सा सामान कितनी कीमत का कहाँ-कहाँ, कब-कब भिजवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) यह सामान किसके आदेश से व किस अधिकारी द्वारा वापस मंगवाया गया तथा किस अधिकार के तहत दूसरी जगह पर भेजा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डावा में रेफरल अस्पताल वर्ष 1988-89 में स्वीकृत किया गया। तभी से यह प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) रेफरल अस्पताल मण्डावा को आवश्यक सामान आदि उपलब्ध कराकर इसे प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) चूंकि कोई सामान वापस नहीं लिया गया था, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज के विस्थापितों के लिए आवागमन की सुविधा

16. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज की अवाप्ति में विभाग की कुल कितने किलोमीटर सड़कें एवं अन्य सम्पत्तियाँ अवाप्त की गई तथा विभाग को कुल कितना मुआवजा प्राप्त हुआ ?

(2) क्या विभाग ने उपरोक्त मुआवजे से विस्थापितों की नई आबादियों यथा रामनगर, कृष्णा नगर, सामरदा व चक 34 के.वाई.डी. के लिए सड़कें निर्माण कराके अवागमन की सुविधा प्रदान की है ? यदि नहीं, तो अब सरकार इन आबादियों के लिए कब तक यातायात हेतु सड़क निर्माण करायेगी ?

(3) क्या उपरोक्त आबादियों में सामरदा व चक 34 के.वाई.डी. पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ने की स्वीकृति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) महाजन फील्ड एरिया रेंज की अवाप्ति में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई भी सड़क एवं सम्पत्ति अवाप्त नहीं की गई। अतः विभाग को मुआवजा प्रापत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को मुआवजे की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। एवं नहीं इस विभाग ने उक्त एरिया के विस्थापितों को नई आबादियों जैसे रामनगर, कृष्ण नगर, सामरदा व चक 34 के.वाई.डी. में बसाया। अतः इन स्थानों को मुआवजा राशि से सड़क निर्माण कर आवागमन की सुविधा प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) चक 34 के.वाई.डी. पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ने के लिए कृषि उपज मंडी बीकानेर की स्वीकृति जारी कर दी गई है एवं निविदायें प्राप्त कर ली गई है।

सामरदा पंचायत मुख्यालय की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 105 है जो 1000 से कम है। अतः नई सड़क नीति के अनुसार इस मुख्यालय को आठवीं योजना के अन्त तक ग्रेवल सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

विशिष्ठ व्यक्तियों हेतु एस्कोर्ट व्यवस्था

17. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों के वाहन के आगे पायलेट गाड़ी लगाने तथा कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों के वाहन के पीछे पुलिस एस्कोर्ट लगाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी आदेशों तथा उन व्यक्तियों के नाम तथा पदों की सूची सदन की मेज पर रखें जिन्हें उक्त सुविधा प्रदान की हुई है?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस द्वारा मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर गैर कानूनी तौर पर पुलिस उसकोर्ट उपलब्ध करा दी जाती है? यदि हाँ, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार थानों की गाड़ियाँ उपलब्ध करा देने पर थानों के वाहन खराब हो जाते हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हाँ, महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पायलेट एवं एस्कोर्ट लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ठ व्यक्तियों को भी एस्कोर्ट दी जाती है जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से एस्कोर्ट दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

(2) जी नहीं, मंत्रियों/उप मंत्रियों के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु सभी जिला पुलिस अधीक्षक उनके क्षेत्र में प्रवास पर आये मंत्रियों/उप मंत्रियों के लिये अपने विवेकानुसार सुरक्षा की दृष्टि से उपर्युक्त सुरक्षा प्रबन्ध/व्यवस्था करने के लिये सक्षम हैं।

(3) विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा ड्यूटी में लगाये जाने के कारण थानों के वाहन खराब होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। हर वर्ष पुलिस विभाग के खराब वाहनों की मरम्मत रिप्लेसमेन्ट हेतु राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध करवाती है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया हैं।

बोरावड (मकराना) में पिछड़ी जातियों के मकानों का नियमन

18. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बोरावड़ पंचायत समिति मकराना में 50 साल से जोड़ क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के लोग बसे हैं तथा उनके मकानों का नियमन न होने के कारण जनता में असंतोष व्याप्त है?

(2) क्या सरकार इनके मकानों के नियमन का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिन व्यक्तियों का मौके पर अतिक्रमण है वे वर्ष 1990 या इसके बाद से इस स्थान पर काबिज हैं।

(2) जी नहीं। नियमानुसार ऐसा संभव नहीं है।

राज्य में एड्स ग्रसित विदेशी छात्र

19. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विदेशी छात्र का देहावसान एड्स के विषाणुओं के कारण हुआ था? यदि हां, तो यह छात्र किस देश का था, इसने विश्वविद्यालय में कब प्रवेश लिया था?

(2) क्या राजस्थान में आने वाले विदेशी छात्रों की कोई मेडिकल जाँच की जाती है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे छात्रों को एड्स सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना होता है?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 125 विदेशी छात्र अध्ययनरत हैं? यदि हाँ, तो क्या उनकी मेडिकल जाँच करा ली गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी हाँ। विदेशों से आने वाले छात्रों को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

(3) जी नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालयों में लगभग 170 विदेशी छात्र अध्ययनरत है, जिनकी मेडिकल जाँच सवाई मानसिंह चिकित्सालय से करा ली गई है।

विभाग के खण्ड द्वितीय का भरतपुर से बाड़ी में स्थानान्तरण

20. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय भरतपुर से बाड़ी में स्थानान्तरित किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

(2) इस खण्ड के बाडी में स्थानान्तरित कर दिये जाने से क्या लाभ हुए?

(3) क्या इस खण्ड के स्थानान्तरण के बाद खण्ड द्वारा निर्माण कार्य कराये गये? यदि हाँ, तो क्या-क्या व यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस खण्ड को पुनः भरतपुर में स्थानान्तरित किए जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर जिले में एडीपी. के कार्यों की अधिकता के कारण सानि. खण्ड द्वितीय को प्रोजेक्ट खण्ड के रूप में परिवर्तित कर भरतपुर में ही रखा गया था। उक्त खण्ड के प्रोजेक्ट कार्य के अलावा अन्य सभी कार्य सानिवि. खण्ड, बाडी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(142) सानि/94 दिनांक 18.4.94 के द्वारा स्थानान्तरित किये गये थे। बाद में भरतपुर जिले के सभी कार्य जो कि बाड़ी खण्ड में स्थानान्तिरत किये गये थे। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ। (142) पीडब्लू/91 दिनांक 20.9.94 द्वारा भरतपुर खण्ड प्रथम को हस्तानान्तरित कर दिये गये।

(170)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) इस परिवर्तन से भरतपुर खण्ड द्वितीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक ध्यान दे सका और जो कार्य भरतपुर खण्ड द्वितीय से बाड़ी खण्ड को हस्तान्तरित किये गये थे वह पुनः भरतपुर खण्ड प्रथम को वापिस कर दिये गये थे।

(3) 18.4.94 से 20.9.94 के बीच भरतपुर जिले को जो कार्य खण्ड बाडी द्वारा कराये गये उसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। क्योंकि भरतपुर जिले के जो कार्य बाड़ी खण्ड में स्थानान्तरित किये गये उन्हें भरतपुर खण्ड प्रथम में हस्तान्तरित कर दिये गये।

खण्ड संसदीय, भरतपुर के कार्यों पर वर्ष 94-95 में किया गया व्यय मदवार माह अगस्त, 94 तक

नाम पद	खण्ड-बाडी द्वारा किया गया व्यय	भरतपुर प्रोजेक्ट खण्ड द्वारा हस्तान्तरित	कुल योग व्यय 8/94 तक
1. 2059 गैर आवासीय भवन मरम्मत	29654.00	10513.00	40.167.00
2. 2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें डाक बंगला एवं विशान्ति गृह	8691.00	7892.00	16,583.00
3. 2245 बाढ़ राहत	13,76,777.00	2,46,860.00	16,23,637.00
4. 3054 सड़क व पुल मरम्मत	20,68,733,14	20,54,817,90	4123551.04
5. 4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय भवन	1,69,071.00	1,50,630.60	3,19,701.60
6. 4210 चिकि. एवं स्वा. निर्माण पर पूंजिगत व्यय 103 पी.एच.सी.	31518.00	–	31518.00
104 सी.एच.सी.	3794.00	–	3794.00
7. 4211 परिवार कल्याण 800 अन्य व्यय (यू.एन.एफ.पी.ए.)	205052.00	307657.00	512709.00
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें	188764.00	–	188764.00
8. 2216 आवासीय सेवायें की मरम्मत	19489.00	18664.00	38153.00
9. 4250 आई.टी.आई. भरतपुर में वर्कशाप का निर्माण	–	71.00	71.00
10. 5054 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	160783.00	164172.00	324955.00
11. 8443 सिवि जमा. ज. आर. वार्ड	149050.00	–	–
कुल :	44,11,376.14	29,61,276	73,72,652.14

राज्य में हत्या, डकैती, रोडरोबरी व बलात्कार के दर्ज मुकदमें

21. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत एक वर्ष में अलवर जिले में डकैती, रोडरोबरी, हत्या तथा बलात्कार के कितने मुकदमे दर्ज हुए?

(2) उक्त प्रकार के अपराध राजस्थान के किस-किस जिले में कितनी-कितनी संख्या में दर्ज हुए हैं?

उत्तर

(1) गत एक वर्ष (1.1.94 से 31.12.94) में अलवर जिले में डकैती के 8, रोड़ रोबरी के 7, हत्या के 97 तथा बलात्कार के 39 मुकदमें दर्ज हुए हैं।

(2) राजस्थान के अन्य जिलों में उपरोक्त शीर्षकों के अन्तर्गत दर्ज अपराधों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

राज्य में वर्ष 1994 में दर्ज डकैती, रोडरोबरी, हत्या व बलात्कार के आंकड़े

क्र.सं.	जिला	डकैती	रोड रोबरी	हत्या	बलात्कार
1.	अजमेर	5	–	43	23
2.	भीलवाड़ा	–	–	16	53
3.	नागौर	2	–	34	24
4.	जयपुर शहर	4	–	63	22
5.	जयपुर देहात	–	6	61	8
6.	झुंझुनू	1	1	53	13
7.	सीकर	2	–	40	12
8.	टोंक	1	–	19	16
9.	दौसा	3	4	25	10
10.	बीकानेर	3	–	35	36
11.	चूरू	1	–	42	41
12.	गंगानगर	1	–	97	67
13.	हनुमानगढ़	–	1	76	27
14.	भरतपुर	6	–	87	42
15.	अलवर	8	7	97	39
16.	सवाई माधोपुर	5	2	48	43
17.	धोलपुर	5	4	66	16
18.	जोधपुर	3	–	56	21
19.	जालोर	–	–	18	13

172

क्र.सं.	जिला	डकैती	रोड रोबरी	हत्या	बलात्कार
20.	जैसलमेर	1	–	6	2
21.	बाड़मेर	–	–	22	14
22.	पाली	2	1	36	13
23.	सिरोही	1	2	23	17
24.	कोटा (श.)	2	4	38	25
25.	कोटा (देहात)	–	1	34	26
26.	बुन्दी	2	2	33	36
27.	झालावाड़	5	–	56	90
28.	बाँरा	3	–	51	35
29.	उदयपुर	3	2	68	48
30.	बाँसवाड़ा	4	–	45	78
31.	चित्तौडगढ़	10	–	53	45
32.	डूंगरपुर	4	–	28	29
33.	राजसमंद	–	3	24	17
34.	जी.आर.पी.अजमेर	1	–	6	1
	टोटल	88	40	1499	1002

नारायणपुर (थानागाजी) में अतिक्रमण

22. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नारायणपुर के बाजार में आम रास्ते पर चुनावों के दिन थानागाजी राजस्व प्रशासन की शह से अतिक्रमण कर एक दुकान बनाई गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन द्वारा इस दुकान को तोड़ने का निर्णय लेने एवं इस प्रकार के आदेश दिये जाने के बावजूद अतिक्रमण आज तक ज्यों का त्यों है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह प्रकरण सरकार के ध्यान में होते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों में शिथिलता दी जा रही है और अतिक्रमणियों को बढ़ावा मिल रहा है एवं इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि विधान सभा चुनाव के दौरान थानागाजी राजस्व प्रशासन की शह से कस्बा नारायणपुर के आम रास्ते पर अतिक्रमण कर एक दुकान का निर्माण कराया गया।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है कि जिला प्रशासन द्वारा दुकान-तोड़ने का निर्णय लिया गया अपितु सही है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार ने कार्यवाही कर अपने आदेश में दुकान तोड़ने का निर्णय पारित

(राजस्व मंत्री)

किया। परन्तु अतिक्रमी ने न्यायालय अतिरिक्त सैशन जज, अलवर नं. 2 में अपील कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया हैं। प्रकरण में आगामी तिथि 30/3/95 नियत हैं।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है कि कार्यवाही नहीं की गई। प्रकरण में न्यायालय से स्थगन के कारण कार्यवाही वर्तमान में लम्बित हैं।

(4) जी नहीं, यह सही नहीं है कि प्रकरण में शिथिलता बरती गई। इस प्रकरण से अन्य अतिक्रमियों को बढ़ावा मिलना तथा इनकी संख्या में वृद्धि होना भी सही नहीं हैं।

जिला टोंक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

23. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेन्सरीज व एड पोस्ट पर नियत संख्या के अनुसार डाक्टर नर्सेज व अन्य स्टाफ नहीं है ?

(2) जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति है वे ड्यूटी पर नहीं पहुँचते, उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, टोंक जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेन्सरीज एवं एड पोस्टों में नियत संख्या के अनुसार स्वीकृत पदों में से 5 चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 2, कनिष्ठ विशेषज्ञ के एक पद रिक्त हैं। नर्सेज के 46 पद, पैरा मेडिकल के 42 पद, वार्ड ब्वाय के 12 पद एवं स्वीपर के 17 पद रिक्त हैं।

(2) अपने कर्तव्य स्थल पर नियमित रूप से नहीं पहुँचने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों के विरुद्ध समय-समय पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला (जयपुर) के किराये की राशि का मूल्यांकन

24. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पुलिस अधीक्षक, कार्यालय जयपुर (शहर) द्वारा दिनांक 5-7-1994 को कोई पत्र अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला (ट्रस्ट) कांवटियों का खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर के बिलों के किराये की राशि के मूल्यांकन कराये जाने हेतु लिखा गया था ? यदि हाँ, तो प्राप्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त धर्मशाला के किराया राशि का मूल्यांकन कर लिया गया ? यदि हाँ, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा तथा मूल्यांकन का आधार क्या रखा गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि उक्त धर्मशाला के किराया राशि का अभी तक भी मूल्यांकन नहीं किया गया तो इसके क्या कारण रहे ? तथा इसके लिए कौन

174

(श्री कुबेर सिंह)

दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त धर्मशाला के किराये की राशि का मूल्यांकन जल्दी से जल्दी कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हाँ। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त धर्मशाला का किराया राशि का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया जा सका है।

(3) धर्मशाला के नक्शों के अभाव में उक्त धर्मशाला का किराया राशि का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया जा सका। नक्शों के लिये इस खण्ड द्वारा पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर को क्रमांक 4222 दिनांक 18.8.94 क्रमांक 5601 दिनांक 19.10.94 तथा क्रमांक 6301 दिनांक 8.11.94 8754 दिनांक 8.3.95 को पत्रों द्वारा लिखा गया था परन्तु नक्शे अभी तक प्राप्त नहीं हुये है जिसके अभाव में किराया राशि का मूल्यांकन संभव नहीं है।

(4) पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर द्वारा उक्त धर्मशाला के नक्शे उपलब्ध कराने के अभाव में कार्यवाही संभव नहीं हुई है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर

क्रमांक : व-16(4) जय-विविध/93-94/4218 दिनांक 5-7-94

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
(प्रथम) राज. जयपुर।

विषय :—धर्मशालाओं के किरायें की राशि के भुगतान के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्नलिखित धर्मशालाओं में जिसमें पुलिस बलों को ठहराया गया था, उनके किराये का भुगतान के सम्बन्ध में समस्त धर्मशालाओं/दुकानों का किराया निर्धारण आपके विभाग से करवाया जाना है। किराये के बिलों की छाया प्रति संलग्न हैं :—

1. सूर्य भवन अग्रवाल धर्मशाला 1414, रामगंज बाजार जयपुर।
2. जिला क्रीड़ा परिषद जयपुर।
3. अग्रवाल धर्मशाला गलता दरवाजा जयपुर।
4. महेश्वरी सेवा सदन चांदपोल बाजार जयपुर।
5. श्री अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला (ट्रस्ट) कावटियों का खुर्रा रामगंज बाजार जयपुर।
6. शास्त्रीनगर विकास समिति ई-26, जनपथ बनीपार्क विस्तार क्षेत्र शास्त्रीनगर जयपुर।

अत: उक्त प्रकरण में किराये का मूल्यांकन शीघ्र कर इस कार्यालय भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्त धर्मशालाओं के किराये के बिलों की छाया प्रति

भवदीय
ह.
पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर।

ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी के अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा

25. डॉ. हरि सिंह (फुलेरा) एवं श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993 एवं 1994 में ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी के अनुसूचित जाति के किस-किस व्यक्ति द्वारा उनकी कृषि भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा जबरन अनाधिकृत कब्जा करने व खेती कर लेने आदि की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के माध्यम से थाना बस्सी में किस-किस तिथि को दर्ज करवाई गई ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त मामलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निरोधक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो क्या-क्या एवं किन-किन के विरूद्ध ?

(4) क्या यह सही है कि दर्ज रिपोर्ट पर थाना प्रभारी द्वारा कब्जा नहीं दिलवाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) उप पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को गुहार की गई थी ? यदि हाँ, तो तत्संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) जिन मामलों में भूमि का कब्जा अब तक नहीं दिलवाया गया है उनको कब्जा कब तक दिलवा दिया जावेगा ? क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अनाधिकृत कब्जाधारी को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त ग्राम की खसरा नम्बर 38 की भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त सभी बिन्दुओं के बारे में पृथक से सूचना सदन की मेज पर रखें।

(7) गृह मंत्री द्वारा विधान सभा में 22-3-1994 को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी जमीन का कब्जा दिलवाने का जो आश्वासन दिया गया था उसकी पालना में उपरोक्त मामलों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(8) प्रश्न के भाग-7 के मामले में गृह मंत्री के आवश्यकतानुसार क्या कब्जा दिलवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कब्जा दिलवा दिया जावेगा ? अब तक कब्जा नहीं दिलवाने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच कर क्या सरकार उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993 में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 1994 में ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी के अनुसूचित जाति के व्यक्ति सर्व श्री भंवरिया, काल्या, मांग्या पुत्रान मन्ना कोली के निम्न परिवाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से थाना बस्सी पर प्राप्त हुए :

(176)

(गृह मंत्री)

1. दिनांक 19.3.94 को वृत्ताधिकार (दक्षिण) जयपुर ग्रामीण के कार्यालय से भेजा हुआ परिवाद दिनांक 21.3.94 को पुलिस थाना बस्सी में प्राप्त हुआ। परिवादियों ने उनकी अराजी खसरा नं. 38 रकबा 5 बीघ 1 बिस्वा ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी पर ग्राम के सवर्णों श्रीनारायण, लक्ष्मी नारायण, कजोड़मल, ओमप्रकाश, रूप नारायण, प्रहलाद नारायण, सीताराम व इनके परिवारजनों द्वारा कई वर्षों से जबरन कब्जा कर काश्त करना बताया तथा प्रार्थियों को जान से मारने और किसी न किसी वात पर झगड़ा करना, दिनांक 24.2.94 को तहसीलदार, बस्सी व पुलिस थाना बस्सी की इमदाद से वर्णित भूमि पर अनुसूचित जाति के सदस्यों को कब्जा दिलाने के लिए भी जाना तहसीलदार वगैराह कागजों पर अंगूठा निशानी कराकर आ जाना बताया। उक्त पार्टी को पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की गई, जिससे जानमाल का खतरा पैदा नहीं हो व समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जावें।

(2) दिनांक 31.3.94 को पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण के कार्यालय से परिवादियों का एक परिवार दिनांक 3.4.94 को पुलिस थाना बस्सी पर प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादियों ने अंकित किया कि उनको कब्जा दिलाया गया, उनकी भूमि पर यदि वे फसल काटने जाते हैं तो परिवारीगण झगड़ा करते हैं तथा हमला कर सकते हैं, इसलिए पुलिस का प्रोटेक्शन दिलावें तथा भूमि जोतने में मदद करें।

(3) परिवादियों का एक परिवाद दिनांक 6.7.94 को वृत्ताधिकारी कार्यालय दक्षिण, जयपुर ग्रामीण से प्रेषित होकर पुलिस थाना बस्सी पर दिनांक 7.7.94 को प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादियों द्वारा स्वयं की विवादित कृषि भूमि पर पत्थर-गढ़ी करवाकर कब्जा सम्भलवाने व पाबन्द करवाने की प्रार्थना की।

(4) दिनांक 20.10.94 को परिवादियों का एक परिवाद वृत्ताधिकारी (दक्षिण) जयपुर ग्रामीण के कार्यालय से पुलिस थाना बस्सी पर प्राप्त हुआ यह परिवाद पुलिस इमदाद दिलवाने के सम्बन्ध में था।

1. दिनांक 21.3.94 को प्राप्त परिवाद को जांच कर शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए थानाधिकारी बस्सी द्वारा गैरसायल श्रीनारायण आदि के विरूद्ध धारा 107/116(3) जा.फौ. का इस्तगासा दिनांक 15.4.94 को न्यायालय तहसीलदार, बस्सी को प्रस्तुत कर लक्ष्मीनारायण, श्रीनारायण, ओमप्रकाश, सीताराम, प्रहलाद, कजोड़ निवासी दयालपुर बस्सी को 6 माह के लिए पाबन्द कराया गया।

2. इस परिवाद की जांच कर थानाधिकारी, बस्सी ने परिवाद को मय रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण के कार्यालय में प्रस्तुत कर बताया कि उक्त परिवार चाही गई सुरक्षा के बारे में गैरसायल को न्यायालय तहसीलदार बस्सी के यहाँ से 107/116(3) जा.फौ. के तहत शान्ति कायम करने के लिए जरिये इस्तगासा पाबन्द कराया जा चुका है।

3. दिनांक 7.7.94 को प्राप्त हुऐ परिवाद पर थानाधिकारी, बस्सी ने जाँच कर पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को मूल परिवाद इस रिपोर्ट के साथ भिजवाया गया कि विवादित भूमि खसरा नं. 38 के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण

(गृह मंत्री)

द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (2), जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत करी है, जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार बस्सी के दिनांक 4.2.94 को पारित आदेश की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश दिनांक 1.3.94 को पारित कर दिया है जिसके तहत मौके की वर्तमान स्थिति आगामी आदेश तक यथावत कायम रखने के निर्देश दिये है। अतः स्थान आदेश की पालना में पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जिससे कि मौके की स्थिति परिवर्तित हो।

4. दिनांक 20.10.94 को प्राप्त परिवाद के सम्बन्ध में स्थिति उपरोक्त अनुसार ही रही क्योंकि न्यायालय द्वारा अपने स्थगन आदेश को हटाया नहीं गया था।

चूंकि इस सम्बन्ध में भूमि के स्वामित्व को लेकर प्रतिवादीगण ने अपील सक्षम न्यायालय में दायर कर रखी थी एवं उस न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति पर यथास्थिति जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकी। यह प्रकरण अभी भी न्यायालय में लम्बित है एवं स्थगन आदेश प्रभावशील है।

(4) दिनांक 24.2.94 को जब तहसीलदार बस्सी मौके पर परिवादियों को कब्जा दिलाने गये तब पुलिस थाना बस्सी से पुलिस इमदाद प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् जज परिवादियों ने विपक्षीगण से खतरे की शिकायत की तब पुलिस के द्वारा विपक्षीगण को धारा 107/116(3) जा.फौ. के तहत शान्ति कायम रखने बाबत न्यायालय में पाबन्द किया गया था। सक्षम न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति यथावत रखने के स्थगन आदेश के कारण पुलिस के द्वारा परिवादियों को उक्त भूमि पर काश्त करने एवं पत्थरगढ़ी आदि करवाने में मदद करना सम्भव नहीं था।

(5) सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित करने अथवा स्थगन आदेश हटाने के पश्चात् ही पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(6) वांछित सूचना उपरोक्त अनुसार हैं।

(7) इस प्रकरण में न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश पारित करने के कारण परिवादियों को भूमि पर कब्जा-काश्त नहीं कराया जा सका है। स्थगन आदेश हट जाने के पश्चात् ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(8) न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड

26. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में किस-किस मजरा/ढाणी को कब-कब राजस्व ग्राम घोषित किया गया ?

(2) नया राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड क्या है ?

उत्तर

(1) विगत 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में निम्नलिखित मजरे/ढाणियों को दिनांक 8.12.94 को नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं :—

1. वलवन्तनगर
2. शम्भुपुरा
3. रामनगर
4. खालगांव
5. सुठाला
6. नयागांव

(2) जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक है, तथा जो मुख्य आबादी से दूर बसे हुए हैं, उन्हें राजस्व गांव घोषित किये जाने का मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है।

सैटेलाइट चिकित्सालय, उदयपुर में आधारभूत सुविधाएं

27. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में सी.टी. स्केन मशीन स्थापित हो गई है और उस पर रोगियों का परीक्षण किया जाना प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ?

(2) सैटेलाइट चिकित्सालय, हिरणमगरी एवं चांदपोल, उदयपुर में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) एक्सरे मशीन, एम्बूलेंस, टेलीफोन, लेबोरेट्री आदि की सुविधाएं सैटेलाइट चिकित्सालय उदयपुर को उपलब्ध कराने में विभाग को क्या कठिनाइयाँ हैं ?

उत्तर

(1) आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर से सम्बद्ध सामान्य चिकित्सालय में सी.टी. स्केन मशीन क्रय करली गयी है लेकिन स्थापित नहीं की जा सकी है। इसके लिए आवश्यक उपकरण 35 के.वी. सर्वो कन्ट्रोल्ड स्टेबलाइजर एवं 7.5 टन्स स्प्लिट एअर कण्डीशनर को क्रय करने के आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं। लेकिन आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। आपूर्ति प्राप्त होते ही सी.टी.स्केन मशीन स्थापित कर दी जा सकेगी। यह प्रक्रियागत विलम्ब है और इसके लिए किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(2) हिरणमगरी स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय में पर्याप्त भवन के अभाव में 25 रोगी शैय्याओं की व्यवस्था ई.सी.जी. प्रयोगशाला, आक्सीजन सुविधा व आउटडोर चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। चांदपोल स्थित सैटेलाईट चिकित्सालय में भी पर्याप्त भवन के अभाव में आउटडोर सेवा, मय पैथोलोजी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पर्याप्त भवन व्यवस्था उपलब्ध होने पर आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(3) हिरणमगरी सैटेलाइट अस्पताल में 25 शैय्याओं, ई. सी. जी., ऑक्सीजन, प्रयोगशाला आदि की सुविधा उपलब्ध है। किन्तु वाहन, टेलीफोन, एक्स-रे मशीन नहीं है। यह अस्पताल किराए के भवन में चल रहा है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

चाँदपोल सैटेलाइट अस्पताल में आउट डोर सुविधा व प्रयोगशाला है। किन्तु वाहन, टेलीफोन व एक्स-रे मशीन नहीं है। यह चिकित्सालय सिटी डिस्पेंसरी के परिसर में चल रहा है।

एक्स-रे सुविधा, भवन व पर्याप्त स्थान होने पर कराई जावेगी, क्योंकि मुख्य कठिनाई पर्याप्त भवन की है। रोगी वाहन व टेलीफोन उपलब्ध कराना विचाराधीन है।

डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील का उपेक्षित कांठल क्षेत्र

28. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील का कांठल क्षेत्र सड़क निर्माण की दृष्टि से सर्वथा उपेक्षित रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भीलूड़ा से सरोदा तक मैटल रोड बनाने का कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सागवाड़ा आरा, बूचिया बड़ा एवं गड़ा झूमजी के डामरीकरण का कार्य लगभग सात साल से रुका पड़ा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह तथ्य सही नहीं है। कॉठल क्षेत्र का क्षेत्रफल सागवाड़ा के क्षेत्रफल का लगभग 15 प्रतिशत है। सागवाड़ा तहसील में कुल डामर सड़क की लम्बाई 260 कि.मी. है और कॉठल क्षेत्र के कुल डामर सड़क की लम्बाई 44 कि.मी. है।

(2) हाँ, यह सही है। भीलूड़ा, सरोदा सड़क की कुल लम्बाई, 16.5 कि.मी. है। विविध रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 कि.मी. डामर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस सड़क की निर्माण हेतु कोई स्वीकृति प्रापत नहीं हुई है।

(3) यह सही नहीं है। सागवाड़ा बॉसवाड़ा सड़क से आरा गांव तक डामर सड़क बनाने हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत संख्या एफ. 2(109) पी.डब्ल्यू/ए.एस/94/डी-574 दिनांक 18.5.94 के तहत राशि रुपये 7.20 लाख मात्र प्राप्त हुई थी कार्य पूर्ण हो चुका है, और आरा गाँव तक डामर सड़क से जुड गया है।

बूचिया बड़ा की आबादी 1971 के आधार पर 640 है पर यह पंचायत मुख्यालय है इसका डामरीकरण का कार्य वार्षिक प्लान 95-96 में प्रस्तावित है।

गडा झूमजी गांव पूर्व ही डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान घटित हिंसा, अपहरण के मामले

29. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत संस्थाओं के चुनाव से संबंधित हिंसा, अपहरण के कितने मामले प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दर्ज हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) हाल ही में सम्पन्न पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनावों में क्या किसी सरपंच की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो वह सरपंच किस राजनैतिक दल से संबंधित था ?

(3) हत्या से संबंधित क्या सभी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिये गये हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट में कितने मुल्जिम दर्ज हैं ?

(4) क्या सरकार ने किसी प्रकार की सहायता राशि मृतक सरपंच के परिवार के सदस्य को दी है ?

उत्तर

(1) पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा के 355 अभियोग व अपहरण के 13 अभियोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत किशनपुरा के नवनिर्वाचित सरपंच श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा की हत्या के संबंध में दि. 3.2.95 को पुलिस थाना सांगोद जिला कोटा ग्रामीण पर मुकदमा नं. 13/95 धारा 302, 147, 148, 149, 341, 307 भा.दं.सं. का दर्ज हुआ। मृतक कांग्रेस (आई) दल से संबंधित था।

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल 19 मुलजिम नामजद किए गए थे जिनमें से 14 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। 3 मुलजिम अन्वेषण के अनुसार अपराध में शामिल नहीं होने के कारण गिरफ्तार नहीं किए गए। 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी शेष है।

(4) जी नहीं।

पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा व अपहरण के अभियोग की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	हिंसा	अपहरण
1.	अजमेर	07	–
2.	भीलवाड़ा	05	–
3.	नागौर	24	–
4.	जयपुर शहर	00	–
5.	जयपुर ग्रामीण	14	–
6.	झुंन्झुनूं	19	–
7.	सीकर	18	01
8.	टोंक	01	01
9.	दौसा	19	–
10.	भरतपुर	40	–
11.	अलवर	20	–
12.	सवाई माधोपुर	36	01
13.	धौलपुर	13	–

(181)

क्र.सं.	नाम जिला	हिंसा	अपहरण
14.	बीकानेर	2	1
15.	चूरु	08	–
16.	गंगानगर	14	02
17.	जोधपुर	30	–
18.	जालौर	05	–
19.	जैसलमेर	02	–
20.	हनुमानगढ़	09	01
21.	बाड़मेर	04	–
22.	पाली	08	–
23.	सिरोही	–	01
24.	कोटा शहर	02	–
25.	कोटा ग्रामीण	11	01
26.	बून्दी	–	–
27.	झालावाड़	07	01
28.	बारां	12	–
29.	बांसवाड़ा	12	–
30.	उदयपुर	04	03
31.	चित्तौडगढ़	08	–
32.	डूंगरपुर	–	–
33.	राजसमन्द	01	–
34.	जी.आर.पी.अजमेर	–	–
	योग	355	13

जैसल्या (आमेर) की सिवाय चक भूमि का अवैध आवंटन

30. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ने ग्राम जैसल्या तहसील आमेर के खसरा नं. 1 की भूमि किस्म सिवाय चक को अलाट किया था ? यदि हां, तो यह भूमि किस-किस वर्ष में किन-किन को अलाट की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि आवंटी श्री रामदास सौकिया, संदीप बंसल, प्रभुनारायण आदि आंव्रटन की योग्यता रखते थे ? यदि नहीं, तो आवंटन के लिए कौन दोषी है, और क्या उन्हें दण्डित किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अवैध आवंटन को निरस्त कर उक्त भूमि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषि श्रमिक, भूमिहीनों आदि को आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम जैसल्या के ख.नं. 1 सिवायचक भूमि का आवंटन किया गया है। यह आवंटन वर्ष 1964 में दि. 20.6.64 को किया गया। ख.नं. 1 कुल रकबा 185 बीघा 13 बिस्वा में से 18 व्यक्तियों को 139 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया।

आवंटियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा बीघा	बि.	नाम आवंटी
1	2	3	4	5
1.	1/2	04	12	श्री काना पुत्र नरसिंह गूजर सा. देह। गैर खातेदार।
2.	1/3	03	13	गुल्ला पुत्र चौखा गुर्जर सा. देह गैर खातेदार
3.	1/4	07		बोदा पुत्र नानगा गुर्जर सा.देह गैर खातेदार।
4.	1/5	07		गोपी पुत्र नाथू राणा सा. देह गैर खातेदार
5.	1/6	04	03	घीसा पुत्र पन्ना गुर्जर सा. देह गैर खातेदार।
6.	1/7	06	06	नानगा पुत्र गिरधारी गुर्जर सा. देह. गैर खातेदार।
7.	1/8	10	11	नाथू पुत्र नानगा गुर्जर सा. देह. गैर खातेदार।
8.	1/9	07		नारायण पुत्र डालू गुर्जर
9.	1/10	07		प्रभू पुत्र राम गुर्जर, सा.देह।
10.	1/11	07		भूरा पुत्र नानू बलाई
11.	1/12	10		भूरा पुत्र चन्दा गुर्जर
12.	1/13	14		भैरु पुत्र धन्ना गुर्जर
13.	1/14	07		रामदेव पुत्र पन्ना बढ़ाई
14.	1/15	12	06	रामूदेव पुत्र किशन गुर्जर
15.	1/16	04	18	लाला पुत्र काना गु.
16.	1/17	07		मंगला पुत्र लादू मीणा
17.	1/18	06		श्रीमती रामेश्वरी पत्नी छीतरमल साकिन देह गैर खातेदार
18.	1/19	13	11	किशना पुत्र नरसिं गुर्जर सा.देह. गैर. खातेदार।

(2) जी नहीं। रामदास सोंकिया, संदी बंसल, प्रभुनारायण को भूमि का आवंटन न किया गया है। आवंटन केवल विन्दु संख्या में अंकित व्यक्तियों को ही किया गया है।

(3) यह सही नहीं है कि आवंटन अवै हुए हैं। अतः आवंटन निरस्त कर पुनः अ व्यक्तियों को आवंटन संभव नहीं है।

183

परिशिष्ट - 2

तारांकित प्रश्न संख्या 6 की प्रति

आफिस ऑफ दी असिस्टैन्ट इन्जीनियर (यू. एण्ड आर)

आर.एस.ई.बी., नैनवां, डिस्ट्रिक्ट बून्दी

दिनांक 13-5-93

क्रमांक 319

श्रीमान् परियोजना निदेशक
(डी.आर.डी.) बून्दी

विषय : इन्द्रा विकास कॉलोनी नैनवां में आवासीय मकानों में विद्युत कनेक्शन देने बाबत् ।

आपके पूर्व पत्र के प्रसंग में निवेदन है कि नैनवां में बून्दी रोड पर एक इन्द्रा विकास कॉलोनी स्थित है जिसमें करीब 30 आवासीय मकान बने हुये हैं ये सभी मकान अनुसूचित जाति के हैं। इनमें से 11 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र मकानों में विद्युत कनेक्शन वास्ते इस कार्यालय में जमा हुये हैं। उक्त कनेक्शनों को देने के लिये विद्युत मण्डल की निर्धारित दर से 20,000/- रुपये खर्च आयेगा एवं मण्डल के नियमानुसार उक्त 11 कनेक्शनों के लिये मण्डल 9167/- रुपये की राशि वहन कर सकता है एवं बकाया राशि 10833/- रुपये प्रार्थीयों को वहन करनी होगी। लेकिन उक्त प्रार्थी वहन करने को तैयार नहीं है एवं कनेक्शन लेने के लिये जन प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं व्यक्तिगतरुप से दवाव डाल रहे हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि अगर राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के वजट प्रावधान में से 10833/- रुपये मण्डल में जमा होने की व्यवस्था हो जावे तो उक्त कनेक्शन देकर उक्त व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता है।

ह.

सहायक अभियन्ता (ग्राविवि),

रा.रा.वि.मण्डल नैनवां

कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बून्दी

क्रमांक 2279 दिनांक 7-3-93

अध्यक्ष,
नगर पालिका, नैनवां,
जिला बून्दी

विषय : इन्द्रा विकास चर्म उद्योग चर्मबाड़ी की कॉलोनी जजावर रोड, नैनवां में नल बिजली की व्यवस्था करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इन्द्रा विकास चर्म उद्योग शिल्प बाड़ी कॉलोनी, जजावर रोड, नैनवां में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों ने प्रार्थना पत्र प्रेषित कर इस कॉलोनी में नल व बिजली की व्यवस्था कराने हेतु निवेदन किया है जिसकी प्रति आपके नाम पर भी इन परिवारों के व्यक्तियों द्वारा प्रेषित की गई है।

इस कॉलोनी में विद्युत व्यवस्था हेतु सहायक अभियन्ता (प्राविनि) राज. राज्य विद्युत मण्डल, नैनवां ने उनके पत्रांक 319 दिनांक 13-5-93 से विद्युत खर्च का एस्टीमेट 20,000/- बताया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी नगर पालिका से एक प्रस्ताव बना कर नल, बिजली जैसे सार्वजनिक नल व्यवस्था, रोड लाईट का खर्च वहन करने की सहमती आदि बना कर इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उक्त कॉलोनी में नल, बिजली की व्यवस्था नियमानुसार कराई जा सके।

भवदीय,

ह.

जिला परिवीक्षा एवं
समाज कल्याण अधिकारी,
बून्दी

परिशिष्ट - 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

मार्च, 1990 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में की गई घोषणा के संदर्भ में विभाग ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है और इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है : —

1. राज्य सरकार ने श्री तेजकुमार, तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में समिति का गठन कर उन्हें भू-प्रबन्ध विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सुझाव देने के लिए कहा गया। श्री तेजकुमार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.4.90 को प्रस्तुत की। श्री तेजकुमार ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से भू-प्रबन्ध विभाग का कार्य संभागीय आयुक्त/जिलाधीशगण को दिये जाने हेतु सुझाव दिया गया। इस सुझाव पर मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, वित्त सचिव के स्तर पर विचार विमर्श किया जाकर यह पाया गया कि भू-प्रबन्ध अधिकारियों/स्टाफ के पदों को समाप्त किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अब तक किसी राज्य में नहीं किया गया है।

2. माननीय मंत्री, राजस्व सहित विभिन्न स्तरों पर विभाग में विचार मंथन होता रहा है और भू-प्रबन्ध विभाग की कार्य पद्धति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निम्न परिपत्र प्रसारित किये : —

3.8.93	5.11.93	25.11.93
30.12.93	12.1.94	25.5.94

उपरोक्त परिपत्रों में मुख्यरूप से कार्य प्रणाली में परिवर्तन के लिये निम्न बिन्दुओं पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं : —

1. भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अन्तर्गत विभाग केवल तरमीम एवं आंशिक संशोधन ही करेगा, सर्वे नहीं करेगा, परन्तु यदि गत बन्दोबस्त की सर्वेशीट/नक्शे उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी अवस्था में भू-प्रबन्ध अधिकारी के प्रस्तावानुसार भू-प्रबन्ध आयुक्त की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति से सर्वे किया जा सकेगा।

2. सर्वेक्षण मैट्रिक प्रणाली से ही होगा और नक्शे इसके अनुरुप ही बदले जावेंगे।

3. गांव की सीमा में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी एवं पटवारी द्वारा की गई तरमीम मान्य होगी व पुराने खाता नम्बर कर रकबा पूर्ववत ही रहेगा, परन्तु पंजीकृत विक्रय पत्र, विभाजन व कोर्ट आदेश से रकबे में अंतर लाया जा सकता है।

4. सड़क, पुल व उद्योगों आदि की मौके की स्थिति अनुसार तरमीम की जा सकती है।

5. विभाग द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 125 के तहत कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं की जावेगी।

6. निर्धारित अवधि तक नामान्तरकरण भू-प्रबन्ध स्टाफ द्वारा खोले जा सकेंगे और उसके पश्चात् विशेष प्रयोजन एवं निर्देश पत्र में दर्शाई गई परिस्थितियों में ही खोले जा सकेंगे।

(3) सचिवों की समिति की बैठक जो सचिव जी की अध्यक्षता में गठित है की बैठक दिनांक 21.2.94 में इस प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाकर विभाग की कार्य पद्धति के सरलीकरण एवं स्वरुप के सम्बन्ध में कतिपय निर्णय लिये गये जिनके आधार पर भू-राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन करना प्रस्तावित है।

(4) चूंकि भू राजस्व अधिनियम, 1956 में लगभग 40 वर्षों के अन्तराल में प्रदेश में विकास कार्य एवं अन्य परिवर्तनों के कारण बड़ी संख्या में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, अतः इसके स्थान पर नया विधेयक तैयार किया जा रहा है। इस विधेयक में भू-प्रबन्ध विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था एवं स्वरुप का समावेश किया जाएगा। इसमें कार्य पद्धति, जिसमें सर्वे व रिकार्ड तैयार करना शामिल है, के अलावा लगान निर्धारण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

राज्य की 213 तहसीलों में से 106 में भू-प्रबन्ध कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और 19 में वर्तमान में कार्य चल रहा है। शेष रही 107 तहसीलों में नवीन सरलीकरण पद्धति एवं आधुनिक यंत्रों की सहायता से भू-प्रबन्ध कार्य 10 से 15 वर्षों में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

राजस्थान निवासी शौर्य पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता	पदक	वर्ष
1.	हवलदार मेजर पीरु सिंह	ग्रा.पो. बेरी तह. बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज)	परमवीर चक्र	1948 मरणोपरान्त
2.	मेजर शैतान सिंह	ग्रा.पो. शैतान सिंह नगर तह. फलोदी जिला जोधपुर।	परमवीर चक्र	1962 मरणोपरान्त
3.	ले. जनरल हनुंत सिंह	ग्रा.पो. जसोल तह. पचपदरा जिला-बाड़मेर (राज)	महावीर चक्र	1971 जीवित
4.	ले. कर्नल किशनसिंह राठौड़	ग्रा. घडसीसर तह. सरदार शहर जिला चूरू (राज)	महावीर चक्र	1948 जीवित
5.	ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह	ग्रा.पो. सोढ़ा तह. मालपुरा जिला टोंक (राज)	महावीर चक्र	1965 जीवित
6.	ब्रिगेडियर एच.एस.सवाई भवानी सिंह	सिटी पैलेस, जयपुर	महावीर चक्र	1971 जीवित
7.	राईफलमैन धोंकल सिंह	जोधपुर	महावीर चक्र	1948 मरणोपरान्त
8.	एयर वाईस मार्शल चन्दन सिंह	सूर्य कुंज हाइकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर (मूल निवासी जिला-पाली)	महावीर चक्र	1971 जीवित
9.	ब्रिगेडियर उदयसिंह	ग्रा.पो.गुढ़ा तह. शेरगढ़ जिला जोधपुर (राज)	महावीर चक्र	1971 जीवित
10.	नायक सुगनसिंह	ग्रा.पो. इशरनावड़ा वाया खींवसर जिला-नागौर	महावीर चक्र	1971 मरणोपरान्त
11.	सूबेदार चूना राम	ग्रा. डालमन्स पो. भोजासर बड़ा जिला-सीकर	महावीर चक्र	1948 जीवित

परिशिष्ट - 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का विवरण

तालिका "क"

मा. मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रिगणों के निवास एवं कार्यालय के टेलीफोन पर किये गये कुल व्यय का जनवरी, 94 से फरवरी, 95 तक का विवरण।

क्र.सं.	मंत्री का नाम	कुल व्यय (रुपयों में)
1.	श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्यमंत्री महोदय	5,11,216
2.	श्री हरिशंकर भाभड़ा, उपमुख्यमंत्री महोदय	1,33,424
3.	श्री भंवरलाल शर्मा, मंत्री	2,11,264
4.	श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, मंत्री	5,43,340
5.	श्री गंगाराम चौधरी "	5,82,551
6.	श्री देवीसिंह भाटी "	4,65,259
7.	श्री सुजानसिंह यादव "	3,19,014
8.	श्री गुलाबचन्द कटारिया "	2,18,769
9.	श्री कैलाश मेघवाल "	1,69,424
10.	श्री रघुवीर सिंह कौशल "	2,41,133
राज्य मंत्री		
11.	श्री नाथूसिंह गुर्जर	1,60,107
12.	श्री ज्ञानसिंह चौधरी	2,36,224
13.	श्री जसवंत सिंह विश्नोई	3,46,226
14.	श्री रोहिताश्व कुमार	1,65,347
15.	श्री सांवर लाल जाट	3,09,950
16.	डॉ. रामप्रताप	2,59,893
17.	श्रीमती नरेन्द्र कंवर	2,43,678
18.	श्री श्रीकिशन सोनगरा	1,53,596
19.	श्री अचलाराम मेघवाल	1,82,522
20.	श्री मदन दिलावर	2,50,397
21.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	4,88,106
22.	श्री अनंग कुमार जैन	4,23,272
23.	श्रीमती शशि दत्ता	2,84,213
24.	श्री नन्दलाल मीणा	2,00,541
25.	श्री अर्जुन सिंह देवड़ा	2,21,775
26.	श्री नसरु खां	25,604
27.	श्री पूजा लाल	1,788
28.	स्व. श्री बृजराज सिंह	28,151
उपमंत्री		
29.	श्री गुरजंट सिंह	3,69,485
30.	श्री मंगल राम	3,43,830

तालिका "ख"

माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य मंत्रियों द्वारा जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 तक उठाये गये यात्रा खर्चे का विवरण।

1.	श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्यमंत्री	72,455	का भुगतान दि. 8.6.90 से 15.12.1992 के मध्य की गई राशि का भुगतान किया गया।
		25,000	का एड़वान्स भुगतान ईजराइल इजिप्ट (मिश्र) की यात्रा के लिये किया गया।
		45,000	का एडवान्स भुगतान थाइलैण्ड की यात्रा के लिए किया गया है।
		7,89,945	का एड़वान्स भुगतान ईलाज हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा हेतु दिया गया
		9,32,400	
2.	श्री हरिशंकर भाभड़ा, उपमुख्यमंत्री	33,134	
3.	श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी मंत्री	1,13,748	93.00 रु. जमा कराये गये
4.	श्री भंवरलाल शर्मा मंत्री	18,530	
5.	श्री गंगाराम चौधरी मंत्री	16,312	
6.	श्री देवीसिंह भाटी मंत्री	17,368	
7.	श्री गुलाबचन्द कटारिया मंत्री	82,496	
8.	श्री सुजान सिंह यादव मंत्री	26,153	
9.	श्री कैलाश मेघवाल मंत्री	10,864	
10.	श्री रघुवीर सिंह कौशल मंत्री	33,339	
राज्यमंत्रीगण			
11.	श्री नाथूसिंह गुर्जर	45,583	
12.	श्री राजेन्द्र राठौड़	42,812	
13.	श्री रोहिताश्व कुमार	68,659	
14.	श्री श्रीकिशन सोनगरा	18,997	
15.	श्री ज्ञानसिंह चौधरी	29,627	
16.	श्रीमती शशि दत्ता	17,109	
17.	श्री नन्दलाल मीणा	17,705	
18.	श्रीमती नरेन्द्र कंवर	93,935	

19.	डॉ. रामप्रताप	14,868
20.	श्री अनंग कुमार जैन	22,829
21.	श्री मदन दिलावर	31,882
22.	श्री अचलाराम मेघवाल	25,909
23.	श्री सांवर लाल जाट	22,376
24.	श्री अर्जुन सिंह देवड़ा	18,567
25.	श्री जसवन्त सिंह विश्नोई	69,350
26.	स्व. श्री बृजराज सिंह	4,750
27.	श्री नसरु खां	5,555
28.	श्री पूंजा लाल	2,875
29.	श्री गुरजन्ट सिंह उप मंत्री	28,906
30.	श्री मंगल राम	31,831

परिशिष्ट - 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की सम्बन्धित सूचना

तकनीकीमिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि

कार्यक्रम लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
साक्षरता	
1995 तक 60 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया था	गत वर्ष 50.85 निरक्षरों को साक्षर किया जा चुका है शेष लक्ष्य सम्पूर्ण साक्षरता अभियान 1995 में प्राप्त कर लिया जावेगा।
तिलहन	
तिलहन उत्पादन 1984-85 तक 11.57 लाख टन से 1989-90 तक 14.70 लाख टन तथा 1999-2000 तक 21.00 लाख टन बढ़ाना	1993-94 में ही 32.46 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।
डेयरी	
उत्पादन और उत्पादेयता को विकसित करने तथा 1994-95 तक 3956 दुग्ध सहकारी समितियों का संगठन करना।	वर्ष 1994-95 तक 2730 दुग्ध ग्रामीण सहकारी समितियाँ संगठित की गई जो लक्ष्य का 60 प्रतिशत हैं।

कार्यक्रम लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
टीकाकरण	
क- एक-एक डोज बी.सी.जी. व मिजल्स एवं 3-3 डोज पोलियों डीपीटी वेक्सीन देकर 85% शिशुओं को तथा दो/एक बूस्टर डोज टिटनिस टाकसाइड देकर शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित करना।	वर्ष 1985-94 अवधि में टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षित शिशुओं एवं गर्भवती माताओं का विवरण अनुलग्नक 1-1 पर संलग्न टीकाकरण के लक्ष्यों को वर्ष 1995 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति न होने के कारण—
ख- नवजात शिशुओं को होने वाले धनवात से संभावित मृत्युदर को जन्म तक लाना तथा 5 वर्ष के बालकों में पोलियों जन्म अपंगता को घटाकर 0.33 प्रति हजार तक लाना।	1. दुर्गम मरुस्थलीय क्षेत्र 2. सड़क मार्ग से यातायात की अपर्याप्त उपलब्धता। 3. छोटी-छोटी ढाणियों में जनसंख्या का वितरण।
ग- कार्यक्रम में प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में प्रति प्राप्तियाँ।	4. साक्षरता विशेष कर महिला साक्षरता का कम होना। 5. पारम्परिक, सामाजिक, रुढ़ियाँ एवं अन्धविश्वास
पेयजल	
राज्य सरकार द्वारा 2973 अलाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम एवं 1102 ग्रामों को आंशिक से पूर्ण लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था।	फरवरी, 95 तक 2962 ग्रामों को पूर्ण आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 11 गांवों को लाभान्वित करने के इसी वर्ष प्रयास किये जा रहे हैं।

उपलब्धियों का विवरण

	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94
गर्भवती महिलायें लक्ष्य लाखों में	0.7	3.1	6.8	9.9	16.5	16.5	15.6	14.0	16.02
उपलब्धि प्रतिशत	45.5	59.0	63.5	62.6	67.0	76.4	80.0	80.0	83.88
शिशु लक्ष्य (लाखों में)	0.6	2.3	5.2	7.6	12.4	14.8	13.8	15.6	14.37
उपलब्धि (प्रतिशत)									
डीपीटी 3	71.4	75.6	83.7	79.2	88.4	91.2	92.9	91.9	90.63
ओपीवी 3	72.5	73.0	77.7	78.2	88.3	91.5	92.9	91.7	90.99
बीसीजी	59.1	61.7	81.7	78.1	87.5	90.9	88.3	92.9	91.79
मिजल्स	20.5	68.5	99.1	83.4	81.8	83.8	91.2	89.3	87.37

परिशिष्ट- 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का विवरण

बन्द माइका माइन्स की सूची जिला भीलवाड़ा

क्र.सं.	पट्टाधारी का नाम	लोकेशन (नि.ग्रा.(नि.ग्रा.(तह.)	वर्तमान स्थिति
1.	श्री अशोक कुमार चौधरी	सिंदड़ियाल (भीलवाड़ा)	बन्द
2.	श्री आदित्य मिनरल एण्ड मेटल्स रायला जिला भीलवाड़ा	खेड़ा (मांडल)	बन्द
3.	श्री बालूराम गुर्जर, गूंदली (भीलवाड़ा)	गूंन्दली (भीलवाड़ा)	बन्द
4.	श्री डी.बी. गट्टानी, मांडल	मांडल	बन्द
5.	श्री हरिश कुमार अग्रवाल, भीलवाड़ा	गणेशपुरा (मांडल)	बन्द
6.	श्री नाथानी मिनरल कार्पो. रायला	ललिता माईन्स (मांडल)	बन्द
7.	श्री पांसल माईनिंग कम्पनी, भीलवाड़ा	पांसल (भीलवाड़ा)	बन्द
8.	श्री राम निवास तिवाड़ी, भीलवाड़ा	कालूखेड़ा (मांडल)	बन्द
9.	श्री शाहिद हुसैन, बागौर	भोजरास (मांडल)	बन्द
10.	श्री सुगनचन्द जैन, भीलवाड़ा	जामोली (जहाजपुर)	बन्द
11.	श्री सुगनचन्द जैन, भीलवाड़ा	गोकुलपुरा (मांडल)	बन्द
12.	श्री सुदर्शन मिनरल्स एण्ड कं. भीलवाड़ा	बिलिया प्रतापपुरा (शाहपुरा)	बन्द

परिशिष्ट - 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची

परिशिष्ट - "क"

तुलनात्मक तालिका दर्ज अभियोग मय निस्तारण थाना देचू, शेरगढ़ एवं बालेसर, जिला जोधपुर

नाम थाना	अवधि	दर्ज अपराध	अदम वकुआ	एफआर	पेंडिग पुलिस	चालान
देचू	1.4.80 से 31.3.91	110	33	4	–	73
	1.4.91 से 31.3.92	126	26	2	–	98
	1.4.92 से 31.3.93	103	43	5	–	55
	1.4.93 से 31.3.94	149	36	3	–	110
	1.4.94 से 28.2.95	120	29	4	–	87

नाम थाना	अवधि	दर्ज अपराध	अदम वकुआ	एफआर	पेंडिग पुलिस	चालान
शेरगढ़	1.4.90 से 31.3.91	89	23	9	–	57
	1.4.91 से 31.3.92	86	16	2	–	68
	1.4.92 से 31.3.93	123	19	7	–	97
	1.4.93 से 31.3.94	96	11	7	–	78
	1.4.94 से 28.2.95	113	21	4	3	85
बालेसर	1.4.90 से 31.3.91	99	28	5	–	66
	1.4.91 से 31.3.92	80	18	4	–	58
	1.4.92 से 31.3.93	94	19	5	–	70
	1.4.93 से 31.3.94	100	21	7	–	72
	1.4.94 से 28.2.95	113	21	4	4	84

शेरगढ़ तहसील के अन्तर्गत आने वाले थानों में दर्ज अपराधों की तालिका मय निस्तारण

नाम थाना	अवधि	दर्ज अभियोग	अदम वकुआ	एफआर	पेंडिग पुलिस	चालान
1.	1.4.90 से 31.3.91	298	94	18	–	196
2.	1.4.91 से 31.3.92	292	60	8	–	224
3.	1.4.92 से 31.3.94	320	81	17	–	222
4.	1.4.93 से 31.3.94	345	68	17	–	260
5.	1.4.94 से 28.2.95	346	71	12	7	256

परिशिष्ट - 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की प्रति

श्री अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला (ट्रस्ट) जयपुर

काँवटियों का खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर।

अध्यक्ष :
श्री नारायण धोवती वाला
श्री नारायण गोविन्दनारायण
खन्दा पुरोहित जी, माणक चौक
जयपुर T. No. 565591

मंत्री
अशोक कुमार आचार वाला
आचार वालों का रास्ता,
गोपाल जी का रास्ता, जयपुर
Dt. 21.2.94

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक,
जयपुर शहर,
जयपुर।
जरिये थाना प्रभारी,
थाना रामगंज, जयपुर।

किराया-बिल

विवरण	अवधि	किराया राशि
सीमा सुरक्षा बल "सी" कंपनी, बज्जु बीकानेर (पुलिस फोर्स) के जवानों के अस्थाई निवास हेतु (1) एक बड़ा हाल मय 8 कमरे व बरामदा अगवार, (2) चार कमरे उत्तरमुखी (प्रथम मंजिल) में हाल रसोईघर (छत पर)	1.4.93 से 31.1.94 तक 10 माह	रु. 30,000
(3) लैट्रीन, बाथरूम, नल, बिजली की सुविधा		रु. 7,500
	योग :	रु. 37,500

अक्षरे रुपये सैंतीस हजार पांच सौ मात्र।

कृपया उक्त बिल का भुगतान कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(गोविन्दनारायण धोवतीवाले)
प्रन्यासी अध्यक्ष

जयपुर,
दिनांक : 21.2.94

परिशिष्ट - 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की प्रति

श्री अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला (ट्रस्ट) जयपुर

काँवटियों का खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर।

अध्यक्ष :
श्री नारायण धोवती वाला
श्री नारायण गोविन्दनारायण
खन्दा पुरोहित जी, माणक चौक
जयपुर T. No. 565591

मंत्री
अशोक कुमार आचार वाला,
आचार वालों का रास्ता,
गोपाल जी का रास्ता, जयपुर
Dt. 21.2.94

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक,
जयपुर शहर,
जयपुर।
जरिये थाना प्रभारी,
थाना रामगंज, जयपुर।

किराया-बिल

विवरण	अवधि	किराया राशि
श्री अग्रवाल जनक भवन धर्मशाला	1.4.92 से	
कावंटीयों का खुर्रा, रामगंज बाजार	31.3.93	
जयपुर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों	तक (एक वर्ष)	रु. 36,000
(पुलिस फोर्स) के अस्थाई निवास हेतु		
(1) एक बड़ा हाल मय 8 कमरे व बरामदा अगवार		
(2) चार कमरे उत्तरमुखी (प्रथम मंजिल में), हाल रसोईघर (छत पर)		
(3) लेट्रीन बाथरुम, नल बिजली की		रु. 9000/-
सुविधाएँ	योग	रु. 45,000/-

कृपया उक्त बिल का भुगतान कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(गोविन्दनारायण धोवती वाला)
अध्यक्ष प्रन्यासी

जयपुर
दिनांक : 21.2.94

परिशिष्ट - 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का विवरण

परिशिष्ट - 1

दिनांक 25.6.93 की बैठक कार्यवाही वितरण

अधि/बून्दी : 6 सिंचाई विभाग, बून्दी		काला नला में जलोत्थान सिंचाई योजना निर्माण करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग यह पता लगावें कि योजना उपयोगी हैं अथवा नहीं
निदेशक, समाज कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी	1:7	अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि. के सहयोग से निर्मित दुकानों के आवंटन व इन पर कब्जों की सूचना सम्बन्धित नगर पालिकाओं से प्राप्त नहीं हुई। अत: जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वह व्यक्ति जाकर इस कार्य को अति: शीघ्र पूरा करावें।

परिशिष्ट - 2

दिनांक 25.9.93 की बैठक कार्यवाही विवरण

1:3 जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत झरमहादेव कलोजर को हराभरा बनाने हेतु तकमीने तैयार करने बाबत।	उपवन संरक्षक (वन्य जीव) कोटा से कोई तकमीने प्राप्त नहीं होने एवं उनके द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के कारण पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुये मामला समाप्त किया गया
1:4 बरड़ क्षेत्र के संभावित बन्धक श्रमिकों की सर्वेक्षण रिपोर्ट।	बरड़ क्षेत्र के संभावित बन्धक श्रमिकों की सर्वेक्षण रिपोर्ट, उपखण्ड अधिकारी, बून्दी से आना शेष है। अत: रिपोर्ट मंगवाने हेतु उन्हें अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा निर्देश दिये जावें।
1:5 कालानला में जलोत्थान सिंचाई योजना का निमार्ण	सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर मामला समाप्त किया गया, क्योंकि यह योजना व्यवहारिक नहीं।
1:6 अनु. जाति विकास निगम के सहयोग से निर्मित दुकानों का आवंटन व इन पर कब्जा की सूचना देने बाबत जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये थे।	अनु. जाति सहकारी निगम के सहयोग से नगर पालिका इन्द्रगढ़ में निर्मित दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। इसका कब्जा जिला समाज, कल्याण अधिकारी दिनांक 15.10.93 से पूर्व लाभार्थियों को दिलवाकर अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा कलक्टर को सूचित करेंगे।

1:7 ग्राम नमाना तथा के.पाटन के अनु.जाति के छात्रावास भवनों का निर्माण/मरम्मत कराना।	ग्राम नमाना तथा के.पाटन के छात्रावास भवनों के निर्माण/मरम्मत हेतु निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर को जो प्रस्ताव/अर्द्धशासकीय पत्र भेजा गया है, उनके बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी, निदेशक समाज कल्याण विभाग, जयपुर को जिला कलक्टर की ओर से अर्द्धशासकीय पत्र लिखें।
1:8 झरमहादेव की सड़क से फाटक तक खरन्जा निर्माण तथा हरीपुरा बांध से बंधा गांव की पुलिया निर्माण।	झरमहादेव की सड़क से फाटक तक खरन्जा निर्माण तथा हरीपुरा बांध से बधा गांव की पुलिया निर्माण बाबत बैठक से चर्चा नहीं की, क्योंकि अधि. अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के यहां से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

परिशिष्ट - 11

अधिसूचनाएं

श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं

1. अधिसूचना संख्या एफ6(6)राज/6/92/19 दिनांक 1.10.1994 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन और नियमितिकरण) नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं

2. अधिसूचना संख्या एफ6(6)राज/92/20 दिनांक 1.10.1994 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992 की ओर संशोधित किया गया है एवं

3. अधिसूचना संख्या एफ6(13) राज/6/91/1 दिनांक 14.2.1995 जिसके द्वारा राजस्थान राजपत्र भाग (11/ग) दिनांक 10.10.63 पृष्ठ 339 में प्रकाशित आदेश सं. एफ5(109)रेव/बी/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किये गये हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार राज्य मंत्री, यातायात द्वारा प्रस्तुत परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं

1. अधिसूचना क्रमांक परि/प6(1) कर/87 दिनांक 7.5.94 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं

2. अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(103) टैक्स/स्पै/टैक्स/परि. दिनांक 29.11.94 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ6(103)/टैक्स/स्पै/टैक्स दिनांक 24.7.90 को दिनांक 1.12.94 से प्रत्याहृत किया गया है ;

3. अधिसूचना क्रमांक परि/प6(1)कर/87/दिनांक 7.2.95 जिसके द्वारा विद्यालय के छात्र/छात्राओं व अध्यापकों के शैक्षणिक भ्रमण हेतु बस अनुबन्धित की गयी है;

4. अधिसूचना क्रमांक प1(3)परि/95 दिनांक 18.2.1995 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951) का अधिनियम सं. 11 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भू-जल विभाग के वाहनों को कर मुक्त किया गया है

5. अधिसूचना क्रमांक प1(2)परि/95 दिनांक 18.2.1995 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951) का अधिनियम संख्या 11 की धारा 3 बी उपधारा (1) के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं राजस्थान वाटर एण्ट सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड के वाहनों को कर मुक्त किया गया है;

6. अधिसूचना क्रमांक परि/प. 6(1) कर/87 दिनांक 21.2.95 जिसके द्वारा छात्राओं व अध्यापिकाओं के शैक्षिणिक भ्रमण हेतु बस अनुबन्धित की गयी है;
